



44th वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2025-26

Rajasthan Electronics & Instruments Limited

Shaping Rural India through Electronics, Renewable Energy & IT Solutions

RAJASTHAN ELECTRONICS & INSTRUMENTS LTD. JAIPUR

FIGURES AT A GLANCE

(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
OVERVIEW OF PROFIT HOW EARNED					
Sales Revenue	16490.59	12018.53	18578.06	15748.78	27815.44
Other Income	170.56	118.44	343.48	211.22	475.73
Total Turnover	16661.15	12136.97	18921.54	15960.00	28291.17
HOW SPENT/RETAINED					
Material Cost	10367.45	6357.77	10288.65	8866.05	7249.40
Employment Cost	3418.63	3343.46	3256.61	3284.13	3275.91
Other Expenses	3373.85	3826.45	4665.04	4808.91	17437.66
Depreciation	189.31	192.64	191.04	194.55	192.24
Finance Costs	60.76	86.57	83.32	30.35	73.32
Total Expenses	17410.00	13806.89	18484.66	17183.99	28228.53
Net Profit/(Loss) before Tax	(748.85)	(1669.92)	436.88	(1223.99)	62.64
Profit/(Loss) after tax	(846.24)	(1006.06)	316.14	(895.43)	(375.08)
Dividend (including tax)	-	-	-	-	-
WHAT WE OWN					
Fixed Assets					
Gross Block	5454.44	5463.34	5477.78	5474.01	5490.35
Less Accumulated Depreciation	(2390.27)	(2582.91)	(2771.78)	(2957.28)	(3146.89)
Net Block	3064.17	2880.43	2706.00	2516.73	2343.46
Current, non-current Assets, and Deferred tax Assets	22596.78	23478.77	22086.62	27359.20	34944.97
Total Assets	25660.95	26359.20	24792.62	29875.93	37288.43
Less Deferred tax, Current and non-current Liabilities & Provision	18366.56	20073.66	18231.58	24219.08	31995.69
Capital employed	7294.39	6285.54	6561.04	5656.85	5292.74
REPRESENTED BY					
Share Capital	1225.00	1225.00	1225.00	1225.00	1225.00
Reserves & Surplus	6069.39	5060.54	5336.04	4431.85	4067.74
Net Worth	7294.39	6205.54	6561.04	5656.85	5292.74

RAJASTHAN ELECTRONICS & INSTRUMENTS LIMITED JAIPUR

44th ANNUAL REPORT 2025-26

Contents

2	Board of Directors
3	Chairman's Statement
5	Report of the Board of Directors
29	Comments of C & AG
30	Independent Auditor's Report
45	Balance Sheet
46	Statement of Profit and Loss
47	Schedules

Board of Directors

Chairman & Director : Shri Suresh Kumar Ola

Managing Director : Shri Brijesh Dixit

Directors : Shri Prem Chandra Maurya
Smt. Nidhi Mehta
Shri Dinesh Kumar Pahadia

Auditors : M/s G. K. Mittal & Associates
Chartered Accountants,
Jaipur (Raj.)

Bankers : Punjab National Bank
L.C. Branch, M.I. Road,
Jaipur.

Registered Office : 2, Kanakpura Industrial Area,
Sirsi Road, Jaipur – 302 034

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, I have the privilege of presenting the 44th Annual Report of Rajasthan Electronics & Instruments Limited (REIL) for the financial year 2025-26.

India continues to remain one of the fastest-growing major economies, supported by resilient domestic demand, sustained infrastructure investment, increasing manufacturing activity, and rapid adoption of technology. The Government of India's continued emphasis on Atmanirbhar Bharat (Make in India), Digital India, renewable energy, sustainable rural development, and digital governance is creating significant opportunities for technology-driven enterprises. In this dynamic environment, REIL remains committed to leveraging its technological capabilities and established presence to contribute meaningfully to the nation's development.

The financial year 2025-26 has been a year of significant growth, consolidation and new opportunities for REIL. I am pleased to share that your Company achieved revenue from operations of Rs. 278.15 Crore, which represents the highest-ever turnover recorded by the Company since its inception. The Company also recorded a Profit Before Tax of Rs. 62.64 lakh. These results reflect the collective efforts of the Board, Management and employees, and the continued confidence reposed in REIL by its customers and business partners.

HIGHLIGHTS OF THE YEAR

During the year, your Company continued to strengthen its established business verticals while simultaneously expanding into new and emerging areas.

In the Dairy Electronics sector, REIL continued to strengthen its position as a trusted technology partner for dairy cooperatives and milk unions across the country. The Company supplied more than 6,000 milk testing and automation solutions, including Automatic Milk Collection Units, Milk Analysers, Electronic Milk Testers, Electronic Milk Adulteration Testers, BMC Data

Loggers and other dairy automation products. The successful development and supply of the Milk Collection System (MCS Duo) in a short time of 60 days is a notable achievement and demonstrates REIL's technological capability, manufacturing strength and responsive supply chain.

The Company also entered into a Technology Transfer Agreement with CSIR-CEERI, Pilani for the development of an indigenous Methylene Blue Reduction Test (MBRT) Machine, which is expected to further strengthen REIL's dairy portfolio and create new business opportunities in the coming years.

The Renewable Energy business continued to be an important growth driver. During the year, REIL secured and executed several prestigious projects across the country. The Company received a significant order from Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) for a 1,560kW grid-connected rooftop Solar PV power plant at Gorakhpur Nuclear Plant and secured significant projects from Jammu & Kashmir Energy Development Agency, including a Rs. 26 crore order for 5 MWp grid-connected Solar PV power plants and a Rs. 1.55 crore order for Solar PV LED Street Lighting systems.

REIL prepared and submitted Detailed Project Report for 21 villages across Rajasthan under the Model Solar Village Scheme. Good progress was also made in the EV Charging Project under FAME-II scheme of the Government of India. These initiatives are aligned with the broader objective of promoting clean energy and sustainable development. The Company did ground work for the newer areas such as Battery Energy Storage Systems (BESS), Floating Solar, etc.

In the Information Technology and digital solutions segment, the Company continued to expand its presence in the management of examinations across Rajasthan by providing security and ancillary services, catering to more than 40% of all examinations conducted by Government agencies in Rajasthan. In the health care sector, it provided digital healthcare solutions, queue management systems, and printing services in various hospitals. The Company continued to support Rajasthan



State Cooperative Bank in providing and maintaining Core Banking solutions across its branches. The Company continued to support Rajasthan State Cooperative Bank in providing and maintaining Core Banking Solutions across its branches. These works are a testimony to the confidence of public institutions in the Company's technology and service delivery capabilities.

Your Company also continued its journey into emerging technology areas. During the year, REIL obtained authorization from the Directorate General of Civil Aviation to operate as a Remote Pilot Training Organization (RPTO) for training pilots of Small Unmanned Aerial Vehicles. The Company also undertook drone-based GIS and survey projects, thereby opening new avenues in technology-enabled consultancy and skill development.

Innovation continues to remain central to REIL's long-term strategy. The Company's R&D efforts are focused on developing indigenous products, improving existing technologies, reducing costs and responding to emerging customer requirements. During the year, the Company successfully developed the MCS Duo, implemented QR/ Barcode functionality for critical products and sub-assemblies, and undertook various product and software enhancements. The Company continued to work for enhancing customer satisfaction, and increasing its business through channel partners/ business associates.

The achievements of FY 2025-26 provide a strong foundation for the next phase of REIL's growth. Going forward, your Company will continue to focus on strengthening its core businesses in Dairy Electronics, Renewable Energy and Information Technology, while expanding into emerging areas such as drone technology,

solar consultancy, electric mobility, and other technology-driven solutions.

REIL will continue to leverage its established brand, technical capabilities, pan-India presence, customer relationships and experienced workforce to identify new opportunities and deliver reliable, innovative and sustainable solutions. The Company will remain focused on improving operational efficiency, optimizing resource utilization, enhancing customer satisfaction and building a diversified and sustainable business portfolio. The Company has chartered an ambitious growth plan of becoming a Rs.1000 Cr. Company in the next 5 years.

I am confident that REIL, with its strong technological foundation and dedicated workforce, is well positioned to capitalize on the opportunities arising from India's growth trajectory and the nation's increasing focus on digitalization, renewable energy and sustainable rural development.

On behalf of the Board of Directors, I express my sincere gratitude to the Government of India, Ministry of Heavy Industries, Ministry of New and Renewable Energy, Government of Rajasthan, RIICO, C&AG, regulatory authorities, our customers, business associates, suppliers, bankers and other stakeholders for their continued support and confidence in REIL.

I also place on record my appreciation for the Management and employees of REIL for their commitment, hard work and dedication. Their collective efforts have enabled the Company to achieve its highest-ever turnover and strengthen its position across diverse business segments. With the continued support of all our stakeholders, we look forward to building upon these achievements and taking REIL along a stronger, more diversified and sustainable growth trajectory.

With Best Wishes,
Date: 08.09.2026
Place: Jaipur

Sd/-
CHAIRMAN

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Dear Members,

The Board of Directors has pleasure in presenting the 44th Annual Report on the business and operations of the Company together with the audited Financial Statements for the financial year ended 31st March, 2026. In FY 2025-26, the Company posted Revenue of Rs. 278.15 Crore and Profit before Tax of Rs. 62.64 Lakh. Your Board of Directors is also pleased to inform that this is the highest ever turnover recorded by the Company since its inception.

Your Company remains committed to delivering technology-driven solutions that enhance customer satisfaction through quality products, reliable services and continuous innovation. REIL continues to play a significant role in the Dairy Electronics sector by providing advanced milk testing, quality assurance and digital milk procurement solutions, including Automatic Milk Collection Systems, Milk Analysers, Electronic Milk Adulteration Testers, BMC Data Loggers and integrated dairy management software. In the Renewable Energy sector, the Company expanded its presence through the execution of grid-connected rooftop Solar Photovoltaic (SPV) power plants, solar water pumping systems, solar street lighting projects, and export projects. The Information Technology business continued to witness significant growth with the successful execution of large-scale examination management and recruitment support services, biometric authentication, digital healthcare solutions, queue management systems, printing services and Core Banking solutions. The Company also worked towards the proliferation of electric mobility.

Aligned with the national priorities of Atmanirbhar Bharat, Digital India, Make in India, the National Solar Mission, sustainable rural development and digital governance, REIL continues to leverage indigenous technologies and innovations to deliver reliable, secure and sustainable solutions. The Company remains committed to its vision of "Shaping Rural India through Electronics, Renewable Energy and IT Solutions", while continuously exploring new business opportunities in emerging technology sectors to drive inclusive growth and create long-term value for all its stakeholders.

FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial highlights are as provided

below:

(Rs. in Lakh)

S. No.	PARTICULARS	2025-26	2024-25
1.	Turnover & Other Income	28291	15960
2.	Material Cost	7249	8866
3.	Employment Cost	3276	3284
4.	Other Revenue Expenses	17438	4809
5.	Gross Margin (PBDIT)	328	(999)
6.	Profit/(Loss) Before Tax (PBT)	63	(1224)
7.	Net Worth	5293	5657

STATUS OF COMPANY'S AFFAIRS

Your Company is holding the most prominent position in the Dairy and Solar Industry through its customer centric approach by way of ensuring prompt products deliveries and after sales support.

The Company's strategic vision and sustained business development efforts have enabled it to secure prestigious orders for the supply of both hardware and software solutions across the country. During the year, the Company received significant orders from various milk cooperatives in the Dairy Sector for the supply of Automatic Milk Collection Units (AMCU), Electronic Milk Testers (EMT), Remote Milk Route Data Loggers (RMRD), Milk Analysers, Somatic Cell Counters, and EMAT Advance systems.

The Company continues to strengthen its partnership with milk producers and dairy cooperatives through the deployment of its Automatic Milk Collection System (AMCU). The system enhances operational efficiency by enabling faster milk procurement, minimizing human intervention and errors, ensuring accurate data management, and facilitating transparent and timely payment to milk producers. These technological advancements contribute to improved productivity, operational excellence, and greater transparency, thereby reinforcing the Company's commitment to modernizing the dairy procurement ecosystem.

During the year, the Company's R&D Division developed and introduced the Milk Collection System (MCS Duo), an advanced solution integrating conventional milk collection equipment with modern digital technology. Under the rate contract awarded by the Rajasthan Cooperative Dairy Federation (RCDF) for 14 dairy plants across Rajasthan under the NPDD programme, the Dairy Electronics Segment successfully supplied 741 MCS Duo units. The order was substantially executed within a record 45 days, showcasing the Company's



technological innovation, manufacturing excellence, and robust supply chain capabilities.

REIL has received a Rate Agreement Letter (RAL) from Alwar Milk Union and supply orders for BMC Data Loggers from Bundelkhand, against which 285 units have been supplied. The deployment of BMC Data Loggers will further strengthen milk quality monitoring through accurate data recording, enhanced transparency in milk procurement operations, and reduction in spoilage.

During the financial year 2025-26, the Company continued to strengthen its presence across diverse business segments by securing and successfully executing projects for various Central Public Sector Enterprises (CPSEs), State Government organizations, and other institutional clients across the country. Notable clients included Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Limited (Jaipur Dairy), Power Finance Corporation Limited (PFC), Public Health Engineering Department (PHED), Rajasthan, Power Grid Energy Services Limited (PESL), NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVN), Mineral Exploration and Consultancy Limited (MECL), and Social, Economic and Welfare Association (SEWA-THDC).

The successful execution of these projects reflects the Company's technical expertise, robust project management capabilities, and continued commitment to delivering quality solutions within stipulated timelines. These accomplishments have further reinforced the Company's credibility and strengthened its position as a trusted technology and engineering solutions provider for government organizations and public sector enterprises.

During the financial year 2025-26, the Company secured a prestigious order from Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) for the design, engineering, supply, installation, testing, and commissioning of a 1,560 kW grid-connected rooftop Solar Photovoltaic (PV) power plant at its Gorakhpur Nuclear Power Project in Haryana. The project, valued at Rs. 7.03 crore, marks a significant milestone in the Company's renewable energy portfolio.

In line with the objective of strengthening rural milk infrastructure and making milk plants self-reliant in meeting their energy requirements, the Company has received and executed an order from Bhilwara Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited (BZDUSSL) for the supply and installation of 193 Nos. of 4.95 kWp Grid-Connected Rooftop SPV Plants at various Bulk Milk Coolers (BMCs) of Bhilwara Milk Union, Bhilwara (Rajasthan), with a cumulative capacity of 1 MW.

REIL has marked its entry into the new business area of Solar Village Project Consultancy by securing work

orders from Rajasthan DISCOMs under the Model Solar Village Scheme. The Company has successfully executed the preparation of Detailed Project Reports (DPRs) for 21 villages across Rajasthan for Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited and Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited, contributing towards the development of sustainable, energy-efficient rural communities and strengthening REIL's presence in the renewable energy consultancy domain.

Building on its proven track record of executing renewable energy projects in the challenging terrain of Jammu & Kashmir, the Company secured multiple orders from Jammu & Kashmir Energy Development Agency. These include a Rs. 26 crore order for the design, supply, installation, testing and commissioning of cumulative 5 MWp grid-connected Solar PV power plants at Government buildings, along with a Rs. 1.55 crore order for the supply and installation of 300 Solar PV LED Street Lighting Systems.

These orders reaffirm the confidence of clients in the Company's capabilities and strengthen its position as a trusted partner for renewable energy projects in strategically important regions.

Against an order received from the Local Self Government (LSG) Department, Government of Rajasthan, for the supply of 1.30 lakh LED Street Lights (45 Wp and 60 Wp) across 299 Nagar Palikas and Nagar Parishads in the State, the Company supplied 1.17 lakh units. The project is contributing significantly towards energy-efficient and sustainable urban lighting infrastructure across Rajasthan, while enhancing public safety and reducing energy consumption.

During the year, the Company received authorization from the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), New Delhi, to operate as a Remote Pilots Training Organization (RPTO) for imparting training on Small Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). This significant milestone strengthens the Company's presence in the emerging drone technology sector and creates new opportunities in certified drone pilots' training and skill development, reinforcing its commitment to innovation and capacity building.

The Company made significant progress in the Electric Vehicle Charging Station (EVCS) project under the FAME-II Scheme, with Charge Point Operator (CPO) contracts

operational and project execution underway in Indore, Bhopal and Bengaluru. During the year, the Company successfully installed three EV charging stations at Indore, marking a key milestone in its efforts to support the development of the country's electric mobility infrastructure.

During the financial year 2025-26, various orders were received from the Rajasthan Staff Selection Board (RSSB), Rajasthan University of Health Sciences (RUHS) and for providing comprehensive examination security and monitoring services, including IRIS, facial and fingerprint biometric authentication for impersonation control, CCTV surveillance, frisking, and videography. The Company executed these orders successfully and increased its share in examinations conducted by Government agencies in Rajasthan to more than 40%.

A tri-partite agreement was executed between Rajasthan State Cooperative Bank (RSCB), REIL and Tata Consultancy Services (TCS) for providing support to the Core Banking Solution (CBS) project till 2029. Valued at approximately Rs. 20.86 crore, the agreement encompasses Annual Technical Support (ATS), Annual Maintenance Contract (AMC), and Helpdesk services for RSCB and its 29 District Central Cooperative Banks (DCCBs). REIL has implemented and is supporting CBS for RSCB since 2011.

Your Company remains committed to building a diversified and sustainable business portfolio by leveraging its core strengths in technology, innovation, quality manufacturing, reliable after-sales service and enduring customer relationships. During the year, the Company continued to focus on expansion in emerging sectors while strengthening its established business segments. Continuous efforts were made to enhance operational efficiency, optimize resource utilization and streamline processes, thereby improving productivity and ensuring long-term sustainable growth and value creation.

DIVIDEND

As the Company has posted loss after tax for the F.Y. 2025-26, therefore in order to conserve the resources of the Company, taking into account the prevailing economic situation and the need of resources for growth, it is proposed not to recommend any dividend on the Equity Shares of the Company for the financial year ended March 31st, 2026.

TRANSFER FROM GENERAL RESERVES

It is proposed to transfer Rs. 3.50 crore from General

Reserve of the Company to retained earnings for the year 2025-26.

CREDIT RATING

The Company has obtained its credit ratings from CARE. It has been given the rating of "CARE BB+ Stable" for its long-term banking facilities. Similarly, for its short-term banking facilities, the Company has been assigned "CARE A4+".

The ratings are a result of the Company's established operations with a long track record and diversified product portfolio.

BOARD OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

During the year under review, Shri Suresh Kumar Ola, IAS, Managing Director, Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO), has been appointed as Chairman & Director w.e.f. 27.04.2026 and Shri Aakash Tomar, IAS, Managing Director, RIICO ceased to be Chairman & Director of the Company w.e.f. 27.04.2026.

Shri Aakash Tomar, IAS, Managing Director, Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO), has been appointed as Chairman & Director w.e.f. 09.04.2026 and Smt. Shivangi Swarnkar, IAS, Managing Director, RIICO ceased to be Chairman & Director of the Company w.e.f. 09.04.2026.

Shri Prem Chandra Maurya, Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries, GoI, New Delhi, has been appointed as nominee Director w.e.f. 16.04.2025.

Dr. Renuka Mishra, Economic Advisor, Ministry of Heavy Industries, GoI, New Delhi, ceased to be nominee Director of the Company w.e.f. 16.04.2026

The Board of Directors places on record the deep appreciation of the valuable services rendered as well as advice and guidance provided by Smt. Shivangi Swarnkar, Chairman & Director, Shri Aakash Tomar, Chairman & Director and Dr. Renuka Mishra, Director of the Company during their tenure.

Key Managerial Personnel

Pursuant to the provisions of Section 203 of the Companies Act, 2013, the key managerial personnel of the Company are Shri Brijesh Dixit, Managing Director, Shri Subhash Agrawal, Chief Financial Officer and Shri Amit Kumar Jain, Company Secretary.

Declaration by Independent Directors

The Independent Directors have submitted the



Declaration of Independence, as required pursuant to Section 149(7) of the Companies Act, 2013 stating that they meet the criteria of independence as provided in sub-section (6).

CORPORATE AWARDS/ RECOGNITIONS AND VISIBILITY

Continuing its tradition of bagging prestigious awards and participating in notable events, some of the milestones for the year are as under.

- “Best Employer Award 2025” by the Employers Association of Rajasthan.
- The Company participated and showcased REIL’s dairy equipment at the Dugdh Diwas celebration held at Alwar Dairy.
- The Company participated in Renewable Energy India Expo 2025 (from 30th Oct 2025 to 1st November 2025) held at India Expo Mart, Greater Noida.
- The Company participated in the 52nd Dairy Industry Conference & Exhibition held at Yashobhoomi Convention Centre, New Delhi from 12th -14th Feb 2026.
- The Company participated in Dairy Industry Conference & Exhibition organized as a part of a two day inaugural Agri-Dairy Fair Rangilo, hosted by National Dairy Development Board (NDDB) & NDDB Dairy Services (NDS) at Jobner, Jaipur.
- REIL participated in MSME Conclave 2025- Vendor Development Program, held at Udaipur on 29th-30th Aug 2025.

QUALITY & RELIABILITY

REIL pursues continual improvement in the quality of its products, services and performance leading to customer satisfaction through commitment, innovation and team work of all employees. REIL has established & maintained Quality Management System & Environment Management System. The Company has obtained ISO/IEC 27001 Certification for Information Security Management System (ISMS).

PRODUCTION

The Company has produced 9,683 nos. of Electronic Milk Analysers as compared to 10,550 nos. during the previous year and 0.8 MW of Solar Photovoltaic Modules as compared to 2.34 MW during the previous year.

DEVELOPMENT OF SUPPORT UNITS & MSMEs

REIL, as a policy, lays emphasis on development of support industries and is in close interaction with them for their technology up-gradation, which in turn helps in their quality improvement and volume production. REIL is largely fulfilling its requirement of raw material and components from MSMEs. REIL is helping in developing support industries by regularly participating in vendor development programmes organized by Ministry of MSME from time to time.

ANNUAL RETURN

Annual Return pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013, read with Section 134(3)(a) and Rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014 for the financial year ended 31st March 2026 is included in this Report as Annexure-A and forms an integral part of this Report.

DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Company has in place an Anti-Sexual Harassment Policy in line with the requirements of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. An Internal Committee has been set up to redress the complaints received regarding sexual harassment at workplace. The following is the summary of sexual harassment complaints received and disposed off during the current financial year.

1. Number of Complaints received: Nil
2. Number of Complaints disposed off: Nil

ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The particulars as Sub-section (3) (m) of Section 134 of the Companies Act, 2013, read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, are stated as under:

A. Sustainable Development and Conservation of Energy

Sustainable Development forms the foundation of your Company's business philosophy and growth strategy. As a Company primarily engaged in the development and deployment of renewable energy solutions, sustainability is intrinsically embedded in its operations and long-term vision. Your Company is committed to accelerating India's clean energy transition by promoting

environmentally responsible technologies, reducing dependence on conventional energy sources, and contributing to the nation's climate change mitigation objectives.

The Company's business strategy is guided by the principles of environmental stewardship, social responsibility, and sound governance. While expanding its renewable energy portfolio, your Company remains focused on creating long-term value for all stakeholders through responsible business practices, efficient resource utilization, and technological innovation. By delivering sustainable energy solutions across the country, the Company contributes towards reducing carbon emissions, enhancing energy security, and supporting inclusive socio-economic development.

Your Company follows a balanced approach based on the three pillars of sustainability—People, Planet and Prosperity. It strives to create positive social impact by improving access to clean energy, protecting the environment through adoption of green technologies and resource-efficient practices, and generating sustainable economic value for its stakeholders. Through these initiatives, the Company continues to strengthen its commitment towards responsible growth and the achievement of national and global Sustainable Development Goals (SDGs).

The Projects & Impacts

Energy conservation initiatives in manufacturing units are monitored to achieve higher efficiency of power & fuel inputs. Some energy conservation measures taken during the year include:

- Awareness generation amongst employees about the necessity of energy conservation.
- Electricity generation from captive solar power plants installed within the premises.
- Identification of potential to reduce the usage of energy, arresting leakages, use of alternate sources of energy, identifying wasteful use of energy and plugging them, monitoring energy consumption, etc.
- A 25 kWp solar power plant has been successfully installed on the canteen rooftop at REIL campus. The plant is expected to deliver monthly savings of around Rs. 40,000, contributing to both cost efficiency and sustainable energy use. This project was executed in record time with seamless coordination between the RE, Production, and PPC Divisions, guided by their respective HoDs.

B. Technology Absorption and Research & Development

Research and development (R&D) is the process by which a company works to generate new knowledge that it might use to create new technology, products, services, or systems that it will either use or sell. The main aim of the R&D activities is to design and develop new and improved products, to increase business efficiency, to reduce costs, and to remain competitive in the market.

R&D activities follow a systemic approach of converting the market needs into technical specifications, developing prototypes, carrying out field trials, preparing production documentation, and finally launching of the product for commercial use. R&D activities also include improvement in existing products & processes. R&D also has the responsibility of protecting proprietary knowledge, securing patents, and executing non-disclosure agreements. R&D also provides support to the various departments in order to maximize profits and improve productivity.

The Company's R&D department is distinct from the other wings of the organization and is equipped with the latest tools and technology-based equipment, as well as skilled manpower. The Company's R&D setup is registered with the Department of Science & Industrial Research (DSIR), Government of India. R&D mainly works in the fields of agro dairy & renewable energy to provide solutions to the rural masses via process innovation, product development and technology licensing.

Major activities undertaken by R&D during the financial year 2025-26 includes:

a) Technology transfer with CSIR-CEERI, PILANI for MBRT (Methylene Blue Reduction Test Machine):

The Company's R&D Centre entered into a Technology Transfer Agreement with CEERI, Pilani for the development of an indigenous Methylene Blue Reduction Test (MBRT) Machine to automate milk quality testing. The technology was evaluated successfully by the Company's technical team prior to execution of the agreement. The project is expected to strengthen the Company's dairy product portfolio, with prototype development, pilot production and commercialization planned in the next financial year.

b) Design and development of MCS-DUO:

R&D has successfully designed, developed and manufactured the Milk Collection System (MCS-DUO). The system is a compact, integrated solution that



combines a Milk Analyzer for measurement of milk parameters and an Ultrasonic Stirrer for proper milk homogenization prior to analysis, all within a single unit.

The system architecture incorporates three internal Bluetooth-enabled modules to facilitate seamless data communication with the Android application:

- Milk Analyzer
- Thermal Printer

c) QR/Barcode Implementation in REIL ERP:

To strengthen operational efficiency, accuracy, and traceability within the REIL ERP system, QR/Barcode functionality has been successfully implemented by R&D on critical raw material, sub-assemblies and machines. This implementation aims to streamline material handling processes, reduce manual intervention, while improving product traceability.

Other product up-gradations carried out are as follows:

1. Jan Aadhaar API integration for identity verification and direct benefit transfer (DBT) to beneficiaries under the Camel Conservation Scheme modules in the Integrated Online Medicine Management Software 'Pashu Aushadh' (IOMMS)
2. Design and development of Monthly Progress Report (MPR) Modules in Integrated Online Medicine Management Software 'Pashu Aushadh' (IOMMS)
3. EMAT Programming Jig.

ENGINEERING & DOCUMENTATION

The product documentation plays a critical role in ensuring consistency in manufacturing and operation. The R&D department manages the document archive and extends support to various divisions on a need basis. It also carries out works related to re-engineering, cost optimization through development of alternate sources, safeguarding the intellectual property of the Company, etc. R&D is also maintaining a library of technical books, journals, standards etc. for reference of the developers.

R&D Expenditure

The expenditure on Research & Development (R&D) during the year is as under:

	(Rs. in Lakh)
(a) Capital	7.57
(b) Revenue	240.97
(c) Total	248.54

(d) Total R&D expenditure, as a percentage of total turnover, stood at 0.89%

Foreign Exchange Earnings and Outgoings

During the year the Company has earned a sum of Rs. 123.02 Lakhs in foreign currency. The Company has also used total foreign exchange worth of Rs. 883.42 Lakhs.

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2025-26

The Company is committed to maintaining the highest standards of corporate governance based on the principles of transparency, integrity, accountability and ethical business conduct. The Board believes that sound governance practices are fundamental to enhancing stakeholder confidence, ensuring regulatory compliance and achieving sustainable long-term growth. During the year, the Company continued to strengthen its governance framework and disclosure practices in line with applicable statutory requirements and best corporate governance standards.

The Board of the Company recognizes the importance of maintaining high standards of corporate governance, which underpins our ability to deliver consistent financial performance and value to our stakeholders. In line with the above philosophy, the Company continuously strives for excellence and focuses on enhancement of long-term stakeholder value through adoption of good governance and disclosure practices.

The Company's robust governance framework is based on the following principles:

- Fairness and equitable treatment towards stakeholders to encourage active co-operation between the Company and its stakeholders;
- Timely and accurate disclosure of all material matters relating to the Company, including the financial situation, performance, ownership, and governance of the Company;
- Continuous and on-going focus on training, development and integration of employees across all levels to achieve Company's objectives;
- High degree of disclosure and transparency levels;
- Board members act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interests of the Company and its shareholders;

- Complete Legal and Regulatory compliance in all areas in which the Company operates;
- Recognition of obligations towards all stakeholders – shareholders, customers, employees, suppliers, society, and implementing robust systems and processes for internal control.

The Company maintains a comprehensive set of compliance policies and procedures which assist it in complying with the law and conducting business in an honest, ethical, and principled way.

The Board of your Company constantly endeavors to set goals and targets aligned to the Company's vision and mission – "To be the leader in the rural sector for business area of Dairy Electronics, significant player in Renewable Energy and in related areas of Information Technology applications with minimal environmental impact", and "To put in efforts to meet the emerging needs of customers and serve them through development/ marketing and delivery of quality products and dependable after sales service".

BOARD AND COMMITTEES:

a) Board of Directors:

The Company is a Government of India Company under the administrative control of the Ministry of Heavy Industries. The Board of Directors has a combination of Executive (Functional) and Non-Executive Directors. As on 31st March, 2026, there were 5 Directors on the Board comprising of one Managing Director and Four Non-Executive Directors (including one Independent Directors). During the year, four Board Meetings were held on 18th July, 2025, 6th November, 2025, 12th December, 2025 and 01st January, 2026.

The details of composition of the Board as at 31.03.2026, the attendance record of the Directors at the Board Meetings and at the last Annual General Meeting (AGM), as also the number of Directorships, Committee Chairmanships and Memberships held by them in other Companies are as follows:

Name of the Director	Category	No. of Meetings attended	Whether attended last AGM held on 19.09.2025	Number of Directorships in other Public Companies	Number of Committee positions held in other Public Companies	
					Member	Chairman
Smt. Shivaangi Swarnkar	Chairman (Part Time)	2	N.A.	10	--	--
Shri Brijesh Dixit	Managing Director (Functional Director)	4	Present	NIL	--	--

Dr. P.N. Sharma	Managing Director (Additional Charge) (Up to 27.04.2025)	0	N.A.	NIL	--	--
Shri Prem Chandra Maurya	Director (Part time) (w.e.f. 16.07.2025)	4	Present	6	--	--
Dr. Renuka Mishra	Director (Part time) (Up to 16.07.2025)	0	N.A.	5	--	--
Smt. Anju Goyal	Director (Part time) (up to 03.12.2025)	1	Present	1	--	--
Smt. Nidhi Mehta	Director (Part time) (w.e.f. 03.12.2025)	2	N.A.	3	--	--
Shri Dinesh Kumar Pahadia	Independent Director	4	Present	1	--	--

b) Board Procedure:

As a good governance practice and as per the guidance note issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Board approves in advance, a tentative schedule of the Board Meetings to be held during the ensuing financial year considering the requirements under applicable laws w.r.t minimum number of meetings and maximum permissible time gap between two consecutive meetings. The Board agenda is circulated to the Directors in advance. The Board Agenda includes an Action Taken Report comprising of actions arising from the past Board Meetings and status updates thereof. The Board meets at regular intervals to discuss and decide on business strategies/policies and review performance of the Company. Video-conferencing facility as per procedure mandated under the Act, is also provided to facilitate the Directors participating in the meetings conveniently.

c) Board's Responsibilities:

The Board provides leadership, strategic guidance, objective and an independent view to the Company's Management while discharging its responsibilities and ensures that the Management adheres to ethics, transparency and disclosures which ultimately serve the long-term goals of all its stakeholders along with achieving the Company's objectives and sustainable profitable growth.

d) Audit Committee:

The Audit Committee of the Board of Directors is entrusted with the responsibility to supervise the Company's internal controls and financial reporting process. The composition, quorum, powers, role and scope are in accordance with Section 177 of the Companies Act, 2013. During the financial year ended 31st March, 2026, two Audit Committee Meetings were held on 17th July, 2025, and 06th November, 2025.

During the financial year 2025-26, the composition of the Audit Committee was as under:

Name of Director	Category	No. of Audit Committee meetings attended
Sh. Dinesh K. Pahadia	Chairman	2
Sh. Brijesh Dixit	Managing Director	2
Smt. Anju Goyal	Director (Part Time)	2

The terms of reference of the Board Level Audit Committee specified by the Board as mentioned below are in conformity with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013:

1. Oversight of the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
2. Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the Company;
3. Reviewing, with the Management, the Annual Financial Statements and Auditor's Report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - i. Matters required to be included in the Directors' Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of Clause (c) of Sub-section 3 of Section 134 of the Companies Act, 2013;
 - ii. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - iii. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
4. Reviewing with the Management, the quarterly

financial statements and auditor's report thereon before submission to the Board for approval;

5. Review and monitor the auditor's independence and performance and effectiveness of audit process;
6. Discussion with internal auditors on any significant findings and follow up thereon.
7. Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
8. Reviewing with the Management, performance of statutory and internal auditors and adequacy of the internal control systems.

e) Other Committees of Directors:

The Board has constituted the Committees of Directors and delegated powers and responsibilities with respect to specific purposes. The Committees such as Nomination and Remuneration Committee, CSR Committee, SD Committee, R & D Committee, Ethics Committee and Steering Committee have representation of Independent Director(s). Meeting of these have been duly conducted as and when required. The Company has a Whistle Blower Policy whereby no personnel have been denied access to the Audit Committee.

MANAGEMENT ANALYSIS AND DISCUSSION

The Management discussion and analysis statements are attached to this report.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:

Company's Human Resource policies and processes have undergone significant transformation and evolution over the years to remain pertinent in a changing environment, enhance organizational agility, and ensure compliance with evolving rules and regulations. In recognition of these efforts, the Company was honored with the Certificate of Excellence by the Employers Association of Rajasthan for the year 2025. At the close of financial year 2025-26, the total number of employees on permanent rolls of the Company is 158.

Training & Development

Training and development programs are integral to the functioning of the Company, emphasizing the importance of continuous learning for its employees. The Company invests in and encourages its employees to acquire both technical and behavioral skills to enhance quality, productivity, and achieve excellence in their respective areas, thereby staying abreast of changing

technologies and skills. In the financial year 2025-26, the Company conducted a total of 211 man- days of training for officers, supervisors, and workers.

During the financial year 2025-26, the Company conducted a diverse range of training programs for its employees, both internally and externally. These included training programs on Administrative Vigilance– Role of IO/PO, awareness program on GeM portal, Rajbhasha, Healthy women, strong families and women's dignity at the workplace, CTE inspections, Capacity building programs, various training programs through iGoT Karmyogi portal, various training programs organized by Factory & Boilers department, Government of Rajasthan, i.e. Fire safety in industry, importance of behaviour based safety in industry, safety during construction & working at a height, role of 5S & housekeeping in industry, and electrical safety in industry. Besides, trainings on the New Labour Codes, GST, Income Tax, Artificial Intelligence and Account & Audit, etc. were also organized during the year

Promotion of Rajbhasha

The Company remains committed to vigorously promoting and successfully implementing the Official Language Policy. Regular monitoring and review of progress are carried out by the Official Language Implementation Committee. To foster proficiency in the official language, the Company has implemented a training program on Hindi typing. Various competitions, prizes, and incentives were also announced during the fortnight-long "Hindi Pakhwada" to encourage the use of Hindi, including among employees from non-Hindi speaking areas. Throughout the year 2025-26, the Company actively participated in activities organized by NARAKAS (UPKRAM) Jaipur.

Corporate Social Responsibility

Your Company believes that Corporate Social Responsibility (CSR) plays a major role in the development of the country. Therefore, it has made CSR an integral part of its ethos and culture. For the financial year 2025-26, the Company has not undertaken any CSR projects due to non-availability of CSR funds as per the requirement of The Companies (CSR Policy) Rules, 2014. The Company has organised medical health check-up camps and has developed a ground for sporting activities resulting in better health & overall development of employees at large.

Right To Information Act, 2005

The Company has complied with all provisions of the Act and responded all RTI applications well within the given timeline.

Deposits:

The Company has not accepted deposits from the public falling within the ambit of Section 73 of the Companies Act, 2013 during FY 2025-26.

OTHER INFORMATION

No disclosure or reporting is required in respect of the following items as there were no transactions on these items during the year under review:

1. Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
2. Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Act, the Board of Directors, to the best of their knowledge and ability, confirms that:

- I. that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2026, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- II. that the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the end of the financial year 2025-26 and loss of the Company for that period;
- III. that the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- IV. that the annual accounts have been prepared for the financial year ended 31st March, 2026 on a 'going concern' basis;
- V. that the Directors has laid down internal financial controls to be followed by the Company and that



such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

- VI. that the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

STATUTORY AUDITORS

The Comptroller & Auditor General of India (CAG) has appointed M/s G.K. Mittal & Associates, Jaipur as Statutory Auditors of the Company for the financial year 2025-26.

The Statutory Auditors of the Company have given qualified report on the accounts of the Company for the financial year 2025-26. The emphasis of matter given in the Auditor's report is noted. Annexure-3 to the Independent Auditors Report dated 14.07.2026 in respect of qualified opinion regarding point (a) & (b) is self-explanatory and the Management response on the qualification in the Auditors Report is as per Annexure-B.

COMMENTS OF C&AG

The review of Financial Statements for the year ended 31st March, 2026 has been carried out by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG). Review and Comments of C&AG forms part of this report.

SECRETARIAL AUDITOR

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Act and rules made thereunder, the Company had appointed Shri Suresh Tibrewal, Practicing Company Secretary to undertake the Secretarial Audit of the Company for the FY 2025-26 and their report forms part of this report.

COST AUDITORS

As per the requirements of the Section 148 of the Act read with the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 as amended from time to time, your Company is required to maintain cost records and accordingly, such accounts are prepared and records have been maintained relating to departments. The Cost Audit Report for the year ended March 31st, 2025 of the Company was filed with the Central Government within the prescribed time. M/s Rajesh & Co., Jaipur, Cost Accountants were the Cost Auditor of the Company for the FY 2025-26.

PARTICULARS OF EMPLOYEES IN TERMS OF SECTION 197(12) OF THE COMPANIES ACT, 2013

There was no employee of the Company who received remuneration in excess of the limits prescribed under the Section 197(12) of the Act read with Rules 5(2) and 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, hence the information may be treated as NIL.

APPRECIATIONS & ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors thank the Government of India, the State Governments and various regulatory authorities for their co-operation and support to facilitate ease in doing business. The Board also gratefully acknowledges the support and guidance received from various Ministries of the Government of India, particularly the Ministry of Heavy Industries, and from the Management of RIICO, for their continued support and guidance.

Your Directors also wish to thank the customers of the Company, business associates, distributors, channel partners, suppliers and bankers for their continued support and faith reposed in the Company.

Your Directors also wish to place on record deep appreciation, for the contribution made by the employees at all levels for their hard work, commitment and dedication towards the Company.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

PLACE: Jaipur
DATE : 08.09.2026

Sd/-
CHAIRMAN

Annexure to Directors' Report

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

a) CORPORATE OVERVIEW

Your Company is engaged in the business of Agro-Dairy Electronics, Renewable Energy, Information Technology, and New Projects, providing technology-driven products and solutions that support sustainable development and industrial growth. With a strong focus on innovation and quality, the Company caters to diverse sectors through advanced electronic systems, renewable energy solutions, IT-enabled services, and specialized industrial electronic equipment.

In the Agro-Dairy Electronics segment, the Company provides reliable technology solutions for qualitative and quantitative analysis of milk and caters to the automation requirements across various verticals of the dairy industry. In the Renewable Energy sector, it undertakes the design, supply, installation, and maintenance of solar photovoltaic systems, contributing to the nation's clean energy transition. The Company has also strengthened its presence in Information Technology, Security & Surveillance Solutions, and Geospatial Drone Survey services, while expanding its portfolio of industrial electronic products and customized engineering solutions.

During the Financial Year 2025-26, the Company continued to strengthen its market position by securing significant orders, expanding its business portfolio, and focusing on technology-driven, project-based operations. These initiatives, coupled with business diversification and operational excellence, have laid a strong foundation for sustainable growth and enhanced competitiveness in the years ahead.

b) ECONOMY REVIEW

Global Economy and Outlook

The global economy remained resilient during FY 2026 despite persistent geopolitical tensions, evolving trade dynamics and supply chain disruptions across major regions. Global GDP grew by 3.4%, supported by sustained momentum in Emerging Market and Developing Economies (EMDEs), robust export performance and improved investment across industrial and infrastructure sectors, as the advanced economies recorded a growth rate of 1.9%. Global inflation moderated to 4.4%, although volatility in energy markets and continuing geopolitical conflicts continued to pose risks to global trade and production. The increasing

emphasis on supply chain diversification, localisation and strengthening domestic manufacturing capabilities continued to reshape the global industrial landscape, presenting both opportunities and challenges for manufacturing and engineering enterprises driven by capital expenditure and infrastructure development.

Indian Economy Overview and Outlook

India remained one of the fastest-growing major economies during FY 2025-26, supported by strong domestic demand, sustained infrastructure spending and improving manufacturing activity. Real GDP growth was estimated at 7.7%, driven by resilient consumption, healthy investment momentum, and improving industrial output. Localisation initiatives, strong government focus on infrastructure development and improving supply chain resilience further supported economic activity during the year.

The Indian economy also benefited from stable monetary conditions and healthy financial sector indicators. CPI inflation remained largely within the target range, while the Reserve Bank of India maintained the repo rate at 5.25% with a supportive policy stance to ensure adequate liquidity and growth momentum. Strong GST collections, healthy bank credit growth and continued public and private capital expenditure further strengthened the environment for industrial expansion and long-term economic growth.

c) Internal control system and its adequacy:

The Company's internal control system ensures efficiency, reliability, completeness of accounting records and timely preparation of reliable financial and management information. Compliances to all applicable laws and regulations, and optimum utilisation and management of the Company's assets is also ensured. In order to ensure that all checks and balances are in place and all internal control system are in order, regular and exhaustive internal audit of various divisions are conducted by experienced firm of Chartered Accountants.

d) Risk management report:

Overview

Risk is an integral and unavoidable component of all businesses. REIL's Risk management Plan plays a key role in supporting the business to deliver sustainable growth and generating value for its customers, investors,

employees and other stakeholders. Though risks cannot be completely eliminated, an effective risk management plan ensures that risks are reduced, avoided, retained or shared. Risk management is embedded within the Company's operating framework, and a well-defined, internal financial control structure has been put in place. The Company's approach to addressing business risks is comprehensive and includes periodic review of such risks and a framework for the mitigation and reporting of such risks.

Risk Management Practices- The key risk management practices include the following reporting processes:

- Risk Identification and Assessment
- Risk Evaluation
- Risk Reporting and Disclosures
- Risk Mitigation and Monitoring
- Integration with Strategy and Business Plan

Risks are managed as per the guidance of / action by the Board of Directors, Managing Director and the heads of concerned departments, as necessary.

e) Analysis and Review

During the Financial Year 2025-26, your Company recorded significant operational achievements across its core business segments of Dairy Electronics, Renewable Energy, Information Technology, and other technology centric solutions.

In the Dairy Electronics segment, REIL strengthened its leadership by supplying over 6,000 milk testing and automation solutions, including Automatic Milk Collection Units (AMCUs), Milk Analysers, Electronic Milk Testers, Electronic Milk Adulteration Testers (EMAT-Advance), Data Processor-based Milk Collection Units, BMC Data Loggers and other dairy automation products to dairy cooperatives and milk unions across the country including the newly launched solutions.

To address the growing demand for automated milk quality testing solutions, REIL entered into a technology transfer agreement with Central Electronics Engineering Research Institute for the MBRT Scanner. Building on this technology, the Company plans to manufacture and market the product with significant value addition, creating a promising business opportunity and strengthening its dairy product portfolio in the coming year.

In the Renewable Energy segment, REIL successfully

executed and secured several prestigious projects, including grid-connected Solar PV power plants for NPCIL, Power Grid Energy Services Ltd. (PESL), NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd. (NVVN), JAKEDA, PHED, Rajasthan High Court, IREDA, RCDF, Jaipur Dairy and Bhilwara Milk Union, besides implementation of solar water pumping systems, rooftop solar plants, LED street lighting projects and export order for the Guyana Energy Agency.

The Company also diversified into Solar Village Project Consultancy under the Model Solar Village Scheme and undertook Drone-based GIS and survey projects opening up the new opportunities for REIL in the consulting domain.

In the Information Technology segment, REIL successfully executed large-scale examination assignments for various Government departments in Rajasthan covering millions of candidates, implemented Digital Queue Management System and Laser Printer-as-a-Service in Government hospitals, provided support to Core Banking Solution for the Rajasthan State Cooperative Bank's network, and expanded its digital governance solutions. These successful implementations provide a strong platform for securing similar e-Governance and digital public service projects across Rajasthan as well as other States.

The Company also successfully integrated Jan Aadhaar API with IOMMS "Pashu Aushadh" for real-time beneficiary verification and seamless DBT under the Camel Conservation Scheme of Animal Husbandry Department, GoR, ensuring accuracy, transparency, and timely benefit disbursement. This successful implementation provides a strong foundation for securing similar digital governance and DBT-based projects in the future.

During the year, the Company also obtained DGCA authorization as a Remote Pilot Training Organisation (RPTO) and ISO/IEC 27001:2022 certification for Information Security Management Systems, reflecting its continued focus on technology, innovation and quality. These accomplishments reaffirm REIL's commitment towards delivering technology-driven, sustainable and customer-centric solutions while expanding its presence across diverse business sectors. The Company also implemented several quality and efficiency boosting measures such as product traceability through QR Code and geo-fencing for field staff.

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31.03.2026

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i.	CIN	U51395RJ1981GOI002249
ii.	Registration Date	12th June, 1981
iii.	Name of the Company	RAJASTHAN ELECTRONICS AND INSTRUMENTS LIMITED
iv.	Category / Sub-Category of the Company	Central Public Sector Enterprise /Company Limited by shares
v.	Whether listed company Yes / No	No
vi.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A.

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company are given below:-

Sl. No.	Name and Description of main products/services	NIC Code of the product/service *	% to total turnover of the Company
1.	Dairy Milk Testing Equipment	2651 - Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment	50.88
2.	Solar Photovoltaic Modules / Systems.	3510- Electric power generation, transmission and distribution	49.12

* As per National Industrial Classification – Ministry of Statistics and Programme Implementation

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sl. No.	Name of Company	Address of Company	CIN/GLN	Holding /Subsidiary /Associate	% of Shares held	Applicable section
1.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 01-04-2025)				No. of Shares held at the beginning of the year (As on 31-03-2026)				% of change during the year
	Demat	Physical	Total	% of total shares	Demat	Physical	Total	% of total shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/HUF	N.A.	6247500	6247500	51%	N.A.	6247500	6247500	51%	0.00
b) Central Govt									
c) State Govt (s)									
d) Bodies Corp.	N.A.	6002500	6002500	49%	N.A.	6002500	6002500	49%	0.00
e) Banks / FI									
f) Any Other....									
Sub-total (A) (1):-	N.A.	12250000	12250000	100%	N.A.	12250000	12250000	100%	0.00
(2) Foreign									
a) NRIs -Individuals									
b) Other Individuals									
c) Bodies Corp.									
d) Banks / FI									
e) Any Other....									
Sub-total (A) (2):-	N.A.	0	0	0.00	N.A.	0	0	0.00	0.00
TOTAL SHAREHOLDING OF PROMOTER (A)= (A)(1) + (A)(2)	N.A.	12250000	12250000	100%	N.A.	12250000	12250000	100%	0.00
B. Public Shareholding									
1. Institutions	N.A.	0	0	0.00	N.A.	0	0	0.00	0.00
a) Mutual Funds									
b) Banks / FI									
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
Sub-total (B)(1):-	N.A.	0	0	0.00	N.A.	0	0	0.00	0.00

2. Non-Institutions	N.A.	0	0	0.00	N.A.	0	0	0.00	0.00
a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas									
b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1lakh									
c) Others									
Sub-total (B)(2):-									
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	N.A.	0	0	0.00	N.A.	0	0	0.00	0.00
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	N.A.	0	0	0.00	N.A.	0	0	0.00	0.00
Grand Total (A+B+C)	N.A.	12250000	12250000	100%	N.A.	12250000	12250000	100%	0.00

(ii) Shareholding of Promoters

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year (As on 01-04-2025)			Shareholding at the end of the year (As on 31-03-2026)			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1.	The President of India	6247500	51	-	6247500	51	-	-
2.	RIICO	6002500	49	-	6002500	49	-	-
	Total	12250000	100	-	12250000	100	-	-



(iii) Change in Promoters' Shareholding as on March 31, 2026 (Please specify, if there is no change)

Name	Shareholding at the beginning of the year (As on 01-04-2025)		Date	Increase/ Decrease in Share- holding	Reason	Cumulative Shareholding during the year (01-04-2025 to 31-03-2026)	
	No. of shares	% of total shares of the company				No. of shares	% of total shares of the company
The President of India	6247500	51	31.03.2026	No Change		6247500	51
Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd. Jaipur	6002500	49	31.03.2026	No Change		6002500	49

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
At the beginning of the year	NIL			
Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment /transfer / bonus / sweat equity etc):				
At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel

For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
At the beginning of the year	NIL			
Date wise Increase /Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment /transfer / bonus / sweat equity etc):				
At the End of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Rs. in Lakh)

Particulars	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
Total (i+ii+iii)	Nil	Nil	Nil	Nil
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition	Nil	Nil	Nil	Nil
• Reduction	Nil	Nil	Nil	Nil
Net Change	Nil	Nil	Nil	Nil
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Interest accrued but not due	Nil	Nil	Nil	Nil
Total (i+ii+iii)	Nil	Nil	Nil	Nil

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(Rs. in Lakh)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Managing Director	
		Shri Brijesh Dixit (w.e.f 30.04.2025)	Dr. P.N Sharma (up to 27.04.2025)
1.	Gross Salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	49.77 - -	4.29 - -
2.	Stock Option	-	-
3.	Sweat Equity	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify...	-	-
5.	Others i.e. PF and Pension	4.65	.29
6.	Total (A)	54.42	4.58

B. Remuneration to other directors:

(Rs. in Lakh)

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors
		Shri Dinesh Kumar Pahadia
1.	Independent Directors • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify	Nil
	Total (1)	Nil
2.	Other Non-Executive Directors • Fee for attending board /committee meetings • Commission • Others, please specify	Nil
	Total (2)	Nil
	Total (B)=(1+2)	Nil
	Total Managerial Remuneration	Nil

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	CFO (Shri Subhash Agrawal)	Company Secretary (Shri Amit K. Jain)	Total
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	Not Applicable	43.03	16.14	59.17
			-	-	-
			-	-	-
2.	Stock Option		-	-	-
3.	Sweat Equity		-	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify...		-	-	-
5.	Others i.e. PF and Pension		3.73	1.40	5.13
	Total		46.76	17.54	64.30

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/Punishment/ Compounding Fees imposed	Authority (RD/ NCLT/ COURT)	Appeal made, if any (give details)
Nil					

**The Management Response on the qualification in the Independent Auditors' Report
is mentioned below:**

	Audit Observation	Management Reply
1.	<u>Non reporting of cancellation of subsidy by GOI in relation to EV chargers under FAME-II and non accounting of cancellation of subsidy and return of goods by Magenta</u> The company has not accounted for the return of goods during the year by M/s Magenta Power Pvt. Ltd together with resultant effect on subsidy receivable. The details are as follows: The company had allotted the work to M/s Magenta Power Pvt. Ltd. (M/s Magenta) as O&M partner for 10 years as per devised business model of the company (i.e. investment by O&M partner- 30% on EV Charger cost under category A + offered Upfront Payment + offered Revenue Sharing) under FAME-II scheme of MHI. The company sold material worth Rs. 19.36 Crores (incl. GST) to the party during the FY-2021-22. The company recognized and adjusted the government grant of Rs. 13.32 Crores towards this supply. The company terminated the MOA with M/s Magenta due to breach of terms of agreement; whereupon M/s Magenta filed S.B. Civil Arbitration Application no. 12/2023, 13/2023 and 14/2023 under Section 11(6) of the Arbitration and Conciliation Act 1996 before Hon'ble High Court, Jaipur for seeking appointment of an arbitrator for resolution of the disputes. The Sole Arbitrator pronounced an Arbitral Award on 12.08.2025 directing REIL to pay a sum of Rs. 14.67 Crore to M/s Magenta Power Private Limited. Aggrieved by the Award, REIL has filed objections under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 before the Hon'ble Commercial Court No. 1, Jaipur Metro-II, along with a stay application seeking suspension of the operation and effect of the Award. During the FY 2023-24, the material worth Rs. 8.17 Cr.(excl. GST) was received back in the factory at Kanakpura while material worth Rs. 4.70 Cr. (excl. GST) is said to be lying in premises of Bhopal City Link Ltd., Bhopal and material worth Rs. 4.70 Cr. (excl. GST) is said to be lying in premises of Atal Indore City Transport Services Limited. As the material has been returned back by M/s Magenta, and the company has itself stated that it is going to appoint new agency to work in place of M/s Magenta, hence the company should have accounted for return of goods from the party as well as resultant effect on inventory, subsidy and expense heads but it has not passed any entries in this regard. As a result: -Current Liabilities has been understated by Rs. 6.04 Crores (with amount of sale return net of subsidy and incl. GST). -Inventory is understated by Rs. 17.56 Crores (Cost of material returned by M/s Magenta). -Subsidy Receivable from Government is overstated by Rs. 12.85 Crores (amount outstanding in books) and Current Liability is understated by Rs. 0.47 Crores (Difference of subsidy recognized in relation to Magenta and the amount already accounted as subsidy receivable from Govt.). Further, looking to the period of delay of approx. 4 years and fast technological changes in the field of electric charging, the inventory received back from M/s Magenta might have suffered impairment in value but no such assessment has been carried out by the company and we cannot comment thereon. Moreover the warranty period	Matter in respect of cancellation of sanction/ allotment of EV chargers under FAME-II scheme has not been accounted for as communication has been received from Government of India allowing the Company for execution of EV Charging Infrastructure project before 30.09.2026. The matter is pending in court of law therefore, Management is of the view that presently there is no need for Accounting adjustments as suggested by the Auditors.

**The Management Response on the qualification in the Independent Auditors' Report
is mentioned below:**

	Audit Observation	Management Reply
2.	has also expired by this duration: Insufficient Provision for bad and doubtful debts a. We have been informed that out of total debtors of Rs. 322.65 Crores, the debtors amounting to Rs. 88.20 Crores are outstanding for more than 5 years which constitutes 27.34% of total debtors. We have observed that in many of these accounts the amount is said to have been withheld on account of liquidated damages (LD) or non-performance of contractual obligations. Moreover the company has represented that there is regular follow up for recovery but in vain and that LD is not leviable on company for diverse reasons. The company has not maintained consolidated detail regarding specific reasons of non-recovery in these accounts including LD imposed by debtors. The company has even sent legal notices in some cases after the observation by C&AG inspection in case of few accounts. Against the amount of Rs. 88.20 Crores outstanding for more than 5 years the provision for doubtful debts of Rs.26.46 Crores has already been made in the books of accounts (as per policy of company) and creditors amounting to Rs. 41.22 Crores are said to be outstanding on back to back basis, which leaves Rs. 20.52 Crores the recovery of which is also not ascertainable. Furthermore the total provision for bad and doubtful debts as on 31.03.2026 is Rs. 32.29 Crores (incl. Rs. 26.46 Crores in respect of debtors above 5 years), which shows that in respect of balance debtors outstanding for less than 5 years, provision of only Rs. 5.83 Crores. The above facts indicate that the provision for doubtful debts is insufficient, but due to lack of complete details and lack of reasonable ascertainment of realizability of dues from debtors we are unable to quantify the same. Moreover in absence of complete information and assessment of liquidated damages imposed by various debtors we cannot quantify its effect on profit and loss/reserves of the company.	The Company has made provision for bad and doubtful debts as per consistent accounting policy on year to year basis. In opinion of the Management, sufficient provision has been created for bad and doubtful debts as apart from total provision of Rs. 32.29 crore, most of the old outstanding balances are duly covered by receivable from customers as well as payable to the vendors / sub-contractors on back to back basis. In this regard please refer to note No. 32.3(C) of balance sheet for the year 2025-26 is reproduced as under:- 'Trade Payable includes Rs. 15427.72 Lakhs as at March 31, 2026 (Rs. 10661.54 Lakhs as at March 31, 2025) which is payable to the contractor only when the payment is received from customer.'
3.	EESL-Nimboni Additional Site The company had supplied SPV Power Plant to Energy Efficiency Services Limited at Nimboni Additional Site (Maharashtra) in year 2019-20 for Rs. 4.03 Crore (incl. GST). Thereafter credit note was issued for Rs. 1.14 Crore (incl. GST) in FY 2021-22 towards sales return out of this sale. The material sold to EESL was purchased from M/s Powerone Microsystem Pvt. Ltd. As per the information available the work could not be started at this location. Apart from material returned to REIL (as mentioned above), the balance material has been taken back by M/s Powerone Microsystem Pvt. Ltd.. In this regard no accounting entries have been made in books of accounts except for return of SPV power plant amounting to Rs.1.14 Crore (incl. GST). The amount outstanding as due to be received from EESL in respect of this project is Rs. 2.89 Crore which is actually not receivable and thus the debtor is overstated by Rs. 2.89 Crore. Further the creditor account of M/s Powerone Microsystem Pvt. Ltd. is overstated by Rs. 2.20 Crore which is in respect of material burnt at site and taken back by M/s Powerone Microsystem Pvt. Ltd..	Matter is under negotiation with M/s. EESL nad M/s. Powerone Microsystem Pvt. Ltd.. M/s. EESL has agreed to provide the debit notes against Nimboni additional site invoices. As the contract was awarded for execution on back to back payment term basis, therefore, Accounting adjustments shall be carried out after settlement of all the pending issues.



CS

Sursh Tibrewal
Practicing Company Secretaries
10/619 Kaveri path Mansarovar Jaipur
Ph.: 9414371779 9352957210
E-mail : Suresh.tibrewal@rediffmail.com

FORM MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED AT 31ST MARCH 2026

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
RAJASTHAN ELECTRONICS AND INSTRUMENTS LTD
2, KANAKPURA INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302 012
Rajasthan, India

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **RAJASTHAN ELECTRONICS AND INSTRUMENTS LTD** (hereinafter called the company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the RAJASTHAN ELECTRONICS AND INSTRUMENTS LTD books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March, 2026** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance- mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **RAJASTHAN ELECTRONICS AND INSTRUMENTS LTD** for the financial year ended on **31st March, 2026** according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder (**Not applicable to the Company during the Audit Period**);
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder (**Not applicable to the Company during the Audit Period**);
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings (**applicable to the Company during the Audit Period and complied**);
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;
- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 (repealed w.e.f. 15th May, 2015) **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**;
- (j) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**

(vi) The other specific laws applicable to the company are:

- (a) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder
- (b) Factories Act, 1948 and other Labour Laws (to the extent as applicable)
- (c) Electricity Act, 2003 and Indian electricity Rules, 1956
- (d) Payment of Gratuity Act
- (e) The Minimum Wages Act, 1948
- (f) Right to Information Act, 2005
- (g) Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013;
- (h) Batteries (Management and Handling) Rules, 2001
- (i) Indian Boilers Act, 1923; and
- (j) Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- a. Mandatory Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI);
- b. The company has filed e-Forms within the prescribed time period as per the Companies Act, 2013; and
- c. Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India;

We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above except that;

During the period under review, the number of independent directors on the Board was less than half of the total strength of the Board as required under, para of the DPE Guidelines on Corporate Governance and Section 149 (4) of the Companies Act, 2013.

The Company has explained that REIL, being a Government Company, Independent Director is appointed by the President of India, acting through the administrative ministry and as such appointment of independent directors is beyond the control of the Company. Further, the Company has been in constant communication with its administrative ministry requesting for appointment of independent director on its Board so as to ensure compliance with corporate governance norms enunciated under DPE Guidelines on Corporate Governance and Companies Act, 2013.

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings was sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All the decisions were taken through majority in the meetings and no dissenting views were observed in the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **ANNEXURE 'A'** and forms an integral part of this report.

Place : Jaipur
Date : August, 31 2026

Sursh Tibrewal
Practicing Company Secretaries

Suresh Tibrewal
Digitally signed
by Suresh Tibrewal
Date: 2026.08.31
08:06:21 +05'30'

10/619 Kaveri path Mansarovar Jaipur
Ph.: 9414371779 9352957210
E-mail : Suresh.tibrewal@rediffmail.com

To,
The Members

RAJASTHAN ELECTRONICS AND INSTRUMENTS LTD

Our Report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on our audit.
2. We have followed the Audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company. We have relied upon the Report of Statutory Auditors regarding compliance of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder relating to maintenance of Books of Accounts, papers and financial statements of the relevant Financial Year, which give a true and fair view of the state of the affairs of the company and we have not re produced the Qualifications/ observations made by Statutory Auditors to avoid duplicity.
4. We have relied upon the Report of Statutory Auditors regarding compliance of Fiscal Laws, like the Income Tax Act, 1961 & Finance Acts, the Customs Act, 1962, the Central Excise Act, 1944 and Goods and Service Tax.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of Laws, rules and regulations and happening of events etc.
6. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Sursh Tibrewal
Practicing Company Secretaries

**Suresh
Tibrewal**

Digitally signed by
Suresh Tibrewal
Date: 2026.08.31
08:06:38 +05'30'

Place : Jaipur
Date : August, 31 2026

10/619 Kaveri path Mansarovar Jaipur
Ph.: 9414371779 9352957210
E-mail : Suresh.tibrewal@rediffmail.com

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(B) OF THE COMPANIES ACT, 2013
ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF
RAJASTHAN ELECTRONICS AND INSTRUMENTS LIMITED
FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2026**

The preparation of financial statements of Rajasthan Electronics and Instruments Limited for the year ended 31st March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 14th July 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Rajasthan Electronics and Instruments Limited for the year ended 31st March 2026 under Section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Ashutosh Joshi)
Director General of Audit (Power)

Place: New Delhi
Date: 24th Aug 2026

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of
Rajasthan Electronics & Instruments Limited

Report on the Audit of the Financial Statements

OPINION

We have audited the accompanying Financial Statements of Rajasthan Electronics & Instruments Limited ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2026, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement for the year ended on that date, and notes to the Financial Statements, including a summary of Significant Accounting Policies and Other Explanatory Information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us **except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph**, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the "Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards ("IND AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013, "the Act" read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended ("IND AS") and the other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2026, and its profit & loss statement (PAT) including other comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

BASIS FOR QUALIFIED OPINION

We conducted our audit of the Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements" section of our report. We are independent of the Company in accordance with the 'Code of Ethics' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit

evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

We, having obtained sufficient appropriate audit evidence, conclude that misstatements, individually or in aggregate, are material but not pervasive to the financial statements.

We draw your attention towards matters specified below on the basis of which we are expressing qualifying opinion over the financial statements:

a. Non reporting of cancellation of subsidy by GOI in relation to EV chargers under FAME-II and non accounting of cancellation of subsidy and return of goods by Magenta

The company has not accounted for the return of goods during the year by M/s Magenta Power Pvt. Ltd together with resultant effect on subsidy receivable. The details are as follows:

The company had allotted the work to M/s Magenta Power Pvt. Ltd. (M/s Magenta) as O&M partner for 10 years as per devised business model of the company (i.e. investment by O&M partner- 30% on EV Charger cost under category A + offered Upfront Payment + offered Revenue Sharing) under FAME-II scheme of MHI. The company sold material worth Rs. 19.36 Crores (incl. GST) to the party during the FY-2021-22. The company recognized and adjusted the government grant of Rs. 13.32 Crores towards this supply.

The company terminated the MOA with M/s Magenta due to breach of terms of agreement; whereupon M/s Magenta filed S.B. Civil Arbitration Application no. 12/2023, 13/2023 and 14/2023 under Section 11(6) of the Arbitration and Conciliation Act 1996 before Hon'ble High Court, Jaipur for seeking appointment of an arbitrator for resolution of the disputes. The Sole Arbitrator pronounced an Arbitral Award on 12.08.2025 directing REIL to pay a sum of Rs. 14.67 Crore to M/s Magenta Power Private Limited. Aggrieved by the Award, REIL has filed objections under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 before the Hon'ble Commercial Court No. 1, Jaipur Metro-II, along with a stay application seeking suspension of the operation and effect of the Award. During the FY 2023-24, the material worth Rs. **8.17 Cr. (excl. GST)** was received back in the factory at Kanakpura while material worth **Rs. 4.70 Cr. (excl. GST)** is said to be lying in premises of Bhopal City Link Ltd., Bhopal and material worth **Rs. 4.70 Cr. (excl.**

GST) is said to be lying in premises of Atal Indore City Transport Services Limited.

As the material has been returned back by M/s Magenta, and the company has itself stated that it is going to appoint new agency to work in place of M/s Magenta, hence the company should have accounted for return of goods from the party as well as resultant effect on inventory, subsidy and expense heads but it has not passed any entries in this regard. As a result:

- Current Liabilities has been understated by **Rs. 6.04 Crores** (with amount of sale return net of subsidy and incl. GST).
- Inventory is understated by **Rs. 17.56 Crores** (Cost of material returned by M/s Magenta).
- Subsidy Receivable from Government is overstated by **Rs. 12.85 Crores** (amount outstanding in books) and Current Liability is understated by **Rs. 0.47 Crores** (Difference of subsidy recognized in relation to Magenta and the amount already accounted as subsidy receivable from Govt.).

Further, looking to the period of delay of approx. **4 years** and fast technological changes in the field of electric charging, the inventory received back from M/s Magenta might have suffered impairment in value but no such assessment has been carried out by the company and we cannot comment thereon. Moreover the warranty period has also expired by this duration.

b. Insufficient Provision for bad and doubtful debts:

We have been informed that out of total debtors of **Rs. 322.65 Crores**, the debtors amounting to **Rs. 88.20 Crores** are outstanding for more than 5 years which constitutes **27.34%** of total debtors. We have observed that in many of these accounts the amount is said to have been withheld on account of liquidated damages (LD) or non-performance of contractual obligations. Moreover the company has represented that there is regular follow up for recovery but in vain and that LD is not leviable on company for diverse reasons. The company has not maintained consolidated detail regarding specific reasons of non-recovery in these accounts including LD imposed by debtors. The company has even sent legal notices in some cases after the observation by C&AG inspection in case of few accounts.

Against the amount of **Rs. 88.20 Crores** outstanding for more than 5 years the provision for doubtful debts of **Rs. 26.46 Crores** has already been made in

the books of accounts (as per policy of company) and creditors amounting to **Rs. 41.22 Crores** are said to be outstanding on back to back basis, which leaves **Rs. 20.52 Crores** the recovery of which is also not ascertainable.

Furthermore the total provision for bad and doubtful debts as on 31.03.2026 is **Rs. 32.29 Crores** (incl. **Rs. 26.46 Crores** in respect of debtors above 5 years), which shows that in respect of balance debtors outstanding for less than 5 years, provision of only **Rs. 5.83 Crores**.

The above facts indicate that the provision for doubtful debts is insufficient, but due to lack of complete details and lack of reasonable ascertainment of realizability of dues from debtors we are unable to quantify the same. Moreover in absence of complete information and assessment of liquidated damages imposed by various debtors we cannot quantify its effect on profit and loss/reserves of the company.

c. EESL-Nimboni Additional Site

The company had supplied SPV Power Plant to Energy Efficiency Services Limited at Nimboni Additional Site (Maharashtra) in year 2019-20 for **Rs. 4.03 Crores (incl. GST)**. Thereafter credit note was issued for **Rs. 1.14 Crores (incl. GST)** in FY 2021-22 towards sales return out of this sale. The material sold to EESL was purchased from M/s Powerone Microsystem Pvt. Ltd. As per the information available the work could not be started at this location. Apart from material returned to REIL (as mentioned above), the balance material has been taken back by M/s Powerone Microsystem Pvt. Ltd.

In this regard no accounting entries have been made in books of accounts except for return of SPV power plant amounting to **Rs. 1.14 Crores (incl. GST)**. The amount outstanding as due to be received from EESL in respect of this project is **Rs. 2.89 Crores** which is actually not receivable and thus this debtor is overstated by **Rs. 2.89 Crores**.

Further the creditor account of M/s Powerone Microsystem Pvt. Ltd. is overstated by **Rs. 2.20 Crores** which is in respect of material burnt at site and taken back by M/s Powerone Microsystem Pvt. Ltd.

Although quantification of effect of qualifications could not be made in the case of point no (b), but as

mentioned in Point No. (a) & (c), the Current Assets have been understated by Rs. 1.82 Crores & Current Liabilities are understated by Rs. 4.31 Crores.

EMPHASIS OF MATTER

Without qualifying our opinion in this respect we draw your attention towards matters specified below which are of such importance that these are fundamental to the user's understanding of financial statements.

- a. Note No 7.1 & 19 B wherein balances of Trade receivables and Trade payables respectively have not been confirmed. Consequential impact on confirmation/ reconciliation/ adjustment of such balances (which will not be material as per management), if any, is not ascertainable.
- b. Note No. 8.1 regarding Deferred Tax Assets of **Rs. 19.99 Crores** carried in books of account in view of the reasons stated therein, the realization of which would depend on generation of sufficient profits in the future as anticipated / projected by the management.
- c. Note No 32.3(c) with respect to trade payable which includes **Rs. 154.28 Crores** payable to contractors only when the payment is received from customers.
- d. Note No 20.1.2 regarding non-disclosure of contingent liability of interest claim by an MSME vendor (M/s Gansun Global Solutions India Private Limited) on an amount of **Rs. 14.75 Lakhs** as the amount of interest is not ascertainable and they had filed an application before Hon'ble High Court of Andhra Pradesh at Amaravati. On 26.12.2022 The Hon'ble High Court passed the order directed to the petitioner to prefer an appeal under sec 34 of the Arbitration Act at Arbitration court at Jaipur. Now the matter is pending before Commercial Court, Jaipur. As per the management, reliable estimates of the interest obligation cannot be made; hence, the same has not been disclosed as Contingent Liability.
- e. The Government had cancelled the sanction/allotment of EVCS under Fame II scheme due to non-commissioning of chargers vide letter dated **31/07/2023** and had directed the company to refund the subsidy amount of **Rs. 8,15,08,000/-** with interest thereon. Although now after various representations of the company the Government has issued a letter on **31/03/2026** that REIL may complete the execution of **222 numbers** EVCS by **30/09/2026** and the release of remaining subsidy will be done as per the Fame-II Scheme.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Financial Statement of current year. These matters were addressed in the context of our audit of the Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these matters. We have not determined the matters to be the key audit matters to be communicated in our report.

INFORMATION OTHER THAN THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

The Company's Board of Directors are responsible for the preparation of other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not includes the Financial Statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to report that fact. On the auditor's report date, we have nothing to report in this regard, as the Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's Board of Directors are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended and the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of

the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Director's are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if individually or in the aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- i) Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of

internal control.

- ii) Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- iii) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Board of Directors.
- iv) Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- v) Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of Misstatements in the Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (1) Planning the scope of our audit work and in evaluating the results or our work (2) to evaluate the effect if about unidentified misstatements in the Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to

communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Use of Work of Internal Auditors and Auditor's Expert (SA 610 & SA 620):

We have relied on the following work performed by other auditors and experts during the course of our audit:

A. Using the work of Internal Auditors (SA 610 – Revised):

We have relied on the work of the Internal Auditors, M/s R.K. Malpani & Associates, Chartered Accountants, in accordance with SA 610 (Revised), based on their reports:

- a) Dated March 14, 2026, for the period from April 1, 2025, to September 30, 2025; and
- b) Dated June 13, 2026, for the period from October 1, 2025, to March 31, 2026.

Their work was primarily considered for evaluating the adequacy and operating effectiveness of internal controls and compliance mechanisms.

B. Using work of Auditor's Expert for Valuation of Employee Benefits (SA 620):

We have relied on the report of an auditor's expert, M/s K.A. Pandit, for the valuation of employee benefits, dated June 16, 2026. Their competence, capabilities, and objectivity were evaluated in accordance with SA 620 before placing reliance.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in

the "Annexure 1" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. We are enclosing our report in terms of section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered and according to the information and explanations given to us, in the "Annexure 2" on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) In our opinion, proper Books of Account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement, the Statement of Changes in Equity and Statement of Changes in other Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - (d) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the IND AS specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.
 - (e) The provisions of Section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the company, being a Government Company in terms of notification no. G.S.R.463 (E) dated June 5, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
 - (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure 3".
4. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended:
The provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration are not applicable to the Company, being a Government Company, in terms of Ministry of Corporate Affairs Notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015.
5. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of

the Companies (Audit and Auditors) Amendments Rules, 2021, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in financial statement. - Refer Note 20.1 (b), (c), (d), (e) and Note 35 (G) to the Financial Statements.
- ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- iv. (a) The Board of Director's has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("intermediaries") with the understanding whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company (Ultimate Beneficiaries) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
(b) The Board of Director's has represented, that to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies) including foreign entities (Funding Parties) with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or

on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

- (c) Based on such audit procedures we have considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representation under sub-clause (a) and (b) contain any material misstatement;
- v. The company has neither declared nor paid any dividend during the year.
- vi. As proviso to Rule 3(1) of the companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable for the company w.e.f. April 1, 2023, reporting under this is not applicable.
- vii. Based on our examination, which included test checks, it has been observed that the Company has used windows based accounting software developed in-house, for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2026. As per the management, the accounting software being used has a feature of recording audit trail (edit log) (except in respect of separate softwares used for maintaining inventory and HR records). As explained to us, the feature of audit trails had been enabled w.e.f. 31st March 2024 in the main accounting software (and not implemented in the inventory and HR Software). However, the software is a single user one, which does not reflect proper internal control. Hence, the audit trail does not contain the full details of user who passes the entry and subsequent changes made thereafter. The management of the company also explained that the audit trail feature cannot be tampered with. However, in the absence of any formal certificate from any third party vendor who develops such feature, we are unable to comment on whether entries can be disabled / tampered or not. Further, it was explained to us that the audit trail has been preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

Date : 14.07.2026

Place : Jaipur

For G.K. MITTAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FRN. 005842C)

Sd/-

(JOGENDRA SINGH SHEKHAWAT)
PARTNER
M. No. 079348
UDIN : 26079348XGLEQU6662

**ANNEXURE '1' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE TO
THE MEMBERS OF RAJASTHAN ELECTRONICS AND INSTRUMENTS LIMITED,
ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2026
(Referred to in Paragraph 1 of "Report on Other Legal and Regulatory
requirements" section of our Audit Report)**

As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Companies Act, 2013, we report that:

(i) In respect of Property, Plant and Equipment:

- a) A) The Company has generally maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment on the basis of available information.
- B) The Company has generally maintained proper records showing full particulars of intangible assets.
- b) The Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management during the year at reasonable interval and no material discrepancies were identified on such physical verification.
- c) According to the information and explanations given by the management and on the basis of our examination of the copy of the title deeds, the immovable properties disclosed in the financial statements are held in the name of the Company. Although the original title deeds are said to be lying with bank against loan taken by the company.
- d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not revalued its Property, Plant and Equipment and Intangible Assets during the year.
- e) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company as provided to us, there are no proceedings initiated during the year or pending against the Company as on March 31, 2026 for holding any Benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 as amended and rules made thereunder.

(ii) In respect of its inventories:

- a) According to information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the company the inventory has been physically

verified by the management at reasonable intervals during the year. No discrepancy of 10% or more in the aggregate of each class of inventory was noticed.

- b) According to information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has been sanctioned working capital limit amounting Rs. 60 Crores from bank (PNB) during the year on the basis of primary security of current assets. Necessary quarterly returns or statements have been filed by the company with such bank during the year.

(iii) In respect of loans:

According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company the company has not made Investments in and granted advances in the nature of loans during the year to other parties. The company has not provided any guarantees or securities, granted loans and advances in the nature of loans during the year to companies, firms or limited liability partnerships and other parties, details of which are stated below-

- a) A) Based on the audit procedures carried out by us and as per the information and explanations given to us, the Company has not provided any loans or advances in the nature of loans or has not provided any guarantee or security to subsidiaries and joint ventures during the year.
- B) Based on the audit procedures carried out by us and as per the information and explanations given to us, the company has not granted advances in the nature of loans to any other parties or employees during the year. The company has not provided any guarantee or security to other parties during the year.
- b) The company has not made investments, grant

advances or loans and give guarantee in respect thereof provisions of clause (iii) (b), (c) (d) (e) and (f) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(iv) According to the information and explanations given to us, in respect of loans, investments, guarantees and securities, provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with in all material aspects.

(v) According to the audit evidences obtained and information and explanations given to us, the Company has received advances from customers amounting to Rs. 13,80,06,015/- which are outstanding for more than 365 days. Such advances are deemed as deposits in terms of Section 73 of The Companies Act, 2013 and rule 2(1)(c) of The Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

Further, as observed and as explained to us, the company is neither a NBFC nor has its accepted any funds as deposits as such. We also report that RBI Directives in respect of NBFCs are not applicable to the company, in view of the above.

(vi) In respect of cost records:

We have been informed that the books of account maintained by the Company are pursuant to the rules prescribed by the Central Government for the maintenance of cost records under section 148(1) of The Companies Act, 2013, related to manufacture of electrical goods and electrical machinery and are of the opinion that prima facie, the prescribed cost records have been maintained. We have not, however, made detailed examination of the records with a view to determine whether they are accurate and complete. We are reporting based on the information provided to us and the report issued by the Cost Auditor for the previous year.

(vii) In respect of statutory dues:

a. The Company is generally regular in depositing with the undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-tax, Goods and Service Tax, Cess and any other material statutory dues, as recorded in Books of Account, applicable to the Company. Further, no undisputed amounts payable in respect thereof were

outstanding at the year end for a period more than six months from the date they became payable.

b. According to the information and explanations given to us, there are no dues of Income Tax, and other material statutory dues including Goods and Service Tax outstanding as on 31.03.2026, which have not been deposited on account of any dispute except the following:

Name of Act	Nature of the dues	Disputed amount (₹ in Lakhs)	Period to which amount relates	Forum where dispute is pending
Central Excise Act	Service Tax	3.82	F.Y. 2009-10 (Vide order dt.24.07.12)	Appeal pending with High Court Rajasthan.
CGST Act	GST	238.46	F.Y. 2019-20	Appeal pending at GST Appellate Tribunal.
CGST Act	GST	2.32	F.Y. 2018-19	Appeal pending at GST Appellate Tribunal
CGST Act	GST	302.32	F.Y. 2020-21	Appeal is pending at Commissioner Appeals GST.

(viii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as Income in the books of accounts, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as Income during the year.

(ix) In respect of repayment of dues:

a. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not defaulted in repayment of dues to any lender.

b. According to the information and explanations

given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.

- c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not taken any term loan. Therefore clause (ix) (c) is not applicable to the company.
- d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, no funds raised on short term basis have been used for long-term purpose of the company.
- e) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligation of its subsidiaries, associates and joint ventures.
- f) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, associates or joint ventures.
- (x) a) According to the information and explanations given to us, the company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loans and hence reporting under paragraph 3(x)(a) of the order is not applicable to the company.
- b) During the year the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures and hence reporting under paragraph 3(x)(b) of the order is not applicable to the company.
- (xi) a) To the best of our knowledge and according to the information and explanation given to us, we have neither come across any instance of material fraud by the Company or on the Company by its officers or employees, noticed or reported during the year, nor we have been informed of any such case by the management.
- b) According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of

section 143 of the Act has been filed by us in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014 with the central government.

- c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, no cases were received by the company under Whistle Blower Policy of the Company.
- (xii) In respect of Nidhi Company:
The Company is not a Nidhi Company. Therefore, this clause is not applicable to the Company.
- (xiii) In respect of Related Parties:
All transactions with the related parties are in compliance with section 188 and 177 of The Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc. as required by applicable accounting standards.
- (xiv) a) Based on information and explanations provided to us and based on our audit procedures, the company has an Internal Audit System but it does not commensurate with its size and nature of business and needs to be strengthened.
b) We have been provided and have considered the internal audit reports of the Company for the year 2025-26.
- (xv) In respect of Non-cash transactions with directors:
According to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and hence the provisions of section 192 of The Companies Act, 2013 is not applicable to the Company
- (xvi) a) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Therefore clause (xvi) (a), (b), (c) and (d) of paragraph 3 of the order is not applicable to the company.
- (xvii) The Company has not incurred cash losses in the current financial year however, there was a cash loss of Rs. 1029.44 Lakhs (Before Deferred Tax) in the previous year.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, Clause

3(xviii) of the Order is not applicable. However, the previous auditors had vacated their position in compliance with the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

(xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the relevant evidence, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that the company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the

company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

(xx) The company does not meet the criteria of Section 135 with regard to Corporate Social Responsibility (CSR) hence clause (xx)(a) and (b) is not applicable to the company.

Date : 14.07.2026
Place : Jaipur

For G.K. MITTAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FRN. 005842C)

Sd/-

(JOGENDRA SINGH SHEKHAWAT)
PARTNER
M. No. 079348
UDIN : 26079348XGLEQU6662



ANNEXURE- 2 TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE TO THE MEMBERS OF RAJASTHAN ELECTRONICS & INSTRUMENTS LIMITED, ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013, indicating the areas to be examined by the Statutory Auditors during the course of audit of annual accounts of Rajasthan Electronics & Instruments Limited for the year ended 31st March, 2026:

S. No.	Directions	Action Taken
1.	Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	The Company has maintained funds with LIC of India for earned leave encashment liability and the REIL Gratuity Trust has maintained funds with LIC India for gratuity. Valuation of the corresponding liabilities has been done by an independent actuary and interest earned on funds as declared by LIC of India has been accounted for in the books of accounts. The valuation approach and methodologies applied by Company are reasonable and consistent with Ind AS (Notes to Accounts No. 31), supported by actuary reports and LIC's Fund statements and is in compliance with applicable regulations. No material deviations have been noted.
2.	Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, whether review of this system and controls that are significant to the Companies' financial reporting process as well as cyber security has been done by Information Security Auditing Organisations empaneled by Cert-in at a minimum frequency of once in a year and material discrepancies found, if any, have been suitably reported? The implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications may also be reported.	The Company has a system in place for processing all accounting transactions through an IT-based system, operating on an isolated, standalone machine within the Finance Division that is not connected to the internet or any local network, ensuring accounting data and vouchers are processed securely. The system has been in operation consistently over years and is periodically reviewed and monitored by the Finance & Accounting Division for accuracy, reliability and compliance. Since the system is standalone and non-networked, external cyber security risk is inherently minimized, and no discrepancies relating to system controls or cyber security have been observed or reported. No accounting transactions are processed outside the IT system, except the fact that the accounting and inventory software are non-integrated; this has no implication on the integrity of the accounts. Considering the above, Information Security Auditing by organizations empanelled by Cert-In at a minimum frequency of once a year, in our opinion, is not desirable in the company.
3.	Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilised as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation	Funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies have been properly accounted for as per applicable accounting standards/norms, and the funds received have been utilised as per the terms and conditions of grant. Interest earned on grants received has been accounted for as per the terms and conditions of the grant. No material deviations or misstatements have been observed.

S. No.	Directions	Action Taken
4(a)	Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices?	The Company has identified its key risk areas, and risk management is embedded within its operating framework through a well-defined internal financial control structure, including periodic review of risks and a framework for mitigating controls and reporting. Key risk management practices include risk identification and assessment, risk evaluation, risk reporting and disclosures, risk mitigation and monitoring, and integration with strategy and the business plan. Risks are governed by the Board of Directors, the Managing Director and the heads of concerned departments.
4(b)	Whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	The Company has not identified data assets, such as customer/vendor master data, engineering designs, and other similar information, and consequently, no such data assets have been valued by the company, apart from the intangible assets already recognized in the books of accounts.
5.	Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.	Since the Company is not Listed, hence SEBI (LODR) Regulations, 2015, are not applicable to the Company during the year. The Company is complying with the regulations of the Department of Investment and Public Asset Management, the Ministry of Corporate Affairs and the Department of Public Enterprises. The Company is compliant with all applicable regulatory requirements, no cases of deviation has been observed.

Date : 14.07.2026

Place : Jaipur

For G.K. MITTAL & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 (FRN. 005842C)

Sd/-

(JOGENDRA SINGH SHEKHAWAT)
 PARTNER
 M. No. 079348
 UDIN : 26079348XGLEQU6662

ANNEXURE- 3 TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT OF EVEN DATE TO THE MEMBERS OF RAJASTHAN ELECTRONICS & INSTRUMENTS LIMITED, ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of RAJASTHAN ELECTRONICS AND INSTRUMENTS LIMITED ("the Company") as of March 31, 2026 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of the Company's business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require

that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

- 1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
- 2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of

financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and

- 3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Basis of Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified in the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting as at March 31, 2026:

- (a) **Keeping in view the size, nature and complexities of the business, the company's internal audit system needs to be strengthened along with periodic review of financial statements of the company**
- (b) **The Company does not have an appropriate internal control system in respect of movement of goods which shows that there is lack of internal control**

over issue and receipt of material and for obtaining external confirmation from Trade Receivables and Trade Payables on periodic basis. During the year the company had issued account statement to Trade Receivables and Trade Payable however it had not been confirmed by them. Hence, we are unable to comment on the operating effectiveness of this system.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the Company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

Qualified Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, maintained adequate internal financial controls over financial reporting as of March 31, 2026, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company's internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2026.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2026 Financial Statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the Financial Statements of the Company.

Date : 14.07.2026

Place : Jaipur

For G.K. MITTAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
 (FRN. 005842C)

Sd/-

(JOGENDRA SINGH SHEKHAWAT)
PARTNER
 M. No. 079348
 UDIN : 26079348XGLEQU6662

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit of accounts of Rajasthan Electronics & Instruments Limited for the year ended 31st March 2026 in accordance with the Directions/Sub-Directions issued by the Comptroller & Auditor General (C&AG) of India under section 143(5) of The Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the Directions/Sub-Directions issued to us.

Date : 14.07.2026
Place : Jaipur

For G.K. MITTAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FRN. 005842C)

Sd/-

(JOGENDRA SINGH SHEKHAWAT)
PARTNER
M. No. 079348
UDIN : 26079348XGLEQU6662



BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Notes	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
ASSETS			
I. Non-current Assets			
(a) Property, plant and equipment	4	2,343.46	2,516.73
(b) Capital work-in-progress	4	-	-
(c) Investment Property		-	-
(d) Goodwill		-	-
(e) Other Intangible assets			
(i) Technical Know How	5	-	-
(f) Intangible Assets under development		-	-
(g) Biological Assets other than bearer Plants		-	-
(h) Financial assets			
(i) Investments		-	-
(ii) Trade receivables	6	265.10	116.17
(iii) Loans		-	-
(iv) Other financial assets	9A	117.43	56.53
(v) Deferred Tax Asset (Net)	8	1,999.15	2,441.37
(vi) Other non-current assets		-	-
Total Non-current Assets		4,725.14	5,130.80
II. Current Assets			
(a) Inventories	10	1,583.06	1,701.76
(b) Financial assets			
(i) Investments		-	-
(ii) Trade receivables	7	29,036.13	17,048.04
(iii) Cash and cash equivalents	11	454.99	4,846.89
(iv) Bank balances other than (iii) above	11A	229.62	195.61
(v) Loans		-	-
(vi) Other financial assets	9B	114.63	182.33
(c) Current tax assets	13	313.65	279.93
(d) Other current assets	12	831.21	490.57
Total Current Assets		32,563.29	24,745.13
Total Assets (I + II)		37,288.43	29,875.93
EQUITY AND LIABILITIES			
I. Equity			
(a) Equity share capital	14	1,225.00	1,225.00
(b) Other Equity	15	4,067.74	4,431.85
Total Equity		5,292.74	5,656.85
LIABILITIES			
II. Non-current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings		-	-
(ii) Lease liabilities		-	-
(iii) Trade payables			
(A) total outstanding dues of micro enterprises and small	19A	-	-
(B) total outstanding dues of creditors other than micro	19A	14.46	16.60
(b) Provisions	17A	286.97	306.90
(c) Deferred tax liabilities (Net)		-	-
(d) Other non-current liabilities	18A	458.07	164.46
Total Non-current Liabilities		759.50	487.96
III. Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings		-	-
(ii) Lease liabilities		-	-
(iii) Trade payables			
(A) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	19B	2,713.88	2,193.76
(B) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises	19B	24,508.77	16,354.99
(iv) Other financial liabilities	16	344.25	453.63
(b) Other current liabilities	18B	2,427.47	3,668.02
(c) Provisions	17B	1,241.82	1,060.72
Total Current Liabilities		31,236.19	23,731.12
IV. Total Liabilities (II + III)		31,995.69	24,219.08
Total Equity and Liabilities (I + IV)		37,288.43	29,875.93

See accompanying notes to the Financial Statements (1-36)

For and on behalf of the Board of Directors

As per our separate report of even date

For G.K. Mittal & Associates
Chartered Accountants
FRN 006842C
Sd/-
(Jogendra Singh Shekhawat)
Partner
M.NO. 079348
Place: Jaipur
Date: 14.07.2026
UDIN: 26079348XGLEQU6662

Sd/-
(Nidhi Mehta)
Director
DIN: 11398351

Sd/-
(Amit Kumar Jain)
Company Secretary

Sd/-
(Brijesh Dixit)
Managing Director
DIN: 11086971

Sd/-
(Subhash Agrawal)
Chief Financial Officer



STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Notes	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
I. Revenue from Operations	21	27815.44	15748.78
II. Other income	22	475.73	211.22
III. Total Income (I + II)		28291.17	15960.00
IV. Expenses			
Cost of material consumed	23	7331.26	9053.74
Purchase of stock in Trade			
Change in inventories of finished goods	24	(81.86)	(187.69)
Employee benefits expense	25	3275.91	3284.13
Finance costs	26	73.32	30.35
Depreciation, Impairment and amortisation expenses	27	192.24	194.55
Other expenses	28	17437.66	4808.91
Total expenses		28228.53	17183.99
V. Profit / (Loss) before exceptional items and tax (III - IV)		62.64	(1,223.99)
VI. Add: Exceptional items		-	-
VII. Profit / (Loss) after exceptional items and before tax		62.64	(1,223.99)
VIII. Less: Tax expense	29		
1. Current tax		-	-
2. Provision Reversal		-	-
3. Deferred tax		437.72	(328.56)
Total Tax Expense		437.72	(328.56)
IX. Profit / (Loss) for the period from continued operations (VII - VIII)		(375.08)	(895.43)
X. Profit /(loss) from discontinued operations		-	-
XI. Tax expenses of discontinued operations		-	-
XII. Profit / (loss) from Discontinued operations (after tax) (X-XI)		-	-
XIII. Profit /(loss) for the period (IX + XII)		(375.08)	(895.43)
XIV. Other Comprehensive Income			
<u>A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss</u>			
(a) Changes in revaluation surplus			
(a) Remeasurements of the defined benefit plans		15.47	(12.36)
(c) Equity instruments through other comprehensive income			
B (i) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		(4.50)	3.60
Total other comprehensive income (XIV=A(i)+B(i))		10.97	(8.76)
XV. Total comprehensive income for the year (XIII+XIV)		(364.11)	(904.19)
XVI. Earnings per equity share	30		
(1) Basic (in Rs.)		(3.06)	(7.31)
(2) Diluted (in Rs.)		(3.06)	(7.31)

See accompanying notes to the Financial Statements (1-36)

As per our separate report of even date

For G.K. Mittal & Associates

Chartered Accountants

FRN 006842C

Sd/-

(Jogendra Singh Shekhawat)

Partner

M.NO. 079348

Place: Jaipur

Date: 14.07.2026

UDIN: 26079348XGLEQU6662

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Nidhi Mehta)
Director
DIN: 11398351

Sd/-
(Amit Kumar Jain)
Company Secretary

Sd/-
(Brijesh Dixit)
Managing Director
DIN: 11086971

Sd/-
(Subhash Agrawal)
Chief Financial Officer



STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
A. Cash flows from operating activities		
Profit/(Loss) for the year	(375.08)	(895.43)
Adjustments for:		
Income tax expense recognised in profit or loss	437.72	(328.56)
Allowances for bad debts	379.96	319.63
Loss/(profit) on sale of property, plant and equipment	0.00	0.00
Assets Written Back	0.00	0.00
Assets written off	0.12	0.31
Finance costs recognised in profit or loss	73.32	30.35
Interest income recognised in profit or loss	(131.97)	(92.27)
Depreciation and amortisation	192.24	194.55
Impairment of assets	0.00	0.00
Bad Debts / Subsidy receivable written-off	0.00	0.72
Cash generated from operations before working capital changes	576.31	(770.70)
Movements in working capital:		
(Increase) / Decrease in trade receivables	(12,516.98)	(2,201.48)
(Increase) / Decrease in other assets	(367.85)	298.94
(Increase)/Decrease in inventories	118.70	211.29
Increase/ (Decrease) in trade payables	8671.76	4140.94
Increase/(Decrease) in provisions	176.64	133.37
Increase/(Decrease) in other payables	(1,056.32)	1700.83
Cash generated from operations	(4,974.05)	4,283.89
Income Taxes Paid/refund received	(4,397.74)	3,513.19
Net cash generated by operating activities	(4,431.46)	3,672.54
B. Cash flows from investing activities		
Payments for property, plant and equipment	(19.12)	(7.44)
Proceeds from disposal of property, plant and equipment	0.03	1.85
Interest Income	131.97	92.27
Net cash (used in)/generated by investing activities	112.88	86.68
C. Cash flows from financing activities		
Proceeds from Borrowings	0.00	-
Repayment of borrowings	0.00	-
Dividends paid on equity shares	0.00	-
Dividend Tax Paid	0.00	-
Finance cost paid	(73.32)	(30.35)
Net (used in)/ generated in financing activities	(73.32)	(30.35)
Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents	(4,391.90)	3,728.87
Cash and cash equivalents at the beginning of the year*	4846.89	1,118.02
Cash and cash equivalents at the end of the year*	454.99	4,846.89

Reconciliation of Cash and Cash Equivalents

Particulars	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
Cash and cash equivalents as per Cash Flow Statement	454.99	4,846.89
Difference	-	-
Cash and cash equivalents as per Balance Sheet (Refer table as under)	454.99	4,846.89

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Balances with Banks (a+b+c)	454.99	4,844.99
PNB Savings Account (a)	0.14	0.14
Other Bank Balances (b)	454.60	946.47
Deposits with Bank (c)	-	3,898.38
Cash on hand	0.25	1.90
Cheques, drafts on hand	-	-
Cash and cash equivalents	454.99	4,846.89

1. The above cash flow statement prepared under the "indirect method" as set out in the Ind AS 7 "Cash flow statement".

2. Figures for previous year have been regrouped wherever necessary for uniformity in presentation.

3. Brackets indicate cash outflow.

4. Cash & cash equivalents includes Rs 0.14 Lakhs which is not available for use in normal business operations.

See accompanying notes to the Financial Statements (1-36)

As per our separate report of even date

For G.K. Mittal & Associates

Chartered Accountants

FRN 006842C

Sd/- (Jogendra Singh Shekhawat)

Partner

M.NO. 079348

Place: Jaipur

Date: 14.07.2026

UDIN: 26079348XGLEQU6662

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Nidhi Mehta)
Director
DIN: 11398351

Sd/-
(Amit Kumar Jain)
Company Secretary

Sd/-
(Brijesh Dixit)
Managing Director
DIN: 11086971

Sd/-
(Subhash Agrawal)
Chief Financial Officer



STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

A. Equity Share Capital

1. Statement of changes in equity for the year ended March 31, 2026

Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of the current reporting period
1,225.00	-	-	-	1,225.00

2. Statement of changes in equity for the year ended March 31, 2025

Balance at the beginning of the previous reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the previous reporting period	Changes in equity share capital during the previous year	Balance at the end of the previous reporting period
1,225.00	-	-	-	1,225.00

See accompanying notes to the Financial Statements (1-36)

As per our separate report of even date

For G.K. Mittal & Associates

Chartered Accountants

FRN 005842C

Sd/-

(Jogendra Singh Shekhawat)

Partner

M.NO. 079348

Place: Jaipur

Date: 14.07.2026

UDIN: 26079348XGLEQU6662

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Nidhi Mehta)

Director

DIN: 11398351

Sd/-
(Brijesh Dixit)
Managing Director
DIN: 11086971

Sd/-
(Amit Kumar Jain)
Company Secretary

Sd/-
(Subhash Agrawal)
Chief Financial Officer

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

B. Other Equity

1. Statement of changes in other equity for the year ended March 31, 2026

	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus				Debt Instruments through other Comprehensive Income	Equity Instruments through other Comprehensive Income	Effective portion of cashflow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange Diff. on translating the financial statements of a foreign Operation	Other items of Other Comprehensive Income	Money Received share against warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium	Other Reserve (specify nature)	Retained Earnings								
					General Reserve							(Remeasurement of net defined benefit plan)		
(a) Balance at the beginning of the current reporting period	-	-	-	-	4,373.45	323.24	-	-	-	-	-	(264.84)	-	4,431.85
(b) Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(c) Restated balance at the beginning of the current reporting period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(d) Total Comprehensive Income for the current year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.97	-	10.97
(e) Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(f) Transfer from General Reserve	-	-	-	-	(350.00)	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(g) Any other change (to be specified)	-	-	-	-	-	(375.08)	-	-	-	-	-	-	-	(375.08)
(h) Balance at the Current Reporting Period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4,023.45	298.16						(253.87)		4,067.74

See accompanying notes to the Financial Statements (1-36)

1. Statement of changes in other equity for the year ended March 31, 2025

	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus				Debt Instruments through other Comprehensive Income	Equity Instruments through other Comprehensive Income	Effective portion of cashflow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange Diff. on translating the financial statements of a foreign Operation	Other items of Other Comprehensive Income	Money Received share against warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium	Other Reserve (specify nature)	Retained Earnings								
					General Reserve							(Remeasurement of net defined benefit plan)		
(a) Balance at the beginning of the current reporting period	-	-	-	-	5,273.45	318.67	-	-	-	-	-	(256.08)	-	5,336.04
(b) Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(c) Restated balance at the beginning of the current reporting period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(d) Total Comprehensive Income for the current year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.76)	-	(8.76)
(e) Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(f) Transfer from General Reserve	-	-	-	-	(900.00)	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(g) Any other change (to be specified)	-	-	-	-	-	(895.43)	-	-	-	-	-	-	-	(895.43)
(h) Balance at the Current Reporting Period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4,373.45	323.24						(264.84)		4,431.85

See accompanying notes to the Financial Statements (1-36)

See accompanying notes to the Financial Statements (1-36)

As per our separate report of even date

For G.K. Mittal & Associates

Chartered Accountants

FRN 006842C

Sd/- (Jogendra Singh Shekhawat)

Partner

M.NO. 079348

Place: Jaipur

Date: 14.07.2026

UDIN: 26079348XGLEQU6662

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/- (Nidhi Mehta)

Director

DIN: 11398351

Sd/- (Amit Kumar Jain)
Company Secretary

Sd/- (Brijesh Dixit)

Managing Director

DIN: 11086971

Sd/- (Subhash Agrawal)
Chief Financial Officer



General Information & Significant Accounting Policies forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2026

1. General information:

Rajasthan Electronics & Instruments Limited, Jaipur (REIL) is incorporated and domiciled in India having registered office at 2, Kanakpura Industrial Area, Sirsi Road, Jaipur. The Company is a joint venture between the Government of India (51% shareholding) and Government of Rajasthan through Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd., Jaipur (RIICO) with share holding of 49%.

The Company was incorporated on 12th June, 1981 and falls under the administrative control of Ministry of Heavy Industries, Government of India and is a Mini Ratna PSU. REIL is in the business of Electronic Milk Analyzers and Solar Energy Equipment with minor interest in Wind Power, Information Technology, Industrial Electronics and Electric Vehicle Charging Station.

2. Recent Accounting Pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards. The amendments so notified are not applicable to the Company during the period. Financial Statements have been prepared as per requirement of Schedule III of the Companies Act, 2013 and accordingly figures (amount) in financial statements have been taken as Rs. in Lakhs.

3. Significant accounting policies

The principal accounting policies are set out below:

3.1 Statement of compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.

3.2 Basis of preparation and presentation

The financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS"), including the rules notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013, amended from time to time. The Financial Statements have been prepared on the historical cost basis except for following assets and liabilities which have been measured at fair value amount:

- Certain Financial Assets and Liabilities,
- Defined Benefit Plans – Plan Assets

The financial statements have been prepared on accrual and going concern basis. The accounting policies are applied consistently to all the periods presented in the financial statements.

Current and Non-Current Classification: The Company presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on Current/ Non-Current classification.

An asset is treated as Current when it is –

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle;
- Held primarily for the purpose of trading;
- Expected to be realized within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of trading;
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

The Company classifies all other liabilities as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

3.3 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS requires management to make estimates, judgments and assumptions. These estimates, judgments and assumptions affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the period. The principal accounting estimates used have been described under the relevant income/expense and/or asset/liability item in these financial statements. The Management believes that the estimates used in the preparation of these Financial Statements are prudent and reasonable. Actual

results could differ from these estimates.

3.4 Property, plant and equipment

Property, plant and equipment acquired by the Company are reported at acquisition cost, with deductions for accumulated depreciation and impairment losses, if any. The acquisition cost includes the purchase price (excluding refundable taxes) and expenses, such as delivery and handling costs, installation, legal services and consultancy services, directly attributable to bringing the asset to the site and in working condition for its intended use.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to the Statement of Profit and Loss during the period in which they are incurred.

Freehold land is not depreciated. Leasehold land is amortized over the life of the lease.

Depreciation is recognised so as to write off the cost less their residual values over their useful lives as specified in the Schedule II of the Companies Act 2013, using the straight-line method. The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis. Assets costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in Statement of Profit and Loss.

Property, plant and equipment which are not ready for intended use as on the date of Balance Sheet are disclosed as "Capital work-in-progress"

3.5 Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost of acquisition net of recoverable taxes, trade discount and rebates less accumulated amortization/depletion and impairment losses, if any. Such cost includes purchase price, borrowing costs, and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for the intended use.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost can be measured reliably.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Finite-life intangible assets are amortized on a straight-line basis over the period of their expected useful lives.

The estimated useful life of an identifiable intangible asset is based on a number of factors including the effects of obsolescence, demand, competition, and other economic factors (such as the stability of the industry, and known technological advances), and the level of maintenance expenditures required to obtain the expected future cash flows from the asset.

The amortization period and the amortization method for finite-life intangible assets is reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Gains or losses arising from derecognition of an Intangible Asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the Statement of Profit and Loss when the asset is derecognized.

Research costs are expensed as incurred. Software product development costs are expensed as incurred unless technical and commercial feasibility of the project is demonstrated, future economic benefits are probable, the company has as intention and ability to complete and use or sell the software and the costs can be measured reliably. The costs which can be capitalized include the cost of material, direct labour, overhead cost that are directly attributable to preparing the asset for its intended use

3.6 Impairment of tangible and intangible assets other than goodwill

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amounts of its Property Plant and Equipment and intangible assets or group of Assets, called Cash Generating Unit (CGU) to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of an asset or CGU is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the CGU to which the asset belongs.

An impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss to the extent, asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. Value in use is based on the estimated future cash flows, discounted to their present value using pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risk specific to the assets.

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment annually, or whenever there is an indication that the asset may be impaired.

A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the Statement of Profit and Loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case, the reversal is treated as a revaluation increase.

3.7 Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value. However, materials and other items held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Cost is computed on a FIFO basis, Cost of finished goods and work-in-progress include all costs of purchases, conversion costs and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Cost of inventories comprises of all cost of conversion and other cost incurred in bringing them to their respective present location and condition and valued on the basis of FIFO method.

The net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale.

The inventory in which no transactions of purchases/sales/consumption occurred during the financial year are classified as non moving inventory whereas the inventories in which less than 20% transactions occurred are classified as slow moving inventory. These inventories are identified on the year

end and accordingly written down to the twenty percent of its value. However, if realizable value is higher than the actual cost than, no impact is taken

3.8 Revenue Recognition

Company Recognises revenue from contracts with customers based on a five-step criteria as set out in Ind AS-115:-

- (i) Identification of the contracts with a customer:- A contract is defined as an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations and sets out the criteria for every contract that must be met.
 - (ii) Identification of the performance obligations in the contract: A performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer a good or service to the customer.
 - (iii) Determination of the transaction price: The transaction price is the amount of consideration to which the company expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer excluding amounts collected on behalf of third parties.
 - (iv) Allocation of the transaction price to the performance obligations in the contract: For a contract that has more than one performance obligation the Company allocates the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.
 - (v) Recognition of revenue when or as the Company satisfies a performance obligation.
- According to Ind AS 115 which establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is to be recognized.
 - The Company recognizes revenue from contracts with customers when it satisfies a performance obligation by transferring promised good or service to a customer. The revenue is recognized to the extent of transaction price allocated to the performance obligation satisfied. Performance obligation is satisfied over time when the transfer of control of asset (good or service) to a customer is done over time and in other cases, performance obligation is satisfied at a point in time. For performance obligation satisfied over time, the revenue recognition is done by measuring the progress towards complete satisfaction of

performance obligation.

- Revenue is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for volume discounts, service level credits, performance bonuses, price concessions and incentives, if any, as specified in the contract with the customer. Revenue also excludes taxes collected from customers.
- Transaction price is the amount of consideration to which the Company expects it to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer excluding amounts collected on behalf of a third party. Variable consideration is estimated using the expected value method or most likely amount as appropriate in a given circumstance. Payment terms agreed with a customer are as per business practice and the financing component, if significant, is separated from the transaction price and accounted as interest income.
- Revenue from sale of goods is recognized when all the significant risks and rewards of ownership in the goods are transferred to the buyer as per the terms of the contract, there is no continuing managerial involvement with the goods and the amount of revenue can be measured reliably. The Company retains no effective control of the goods transferred to a degree usually associated with ownership and no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration that will be derived from the sale of goods. Revenue is measured at fair value of the consideration received or receivable, after deduction of any trade discounts, volume rebates and any taxes or duties collected on behalf of the government which are levied on sales such as Goods and Service Tax etc.
- Revenue from services rendered is recognized based on agreements/ arrangements with the customers, over time by measuring the progress towards complete satisfaction of performance obligations at the reporting period and the amount of revenue can be measured reliably.

Use of significant judgments in revenue recognition

- The Company's contracts with customers could include promises to transfer multiple products and services to a customer. The Company assesses the products / a service promised in a contract and identifies distinct performance obligations in the contract. Identification of distinct performance obligation involves judgment to determine the

deliverables and the ability of the customer to benefit independently from such deliverables.

- The Company uses judgment to determine an appropriate standalone selling price for a performance obligation. The Company allocates the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative standalone selling price of each distinct product or service promised in the contract. Where standalone selling price is not observable, the Company uses the expected cost plus margin approach to allocate the transaction price to each distinct performance obligation.
- The Company exercises judgment in determining whether the performance obligation is satisfied at a point in time or over a period of time. The Company considers indicators such as how customer consumes benefits as services are rendered or who controls the asset as it is being created or existence of enforceable right to payment for performance to date and alternate use of such product or service, transfer of significant risks and rewards to the customer, acceptance of delivery by the customer, etc.

Interest Income

Interest Income from a Financial Assets is recognised using effective interest rate method.

3.9 Employee Benefits

- **Retirement benefit costs and termination benefits**
Payments to defined contribution retirement benefit plans are recognized as an expense when employees have rendered service entitling them to the contributions.
For defined benefit retirement benefit plans, the cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Re-measurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding net interest), is reflected immediately in the balance sheet with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss.



Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset.

Defined benefit costs are categorized as follows:

- service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments) and
- net interest expense or income; and
- re-measurement

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss in the line item 'Employee benefits expense'. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the balance sheet represents the actual deficit or surplus in the Company's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans. A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

- **Short-term and other long-term employee benefits**

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised as an expense during the period when the employees render the services.

Liabilities recognized in respect of other long-term employee benefits are measured at the present value of the estimated future cash outflows expected to be made by the Company in respect of services provided by employees up to the reporting date.

3.10 Financial instruments

Financial Assets:

Financial assets are recognized when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

On initial recognition, a financial asset is recognized at fair value, in case of financial assets which are

recognized at fair value through profit and loss (FVTPL), its transaction cost is recognized in the Statement of Profit and Loss. In other cases, the transaction cost is adjusted to the Fair value of the Financial Asset.

Financial assets are subsequently classified as measured at:

- Amortized cost
- Fair value through profit and loss (FVTPL)
- Fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Financial assets are not reclassified subsequent to their recognition, except if and in the period the Company changes its business model for managing financial assets.

Trade Receivables and Loans:

Trade receivables and loans are initially recognized at fair value. Subsequently, these assets are held at amortized cost, using the effective interest rate (EIR) method net of any expected credit losses. The EIR is the rate that discounts estimated future cash income through the expected life of financial instrument.

The provision for doubtful debts @ 10% for outstanding of more than 3 years and upto 4 years; @20% for outstanding of more than 4 years and upto 5 years and @ 30% for for outstanding of more than 5 years have been created.

Debt Instruments:

Debt instruments are initially measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income ('FVOCI') or fair value through profit or loss ('FVTPL') till derecognition on the basis of (i) The entity's business model for managing the financial assets and

- (ii) The contractual cash flow characteristics of the financial asset.

- (a) **Measured at amortized cost:**

Financial assets that are held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows that are solely payments of principal and interest, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate ('EIR') method less impairment, if any.

The amortization of EIR and loss arising from impairment, if any is recognized in the Statement of Profit and Loss.

(b) Measured at fair value through other comprehensive income:

Financial assets that are held within a business model whose objective is achieved by both, selling financial assets and collecting contractual cash flows that are solely payments of principal and interest, are subsequently measured at fair value through other comprehensive income. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). Interest income measured using the EIR method and impairment losses, if any are recognized in the Statement of Profit and Loss. On derecognition, cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from the equity to 'other income' in the Statement of Profit and Loss.

(c) Measured at fair value through profit or loss:

A financial asset not classified as either amortized cost or FVOCI, is classified as FVTPL. Such financial assets are measured at fair value with all changes in fair value, including interest income and dividend income if any, recognized as 'other income' in the Statement of Profit and Loss.

Derecognition of Financial Asset

The Company derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or it transfers the contractual rights to receive the cash flows from the asset.

Impairment of Financial Asset

- Expected credit losses are recognized for all financial assets subsequent to initial recognition other than financial assets in FVTPL category.
- For financial assets other than trade receivables, as per Ind AS 109, the Company recognizes 12 month expected credit losses for all originated or acquired financial assets if at the reporting date the credit risk of the financial asset has not increased significantly since its initial recognition.
- The expected credit losses are measured as lifetime expected credit losses if the credit risk on financial asset increases significantly since its initial recognition.
- For trade receivables Company applies 'simplified approach' (Refer Point No. 3.10 "Trade Receivables and Loans") which requires expected lifetime losses to be recognized from initial recognition of the receivables. The Company uses historical default rates to determine impairment loss on the

portfolio of trade receivables. At every reporting date these historical default rates are reviewed and changes in the forward looking estimates are analyzed.

- The impairment losses and reversals are recognized in Statement of Profit and Loss.

Financial Liabilities:

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are recognized when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial liabilities are initially measured at the amortized cost unless at initial recognition, they are classified as fair value through profit and loss. In case of trade payables, they are initially recognized at fair value and subsequently, these liabilities are held at amortized cost, using the effective interest rate method.

Subsequent measurement

Financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the EIR method. Financial liabilities carried at fair value through profit and loss is measured at fair value with all changes in fair value recognized in the Statement of Profit and Loss.

Derecognition of Financial Liability

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expires.

3.11 Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset

takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- **Level 1**— Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- **Level 2**— Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- **Level 3**— Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognised in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

3.12 Provisions and Contingent Liabilities

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable

estimate can be made of the amount of the obligation. The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

When the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognized as a separate asset, but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the Statement of Profit and Loss net of any reimbursement.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

Contingent liabilities are disclosed when there is a possible obligation arising from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past events where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount cannot be made.

3.13 Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognized in Statement of Profit and Loss in the period in which

they are incurred.

3.14 Income Taxes

Income tax expense for the year comprises of current tax and deferred tax. It is recognized in the Statement of Profit and Loss except to the extent it relates to an item which is recognized directly in Other Comprehensive Income.

Current tax is the expected tax payable/receivable on the taxable income/ loss for the year using applicable tax rates at the Balance Sheet date, and any adjustment to taxes in respect of previous years. Interest income/expense and penalty, if any, related to income tax is included in current tax expense.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities for financial reporting purposes and the corresponding tax base used in the computation of taxable profit.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward of unused tax losses can be utilized. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Current tax assets and current tax liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority.

The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

3.15 Foreign Currency Transaction

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the functional currency closing rates of exchange at the reporting date.

Exchange differences arising on settlement or translation of monetary items are recognized in Statement of Profit and Loss except to the extent of exchange differences which are regarded as an adjustment to interest costs on foreign currency borrowings that are directly attributable to the acquisition or construction of qualifying assets, are capitalized as cost of assets.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are recorded using the exchange rates at the date of the transaction. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value was measured. The gain or loss arising on translation of non-monetary items measured at fair value is treated in line with the recognition of the gain or loss on the change in fair value of the item (i.e., translation differences on items whose fair value gain or loss is recognized in OCI or Statement of Profit and Loss are also recognized in OCI or Statement of Profit and Loss, respectively).

3.16 Government Grant

The Government Grants (Grant in Aid) are accounted for in accordance with Ind-AS 20. The entity shall consider the conditions and obligations that have been, or must be, met when identifying the costs for which the benefit of the Grant is intended to compensate

Government grants are not recognized until there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and



that the grants will be received.

Government grants are recognized in Statement of profit and loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognizes as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate. Specifically, government grants whose primary condition is that the company should purchase, construct or otherwise acquire non-current assets are recognized as deferred revenue in the Balance sheet and transferred to Statement of profit and loss on a systematic and rational basis over the useful lives of the related assets.

3.17 Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if it conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Company as Lessee

Right-of-Use (ROU) assets are recognized at inception of a contract or arrangement for significant lease components at cost less lease incentives, if any. ROU assets are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of ROU assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct cost incurred and lease payments made at or before the lease commencement date. ROU assets are generally depreciated over the shorter of the lease term and estimated useful lives of the underlying assets on a straight line basis. Lease term is determined based on consideration of facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option. Lease payments associated with short-term leases and low value leases are charged to the Statement of Profit and Loss on a straight line basis over the term of the relevant lease.

The Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made on the date of recognition of the lease. Such lease liabilities do not include variable lease payments (that do not depend on an index or a rate), which are recognised as expense in the periods in which they are incurred. Interest on lease liability is recognised

using the effective interest method. Lease liabilities are subsequently increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. The carrying amount of lease liabilities is also remeasured upon modification of lease arrangement or upon change in the assessment of the lease term. The effect of such remeasurements is adjusted to the value of the ROU assets.

3.18 Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit after tax for the period attributable to the equity shareholders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. The weighted average number of equity shares outstanding during the period and for all periods presented is adjusted for events, such as bonus shares, other than the conversion of potential equity shares that have changed the number of equity shares outstanding, without a corresponding change in resources.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period is adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

3.19 Non-Current assets held for Sale

Non-current assets are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset and its sale is highly probable. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

Non-current assets held for sale are neither depreciated nor amortized.

Non-current assets classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell and are presented separately in the Balance Sheet.

costs attributable to the enterprise as a whole.

3.20 Dividend

Dividends paid (including income tax thereon) are recognized in the period in which the interim dividends are approved by the Board of Directors, or in respect of the final dividend when approved by shareholders.

3.21 Cash & Bank Balances

Cash and Cash Equivalents in the Balance Sheet comprise cash at banks and on hand and Bank deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash and bank balances also include fixed deposits, margin money deposits, earmarked balances with banks and other bank balances which have restrictions on repatriation. Short term and liquid investments being subject to more than insignificant risk of change in value, are not included as part of cash and cash equivalents.

3.22 Operating Segments

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker (CODM). The CODM, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the Corporate Management Committee.

Segments are organized based on businesses which have similar economic characteristics as well as exhibit similarities in nature of products and services offered, the nature of production processes, the type and class of customer and distribution methods.

Segment revenue arising from third party customers is reported on the same basis as revenue in the financial statements. Inter-segment revenue is reported on the basis of transactions which are primarily market led. Segment results represent profits before finance charges, unallocated corporate expenses and taxes.

"Unallocated Corporate Expenses" include revenue and expenses that relate to initiatives/

3.23 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, where by profit before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated.

3.24 Prior Period Errors

Prior period errors include omissions and misstatements arising from a failure to use reliable information that was available or could have been obtained when financial statements for those periods were approved for issue.

Material prior period errors relating to the last comparative period will be shown by restating the comparative figures of Balance sheet and Statement of Profit and loss, wherever necessary. Thus, it will be disclosed in the comparative financial statements as if the error had not even occurred.

3.25 Event after reporting period

The 'events after the reporting period' are classified into two categories:

- Adjusting Events: Adjusting events are those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period; and
- Non Adjusting Events: Non-adjusting events are those that are indicative of conditions that arose after the reporting period

Amounts recognized in financial statements are adjusted to reflect adjusting events after the reporting period. Amounts recognized in financial statements are not adjusted to reflect non-adjusting events after the reporting period. If non-adjusting events after the reporting period are material, then such events are disclosed along with the nature of the event and an estimate of its financial effect.



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

Note : 4 Tangible Assets

Current Year

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Cost or Deemed cost					Accumulated depreciation and impairment						Carrying Amount	
	Balance as at April 1, 2025	Additions	Adjustments	Disposals	Balance at March 31, 2026	Balance as at April 1, 2025	Adjustments	Depreciation expense	Impairment	Disposals	Balance at March 31, 2026	As at March 31, 2026	As at March 31 , 2025
Property plant and equipment													
Vehicles	25.95	-	-	-	25.95	24.64			-	-	24.64	1.31	1.31
Road, Drains & water supply	26.34	-	-	-	26.34	25.02			-	-	25.02	1.32	1.32
Building	1,838.43	-	-	-	1,838.43	319.04		31.44	-	-	350.48	1,487.95	1,519.39
Furniture and fixtures	395.58	-	-	-	395.58	225.29		29.89	-	-	255.18	140.40	170.29
Office Equipment	135.70	-	-	-	135.70	83.78		8.96	-	-	92.74	42.96	51.92
Wind Power Project	580.00	-	-	-	580.00	551.00		-	-	-	551.00	29.00	29.00
Temporary Structure	26.13	-	-	-	26.13	26.13		-	-	-	26.13	-	-
Plant and machinery-Imported	1,519.14	-	-	-	1,519.14	1,067.52		89.87	-	-	1,157.39	361.75	451.62
Plant and machinery-Indigenous	493.77	1.81			495.58	342.46		18.85	-	-	361.31	134.27	151.31
Computer and Printers	232.99	17.31	2.58	0.20	247.52	197.46	2.46	11.94	-	0.17	206.77	40.75	35.53
Leasehold Premises													
Land	127.28	-	-	-	127.28	22.24	-	1.29	-	-	23.53	103.75	105.04
Subtotal	5,401.31	19.12	2.58	0.20	5,417.65	2,884.58	2.46	192.24	-	0.17	3,074.19	2,343.46	2,516.73
Capital work-in-progress	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	5,401.31	19.12	2.58	0.20	5,417.65	2,884.58	2.46	192.24	-	0.17	3,074.19	2,343.46	2,516.73

4.1 Company is availing fund / non-fund based limits from Punjab National Bank, secured by way of Hypothecation of Raw Material, Stock in process, finished goods and book debts and further collaterally secured by first charge over fixed and movable Capital Assets of the Company.

4.2 The leasehold land includes 40000 Sq.Mtrs. area situated at Kanakpura Industrial Area, Sirsi Road, Jaipur and 2500 Sq.Mtrs. area situated at Mansarovar, Jaipur.

Previous Year

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Cost or Deemed cost					Accumulated depreciation and impairment					Carrying Amount		
	Balance as at April 1, 2024	Additions	Adjustments	Disposals	Balance at March 31, 2025	Balance as at April 1, 2024	Adjustments	Depreciation expense	Impairment	Disposals	Balance at March 31, 2025	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Property plant and equipment													
Vehicles	25.95	-	-	-	25.95	23.34	-	1.30	-	-	24.64	1.31	2.61
Road, Drains & water supply	26.34	-	-	-	26.34	25.02	-	-	-	-	25.02	1.32	1.32
Building	1,838.43	-	-	-	1,838.43	287.60	-	31.44	-	-	319.04	1,519.39	1,550.83
Furniture and fixtures	398.50	-	-	2.92	395.58	196.19	-	30.27	-	1.17	225.29	170.29	202.31
Office Equipment	135.70	-	-	-	135.70	74.58	-	9.20	-	-	83.78	51.92	61.12
Wind Power Project	580.00	-	-	-	580.00	551.00	-	-	-	-	551.00	29.00	29.00
Temporary Structure	26.13	-	-	-	26.13	26.13	-	-	-	-	26.13	-	-
Plant and machinery-Imported	1,519.14	-	-	-	1,519.14	977.65	-	89.87	-	-	1,067.52	451.62	541.49
Plant and machinery-Indigenous	495.50	0.27	-	2.00	493.77	321.82	-	20.64	-	-	342.46	151.31	173.68
Computer and Printers	232.11	7.17	6.29	-	232.99	194.80	5.98	10.54	-	1.90	197.46	35.53	37.31
Leasehold Premises													
Land	127.28	-	-	-	127.28	20.95	-	1.29	-	-	22.24	105.04	106.33
Subtotal	5,405.08	7.44	6.29	4.92	5,401.31	2,699.08	5.98	194.55	-	3.07	2,884.58	2,516.73	2,706.00
Capital work-in-progress	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	5,405.08	7.44	6.29	4.92	5,401.31	2,699.08	5.98	194.55	-	3.07	2,884.58	2,516.73	2,706.00

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

Note : 5 Intangible Assets

Current Year

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Cost or Deemed cost					Accumulated depreciation and impairment			Carrying Amount	
	Balance as at April 1, 2025	Additions from separate acquisitions	Additions from internal developments	Disposals or classified as held for sale	Balance as at March 31, 2026	Balance as at April 1, 2025	Amortisation expense	Adjustments	Balance at March 31, 2026	As at March 31, 2026
Technical Know-how	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-
Subtotal (a)	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-

Previous Year

Particulars	Cost or Deemed cost					Accumulated depreciation and impairment			Carrying Amount	
	Balance as at April 1, 2024	Additions from separate acquisitions	Additions from internal developments	Disposals or classified as held for sale	Balance as at March 31, 2025	Balance as at April 1, 2024	Amortisation expense	Adjustments	Balance at March 31, 2025	As at March 31, 2025
Technical Know-how	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-
Subtotal (a)	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-

6. Trade receivables - Non Current

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
(a) Unsecured, considered good	265.10	116.17
Total	265.10	116.17

7. Trade receivables - Current

I Disputed Trade Receivables	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
i) Doubtful	2,841.29	2,770.12
II Undisputed Trade Receivables		
ii) Secured, considered good	-	-
iii) Unsecured, considered good (related parties)	1,816.23	2,291.85
iv) Unsecured, considered good	19,409.51	7,493.08
v) Doubtful	8,198.43	7,342.36
v) Doubtful (related parties)	1,284.85	1,284.85
Less: Allowance for doubtful debts	3,229.33	2,849.37
Total	29,036.13	17,048.04

7.1 The Company sent letters to the parties for confirmation of the outstanding balance as at 31st March 2026, but the response of these letters has not been received by the company.

7.2 The Memoranda of Agreement (MoAs) executed with M/s Magenta Power Private Limited and M/s Tecso Chargezone Pvt. Ltd. were terminated due to their failure to fulfill a fundamental contractual obligation, namely submission of the requisite Performance Bank Guarantee (PBG).

In the case of M/s Magenta Power Private Limited, the Company filed S.B. Civil Arbitration Application Nos. 12/2023, 13/2023 and 14/2023 under Section 11(6) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 before the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench, seeking appointment of an Arbitrator for adjudication of disputes. Vide order dated 06.10.2023, the Hon'ble High Court appointed Hon'ble Justice Sabina as the Sole Arbitrator. Subsequently, the Sole Arbitrator pronounced an Arbitral Award on 12.08.2025 directing REIL to pay a sum of Rs. 14.67 Crore to M/s Magenta Power Private Limited. Aggrieved by the Award, REIL has filed objections under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 before the Hon'ble Commercial Court No. 1, Jaipur Metro-II, along with a stay application seeking suspension of the operation and effect of the Award. The matter is presently sub judice and pending adjudication before the Court. In the case of M/s Tecso Chargezone Pvt. Ltd., the MoA was terminated due to non-submission of the Performance Bank Guarantee. An Arbitration Application No. 286/2024-25 under Section 9 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 was filed before the Hon'ble Commercial Court, Jaipur. Thereafter, vide order dated 18.09.2025 passed in S.B. Civil Arbitration Application Nos. 94/2025 and 95/2025, the Hon'ble High Court constituted the Arbitral Tribunal by appointing Hon'ble Justice Pankaj Bhandari (Retd.) as the Sole Arbitrator. The arbitration proceedings are presently pending. Accordingly, considering that the disputes in both matters are either sub judice before the competent Court or pending adjudication before the Arbitral Tribunal, any accounting adjustments in the books of accounts shall be undertaken in accordance with the final outcome of the respective proceedings.

8. Deferred Tax Asset (Net)

The following is the analysis of deferred tax Assets/(Liabilities) presented in the balance sheet:

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Deferred tax liabilities	(549.57)	(368.60)
Deferred tax assets	2,548.72	2,809.97
Net	1,999.15	2,441.37

8.1 In assessing the reliability of deferred income tax assets, the Management considers whether some portion or all of the deferred income tax assets will not be realized. The ultimate realization of deferred income tax assets is dependent upon the generation of future taxable income during the periods in which the temporary differences become deductible. The Management considers the scheduled reversals of deferred income tax liabilities, projected future taxable income, and tax planning strategies in making this assessment. Based on the level of historical taxable income and projections for future taxable income over the periods in which the deferred income tax assets are deductible, the Management believes that the Company will realize the benefits of those deductible differences. The amount of the deferred income tax assets considered realizable, however, could be reduced in the near term if estimates of future taxable income during the carry forward period are reduced. As per Management's estimate it is likely that the company will have taxable future profits over the future years on which this asset may be used. The Company's ability to recover deferred tax assets is assessed by management at the close of each financial year taking into account forecasts of future taxable results.



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

Current Trade Receivables ageing schedule as on March 31, 2026

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 Year	1 Year to 2 Year	2 Year to 3 Year	More than 3 Years	
I Disputed Trade Receivables	-	-	-	-	-	-
i) Doubtful	-	-	-	-	2,839.53	2,839.53
II Undisputed Trade Receivables	-	-	-	-	-	-
i) Secured, considered good	-	-	-	-	-	-
ii) Unsecured, considered good (related parties)	31.00	70.48	277.40	152.50	-	531.38
iii) Unsecured, considered good	15,061.57	1,672.64	2,235.05	442.01	-	19,411.27
iv) Doubtful	-	-	-	-	8,198.43	8,198.43
v) Doubtful (related parties)	-	-	-	-	1,284.85	1,284.85
Total	15,092.57	1,743.12	2,512.45	594.51	12,322.81	32,265.46
Less: Provision for Doubtful Debts	-	-	-	-	3,229.33	3,229.33
Total Trade Receivables	15,092.57	1,743.12	2,512.45	594.51	9,093.48	29,036.13

Non Current Trade Receivables ageing schedule as on March 31, 2026

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 Year	1 Year to 2 Year	2 Year to 3 Year	More than 3 Years	
I Disputed Trade Receivables	-	-	-	-	-	-
i) Doubtful	-	-	-	-	-	-
II Undisputed Trade Receivables	-	-	-	-	-	-
i) Secured, considered good	-	-	-	-	-	-
ii) Unsecured, considered good (related parties)	-	-	-	-	-	-
iii) Unsecured, considered good	-	-	-	-	-	-
iv) Doubtful	265.10	-	-	-	-	265.10
v) Doubtful (related parties)	-	-	-	-	-	-
Total	265.10	-	-	-	-	265.10
Less: Provision for Doubtful Debts	-	-	-	-	-	-
Total Trade Receivables	265.10	-	-	-	-	265.10

Current Trade Receivables ageing schedule as on March 31, 2025

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 Year	1 Year to 2 Year	2 Year to 3 Year	More than 3 Years	
I Disputed Trade Receivables	-	-	-	-	-	-
i) Doubtful	-	-	-	-	2,770.12	2,770.12
II Undisputed Trade Receivables	-	-	-	-	-	-
i) Secured, considered good	-	-	-	-	-	-
ii) Unsecured, considered good (related parties)	303.54	309.31	354.76	16.69	-	984.30
iii) Unsecured, considered good	4,813.87	473.66	888.54	1,339.70	-	7,515.77
iv) Doubtful	-	-	-	-	7,342.37	7,342.37
v) Doubtful (related parties)	-	-	-	-	1,284.85	1,284.85
Total	5,117.41	782.97	1,243.30	1,356.39	11,397.34	19,897.41
Less: Provision for Doubtful Debts	-	-	-	-	2,849.37	2,849.37
Total Trade Receivables	5,117.41	782.97	1,243.30	1,356.39	8,547.97	17,048.04

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

Non Current Trade Receivables ageing schedule as on March 31, 2025

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 Year	1 Year to 2 Year	2 Year to 3 Year	More than 3 Years	
I Disputed Trade Receivables	-	-	-	-	-	-
i) Doubtful	-	-	-	-	-	-
II Undisputed Trade Receivables	-	-	-	-	-	-
i) Secured, considered good	-	-	-	-	-	-
ii) Unsecured, considered good (related parties)	-	-	-	-	-	-
iii) Unsecured, considered good	116.17	-	-	-	-	116.17
iv) Doubtful	-	-	-	-	-	-
Total	116.17	-	-	-	-	116.17
Total Trade Receivables	116.17	-	-	-	-	116.17

Year ended March 31, 2026

Particulars	Opening balance	Recognised in profit or loss	Recognised in other comprehensive income	Closing balance
Deferred tax assets/(liabilities) in relation to:				
Property, plant and equipment	(287.89)	(30.93)	-	(318.82)
Fair Value of financial assets	9.40	9.98	-	19.38
Allowance for Doubtful Debts	829.74	110.64	-	940.38
Deferred revenue	(80.71)	(150.04)	-	(230.75)
Deferred expense	40.06	38.46	-	78.52
Provisions for Employee Benefit	541.02	1.50	(4.50)	538.02
Provisions MSME Interest	1.14	(0.29)	-	0.85
Tax on losses (Carry Forward Losses)	1,388.61	(417.04)	-	971.57
Total	2,441.37	(437.72)	(4.50)	1,999.15

Year ended March 31, 2025

Particulars	Opening balance	Recognised in profit or loss	Recognised in other comprehensive income	Closing balance
Deferred tax assets/(liabilities) in relation to:				
Property, plant and equipment	(297.11)	9.22	-	(287.89)
Fair Value of financial assets	7.94	1.46	-	9.40
Allowance for Doubtful Debts	736.27	93.47	-	829.74
Deferred revenue	(71.31)	(9.40)	-	(80.71)
Deferred expense	43.12	(3.06)	-	40.06
Provisions for Employee Benefit	516.89	20.53	3.60	541.02
Provisions MSME Interest	-	1.14	-	1.14
Tax on losses (Carry Forward Losses)	1,173.41	215.20	-	1,388.61
Total	2,109.21	328.56	3.60	2,441.37

9. Other financial assets

9A. Other financial assets - Non current

From Related Parties	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
-Security Deposits	0.40	0.40
Others -		
-Security Deposits	114.27	53.37
-Loans & Advances to employees	2.76	2.76
-Cash and bank balances not available for immediate use (See Note below)	-	-
Total	117.43	56.53



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

Note: Particulars of cash and bank balances not available for immediate use.

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Bank Balances (including interest accrued thereon) not available for immediate use being deposits pledged with bank as margin money.	-	-
Less: Amount reflected under Other Bank Balance [Note 11A]	-	-
Amount reflected under other financial assets - non-current [Note 9A]	-	-

9B. Other financial assets - Current

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
- Security Deposits	7.33	7.33
- Earnest Money	107.30	175.00
Total	114.63	182.33

10. Inventories

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Inventories		
Raw materials	768.19	813.81
Raw Material in Production Department	352.52	506.17
Finished goods	451.72	369.86
Packing Material	10.63	11.92
Stores and spares	-	-
Loose tools	-	-
Goods-in-transit	-	-
Stock-in-trade	-	-
Others	-	-
Total	1,583.06	1,701.76

10.1 The inventory also includes slow moving and non moving inventory of Rs 51.33 Lakhs in Raw Material and Rs 99.64 Lakhs in Finished Goods

10.2 As per accounting policy no. 3.7-Inventories, inventories of Rs 95.12 Lakhs have been identified as slow moving during the year, however the same has not been de-valued since the realizable value is more than the actual cost. Further, it is expected that such inventory items shall be used during the year 2026-27.

11. Cash and cash equivalents

For the purposes of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand and in banks, net of outstanding bank overdrafts. Cash and cash equivalents at the end of the reporting period as shown in the statement of cash flows can be reconciled to the related items in the balance sheet as follows:

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Balances with Banks (a+b+c)	454.74	4,844.99
PNB Savings Account (a)	0.14	0.14
Other Bank Balances (b)	454.60	946.47
Deposits with Bank (c)	-	3,898.38
Cash on hand	0.25	1.90
Cheques, drafts on hand	-	-
Cash and cash equivalents	454.99	4,846.89

Subsidy received from Ministry of Heavy Industries (MHI) under FAME II Scheme is kept in Saving Bank account and these funds are not available for Normal Business Operations.

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

11A. Other Bank Balances

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Bank Deposits pledged with bank as margin money (maturity more than 3 months but less than 12 months)	118.81	116.29
-FDR issued as EMD	84.07	79.32
-FDR issued as SD	26.74	-
Total	229.62	195.61

Note: The Company is availing fund / non-fund based limits from Punjab National Bank, secured by way of Hypothecation of Raw Material, Stock in process, finished goods and book debts and further collaterally secured by first charge over fixed and movable Capital Assets of the Company.

12. Other assets - Current

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Advance against expenses to employees	9.80	11.11
Deposit against GST Appeal	75.58	47.92
Prepaid expenses	32.11	13.08
Other Advances	17.71	10.47
Advances to Vendors	16.79	15.95
GST Adjustable	631.22	-
GST deposited on Advances Received	22.43	306.46
Balances with Revenue Authority (GST)	25.57	85.58
Total	831.21	490.57

13. Current tax assets and liabilities

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Current tax assets		
Benefit of tax losses to be carried back to recover taxes paid in prior periods Advance Payment of taxes	313.65	298.34
	313.65	298.34
Current tax liabilities		
Income tax payable	-	18.41
	-	18.41
Current tax Assets / (Liabilities)	313.65	279.93

14. Equity Share Capital

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Equity share capital	1,225.00	1,225.00
Total	1,225.00	1,225.00
Authorised Share capital :	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
15,000,000 equity shares of Rs. 10 each (as at March 31, 2026: 15,000,000)	1,500.00	1,500.00
Issued and subscribed capital comprises:		
1,22,50,000 fully paid equity shares of Rs. 10 each (as at March 31, 2026: 12,250,000)	1,225.00	1,225.00
	1,225.00	1,225.00

14.1 Movement during the period

Particulars	For the Year ended March 31, 2026		For the Year ended March 31, 2025	
	Number of shares	Share capital (Amount)	Number of shares	Share capital (Amount)
Balance at the start of the period	1,22,50,000	12,25,00,000	1,22,50,000	12,25,00,000
Movements	-	-	-	-
Balance at the end of the period	1,22,50,000	12,25,00,000	1,22,50,000	12,25,00,000

Fully paid equity shares, which have a par value of Rs.10, carry one vote per share and carry a right to dividends.



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

14.2 Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares.

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Number of shares held	% holding in the class of shares	Number of shares held	% holding in the class of shares
Equity shares:	-	-	-	-
Government of India	62,47,500	51%	62,47,500	51%
RIICO, Jaipur	60,02,500	49%	60,02,500	49%
Total	1,22,50,000	100%	1,22,50,000	100%

14.3 Details of shares held by the promoters.

Shares held by Promoter at the end of the year			% of Change during the year
Promoter Name	No. of shares	% of total shares	
Government of India	62,47,500	51%	-
RIICO, Jaipur	60,02,500	49%	-

14.4 Details Of Shares For Preceding Five Years

Particulars	31/03/2025	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021
Number of Equity Shares Allotted For Contracts Without payment received in cash	-	-	-	-	-
Number of Equity Share Issue as Bonus Share	-	-	-	-	-
Number Of Equity Shares Bought Back	-	-	-	-	-

15. Other Equity

Refer Statement of Changes in Equity for detailed movement in Equity balance.

Current Year

Particulars	General Reserves	Retained Earnings	Total
Balance as at March 31, 2025	4,373.45	58.40	4,431.85
Add: Profit/(Loss) for the year	-	(375.08)	(375.08)
Add: Other Comprehensive Income	-	10.97	10.97
Less: Transfer to Retained Earnings	(350.00)	-	(350.00)
Add: Transfer from General Reserve	-	350.00	350.00
Balance as at March 31, 2026	4,023.45	44.29	4,067.74

Previous Year

Particulars	General Reserves	Retained Earnings	Total
Balance as at March 31, 2024	5,273.45	62.59	5,336.04
Add: Profit/(Loss) for the year	-	(895.43)	(895.43)
Add: Other Comprehensive Income	-	(8.76)	(8.76)
Less: Transfer to Retained Earnings	(900.00)	-	(900.00)
Add: Transfer from General Reserve	-	900.00	900.00
Balance as at March 31, 2025	4,373.45	58.40	4,431.85

16. Other financial liabilities - Current

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
(a) Earnest Money	142.14	88.07
(b) Retention Money	20.96	20.96
(c) Security Deposits	116.43	142.89
(d) Employee Benefits Payable	51.04	79.98
(e) Others	2.67	108.80
(f) Reimbursement to Staff against expenses	11.01	12.93
Total	344.25	453.63

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

17. Provisions

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

17A. Provisions - Non current

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Employee benefits	286.97	306.90
Total	286.97	306.90

17B. Provisions - Current

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Employee benefits	1,191.82	1,010.72
Provision for Warranty	50.00	50.00
Total	1,241.82	1,060.72

17.1 Provision for employee benefits includes provision for Gratuity, Leave Encashment, Half Pay Leave & liability for Post Retirement Medical Scheme. The above are recognised as per the report provided by actuary.

17.2 Gratuity ceiling increased to Rs. 25 Lakhs from Rs. 20 Lakhs, hence provisioning has been increased by Rs1.58 crore being past service cost as per actuarial valuation.

17.3 Warranty is provided for Goods as well as for services to customers. The Company provides provision for warranty expenses in accordance with IND AS 37.

18. Other liabilities

18A. Other non-current liabilities

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Employee benefits	14.95	16.02
Provision for Warranty	443.12	148.44
Total	458.07	164.46

18B. Other current liabilities

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
- Advance from customers	-	-
From Related Parties	-	-
From Others	1,802.53	3,207.87
- Deferred Grant Related to income	12.87	12.87
- Deferred Grant Related to asset	1.07	1.07
- Interest payable under Consolidated Fund of India	0.14	0.13
- Deferred revenue	367.14	163.73
- Statutory dues	243.72	282.35
Total	2,427.47	3,668.02

18.1 Deferred Grant related to Income will be recognised in profit or loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

18.2 Deferred Grant related to Assets is recognised in profit or loss on a systematic basis over the useful life of the asset.

19A. Trade payables - Non Current

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
From Related Parties		
From Others		
-Total Outstanding dues of creditors of micro and small enterprises	-	-
-Total Outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	14.46	16.60
Total	14.46	16.60

19B. Trade payables - Current

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
From Related Parties		
From Others		
-Total Outstanding dues of creditors of micro and small enterprises	2,713.88	2,193.76
-Total Outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	24,508.77	16,354.99
Total	27,222.65	18,548.75



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

19.1 The above outstanding amount includes Rs. 3,229.89 Lakhs recoverable related to M/s Suntech Industries on account of non-fulfilment of contractual obligations under the respective contracts. The party has already lost two cases at the lower court level pertaining to the Company's customers, namely Pradeshik Cooperative Dairy Federation (PCDF), Uttar Pradesh and Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency. In the matter relating to PCDF, vide order dated 29.09.2023, the Hon'ble Rajasthan High Court, Jaipur Bench appointed an Arbitrator to adjudicate all disputes arising between the parties. Subsequently, vide order dated 27.05.2025, both parties were directed to submit their written arguments, issue-wise as well as claim-wise. Further, vide order dated 17.03.2026, the learned Sole Arbitrator directed that in the interest of complete, effective and binding adjudication of the disputes, Pradeshik Cooperative Dairy Federation, through its Managing Director, be impleaded as Respondent No. 2 in the arbitral proceedings. In the matter relating to UPNEDA, M/s Suntech Industries filed S.B. Civil Arbitration Application No. 133/2021 before the Hon'ble Rajasthan High Court, Jaipur. Vide order dated 17.11.2023, the Hon'ble Court appointed a Sole Arbitrator to adjudicate the disputes. The learned Sole Arbitrator vide order dated 19.04.2026 passed the award in favour of the Company.

Current Trade Payables ageing schedule as on March 31, 2026

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 Year	1 Year to 2 Year	2 Year to 3 Year	More than 3 Years	
(i) MSME	1,069.28	384.11	465.88	385.26	409.35	2,713.88
(ii) Others	12,517.88	542.44	1,365.52	205.31	6,533.68	21,164.83
(iii) Disputed dues --MSME	-	-	-	-	-	-
(iv) disputed dues -- others	-	-	-	15.85	3,328.09	3,343.94
Total	13,587.16	926.55	1,831.40	606.42	10,271.12	27,222.65

Non Current Trade Payables ageing schedule as on March 31, 2026

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 Year	1 Year to 2 Year	2 Year to 3 Year	More than 3 Years	
(i) MSME	-	-	-	-	-	-
(ii) Others	14.46	-	-	-	-	14.46
(iii) Disputed dues --MSME	-	-	-	-	-	-
(iv) disputed dues -- others	-	-	-	-	-	-
Total	14.46	-	-	-	-	14.46

Current Trade Payables ageing schedule as on March 31, 2025

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 Year	1 Year to 2 Year	2 Year to 3 Year	More than 3 Years	
(i) MSME	858.55	122.47	233.44	88.60	890.70	2,193.76
(ii) Others	5,846.50	495.68	655.24	304.55	5,706.41	13,008.38
(iii) Disputed dues --MSME	-	-	-	-	-	-
(iv) disputed dues -- others	-	-	16.19	0.11	3,330.31	3,346.61
Total	6,705.05	618.15	904.87	393.26	9,927.42	18,548.75

Non Current Trade Payables ageing schedule as on March 31, 2025

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 Months to 1 Year	1 Year to 2 Year	2 Year to 3 Year	More than 3 Years	
(i) MSME	-	-	-	-	-	-
(ii) Others	16.60	-	-	-	-	16.60
(iii) Disputed dues --MSME	-	-	-	-	-	-
(iv) disputed dues -- others	-	-	-	-	-	-
Total	16.60	-	-	-	-	16.60

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

20. Contingent liabilities, Contingent assets and Commitments

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

20.1 Contingent liabilities

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
(a) Guarantees given by bankers on behalf of the company.	1825.83	1,214.20
(b) Claims against the company not acknowledged as debts.	5534.95	7,445.07
(c) GST show cause notice-pending with GST Appellate Tribunal	240.78	238.46
(d) GST related show cause notice pending with Commissioner Appeals	302.32	304.45
(e) Service Tax Show cause notices/Demand raised by Excise & Service Tax Department (2009-10)	3.82	3.82

20.1.1 Claims against the company not acknowledge as debts include claim by M/s Suntech Industries, M/s Uttam Prakash, M/s Magenta Power Pvt Ltd., Gratuity related matter of contractual employees and Ex-Employees of the Company for which litigation is pending in court of law.

20.1.2 Contingent Liabilities are recognised when a possible obligation arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity, One of the MSME Vendors, M/s Gansum Global Solutions India Private Limited having outstanding amount of Rs. 14.75 Lakhs has claimed interest as per MSMED Act, 2006 and filed an application before Hon'ble High Court of Andhra Pradesh at Amaravati. On 26.12.2022 The Hon'ble High Court passed the order directed to the petitioner to prefer an appeal under sec 34 of the Arbitration Act at Arbitration court at Jaipur. Now the matter is pending before Commercial Court, Jaipur. As per the management, reliable estimates of the interest obligation cannot be made, Hence, the same has not been disclosed as Contingent Liability.

20.1.3 M/s Magenta Power Private Limited, the Company filed S.B. Civil Arbitration Application Nos. 12/2023, 13/2023 and 14/2023 under Section 11(6) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 before the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench, seeking appointment of an Arbitrator for adjudication of disputes. Vide order dated 06.10.2023, the Hon'ble High Court appointed Hon'ble Justice Sabina as the Sole Arbitrator. Subsequently, the Sole Arbitrator pronounced an Arbitral Award on 12.08.2025 directing REIL to pay a sum of Rs. 14.67 Crore to M/s Magenta Power Private Limited. Aggrieved by the Award, REIL has filed objections under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 before the Hon'ble Commercial Court No. 1, Jaipur Metro-II, along with a stay application seeking suspension of the operation and effect of the Award. The matter is presently subjudice and pending adjudication before the Court.

20.2 Contingent assets

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Insurance Claims lodged but not approved/settled	2.04	-
Total	2.04	-

20.3 Commitments

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Commitments		
Estimated amount of contracts remaining to be executed and not provided for including service and maintenance contracts.	9,592.00	25,562.83
Total	9,592.00	25,562.83

21. Revenue from operations

The following is details of the Company's revenue for the period from continuing operations

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
(a) Sales		
Exports	123.02	1,637.58
Domestic	15,275.89	11,601.89
(b) Sale of Services		
Service Maintenance and installation charges	12,416.53	2,509.31
(c) Other operating revenues	-	-
(d) Excise Duty	-	-
Total	27,815.44	15,748.78



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

- 21.1 Grant in aid includes grant related to income amounting to Rs 12.87 Lakhs in previous year which is recognised in profit or loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.
- 21.2 Revenue disaggregation as has been included in segment information (Refer note 34).
- 21.3 The aggregate value of transaction price allocated to unsatisfied (or partially satisfied) performance obligations is Rs. 810.26 Lakhs of which 45.31% is expected to be recognised next year. No consideration from contracts with customers is excluded from the amount mentioned above.

Changes in Deferred Revenue for the year ended March 31, 2026 are as follows:

Balances at the beginning of the year	312.17	296.11
Revenue recognised during the year	(434.98)	(166.98)
Addition during the year	933.07	183.04
Balance at the end of the year	810.26	312.17

22. Other Income

a) Interest Income

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Bank Deposits	88.25	49.93
Others	43.72	42.34
Total (a)	131.97	92.27

b) Other Non-Operating Income

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Insurance Receipts	3.38	3.71
Carriage Receipts	3.38	2.89
Amortisation of Government Grant*	1.07	1.07
Foreign Exchange Fluctuation	1.11	30.67
Duty Drawback on Exports	2.00	26.70
Rent Receipts	77.33	52.16
Scrap Sales	27.65	-
Others (aggregate of immaterial items)	1.29	1.75
Provisions Written Back# (since no longer required)	226.55	-
Total (b)	343.76	118.95
Total (a+b)	475.73	211.22

*Amortisation of Grant of Rs. 1.07 Lakhs (Rs. 1.07 Lakhs in Previous Year) is amortisation of grant related to assets which is recognised in profit or loss on a systematic basis over the useful life of the asset.

#Provision of Rs.1.02 Crore standing in books for awareness programme of transport department (under PUC project) written back as no expenditures have incurred during the financial year 2024-25 and 2025-26 under this head.

#Provision of Customs duty of Rs 20.48 Lakhs plus interest of Rs 33.18 Lakhs aggregating to Rs.53.66 Lakhs for duty saved on import of stringer machine during 2016-17 under EPCG license written back as the statutory limitation period for raising any demand by Customs department stands expired.

#Provision of PRP of Rs.50 Lakhs created during the year 2018-19 has been written back pursuant to the decision of board of directors to recover PRP already disbursed. Remaining excess provisions of Rs 20.86 Lakhs of earlier years also written back as this liability is also no longer outstanding.

23. Cost of material consumed

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Cost of material Consumed		
Opening stock	1,331.90	1,730.88
Add: Purchase of raw material	7,130.70	8,654.76
	8,462.60	10,385.64
Less: Closing stock	1,131.34	1,331.90
Total	7,331.26	9,053.74

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

23A. Details of material consumed

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
(a) Details of Raw Materials consumed		
Solar Energy Equipments		
-Solar Cells	85.89	121.16
-Others	4,675.21	5,645.63
Electronic Milk Analysers	2,553.34	3,254.50
Consumables & packing materials	16.82	32.45
Total	7,331.26	9,053.74
(b) Value of Imported and Indigenous material consumed		
Imported	500.01	352.69
Indigenous	6,831.25	8,701.05
Total	7,331.26	9,053.74

24. Change in inventories of finished goods

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Increase(-) / Decrease(+) in Stock		
Opening Stock		
Finished goods	369.86	182.17
	369.86	182.17
Less: Closing stock		
Finished goods	451.72	369.86
	451.72	369.86
Change in inventories of Finished goods	(81.86)	(187.69)
Total	(81.86)	(187.69)

25. Employee benefits expense

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Salaries and Wages	2,771.11	2,874.61
Contribution to provident and other funds	451.32	322.42
Staff Welfare Expenses	41.90	39.87
Medical expenses	11.58	47.23
Total	3,275.91	3,284.13

26. Finance costs

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Interest costs	33.33	3.93
Bank Charges	11.41	11.51
Bank Guarantee Commission	28.58	14.91
Total	73.32	30.35

27. Depreciation, impairment and amortisation expense

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Depreciation of property, plant and equipment pertaining to continuing operations	192.24	194.55
Impairment loss of Property, Plant and Equipments	-	-
Less : Depreciation of earlier year written off	-	-
Amortisation of intangible assets	-	-
Total depreciation, impairment and amortisation pertaining to continuing operations	192.24	194.55



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

28. Other expenses

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Direct Expense	16,411.33	3,626.57
Power & fuel	41.48	43.09
Repair & Maintenance - Plant & machinery	12.26	11.29
Testing & other expenses	1.72	2.13
Component & prototype for R&D	3.98	3.20
Warranty Obligation	30.49	80.72
Service & maintenance charges	9,130.31	1,698.49
Installation charges	7,191.09	1,787.65
Administrative Expenses	384.02	393.88
Repair & Maintenance - Building	1.43	26.12
Repair & Maintenance - Others	4.27	3.12
Rent	17.31	15.22
Rates & taxes	31.38	20.86
Printing & stationery	11.32	13.27
Travelling & conveyance	67.33	76.36
Postage & communication expenses	13.96	13.98
Legal & professional fee	62.75	54.96
Security, cleaning & other expenses	124.86	123.07
Payment to Auditors	2.95	2.98
Insurance charges	9.75	8.84
Foreign exchange fluctuation	7.78	-
Loss on Written off of assets	0.12	0.31
Miscellaneous expenses	28.81	34.79
Selling & Distribution Expenses	642.31	788.46
Allowances for Doubtful Debts	379.96	319.63
Royalty, Discount & commission	109.72	237.07
Advertising & business promotion	21.39	37.23
Forwarding expenses	131.24	193.81
Bad debts	-	0.72
Total	17,437.66	4,808.91

28.1 Details of remuneration to Auditors

Remuneration to auditors	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
(a) Statutory audit fee	1.25	1.25
(b) Tax audit fee	0.70	0.70
(c) Certification work	0.75	0.78
(d) Out of pocket expenses	0.25	0.25
Total	2.95	2.98

28.2 Miscellaneous expenses includes Director's Sitting fees of NIL (Previous year Rs. 0.32 Lakh) and Board Meeting expenses of Rs. 0.07 Lakh (Previous year Rs. 0.07 Lakh)

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

29. Income taxes relating to continuing operations

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

29.1 Income tax recognised in profit or loss

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Current tax		
In respect of the current period	-	-
Adjustment of tax relating to earlier years		
Provision Reversal		
In respect of the Previous period	-	-
Deferred tax	(437.72)	328.56
In respect of the current period		
Adjustment of tax relating to earlier year		
	(437.72)	328.56
Total income tax expense recognised in the current period relating to continuing operations	(437.72)	328.56

29.2 Income tax recognised in other comprehensive income

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Defferred Tax		
Re-measurement of defined benefit obligation	(4.50)	3.60
Total	(4.50)	3.60
Bifurcation of the income tax recognised in other Items that will not be reclassified to profit or loss	(4.50)	3.60

30. Earnings per share

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
From Continuing operations	Rs. per share	Rs. per share
Profit / (Loss) after tax	(375.08)	(895.43)
Weighted average number of equity shares for calculation of basic EPS	122.50	122.50
Basic earnings per share (one equity share of Rs. 10/- each)	(3.06)	(7.31)
Weighted average number of equity shares for calculation of diluted EPS	122.50	122.50
Diluted earnings per share (one equity share of Rs. 10/- each)	(3.06)	(7.31)
From Continuing operations	Rs. per share	Rs. per share
Basic earnings per share	(3.06)	(7.31)
Diluted earnings per share	(3.06)	(7.31)

30.1 Basic Earnings per share

The earnings and weighted average number of equity shares used in the calculation of basic earnings per share are as follows.

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Profit / (Loss) for the period attributable to owners of the Company (A)	(375.08)	(895.43)
Weighted average number of equity shares for the purposes of basic earnings per share (B)	122.50	122.50
Basic Earnings per share (A/B)	(3.06)	(7.31)



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

30.2 Diluted earnings per share

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

The earnings used in the calculation of diluted earnings per share are as follows. The weighted average number of equity shares for the purpose of diluted earnings per share reconciles to the weighted average number of equity shares used in the calculation of basic earnings per share as follows:

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Earnings used in the calculation of basic earnings per share	(375.08)	(895.43)
Earnings used in the calculation of diluted earnings per share (A)	(375.08)	(895.43)
Weighted average number of equity shares used in the calculation of basic earnings per share	122.50	122.50
Weighted average number of equity shares used in the calculation of diluted earnings per share (B)	122.50	122.50
Diluted earnings per share (A/B)	(3.06)	(7.31)

31. Employee benefit plans

31.1 Defined contribution plans

The Company contributes to defined contribution retirement benefit plans for all qualifying employees of its Company maintained at Employee Provident Fund Office, Govt. of India . The total expense recognised in profit or loss account of Rs. 216.05 Lakhs (Previous Year Rs. 218.63 Lakhs).

31.2 Defined benefit plans

The employee gratuity fund scheme is managed by a policy , administered by Life Insurance Corporation of India through approved gratuity trust fund. The present value of obligation is determined based on Actuarial Valuation using the Projected Unit Credit Method to assess the plan's liabilities including those related to retirement , resignation and death-in-service benefits.

Investment risk	The present value of the defined benefit plan liability (denominated in Indian Rupee) is calculated using a discount rate which is determined by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds. Since investment is with insurance company (LIC) , assets are considered to be secured.
Interest risk	A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.
Longevity risk	The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.
Salary risk	The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The principal assumptions used for the purposes of the actuarial valuations were as follows.

Particulars	Valuation as at	
	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Discount rate(s)	7.06%	6.72%
Rate(s) of salary increase	6.00%	6.00%
Rate of Employee Turnover	3.00%	3.00%
Expected Return on Plan Assets	7.06%	6.72%
Mortality rates (During Employment)	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) (urban)	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) (urban)

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

The amount included in the balance sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plans is as follows.

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Present value of funded defined benefit obligation	(1,449.25)	(1,480.64)
Fair value of plan assets	895.28	958.73
Funded status	(553.97)	(521.91)
Restrictions on asset recognised		
Net liability arising from defined benefit obligation	(553.97)	(521.91)

Net Interest Cost for Current Period are as follows.

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Present value of Benefit Obligation at the Period	1,480.64	1,486.46
Fair value of plan assets at the Beginning of the Period	(958.73)	(655.62)
Net Liability/(Assets) at the Beginning	521.91	830.84
Interest Cost	99.50	107.03
(Interest Income)	(64.43)	(47.21)
Net Interest Cost for Current Period	35.07	59.82

Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Current Period are as follows.

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Current Service Cost	29.95	31.37
Net Interest Cost	35.07	59.82
Past Service Cost	158.13	-
Expenses Recognized	223.15	91.19

Expenses Recognized in the Other Comprehensive Income (OCI)for Current Period are as follows.

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Actuarial (Gains)/Losses on Obligation For the Period	(10.35)	38.05
Return on Plan Assets, Excluding Interest Income	(5.12)	(25.69)
Change in Asset Ceiling		
Net (Income)/Expense For the Period Recognized in OCI	(15.47)	12.36

Movements in the present value of the defined benefit obligation are as follows.

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Opening defined benefit obligation	1,480.64	1,486.46
Interest cost	99.50	107.03
Current service cost	29.95	31.37
Past Service Cost	158.13	
Remeasurement (gains)/losses:		
Actuarial gains and losses arising from changes in demographic assumptions		
Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions	(25.36)	32.76
Actuarial gains and losses arising from experience adjustments	15.02	5.29
Benefits paid from the Fund	(308.62)	(182.27)
Closing defined benefit obligation	1,449.26	1,480.64



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Movements in the fair value of the plan assets are as follows.

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Opening fair value of plan assets	958.72	655.62
Interest income	64.43	47.21
Return on plan assets (excluding amounts included in net interest expense)	5.12	25.69
Contributions from the employer	175.61	412.47
Benefits paid from the Fund	(308.62)	(182.27)
Closing fair value of plan assets	895.26	958.72

Balance Sheet Reconciliation

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Opening Net Liability	521.92	830.84
Expenses Recognized in Statement of Profit or Loss	223.15	91.19
Expenses Recognized in OCI	(15.47)	12.36
Net Liability/(Asset) Transfer In	-	-
Net Liability/(Asset) Transfer Out	-	-
Net Effect of Changes in Foreign Exchange Rates	-	-
(Benefit Paid Directly by the Employer)	-	-
Contributions from the employer	(175.61)	(412.47)
Net Liability/(Asset) Recognized in the Balance Sheet	553.99	521.92

Category of Assets

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Insurance Fund	895.26	958.72
Net Liability/(Asset) Recognized in the Balance Sheet	895.26	958.72

Other Details

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
No of Active Members	172	186
Per Month Salary For Active Members	145.89	151.98
Weighted Average Duration of the Projected Benefit Obligation	6.00	6.00
Average Expected Future Service	9.00	9.00
Projected Benefit Obligation (PBO)	1,449.25	1,480.64
Prescribed Contribution for Next Year (12 Months)	145.89	151.98

Net Interest Cost for Next Year are as follows.

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Present value of Benefit Obligation at the End of the Period	1,449.25	1,480.64
Fair value of plan assets at the End of the Period	(895.28)	(958.73)
Net Liability/(Assets) at the End of the Period	553.97	521.91
Interest Cost	102.32	99.50
(Interest Income)	(63.21)	(64.43)
Net Interest Cost for Next Period	39.11	35.07

Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Next Period are as follows.

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Current Service Cost	44.15	29.95
Net Interest Cost	39.11	35.07
Expenses Recognized	83.26	65.02

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Maturity Analysis of Projected Benefit Obligation: From the Fund.

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Projected Benefits Payable in Future Years From the Date of Reporting		
1st Following Year	239.76	335.34
2nd Following Year	169.66	114.80
3rd Following Year	177.38	230.19
4th Following Year	154.22	147.01
5th Following Year	202.79	127.46
Sum of Years 6 To 10	571.43	565.77
Sum of Years 11 and above	775.51	711.06

Sensitivity Analysis

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Projected Benefits Obligation on Current Assumptions	1,479.36	1,480.64
Delta Effect of +1% Change in Rate of Discounting	(62.28)	(66.30)
Delta Effect of -1% Change in Rate of Discounting	75.05	74.39
Delta Effect of +1% Change in Rate of Salary Increase	39.31	38.67
Delta Effect of -1% Change in Rate of Salary Increase	(39.59)	(38.82)
Delta Effect of +1% Change in Rate of Employee Turnover	14.66	12.67
Delta Effect of -1% Change in Rate of Employee Turnover	(16.12)	(14.05)

32. Financial instruments

32.1 Capital management

"Equity share capital and other equity are considered for the purpose of Company's capital management. The Company manages its capital so as to safeguard its ability to continue as a going concern and to optimise returns to shareholders. The capital structure of the Company is based on management's judgement of its strategic and day-to-day needs with a focus on total equity so as to maintain investor, creditors and market confidence. The management and the Board of Directors monitors the return on capital as well as the level of dividends to shareholders. The Company may take appropriate steps in order to maintain, or if necessary adjust, its capital structure."

32.2 Categories of financial instruments and Fair Values

A.) The carrying amounts and fair values of financial instruments by class are as follows:

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Carrying amount	Fair value	Carrying amount	Fair value
Financial assets				
Financial assets at amortised cost:	29,988.28	29,988.28	22,249.96	22,249.96
Non Current				
Trade receivables	265.10	265.10	116.17	116.17
Other Financial Assets	117.43	117.43	56.53	56.53
Current				
Trade receivables	29,036.13	29,036.13	17,048.04	17,048.04
Cash and cash equivalents	454.99	454.99	4,846.89	4,846.89
Other financial assets	114.63	114.63	182.33	182.33
Financial liabilities				
Financial liabilities held at amortised cost:	27,581.36	27,581.36	19,018.98	19,018.98
Non Current				
Trade Payables	14.46	14.46	16.60	16.60
Borrowings				
Current				
Trade Payables	27,222.65	27,222.65	18,548.75	18,548.75
Others financial liabilities	344.25	344.25	453.63	453.63



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

The Company has disclosed financial instruments such as cash and cash equivalents, current trade receivables, current trade payables and other current financial assets/liabilities at carrying value because their carrying amounts are a reasonable approximation of the fair values due to their short term nature.

B.) Fair Value Hierarchy

Except for cash and cash equivalents, current trade receivables, current trade payables and other current financial assets/liabilities disclosed at carrying value, all other financial assets/liabilities are fair valued using level 3 hierarchy.

The fair values of the financial assets and financial liabilities included in the level 3 categories above have been determined in accordance with generally accepted pricing models based on a discounted cash flow analysis.

32.3 Financial risk management objectives

The Company's business activities are exposed to a variety of financial risks, namely liquidity risk, market risks and credit risk. The Company's senior management has the overall responsibility for establishing and governing the Company's risk management framework. Risk Management framework is constantly updated for new and emerging risks emanating from business expansion and interests. Risk Management framework of the company encompasses practices relating to identification, assessment, monitoring and mitigation of various risks to key business objective. Risk management practices of the company seek to sustain and enhance the long-term competitive advantage of the company. Core values and ethics of the company provide the platform for its risk management practices. This system provides a holistic view of the business, wherein risks are identified in a structured manner.

"Risk Management aims to ensure timely and prudent decisions to:

- Maximise positive impacts of opportunities.
- Minimise negative impacts of risks.
- Convert risks into opportunities.

A.) Market risk management

The company's activities expose it primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates (see note A(i) below) and interest rates (see note A(ii) below).

There has been no change to the company's exposure to market risks or the manner in which these risks are managed and measured.

A.) (i) Foreign currency risk management

The Company is subject to the risk that changes in foreign currency values impact the Company's exports revenue and imports of raw material and property, plant and equipment.

The Company is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures like US Dollar and EURO.

As at 31st March, 2026, the foreign currency exposure to the Company on holding financial liabilities (trade payables) amounted to Rs.21 Lakhs (March 31, 2025: Rs. 18 Lakhs) and financial assets (trade receivables) amounted to NIL (March 31, 2025: 258 Lakhs).

A.) (i) (a) Foreign currency sensitivity analysis

A 5% strengthening of the INR against key currencies to which the Company is exposed would have led to approximately an additional Rs 11.56 Lakhs gain in the Statement of Profit and Loss (2024-25: Rs. 16.35 Lakhs gain). A 5% weakening of the INR against these currencies would have led to an equal but opposite effect.

A.) (ii) Interest rate risk management

There is no outstanding Credit balance of Cash Credit/Overdraft. Thus the Company has no exposure to changes in interest rates.

B.) Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counter party will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the company. The company has adopted a policy of only dealing with creditworthy counter parties. The company mostly transacts with government entities reducing the risk of default on contractual obligations. The company's exposure is continuously monitored.

The credit limits are fixed in respect of individual customers that are approved by Head of Marketing Department. These limits are checked before orders are accepted from the customers. Also there is a system of periodic review of credit limits.

The Company's maximum exposure to credit risk as at 31st March, 2026 & 31st March, 2025 is the carrying value of each class of financial assets.

The company is making provisions on trade receivables based on Simplified Approach of Expected Credit Loss (ECL) model. The Company had followed the practice of creating the provision for doubtful debts @ 10% for outstanding of more than 3 years and upto 4 years, @20% for outstanding of more than 4 years and upto 5 years and @ 30% for outstanding of more than 5 years thereby totaling to Rs. 379.96 Lakhs. The above principle is based on the assumptions of prudence; consistency in recovery of debtors as per past trends where recovery has been delayed but debts has always remained good.

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	2025-26	2024-25
Opening Balance	2,849.37	2,529.74
Changes in loss allowance:		
Additional Provision	379.96	319.63
Closing Balance	3,229.33	2,849.37

C.) Liquidity risk management

Liquidity risk is the risk that the Company will face in meeting its obligations associated with its financial liabilities. The Company's approach in managing liquidity is to ensure that it will have sufficient funds to meet its liabilities when due without incurring unacceptable losses. In doing this, management considers both normal and stressed conditions. Management regularly monitors the position of cash and cash equivalents vis-à-vis projections. Assessment of maturity profiles of financial assets and financial liabilities including debt financing plans and maintenance of Balance Sheet liquidity ratios are considered while reviewing the liquidity position.

Cash flow from operating activities provides the funds to service the financial liabilities on a day-to-day basis. The Company manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and by having access to funding through fund based limit in Bank Accounts.

The following table shows the maturity analysis of the Company's financial liabilities based on estimated flows along with its carrying value as at the Balance Sheet date.

Particulars	Carrying Amount	Payable within 1 year	1-2 years	More than 2 years	Total
As at March 31, 2026					
Trade Payables*	27,237.11	14,513.71	1,845.86	10,877.54	27,237.11
Other financial Liabilities	344.25	344.25	-	-	344.25
Total	27,581.36	14,857.96	1,845.86	10,877.54	27,581.36
As at March 31, 2025					
Trade Payables*	18,565.35	7,323.20	921.47	10,320.68	18,565.35
Other financial Liabilities	453.63	453.63	-	-	453.63
Total	19,018.98	7,776.83	921.47	10,320.68	19,018.98

* Trade Payable includes Rs. 15427.72 Lakhs as at March 31, 2026 (Rs. 10661.54 Lakhs as at March 31, 2025) which is payable to the contractor only when the payment is received from customer.

33. Related Party Disclosures

(a) Name of the Related Parties and Description of Relationship:

As at March 31, 2026

Nature of Relationship	Name of Entity	Abbreviation used
Control	Government of India	GOI
Significant Influence	RIICO	RIICO
Key Management Personnel	Shri Brijesh Dixit w.e.f. 30.04.2025	MD
	Shri Sanjay Banga w.e.f. 28.04.2025 to 29.04.2025	MD
	Shri P.N Sharma upto 27.04.2025	MD
	Shri Subhash Agrawal	CFO
	Shri Amit Kumar Jain	CS

As at March 31, 2025

Nature of Relationship	Name of Entity	Abbreviation used
Control	Government of India	GOI
Significant Influence	RIICO	RIICO
Key Management Personnel	Shri P.N Sharma	MD
	Shri Subhash Agrawal	CFO
	Shri Amit Kumar Jain	CS



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Related Party Disclosures (contd.)

33 (b) Transactions/ balances with above mentioned related parties (mentioned in note 33(a) above)

As at Mar 31,2026

Particulars	GOI	RIICO	MD	CFO	CS	Total
Balance			-	-	-	
Trade Receivable	1,284.85	531.38	-	-	-	1,816.23
Security Deposit	-	0.40	-	-	-	0.40
Trade Payable	-	-	-	-	-	-
Advances Received	-	-	-	-	-	-
Transactions	-	-	-	-	-	-
Sale of Services under Drone Project	-	202.36	-	-	-	202.36
Payment of Loan Installment	-	-	-	-	-	-
Interest Accrued and Due	-	-	-	-	-	-
Remuneration	-	-	-	-	-	-
a) Short Term Employee Benefits	-	-	64.03	55.35	18.59	137.97
b) Post Employment benefits	-	-	59.00	46.76	17.54	123.30
c) Other Long Term Benefits	-	-	-	-	-	-
d) Termination Benefits	-	-	5.03	8.59	1.05	14.67
e) Share Based Payments	-	-	-	-	-	-
Sale of Assets	-	-	-	-	-	-

As at Mar 31,2025

Particulars	GOI	RIICO	MD	CFO	CS	Total
Balance			-	-	-	
Trade Receivable	1,284.85	984.30	-	-	-	2,269.15
Security Deposit	-	0.40	-	-	-	0.40
Trade Payable	-	-	-	-	-	-
Transactions	-	-	-	-	-	-
Sale of Services under Drone Project	-	576.85	-	-	-	576.85
Remuneration	-	-	74.43	47.59	18.27	140.29
a) Short Term Employee Benefits	-	-	70.58	44.21	15.90	130.69
b) Post Employment benefits	-	-	-	-	-	-
c) Other Long Term Benefits	-	-	3.85	3.37	2.38	9.60
d) Termination Benefits	-	-	-	-	-	-
e) Share Based Payments	-	-	-	-	-	-
Sale of Assets	-	-	1.85	-	-	1.85

34. Segment Reporting

In Compliance of Ind AS 108 on "Segment Reporting", the required information is as under:

Business Segments: - The Company has adopted following business segments as its reportable segment.

1. Renewable Energy

2. Electronics

3. New Projects

4. Information Technology

Geographical Segment has been considered for secondary Segments Reporting by treating sales revenue in India and foreign countries as separate geographical segments.

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(I) Primary - Business Segments:*

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Year ended March 31, 2026

Particulars	Renewable Energy	Electronics	New Projects	Information Technology	Total
Revenue					
External	8,909.58	4,436.15	4,752.54	9,717.17	27,815.44
Inter-Segment					
Segment Revenue	8,909.58	4,436.15	4,752.54	9,717.17	27,815.44
Total Revenue					
Segment results	462.36	(511.65)	(244.03)	263.98	(29.34)
Interest income (+)					131.97
Interest expenditure (-)					39.99
Tax Expense (-)					(437.72)
Net Profit / (Loss)					(375.08)

Year ended March 31, 2025

Particulars	Renewable Energy	Electronics	New Projects	Information Technology	Total
Revenue					
External	8895.29	5322.98	308.95	1221.56	15,748.78
Inter-Segment					
Segment Revenue	8895.29	5322.98	308.95	1221.56	15,748.78
Total Revenue					
Segment results	190.08	(894.50)	(525.74)	55.75	(1,285.91)
Interest income (+)					92.27
Interest expenditure (-)					30.35
Tax Expense (-)					328.56
Net Profit / (Loss)					(895.43)

* Segment has been reclassified as per the current year sales pattern. Direct Expenses including salaries have been charged and indirect overheads apportioned as per proportionate turnover of respective segment.

Year ended March 31, 2026

Particulars	Renewable Energy	Electronics	New Projects	Information Technology	Total
Segment assets	14,516.04	4,073.41	9,008.77	5,483.48	33,081.70
Unallocated Assets					4,206.73
Total assets					37,288.43
Segment liabilities	13,693.75	3,083.44	6,949.85	5,360.69	29,087.73
Unallocated Liabilities					8,200.70
Total liabilities					37,288.43

Year ended March 31, 2025

Particulars	Renewable Energy	Electronics	New Projects	Information Technology	Total
Segment assets	11,987.77	5,004.96	3,034.35	1,266.40	21,293.48
Unallocated Assets					8,582.45
Total assets					29,875.93
Segment liabilities	11,653.60	9,060.17	1,416.12	557.57	22,687.46
Unallocated Liabilities					7,188.47
Total liabilities					29,875.93



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

Year ended March 31, 2026

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

Particulars	Renewable Energy	Electronics	New Projects	Information Technology	Total
Capital Expenditure for the year	-	19.12	-	-	19.12
Depreciation for the year	139.74	52.50	-	-	192.24

Year ended March 31, 2025

Particulars	Renewable Energy	Electronics	New Projects	Information Technology	Total
Capital Expenditure for the year	-	7.43	-	-	7.43
Depreciation for the year	140.59	53.96	-	-	194.55
Non cash expenditure other than depreciation for the year					

(II) Secondary - Geographical Segments:

Particulars	India		Outside India	
	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
Revenue	27,692.42	14,111.20	123.02	1,637.58
Carrying Amount of Segment Assets	33,081.70	21,293.48	-	-
Capital Expenditure/ Additions to Fixed Assets	19.12	7.43	-	-

35. Other notes annexed to and forming parts of the accounts for the year ended March 31, 2026

A. CIF value of imports

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Raw material & Components	482.22	332.27
Total	482.22	332.27

B. Expenditure in foreign currency

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Royalty	401.20	112.18
Travelling Expenses	-	-
Total	401.20	112.18

C. Earning in foreign exchange on FOB value

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Export Sales	123.02	1,637.58
Total	123.02	1,637.58

D.(i) Corporate Social Responsibility (2025-26)

- Gross amount required to be spent by the Company during the year- Rs Nil
- Amount spent during the year;

Nature of Work	In cash	Yet to be paid in cash	Total
Construction/Acquisition of any asset	-	-	-
On purpose other than above	-	-	-

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

D. (ii) Corporate Social Responsibility (2024-25)

- Gross amount required to be spent by the Company during the year- Rs. Nil
- Amount spent during the year;

Nature of Work	In cash	Yet to be paid in cash	Total
Construction/Acquisition of any asset	-	-	-
On purpose other than above	-	-	-

E. Expenditure on Research and Development

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
Revenue	240.97	228.46
Capital	7.57	-
Total	248.54	228.46

F. Disclosures under Section 22 of the MICRO, SMALL & MEDIUM Enterprises Development Act, 2006.

Particulars	Year ended Mar 31, 2026	Year ended Mar 31, 2025
i) The Principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year.	2,713.88	2,193.76
ii) The interest due thereon remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year.	2.92	3.92
iii) The amount of interest paid in terms of section 16, alongwith the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year.	-	-
iv) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	-	-
v) The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	-	-
vi) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Act.	-	-
Total	2,716.80	2,197.68

* Mainly comprising of outstanding which is not payable due to contractual terms and conditions.

Dues to micro and small enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of intimation received from the "Suppliers" regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

G. Provision(s)/Adjustment(s) has not been made in the accounts for:

- (a) Additional liabilities, if any, in respect of pending Indirect taxes and Income-tax assessment, being unascertained and liabilities which may arise in future due to mismatching of input tax credit.
- (b) Claims pending for settlement in court of law, being unascertained.

H. Expenditure on Technical Literature, Software, Electronic Media Stores, Maintenance, Printing & Stationery and Consumable stores are charged to profit & loss account treating them as consumed in the year of purchases.

I. Sales does not include sales of spares for which service job reports from field has been received after closing of the financial year.

J. Previous years comparative figures have been regrouped wherever necessary.



Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

36. Additional Regulatory Information in terms of MCA notification dated 24/03/2021:

- 36.1 Title deeds of immovable property not held in name of company-Under Property, Plant and Equipment**
There is no such case where the company does not hold immovable property in its own name, hence no disclosure required.
- 36.2 Disclosure regarding fair value of Investment Property**
The company does not hold any investment property in its books, hence no disclosure required.
- 36.3 Disclosure in case of Revaluation of property, plant and equipment**
During the year the company has not revalued any of its property, plant and equipment, hence no disclosure is required.
- 36.4 Disclosure in relation to Revaluation of Intangible Assets**
During the year the company has not revalued any of its intangible assets, hence no disclosure is required.
- 36.5 Disclosure in relation to Loans and advances to promoters, directors, key managerial persons (KMP) & related parties**
The company has not granted any loans or advances to promoters, directors, KMP's and the related parties that are repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment
- 36.6 Disclosure in relation to Capital Work in Progress**
There is no capital work in progress as on balance sheet date.
- 36.7 Disclosure in relation to Intangible asset under development**
The company does not have any intangible assets under development.
- 36.8 Disclosure in relation to Benami property held**
No proceeding has been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.
- 36.9 Disclosure in relation to borrowings from banks on the basis of security of current assets:**
Company is availing fund / non-fund based limits from Punjab National Bank, secured by way of Hypothecation of Raw Material, Stock in process, finished goods and book debts.

Quarter	Securities Provided	Amount as per books	Amount as reported in Quarterly Statement	Amount of Difference (Excess stated in Qtrly St.)	Reasons for Variation
I	Inventories & Book Debts				Negligible variance, hence no comments
(30th June)	- Inventories	1902.86	1903.00	-0.14	
	- Book Debts	16274.21	16274.00	0.21	
II	Inventories & Book Debts				
(30th Sept.)	- Inventories	1371.00	1371.00	0.00	
	- Book Debts	17769.00	17768.90	0.10	
III	Inventories & Book Debts				Adjustments due to year end finalisation & Audit
(31st Dec.)	- Inventories	1279.77	1279.77	0.00	
	- Book Debts	24962.91	24962.91	0.00	
IV	Inventories & Book Debts				
(31st Mar.)	- Inventories	1583.06	1215.87	367.19	
	- Book Debts	29036.13	26971.97	2064.16	

- 36.10 Disclosure regarding Wilful Defaulter**
The company has not been categorized as a wilful defaulter by any bank or financial institution during the year.
- 36.11 Relationship with Struck off Companies-General disclosure**
The company has no transaction with companies struck off under section 248 of the Act, or under section 560 of the companies Act, 1956.
- 36.12 Disclosure regarding delay in registration of charges or satisfaction with ROC**
There is no charge or satisfaction yet to be registered with ROC beyond statutory period.
- 36.13 Disclosure regarding Compliance with no. of layers of companies**
This clause is not applicable to the company.

Notes forming part of the Financial Statements for the year ended March 31, 2026 (Contd.)

(All amounts in Rs. Lakhs, unless otherwise stated)

36.14 Disclosure of Ratios:-

S.No.	Particulars	Numerator	Denominator	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025	Variance	Reasons for Variance
(a)	Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	1.04	1.12	0.00%	NA
(b)	Debt-Equity Ratio	Long Term Debt	Shareholder's Fund + Long Term Debt	-	-	-	NA
(c)	Debt Service Coverage Ratio	EBDITA	INT+PRINCIPAL Interest means only term loan interest not WC Interest	-	-	-	NA
(d)	Return on Equity Ratio	Net Earnings after Tax	Shareholder's Equity	-7.09%	-15.82%	55.18%	Incurred loss during the year
(e)	Inventory Turnover Ratio	Cost of Sales	Average Stock	4.41	4.90	-10.00%	NA
(f)	Trade Receivables Turnover Ratio	Credit Sales	Accounts Receivable	0.95	0.92	3.26%	NA
(g)	Trade Payables Turnover Ratio	Credit Purchases	Accounts Payable	0.26	0.47	-44.68%	Payable as per Contractual terms
(h)	Net Capital Turnover Ratio	Revenue from Operations	Working Capital	20.96	15.53	34.96%	Increase in turnover
(i)	Net Profit Ratio	Net Profit after Tax	Revenue from Operation	-1.35%	-5.69%	76.27%	Incurred loss after tax during the year
(j)	Return on Capital employed	Earnings before Interest, Tax & Prior Period Item	Capital Employed	2.57%	-21.10%	112.18%	Earned profit before tax
(k)	Return on Investment	Net Profit after Interest, Taxes & Preference Dividends	Equity Share Capital plus Reserves	-7.09%	-15.83%	55.21%	Incurred loss after tax during the year

36.15 Disclosure regarding compliance with approved scheme of arrangements

There is no scheme of arrangement approved in terms of section 230 to 237 of Companies Act, 2013.

36.16 Disclosure regarding Utilisation of borrowed funds and share premium.

The company has neither advanced any fund to intermediaries nor has received any fund with the understanding that intermediary or company shall directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company/funding agency or provide any guarantee thereof.

See accompanying notes to the Financial Statements (1-36)

As per our separate report of even date

For G.K. Mittal & Associates

Chartered Accountants

FRN 005842C

Sd/-

(Jogendra Singh Shekhawat)

Partner

M.NO. 079348

Place: Jaipur

Date: 14.07.2026

UDIN: 26079348XGLEQU6662

Sd/-
(Nidhi Mehta)
Director
DIN: 11398351

Sd/-
(Amit Kumar Jain)
Company Secretary

Sd/-
(Brijesh Dixit)
Managing Director
DIN: 11086971

Sd/-
(Subhash Agrawal)
Chief Financial Officer



राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड

जयपुर

44 वाँ

वार्षिक प्रतिवेदन

2025-2026

अनुक्रमणिका

2	निदेशक मण्डल
3	अध्यक्ष का वक्तव्य
5	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट
29	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी
30	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
46	तुलन पत्र
47	लाभ और हानि विवरण
48	अनुसूची

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष एवं निदेशक	:	श्री सुरेश कुमार ओला
प्रबन्ध निदेशक	:	श्री बृजेश दीक्षित
निदेशक	:	श्री प्रेमचन्द्र मोर्य श्रीमती निधि मेहता श्री दिनेश कुमार पहाड़िया
लेखा परीक्षक	:	मैसर्स जी. के. मित्तल एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार जयपुर (राजस्थान)
बैंकर	:	पंजाब नैशनल बैंक लार्ज कॉर्पोरेट शाखा, एम.आई. रोड जयपुर
पंजीकृत कार्यालय	:	2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, सिरसी रोड जयपुर-302034

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय अंशधारकों,

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 की 44वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है।

भारत निरंतर विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति बनाए हुए है। सुदृढ़ घरेलू मांग, निरंतर बुनियादी ढाँचा निवेश, विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी के तीव्र अंगीकरण ने देश की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान की है। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत (मेक इन इंडिया), डिजिटल इंडिया, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत ग्रामीण विकास एवं डिजिटल शासन पर निरंतर दिए जा रहे बल से प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों के लिए नए एवं व्यापक अवसर सृजित हो रहे हैं। ऐसे गतिशील परिवेश में आरईआईएल अपनी तकनीकी क्षमताओं और स्थापित उपस्थिति का लाभ उठाते हुए राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 आरईआईएल के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि, सुदृढ़ीकरण एवं नए अवसरों का वर्ष रहा। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने ₹ 278.15 करोड़ का परिचालन से राजस्व अर्जित किया, जो कंपनी की स्थापना के बाद अब तक का सर्वाधिक टर्नओवर है। कंपनी ने ₹ 62.64 लाख का कर-पूर्व लाभ (Profit Before Tax) भी अर्जित किया। ये उपलब्धियाँ निदेशक मंडल, प्रबंधन एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों तथा हमारे ग्राहकों और व्यावसायिक भागीदारों द्वारा आरईआईएल में व्यक्त निरंतर विश्वास को दर्शाती हैं।

वर्ष की प्रमुख उपलब्धियाँ

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अपने स्थापित व्यावसायिक क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ नए एवं उभरते क्षेत्रों में भी विस्तार किया।

आरईआईएल ने देशभर में डेयरी सहकारी समितियों एवं दुग्ध संघों के लिए एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। कंपनी द्वारा 6,000 से अधिक दुग्ध परीक्षण एवं स्वचालन समाधान उपलब्ध कराए गए, जिनमें ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स, मिल्क एनालाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एडल्टरेशन टेस्टर्स, BMC डेटा लॉगर्स तथा अन्य डेयरी ऑटोमेशन उत्पाद शामिल हैं। 60 दिनों की अल्प अवधि में मिल्क

कलेक्शन सिस्टम (MCS Duo) का सफल विकास एवं आपूर्ति एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही। यह आरईआईएल की तकनीकी क्षमता, विनिर्माण क्षमता तथा त्वरित एवं प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला का परिचायक है।

कंपनी ने CSIR-CEERI, पिलानी के साथ स्वदेशी मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट (MBRT) मशीन के विकास हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता भी किया है। इससे आने वाले वर्षों में आरईआईएल के डेयरी उत्पाद पोर्टफोलियो को और सुदृढ़ करने तथा नए व्यावसायिक अवसर सृजित करने की संभावना है।

नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय कंपनी के महत्वपूर्ण विकास चालकों में से एक बना रहा। वर्ष के दौरान आरईआईएल ने देशभर में कई प्रतिष्ठित परियोजनाएँ प्राप्त कीं और उनका क्रियान्वयन किया। कंपनी को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) से गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट में 1,560 kW ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर PV पावर प्लांट की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी से 5 MWp ग्रिड-कनेक्टेड सोलर PV पावर प्लांट्स हेतु ₹ 26 करोड़ तथा सोलर PV LED स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम हेतु ₹ 1.55 करोड़ के महत्वपूर्ण कायदेश प्राप्त हुए।

आरईआईएल ने राजस्थान के अंतर्गत मॉडल सोलर विलेज योजना के तहत 21 गांवों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर प्रस्तुत की। भारत सरकार की FAME-II योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग परियोजना में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। ये पहलें स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप हैं। कंपनी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS), फ्लोटिंग सोलर आदि नए क्षेत्रों में भी आधारभूत कार्य प्रारंभ किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल समाधान क्षेत्र में कंपनी ने राजस्थान में परीक्षाओं के प्रबंधन में अपनी उपस्थिति को और विस्तारित किया। कंपनी द्वारा सुरक्षा एवं संबद्ध सेवाएँ प्रदान करते हुए राजस्थान में सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित 40% से अधिक परीक्षाओं में सेवाएँ प्रदान की गईं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विभिन्न अस्पतालों में डिजिटल हेल्थकेयर समाधान, कतार प्रबंधन प्रणाली एवं प्रिंटिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। कंपनी ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को उसकी विभिन्न शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराने एवं उनके रखरखाव में भी निरंतर सहयोग प्रदान किया। ये कार्य सार्वजनिक

संस्थानों द्वारा कंपनी की तकनीकी क्षमताओं एवं सेवा प्रदायन क्षमता में व्यक्त विश्वास के प्रमाण हैं।

आपकी कंपनी ने उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी अपनी यात्रा जारी रखी। वर्ष के दौरान आरईआईएल को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से छोटे मानवरहित हवाई वाहनों के पायलटों के प्रशिक्षण हेतु रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (RPTO) के रूप में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई। कंपनी ने ड्रोन आधारित GIS एवं सर्वेक्षण परियोजनाएँ भी संचालित कीं, जिससे प्रौद्योगिकी आधारित परामर्श एवं कौशल विकास के क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खुले हैं।

नवाचार आरईआईएल की दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। कंपनी के अनुसंधान एवं विकास प्रयास स्वदेशी उत्पादों के विकास, मौजूदा प्रौद्योगिकियों में सुधार, लागत में कमी तथा उभरती ग्राहक आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करने पर केंद्रित हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने MCS Duo का सफल विकास, महत्वपूर्ण उत्पादों एवं उप-असेंबली में QR/Barcode कार्यक्षमता का कार्यान्वयन तथा विभिन्न उत्पादों एवं सॉफ्टवेयर में सुधार सफलतापूर्वक किए। कंपनी ने ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने तथा चैनल पार्टनर्स/बिजनेस एसोसिएट्स के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियाँ आरईआईएल के विकास के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। आगामी वर्षों में आपकी कंपनी डेयरी इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अपने प्रमुख व्यवसायों को और सुदृढ़ करने के साथ-साथ ड्रोन प्रौद्योगिकी, सोलर कंसल्टेंसी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा अन्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों जैसे उभरते क्षेत्रों में विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

आरईआईएल अपने स्थापित ब्रांड, तकनीकी क्षमताओं, देशव्यापी उपस्थिति, ग्राहकों के साथ मजबूत संबंधों तथा अनुभवी कार्यबल का लाभ उठाते हुए नए अवसरों की पहचान करने और विश्वसनीय,

नवोन्मेषी एवं सतत समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। कंपनी का ध्यान परिचालन दक्षता में सुधार, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि तथा विविधीकृत एवं सतत व्यवसाय पोर्टफोलियो के निर्माण पर केंद्रित रहेगा। कंपनी ने अगले 5 वर्षों में ₹ 1,000 करोड़ की कंपनी बनने का महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुझे विश्वास है कि आरईआईएल अपनी मजबूत तकनीकी नींव एवं समर्पित कार्यबल के साथ भारत की विकास यात्रा तथा देश में बढ़ते डिजिटलाइजेशन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं सतत ग्रामीण विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम है।

अंत में, मैं भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियामक प्राधिकरणों, हमारे ग्राहकों, व्यावसायिक सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं, बैंकों तथा अन्य सभी हितधारकों के प्रति आरईआईएल को निरंतर प्रदान किए जा रहे सहयोग एवं विश्वास के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं आरईआईएल के प्रबंधन एवं कर्मचारियों के प्रति भी उनकी प्रतिबद्धता, परिश्रम एवं समर्पण के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करता हूँ। उनके सामूहिक प्रयासों से कंपनी को अपना अब तक का सर्वाधिक टर्नओवर प्राप्त करने तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में सफलता मिली है। सभी हितधारकों के निरंतर सहयोग से हम इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए आरईआईएल को और अधिक मजबूत, विविधीकृत एवं सतत विकास के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

शुभकामनाओं सहित,

स्थान: जयपुर
दिनांक : 08.09.2026

हस्ताक्षरित /-
अध्यक्ष

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

(लाख रु. में)

प्रिय सदस्यों,

निदेशक मंडल को यह प्रसन्नता है कि वह कंपनी के व्यवसाय एवं संचालन से संबंधित 44वीं वार्षिक रिपोर्ट, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 278.15 रुपये करोड़ का राजस्व तथा 62.64 लाख रुपये का कर पूर्व लाभ अर्जित किया। आपके निदेशक मंडल को यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता है कि यह कंपनी की स्थापना के बाद से अब तक का सर्वाधिक कारोबार है।

आपकी कंपनी गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, विश्वसनीय सेवाओं और निरंतर नवाचार के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने वाले प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। रील डेयरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभा रहा है। कंपनी उन्नत दुग्ध परीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन तथा डिजिटल दुग्ध खरीद समाधान उपलब्ध करा रही है, जिनमें ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टमस, मिल्क एनालाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एडेल्टेशन टेस्टर, बीएमसी डेटा लॉगर तथा एकीकृत डेयरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर शामिल हैं। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी ने ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों, सौर जल पंपिंग प्रणालियों, सौर स्टीट लाइटिंग परियोजनाओं, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना तथा निर्यात परियोजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय में भी उल्लेखनीय वृद्धि जारी रही, जिसमें बड़े पैमाने पर परीक्षा प्रबंधन एवं भर्ती सहायता सेवाओं, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा समाधानों, कतार प्रबंधन प्रणालियों, प्रबंधित प्रिंटिंग सेवाओं तथा कोर बैंकिंग समाधान सहायता का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया।

आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय सौर मिशन, सतत ग्रामीण विकास तथा डिजिटल सुशासन जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, रील विश्वसनीय, सुरक्षित और सतत समाधान उपलब्ध कराने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों एवं नवाचार का निरंतर उपयोग कर रहा है।

कंपनी “इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा एवं आईटी समाधानों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त एवं विकसित करने” के अपने विज़न के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही, कंपनी समावेशी विकास को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने के उद्देश्य से उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए व्यावसायिक अवसरों की निरंतर तलाश कर रही है।

वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के प्रमुख आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25
1.	कारोबार एवं अन्य आय	28291	15960
2.	सामग्री लागत	7249	8866
3.	कर्मचारी लागत	3276	3284
4.	अन्य राजस्व व्यय	17438	4809
5.	सकल मार्जिन (PBDIT)	328	(999)
6.	कर पूर्व लाभ/(हानि)(PBT)	63	(1224)
7.	निवल मूल्य	5293	5657

कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति

आपकी कंपनी ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए डेयरी एवं सौर उद्योग में अग्रणी स्थान बनाए हुए है। कंपनी समय पर उत्पादों की आपूर्ति तथा बिक्री पश्चात सहायता सुनिश्चित करके अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही है।

कंपनी की रणनीतिक दृष्टि एवं निरंतर व्यवसाय विकास के प्रयासों के परिणामस्वरूप, कंपनी को देशभर में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर समाधानों की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी को डेयरी क्षेत्र में विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों से ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टमस (AMCU), इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर (EMT), रॉ मिल्क रिसेप्शन डेटा लॉगर (RMRD), मिल्क एनालाइज़र, सोमेटिक सेल काउंटर तथा EMAT एडवांस प्रणालियों की आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त हुए।

कंपनी अपने ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टमस (AMCU) की स्थापना एवं क्रियान्वयन के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के साथ अपनी साझेदारी को निरंतर सुदृढ़ कर रही है। यह प्रणाली दुग्ध की त्वरित खरीद को सक्षम बनाकर, मानवीय हस्तक्षेप एवं त्रुटियों को न्यूनतम करके, सटीक डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करके तथा दुग्ध उत्पादकों को पारदर्शी एवं समयबद्ध भुगतान की सुविधा प्रदान करके परिचालन दक्षता में वृद्धि करती है। ये तकनीकी उन्नयन उत्पादकता में सुधार, परिचालन उत्कृष्टता तथा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने में योगदान देते हैं, जिससे डेयरी खरीद प्रणाली के आधुनिकीकरण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ होती है।

वर्ष के दौरान, कंपनी के अनुसंधान एवं विकास विभाग ने मिल्क कलेक्शन सिस्टम (MCS Duo) विकसित किया और इसे प्रस्तुत किया। यह एक उन्नत समाधान है, जो पारंपरिक दुग्ध संग्रहण उपकरणों

को आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करता है।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा एनपीडीडी कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के 14 डेयरी प्लांट्स के लिए प्रदान किए गए रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत, डेयरी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने सफलतापूर्वक 741 MCS Duo यूनिट्स की आपूर्ति की। इस ऑर्डर का रिकॉर्ड 45 दिनों के भीतर काफी हद तक सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया, जो कंपनी की तकनीकी नवाचार क्षमता, विनिर्माण उत्कृष्टता तथा सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

रील को अलवर मिल्क यूनियन से रेट एग्रीमेंट लेटर तथा बुंदेलखंड से बीएमसी डेटा लॉगर की आपूर्ति के लिए सप्लाय ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत 285 यूनिट्स की आपूर्ति की जा चुकी है। बीएमसी डेटा लॉगर की स्थापना से सटीक डेटा रिकॉर्डिंग, दुग्ध खरीद कार्यों में अधिक पारदर्शिता तथा दुग्ध के खराब होने की घटनाओं में कमी के माध्यम से दुग्ध गुणवत्ता की निगरानी को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने देशभर में विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, राज्य सरकार के संगठनों तथा अन्य संस्थागत ग्राहकों के लिए परियोजनाएं प्राप्त कर उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करते हुए विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को और अधिक सुदृढ़ किया। उल्लेखनीय ग्राहकों में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी), पावर फाइनंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड तथा सेवा-टीएचडीसी शामिल रहे।

इन परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञता, सुदृढ़ परियोजना प्रबंधन क्षमताओं तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन उपलब्धियों ने कंपनी की विश्वसनीयता को और सुदृढ़ किया है तथा सरकारी संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता के रूप में कंपनी की स्थिति को और मजबूत किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से हरियाणा स्थित उसके गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में 1,560 किलोवाट क्षमता के ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र के डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग के लिए एक प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त हुआ। 7.03 करोड़ रुपये मूल्य की यह परियोजना कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

ग्रामीण दुग्ध अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा दुग्ध संयंत्रों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी को भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ

लिमिटेड से भीलवाड़ा मिल्क यूनियन, भीलवाड़ा (राजस्थान) के विभिन्न बल्क मिल्क कूलर्स पर 4.95 किलोवाट क्षमता वाले 193 ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप एसपीवी संयंत्रों की आपूर्ति एवं स्थापना का ऑर्डर प्राप्त हुआ, जिसका कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया। इन संयंत्रों की कुल संयोजी क्षमता 1 मेगावाट है।

रील ने मॉडल सोलर विलेज योजना के अंतर्गत राजस्थान की विद्युत वितरण कंपनियों से कायदेशि प्राप्त करके सोलर विलेज परियोजना परामर्श के नए व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। कंपनी ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए राजस्थान के 21 गांवों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस पहल से सतत एवं ऊर्जा-कुशल ग्रामीण समुदायों के विकास में योगदान मिला है तथा नवीकरणीय ऊर्जा परामर्श के क्षेत्र में रील की उपस्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई है।

जम्मू एवं कश्मीर के चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के अपने प्रमाणित अनुभव के आधार पर, कंपनी ने जम्मू एवं कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी से कई महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त किए हैं। इनमें सरकारी भवनों पर 5 मेगावाट क्षमता वाले ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पीवी विद्युत संयंत्रों के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग के लिए 26 करोड़ रुपये का ऑर्डर, तथा 300 सोलर पीवी एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए 1.55 करोड़ रुपये का ऑर्डर शामिल है।

इन ऑर्डरों से कंपनी की क्षमताओं में ग्राहकों के विश्वास की पुनः पुष्टि होती है तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में कंपनी की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होती है।

राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग से राज्य की 299 नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में 1.30 लाख एलईटी स्ट्रीट लाइट्स (45 वाट एवं 60 वाट) की आपूर्ति हेतु प्राप्त ऑर्डर के विरुद्ध कंपनी ने 1.17 लाख यूनिट्स की आपूर्ति की। यह परियोजना राजस्थान में ऊर्जा कुशल एवं सतत शहरी प्रकाश व्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, साथ ही इससे सार्वजनिक सुरक्षा में वृद्धि तथा ऊर्जा खपत में कमी लाने में भी सहायता मिल रही है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), नई दिल्ली से रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (RPTO) के रूप में कार्य करने तथा लघु मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) के संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि उभरते हुए ड्रोन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कंपनी की उपस्थिति को और अधिक सुदृढ़ करती है तथा प्रमाणित ड्रोन पायलट प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करती है, यह नवाचार एवं क्षमता निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

फेम-II योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन परियोजना में कंपनी ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर (CPO) के

अनुबंध प्रभावी रूप से संचालित हैं तथा इंदौर, भोपाल और बेंगलुरु में परियोजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इंदौर में अपने पहले तीन इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की सफलतापूर्वक स्थापना की। यह उपलब्धि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के कंपनी के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तथा राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से प्राप्त विभिन्न आदेशों के तहत कंपनी ने व्यापक परीक्षा सुरक्षा एवं निगरानी सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। इन सेवाओं में प्रतिरूपण (Impersonation) नियंत्रण हेतु आईरिस, चेहरे एवं फिंगरप्रिंट आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सीसीटीवी निगरानी, अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग तथा वीडियोग्राफी शामिल हैं।

राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (RSCB), रील एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीच वर्ष 2029 तक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) परियोजना के निरंतर सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता निष्पादित किया गया है। लगभग 20.86 करोड़ रुपये मूल्य के इस समझौते में RSCB एवं उसकी 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के लिए ATS, AMC एवं हेल्पडेस्क सेवाएं शामिल हैं। रील वर्ष 2011 से RSCB को निरंतर CBS सहायता प्रदान कर रही है।

आपकी कंपनी प्रौद्योगिकी, नवाचार, गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण, विश्वसनीय बिक्री पश्चात सेवा तथा ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों में अपनी मूल क्षमताओं का लाभ उठाते हुए एक विविधीकृत एवं सतत व्यावसायिक पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने स्थापित व्यावसायिक क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ उभरते हुए क्षेत्रों में विस्तार पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया। परिचालन दक्षता बढ़ाने, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने तथा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। इन प्रयासों से उत्पादकता में सुधार हुआ तथा दीर्घकालिक सतत विकास और मूल्य सृजन सुनिश्चित करने में सहायता मिली।

लाभांश

चूंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी को कर पश्चात हानि हुई है, अतः कंपनी के संसाधनों के संरक्षण, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों तथा विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करने का प्रस्ताव है।

सामान्य संचय से अंतरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की सामान्य संचय से 3.50 करोड़ रुपये की राशि प्रतिधारित आय में अंतरित करने का प्रस्ताव है।

क्रेडिट रेटिंग

कंपनी ने CARE से अपनी क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की है। कंपनी की दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं के लिए CARE द्वारा 'CARE BB+; स्थिर' रेटिंग दी गई है। इसी प्रकार, कंपनी की अल्पकालिक बैंक सुविधाओं के लिए CARE द्वारा 'CARE A4+' रेटिंग प्रदान की गई है।

इन रेटिंग्स को कंपनी के स्थापित परिचालन, दीर्घकालिक एवं प्रमाणित कार्य-निष्पादन अनुभव तथा विविधीकृत उत्पाद पोर्टफोलियो से निरंतर मजबूती मिलती है।

निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

विचाराधीन वर्ष के दौरान, श्री सुरेश कुमार ओला, IAS, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) को 27.04.2026 से कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही, श्री आकाश तोमर, IAS, प्रबंध निदेशक, रीको, 27.04.2026 से कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए।

श्री आकाश तोमर, IAS, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) को 09.04.2026 से कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही, श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, I A S , प्रबंध निदेशक, रीको, 09.04.2026 से कंपनी के अध्यक्ष एवं निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गई।

श्री प्रेम चंद्र मौर्य, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को 16.04.2025 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 16.04.2026 से कंपनी के नामित निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गई।

निदेशक मंडल, श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, अध्यक्ष एवं निदेशक; श्री आकाश तोमर, अध्यक्ष एवं निदेशक; तथा डॉ. रेणुका मिश्रा, निदेशक, द्वारा अपने-अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी को प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं तथा उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता एवं प्रशंसा व्यक्त करता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक श्री बृजेश दीक्षित, प्रबंध निदेशक; श्री सुभाष अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी; तथा श्री अमित कुमार जैन, कंपनी सचिव हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है, जिसमें यह घोषित किया गया है कि वे उक्त अधिनियम की उप-धारा (6) में निर्धारित स्वतंत्रता

के मानदंडों को पूरा करते हैं।

कॉर्पोरेट पुरस्कार/सम्मान एवं प्रतिष्ठा

प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए, संगठन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार जीते;

- एपलॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा “बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2025”।
- कंपनी ने अलवर डेयरी में आयोजित दुग्ध दिवस समारोह में भाग लिया तथा वहां रील के डेयरी उपकरणों का प्रदर्शन किया।
- कंपनी ने Renewable Energy India Expo 2025 में भाग लिया, जो 30 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था।
- कंपनी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में 12 से 14 फरवरी 2026 तक आयोजित 52वें डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस एवं प्रदर्शनी में भाग लिया।
- कंपनी ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) एवं NDDB डेयरी सर्विसेज (NDS) द्वारा आयोजित दो दिवसीय उद्घाटन “एग्री-डेयरी फेयर रंगीलो” के अंतर्गत जॉबनेर, जयपुर में आयोजित डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस एवं प्रदर्शनी में भाग लिया।
- रील ने 29-30 अगस्त 2025 को उदयपुर में आयोजित MSME कॉन्क्लेव 2025 – वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लिया।

गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता

रील अपने उत्पादों, सेवाओं एवं कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कंपनी के सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, नवाचार एवं टीम भावना के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके। रील ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित एवं अनुरक्षित की है। कंपनी ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए अपने नाम से ISO/IEC 27001 प्रमाणन प्राप्त किया है।

उत्पादन

कंपनी ने वर्ष के दौरान 9,683 इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनालाइज़र का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष 10,550 इकाइयों का उत्पादन किया गया था। इसी प्रकार, कंपनी ने 0.8 मेगावाट क्षमता के सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स का उत्पादन किया, जबकि पिछले वर्ष 2.34 मेगावाट क्षमता के मॉड्यूल्स का उत्पादन किया गया था।

सहायक इकाइयों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास

रील अपनी नीति के तहत सहायक उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देती है तथा उनके साथ निरंतर समन्वय एवं संवाद बनाए रखती है। कंपनी उन्हें प्रौद्योगिकी के उन्नयन में सहयोग प्रदान करती है, जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है।

रील अपनी कच्चे माल एवं घटकों की आवश्यकताओं का अधिकांश भाग MSMEs से पूरा करती है। रील समय-समय पर MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रमों में भाग लेकर सहायक उद्योगों के विकास को निरंतर प्रोत्साहित करती है।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3), जिसे धारा 134(3)(a) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष का वार्षिक रिटर्न इस रिपोर्ट में अनुलग्नक-अ के रूप में शामिल किया गया है तथा यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति लागू कर रखी है। कंपनी ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का सारांश निम्नानुसार है।

1. प्राप्त शिकायतों की संख्या: शून्य
2. निस्तारित शिकायतों की संख्या: शून्य

प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3)(m) के तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

अ. सतत विकास एवं ऊर्जा संरक्षण

सतत विकास आपकी कंपनी के व्यावसायिक दर्शन एवं विकास रणनीति का आधार है। एक कंपनी के रूप में जो मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों के विकास एवं कार्यान्वयन में संलग्न है, सतत विकास कंपनी के संचालन एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण में अंतर्निहित रूप से समाहित है। आपकी कंपनी पर्यावरण की दृष्टि से उत्तरदायी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करके तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने संबंधी देश के उद्देश्यों में योगदान देकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी की व्यावसायिक रणनीति पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सुशासन के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने व्यवसाय का विस्तार करते हुए, आपकी कंपनी जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं, संसाधनों के कुशल उपयोग तथा तकनीकी नवाचार के माध्यम से सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने पर निरंतर केंद्रित है। देशभर में सतत ऊर्जा समाधान

उपलब्ध कराकर, कंपनी कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में योगदान दे रही है।

आपकी कंपनी सतत विकास के तीन प्रमुख स्तंभों-लोग, पर्यावरण और समृद्धि-पर आधारित संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। कंपनी स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में सुधार करके सकारात्मक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने, हरित प्रौद्योगिकियों तथा संसाधन-कुशल कार्यप्रणालियों को अपनाकर पर्यावरण की रक्षा करने तथा अपने हितधारकों के लिए सतत आर्थिक मूल्य का सृजन करने का निरंतर प्रयास करती है। इन पहलों के माध्यम से, कंपनी जिम्मेदार एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सुदृढ़ कर रही है तथा राष्ट्रीय और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में योगदान दे रही है।

परियोजनाएं एवं प्रभाव

विनिर्माण इकाइयों में ऊर्जा संरक्षण संबंधी पहलों की नियमित निगरानी की जाती है, ताकि विद्युत एवं ईंधन जैसे ऊर्जा इनपुट के उपयोग में अधिक दक्षता प्राप्त की जा सके। वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख ऊर्जा संरक्षण उपाय निम्नलिखित हैं:

- ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करना।
- हमारे परिसरों में स्थापित कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से विद्युत उत्पादन।
- ऊर्जा के उपयोग को कम करने की संभावनाओं की पहचान करना, ऊर्जा के रिसाव को रोकना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना, ऊर्जा के अपव्ययी उपयोग की पहचान कर उसे रोकना तथा ऊर्जा खपत की नियमित निगरानी करना आदि।
- रील परिसर में कैटीन की छत पर 25 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से लगभग ₹40,000 प्रति माह की बचत होने की उम्मीद है, जिससे लागत दक्षता में सुधार के साथ-साथ सतत ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना को आर.ई. उत्पादन एवं पीपीसी विभागों के बीच उनके संबंधित विभागाध्यक्षों के मार्गदर्शन में किए गए निर्बाध समन्वय के साथ रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

ब. प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास (R&D) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई कंपनी नया ज्ञान सृजित करने का प्रयास करती है, जिसका उपयोग वह नई प्रौद्योगिकी, उत्पाद, सेवाओं अथवा प्रणालियों के विकास के लिए कर सकती है, जिन्हें वह स्वयं उपयोग में ला सकती है या बाजार में उपलब्ध करा सकती है। R&D गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य नए एवं उन्नत उत्पादों का डिजाइन एवं विकास करना, व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना, लागत में कमी लाना तथा बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बने रहना है।

R & D गतिविधियां बाजार की आवश्यकताओं को तकनीकी विशिष्टताओं में परिवर्तित करने, नए प्रोटोटाइप विकसित करने, प्रोटोटाइप का क्षेत्रीय परीक्षण करने, विनियामक एवं विपणन संबंधी गतिविधियों तथा दस्तावेजीकरण जैसी उत्पाद विकास गतिविधियों को पूरा करने और अंततः उत्पाद को व्यावसायिक उपयोग हेतु लॉन्च करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का अनुसरण करती हैं। R&D गतिविधियों में मौजूदा उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में सुधार करना भी शामिल है। R&D गतिविधियों में कंपनी के लाभ को अधिकतम करने के लिए पेटेंट एवं गैर-प्रकटीकरण समझौतों के माध्यम से स्वामित्वाधिकारों की सुरक्षा भी शामिल है। R&D संगठन के विभिन्न विभागों को उत्पादकता में सुधार करने हेतु आवश्यक तकनीकी एवं अनुसंधान संबंधी सहयोग प्रदान करता है।

कंपनी का अनुसंधान एवं विकास विभाग संगठन के अन्य विभागों से पृथक है तथा नवीनतम उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों से सुसज्जित है और इसमें कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हैं। कंपनी का R&D विभाग विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR), भारत सरकार के साथ पंजीकृत है। कंपनी का R&D मुख्य रूप से कृषि एवं डेयरी तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में कार्य करता है और प्रक्रिया नवाचार के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के लिए समाधान उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान R&D द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

अ) CEERI, पिलानी के साथ MBRT (Methylene Blue Reduction Test Machine) के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:

कंपनी के R&D केंद्र ने CEERI, पिलानी के साथ एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किया है, जिसके अंतर्गत दूध की गुणवत्ता जांच को स्वचालित करने के लिए स्वदेशी मथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट (MBRT) मशीन का विकास किया जाएगा। समझौते के निष्पादन से पूर्व कंपनी की तकनीकी टीम द्वारा प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया था। इस परियोजना से कंपनी के डेयरी उत्पाद पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रोटोटाइप विकास, पायलट उत्पादन तथा व्यावसायीकरण की योजना है। इस परियोजना से कंपनी के डेयरी उत्पाद पोर्टफोलियो को और सुदृढ़ करने की उम्मीद है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रोटोटाइप विकास, पायलट उत्पादन एवं व्यावसायीकरण की योजना है।

ब) MCS-DUO का डिजाइन एवं विकास:

R&D ने मिल्क कलेक्शन सिस्टम (MCS-DUO) का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास एवं निर्माण किया है। यह प्रणाली एक कॉम्पैक्ट एवं एकीकृत समाधान है, जिसमें दूध के विभिन्न मापदंडों के परीक्षण हेतु मिल्क एनालाइजर तथा विश्लेषण से पूर्व दूध के उचित समरूपीकरण (Homogenization) के लिए अल्ट्रासोनिक

स्टिरर को एक ही इकाई में समाहित किया गया है।

सिस्टम आर्किटेक्चर में एंड्रॉइड एप्लिकेशन के साथ निर्बाध डेटा संचार को सक्षम बनाने के लिए तीन आंतरिक ब्लूटूथ सक्षम मॉड्यूल शामिल किए गए हैं:

- **मिल्क एनालाइज़र**
- **थर्मल प्रिंटर**

स) REIL ERP में QR/बारकोड का कार्यान्वयन:

REIL ERP प्रणाली में परिचालन दक्षता, सटीकता एवं ट्रेसिबिलिटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, चल रही प्रणाली उन्नयन पहलों के अंतर्गत R&D द्वारा QR/बारकोड कार्यक्षमता का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। इस कार्यान्वयन का उद्देश्य सामग्री प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, मैनुअल हस्तक्षेप को कम करना तथा प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में त्रुटियों को न्यूनतम करना है।

अन्य उत्पाद उन्नयन निम्नानुसार किए गए हैं:

1. एकीकृत ऑनलाइन मेडिसिन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर 'पशु औषधि' (IOMMS) में कैमल कंजर्वेशन स्कीम मॉड्यूल के अंतर्गत लाभार्थियों के पहचान सत्यापन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) हेतु जन आधार API का एकीकरण।
2. एकीकृत ऑनलाइन मेडिसिन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर 'पशु औषधि' (IOMMS) में मासिक प्रगति रिपोर्ट (MPR) मॉड्यूल का डिजाइन एवं विकास।
3. EMAT प्रोग्रामिंग ज़िग:

इंजीनियरिंग एवं दस्तावेज़ीकरण

उत्पाद संबंधी दस्तावेज़ीकरण विनिर्माण एवं संचालन में एकरूपता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसंधान एवं विकास विभाग दस्तावेज़ अभिलेखागार का प्रबंधन करता है तथा आवश्यकता के आधार पर विभिन्न विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। यह विभाग री-इंजीनियरिंग, वैकल्पिक स्रोतों के विकास के माध्यम से लागत अनुकूलन, कंपनी की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा आदि से संबंधित कार्य भी करता है। अनुसंधान एवं विकास विभाग डेवलपर्स के संदर्भ एवं उपयोग हेतु तकनीकी पुस्तकों, जर्नल्स, मानकों आदि का पुस्तकालय भी बनाए रखता है।

अनुसंधान एवं विकास व्यय

वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

	(लाख रुपये में)
(अ) पूंजीगत व्यय	7.57
(ब) राजस्व व्यय	240.97

(स) कुल **248.54**

(द) कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय 0.89% रहा।

विदेशी मुद्रा से आय और व्यय

वर्ष के दौरान कंपनी ने 123.02 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की। साथ ही, कंपनी द्वारा 883.42 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया।

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट

वर्ष 2025-26 के लिये

कंपनी पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही एवं नैतिक व्यावसायिक आचरण के सिद्धांतों पर आधारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड का मानना है कि सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाएं हितधारकों का विश्वास बढ़ाने, विनियामक अनुपालनों को सुनिश्चित करने तथा सतत दीर्घकालिक विकास प्राप्त करने के लिए आधारभूत हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने लागू वैधानिक आवश्यकताओं तथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप अपने गवर्नेंस ढांचे एवं प्रकटीकरण संबंधी प्रथाओं को निरंतर सुदृढ़ किया।

कंपनी का बोर्ड उच्च स्तर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बनाए रखने के महत्व को स्वीकार करता है, जो हमारे हितधारकों को निरंतर वित्तीय प्रदर्शन एवं मूल्य प्रदान करने की हमारी क्षमता का आधार है। उपरोक्त विचारधारा के अनुरूप, कंपनी उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है तथा सर्वोत्तम गवर्नेंस एवं प्रकटीकरण प्रथाओं को अपनाकर हितधारकों के दीर्घकालिक मूल्य में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

हमारा सुदृढ़ गवर्नेंस ढांचा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

- हितधारकों के प्रति निष्पक्षता एवं समानतापूर्ण व्यवहार, ताकि कंपनी और उसके हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके;
- कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों, जिनमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, कार्य-निष्पादन, स्वामित्व एवं गवर्नेंस शामिल हैं, का समय पर एवं सटीक खुलासा;
- कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण, विकास एवं एकीकरण पर निरंतर एवं सतत ध्यान;
- उच्च स्तर का खुलासा एवं पारदर्शिता;
- बोर्ड के सदस्य पूर्णतः सूचित आधार पर, सद्भावना, उचित सावधानी एवं समुचित परिश्रम के साथ तथा कंपनी और शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। इसके साथ ही, बोर्ड की उपयुक्त संरचना एवं उचित आकार सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाता है;
- कंपनी जिन भी क्षेत्रों में कार्य करती है, उन सभी में पूर्ण कानूनी

एवं विनियामक अनुपालन;

- सभी हितधारकों—शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं एवं समाज—के प्रति दायित्वों की मान्यता तथा आंतरिक नियंत्रण के लिए सुदृढ़ प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं;

कंपनी अनुपालन संबंधी व्यापक नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करती है, जो कानूनों के अनुपालन तथा अपने व्यवसाय का ईमानदार, नैतिक एवं सिद्धांतनिष्ठ तरीके से संचालन करने में हमारी सहायता करती हैं।

आपकी कंपनी का बोर्ड कंपनी के दृष्टिकोण एवं मिशन के अनुरूप लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है—“डेयरी इलेक्ट्रोनिक्स के व्यावसायिक क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की अग्रणीय कंपनी बनना, अक्षय ऊर्जा तथा सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना तथा पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करना” तथा “ग्राहकों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विकास/विपणन एवं वितरण तथा विश्वसनीय बिक्री-पश्चात सेवा के माध्यम से उनकी सेवा करना”।

बोर्ड एवं समितियां:

अ) निदेशक मंडल:

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार की कंपनी है। निदेशक मंडल में कार्यकारी (कार्यात्मक) तथा गैर-कार्यकारी निदेशकों का समुचित समावेश है। 31 मार्च, 2026 को निदेशक मंडल में 5 निदेशक थे, जिनमें एक प्रबंध निदेशक और चार गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल थे, जिनमें एक स्वतंत्र निदेशक भी शामिल था। वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की चार बोर्ड बैठकें क्रमशः 18 जुलाई, 2025, 6 नवंबर, 2025, 12 दिसंबर, 2025 तथा 1 जनवरी, 2026 को आयोजित की गईं।

31.03.2026 को निदेशक मंडल की संरचना, निदेशकों की निदेशक मंडल की बैठकों तथा पिछली वार्षिक आम बैठक (AGM) में उपस्थिति का विवरण, साथ ही अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक पदों, समिति अध्यक्षपदों एवं समिति सदस्यताओं की संख्या निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	उपस्थित बैठकों की संख्या	क्या 19.09.2025 को आयोजित पिछली एजीएम में उपस्थित थे	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में धारित निदेशक पदों की संख्या	अन्य सार्वजनिक समिति पदों की संख्या	
					सदस्य	अध्यक्ष
श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार	अध्यक्ष (अंशकालिक)	2	लागू नहीं	10	—	—
श्री बुजेश दीक्षित	प्रबंध निदेशक (कार्यात्मक निदेशक)	4	उपस्थित	शून्य	—	—

डॉ. पी.एन. शर्मा	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (27.04.2025 तक)	0	लागू नहीं	शून्य	—	—
श्री प्रेम चंद्र मौर्य	निदेशक (अंशकालिक) (16.07.2025 से)	4	उपस्थित	6	—	—
डॉ. रेणुका मिश्रा	निदेशक (अंशकालिक) (16.07.2025 तक)	0	लागू नहीं	5	—	—
श्रीमती अंजू गोयल	निदेशक (अंशकालिक) (03.12.2025 तक)	1	उपस्थित	1	—	—
श्रीमती निधि मेहता	निदेशक (अंशकालिक) (03.12.2025 से)	2	लागू नहीं	3	—	—
श्री दिनेश कुमार पहाड़िया	स्वतंत्र निदेशक	4	उपस्थित	1	—	—

ब) बोर्ड प्रक्रिया:

सुशासन की एक अच्छी प्रथा के रूप में तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार, बोर्ड लागू कानूनों के तहत निर्धारित बैठकों की न्यूनतम संख्या एवं लगातार दो बैठकों के बीच अनुमत अधिकतम समय अंतराल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष में आयोजित की जाने वाली बोर्ड बैठकों की अनुमानित समय-सारणी का पूर्व अनुमोदन करता है। बोर्ड का एजेंडा निदेशकों को बैठक से पूर्व वितरित किया जाता है। बोर्ड के एजेंडा में पूर्व में आयोजित बोर्ड बैठकों से उत्पन्न कार्यों तथा उनकी स्थिति संबंधी अद्यतनों को शामिल करते हुए कार्रवाई की गई रिपोर्ट भी सम्मिलित होती है। बोर्ड नियमित अंतराल पर बैठक करता है, जिसमें व्यावसायिक रणनीतियों/नीतियों पर चर्चा एवं निर्णय लिया जाता है तथा कंपनी के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाती है। निदेशकों की बैठकों में सुविधाजनक रूप से भाग लेने हेतु अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

स) बोर्ड की जिम्मेदारियां:

बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कंपनी के प्रबंधन को नेतृत्व, रणनीतिक मार्गदर्शन, वस्तुनिष्ठ एवं स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन नैतिकता, पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण के सिद्धांतों का पालन करे, जिससे अंततः सभी हितधारकों के दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति के साथ-साथ कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा सतत लाभदायक विकास सुनिश्चित हो सके।

द) लेखा परीक्षा समिति:

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को कंपनी के आंतरिक

नियंत्रणों एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी संरचना, गणपूर्ति, शक्तियां, भूमिका एवं कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकें क्रमशः 17 जुलाई, 2025 तथा 6 नवंबर, 2025 को आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

निदेशक का नाम	श्रेणी	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री दिनेश कुमार पहाड़िया	अध्यक्ष	2
श्री बृजेश दीक्षित	प्रबन्ध निदेशक	2
श्रीमती अंजू गोयल	निदेशक (अंशकालिक)	2

बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड स्तरीय लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र एवं संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा उसकी वित्तीय जानकारी के खुलासे की निगरानी करना, ताकि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हों;
2. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं नियुक्ति की शर्तों के संबंध में सिफारिश करना;
3. बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में:
 - i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (c) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण में सम्मिलित किए जाने वाले विषय;
 - ii. लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में हुए परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा उनके कारण;
 - iii. लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
4. बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों एवं उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना;
5. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं कार्य-निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी करना;
6. आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना तथा उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा

करना;

7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना;
8. प्रबंधन के साथ वैधानिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य-निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

य) निदेशकों की अन्य समितियां:

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति, एसडी समिति, अनुसंधान एवं विकास समिति, नैतिकता समिति तथा संचालन समिति का गठन किया गया है, जिनमें स्वतंत्र निदेशक/निदेशकों का प्रतिनिधित्व है। इन समितियों की बैठकें आवश्यकतानुसार समय-समय पर विधिवत आयोजित की गई हैं। कंपनी के पास व्हिसलब्लोअर नीति है, जिसके अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

प्रबंधन विश्लेषण एवं चर्चा

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण संबंधी विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

मानव संसाधन प्रबंधन:

कंपनी की मानव संसाधन नीतियों एवं प्रक्रियाओं में बदलते परिवेश के अनुरूप प्रासंगिकता बनाए रखने, संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि करने तथा समय-समय पर विकसित होने वाले नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों से महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं निरंतर विकास किया गया है। इन प्रयासों की मान्यता के रूप में, कंपनी को वर्ष 2025 के लिए एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान द्वारा “उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र” से सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 158 है।

प्रशिक्षण एवं विकास

प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम कंपनी का एक अभिन्न अंग हैं, जिनमें कर्मचारियों के निरंतर सीखने एवं कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। कंपनी अपने कर्मचारियों को तकनीकी एवं व्यवहारगत कौशल अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा इस दिशा में निवेश करती है, ताकि गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि हो और उनके संबंधित कार्यक्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके, साथ ही वे बदलती प्रौद्योगिकियों एवं कौशल के अनुरूप स्वयं को अद्यतन रख सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी द्वारा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं कामगारों के लिए कुल 211 मानव-दिवस का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने कर्मचारियों के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें प्रशासनिक सतर्कता – IO/PO की भूमिका, GeM पोर्टल पर जागरूकता कार्यक्रम, राजभाषा हिंदी, स्वस्थ महिला-सशक्त परिवार एवं कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, CTE निरीक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, iGoT कर्मयोगी पोर्टल के

माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, तथा राजस्थान सरकार के फैक्ट्री एवं बॉयलर्स विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे। इनमें उद्योग में अग्नि सुरक्षा, उद्योग में व्यवहार-आधारित सुरक्षा का महत्व, ऊँचाई एवं निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा, उद्योग में 5S एवं हाउसकीपिंग की भूमिका, तथा उद्योग में विद्युत सुरक्षा आदि विषय शामिल थे। इसके अतिरिक्त, नए श्रम कानून, GST, आयकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा लेखा एवं लेखा परीक्षा आदि विषयों पर भी प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार

कंपनी राजभाषा नीति के प्रभावी प्रचार-प्रसार एवं सफल क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रगति की नियमित निगरानी एवं समीक्षा की जाती है। राजभाषा में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने हिंदी टंकण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया है। हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों सहित, पखवाड़े भर चलने वाले "हिंदी पखवाड़ा" के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों एवं प्रोत्साहनों की भी घोषणा की गई।

राजभाषा में दक्षता बढ़ाने के लिए, कंपनी ने हिंदी टाइपिंग पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। पखवाड़े भर चलने वाले "हिंदी पखवाड़ा" के दौरान गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के कर्मचारियों सहित हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों और प्रोत्साहनों की भी घोषणा की गई। वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने नराकास (उपक्रम), जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी का मानना है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, इसलिए, कंपनी ने CSR को अपने मूल्यों एवं संगठनात्मक संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार CSR फंड उपलब्ध न होने के कारण कंपनी द्वारा कोई CSR परियोजना नहीं की गई है। कंपनी ने चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया है और खेल गतिविधियों के लिए मैदान विकसित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार और समग्र विकास हुआ है। कंपनी ने चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया है तथा खेलकूद गतिविधियों के लिए मैदान का विकास किया है, जिससे कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य एवं समग्र विकास में सहायता मिली है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है तथा अधिनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है और सभी RTI आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर विधिवत उत्तर दिया गया है।

जमा राशि

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के दायरे में आने वाली जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

अन्य जानकारी

निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी खुलासे या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों से संबंधित कोई लेन-देन नहीं हुआ था:

1. लाभांश, मतदान या अन्यथा के संबंध में विभेदक अधिकारों वाले इक्विटी शेयरों का निर्गमन।
2. किसी भी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयरों (स्वेट इक्विटी शेयरों सहित) का निर्गमन।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

अधिनियम की धारा 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल अपने ज्ञान एवं क्षमता के सर्वोत्तम आधार पर यह पुष्टि करता है कि:

- I. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण विचलनों, यदि कोई हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- II. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान किए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में कंपनी की स्थिति तथा उस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ या हानि का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं;
- III. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;
- IV. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वार्षिक लेखे 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- V. निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे; तथा
- VI. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां विकसित की हैं तथा ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) ने वित्तीय वर्ष

2025-26 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स, जयपुर को नियुक्त किया है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के कंपनी के खातों पर योग्यतायुक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (Qualified Report) प्रदान की है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित मामले पर जोर (Emphasis of Matter) को संज्ञान में लिया गया है। दिनांक 14.07.2026 की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-3 में योग्यतायुक्त राय से संबंधित बिंदु (a) एवं (b) स्व-व्याख्यात्मक हैं तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित योग्यताओं के संबंध में प्रबंधन की प्रतिक्रिया अनुलग्नक-B में दी गई है।

C&AG की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) द्वारा की गई है। C&AG की समीक्षा एवं टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने हेतु श्री सुरेश तिब्रेवाला, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को नियुक्त किया था। उनकी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

लागत लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा समय-समय पर यथासंशोधित कंपनियाँ (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) नियम,

2014 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के लिए लागत अभिलेखों का अनुरक्षण करना आवश्यक है। तदनुसार, संबंधित विभागों से संबंधित लागत लेखे तैयार किए जाते हैं तथा अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाता है। कंपनी की 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष दाखिल की गई थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मैसर्स राजेश एंड कंपनी, जयपुर, लागत लेखाकार कंपनी के लागत लेखापरीक्षक थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के संदर्भ में कर्मचारियों का विवरण

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था, जिसने अधिनियम की धारा 197(12) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) एवं 5(3) के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया हो। अतः संबंधित जानकारी को शून्य माना जा सकता है।

आभार एवं कृतज्ञता

आपके निदेशक भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों द्वारा व्यवसाय करने में सुगमता प्रदान करने हेतु दिए गए सहयोग एवं समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय तथा रीको के प्रबंधन से प्राप्त निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

आपके निदेशक कंपनी के ग्राहकों, व्यावसायिक सहयोगियों, वितरकों, चैनल भागीदारों, आपूर्तिकर्ताओं एवं बैंकरों को उनके निरंतर सहयोग तथा कंपनी में व्यक्त किए गए विश्वास के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के प्रति सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान तथा उनके कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता एवं समर्पण के लिए अपनी गहरी प्रशंसा एवं आभार अभिलेख में दर्ज करना चाहते हैं।

स्थान: जयपुर
दिनांक : 08.09.2026

हस्ते/-
अध्यक्ष

निदेशक रिपोर्ट का अनुलग्नक

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

अ) कॉर्पोरेट अवलोकन

आपकी कंपनी कृषि-डेयरी इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के व्यवसाय में संलग्न है और सतत विकास एवं औद्योगिक प्रगति को समर्थन प्रदान करने वाले प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद एवं समाधान उपलब्ध कराती है। नवाचार एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए, कंपनी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं तथा विशिष्ट औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

कृषि डेयरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, कंपनी डेयरी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में दूध के गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण तथा स्वचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए विश्वसनीय प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराती है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में, कंपनी सोलर फोटोवोल्टिक प्रणालियों के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना एवं रखरखाव का कार्य करती है तथा देश के स्वच्छ ऊर्जा में योगदान देती है। कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा एवं निगरानी समाधान तथा जियोस्पेशियल ड्रोन सर्वेक्षण सेवाओं के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। साथ ही, कंपनी ने औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तथा अनुकूलित इंजीनियरिंग समाधानों के अपने पोर्टफोलियो का भी विस्तार किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त करके, अपने व्यावसायिक पोर्टफोलियो का विस्तार करके तथा प्रौद्योगिकी आधारित एवं परियोजना आधारित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करना जारी रखा। इन पहलों के साथ-साथ व्यवसाय में विविधीकरण एवं परिचालन उत्कृष्टता ने आगामी वर्षों में सतत विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

ब) अर्थव्यवस्था की समीक्षा

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, लगातार भू-राजनीतिक तनाव, बदलती व्यापारिक गतिशीलता तथा प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था लचीली बनी रही। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे उभरती बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निरंतर गति, मजबूत निर्यात प्रदर्शन तथा औद्योगिक एवं अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश में सुधार से समर्थन मिला। वहीं, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 1.9% की वृद्धि दर दर्ज की गई। वैश्विक मुद्रास्फीति घटकर 4.4% हो गई, हालांकि ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता तथा जारी भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण वैश्विक व्यापार एवं उत्पादन के समक्ष जोखिम बने रहे। आपूर्ति श्रृंखला में विविधीकरण, स्थानीयकरण तथा घरेलू विनिर्माण क्षमताओं

को सुदृढ़ करने पर बढ़ते जोर ने वैश्विक औद्योगिक परिदृश्य को निरंतर नया स्वरूप प्रदान किया। इससे पूंजीगत व्यय एवं अवसंरचना विकास से प्रेरित विनिर्माण एवं इंजीनियरिंग उद्यमों के लिए अवसरों के साथ-साथ चुनौतियां भी उत्पन्न हुईं।

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन एवं परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहा। इस वृद्धि को मजबूत घरेलू मांग, निरंतर अवसंरचना व्यय तथा विनिर्माण गतिविधियों में सुधार से समर्थन मिला। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP) में 7.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, जो लचीली उपभोग मांग, मजबूत निवेश गति तथा औद्योगिक उत्पादन में सुधार से प्रेरित रही। बढ़ती स्थानीयकरण पहलों, अवसंरचना विकास पर सरकार के मजबूत जोर तथा आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर मजबूती ने भी वर्ष के दौरान आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर मौद्रिक परिस्थितियों तथा वित्तीय क्षेत्र के स्वस्थ संकेतकों से भी लाभ मिला। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति मुख्यतः लक्षित सीमा के भीतर बनी रही, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्याप्त तरलता एवं आर्थिक वृद्धि की गति सुनिश्चित करने के लिए 5.25% की रेपो दर को सहायक नीतिगत रुख के साथ बनाए रखा। मजबूत GST संग्रह, बैंक ऋण में स्वस्थ वृद्धि तथा सार्वजनिक एवं निजी पूंजीगत व्यय में निरंतरता ने औद्योगिक विस्तार एवं दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए वातावरण को और सुदृढ़ किया।

स) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कार्यकुशलता, विश्वसनीयता, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंधकीय जानकारी को समय पर तैयार करना सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, यह सभी लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग तथा उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियंत्रण एवं संतुलन प्रभावी रूप से लागू हों तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ सुव्यवस्थित हों, विभिन्न प्रभागों का नियमित एवं व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षण अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म द्वारा किया जाता है।

द) जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट:

अवलोकन

जोखिम सभी व्यवसायों का एक अभिन्न और अपरिहार्य घटक है। रील की जोखिम प्रबंधन योजना व्यवसाय को सतत विकास प्राप्त करने तथा अपने ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों एवं अन्य हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यद्यपि जोखिमों को

पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, तथापि एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन योजना यह सुनिश्चित करती है कि जोखिमों को कम किया जाए, टाला जाए, स्वीकार किया जाए अथवा साझा किया जाए। जोखिम प्रबंधन हमारी परिचालन व्यवस्था में समाहित है तथा हमारे पास सुव्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संरचना है। कंपनी द्वारा व्यावसायिक जोखिमों से निपटने का दृष्टिकोण व्यापक है, जिसमें ऐसे जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा, जोखिमों को कम करने हेतु नियंत्रणों का ढाँचा तथा ऐसे जोखिमों के रिपोर्टिंग तंत्र को शामिल किया गया है।

जोखिम प्रबंधन की कार्यप्रणालियाँ -

प्रमुख जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियों में निम्नलिखित रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ शामिल हैं:

- जोखिम की पहचान एवं आकलन
- जोखिम का मूल्यांकन
- जोखिम की रिपोर्टिंग एवं खुलासा
- जोखिम का न्यूनीकरण एवं निगरानी
- रणनीति एवं व्यवसाय योजना के साथ एकीकरण

जोखिमों का प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक तथा संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा किया जाता है।

य) विश्लेषण एवं समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आपकी कंपनी ने अपने प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों, यथा डेयरी इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों में उल्लेखनीय परिचालन उपलब्धियाँ हासिल कीं।

डेयरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, रील ने देशभर की डेयरी सहकारी समितियों एवं दुग्ध संघों को 6,000 से अधिक दुग्ध परीक्षण एवं स्वचालन समाधान उपलब्ध कराकर अपने अग्रणी स्थान को और सुदृढ़ किया। इनमें स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाइयाँ (AMCU), मिल्क एनालाइजर, इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्टर (EMAT-Advance), डेटा प्रोसेसर आधारित मिल्क कलेक्शन यूनिट, BMC डेटा लॉगर तथा अन्य डेयरी स्वचालन उत्पाद, जिनमें हाल ही में शुरू किए गए समाधान भी शामिल हैं, सम्मिलित हैं।

स्वचालित दुग्ध गुणवत्ता परीक्षण समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रील ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CEERI) के साथ MBRT स्कैनर के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता किया। इस प्रौद्योगिकी के आधार पर कंपनी आगामी वर्ष में इस उत्पाद का विनिर्माण एवं विपणन करने की योजना बना रही है, जिसमें पर्याप्त मूल्यवर्धन किया जाएगा। इससे एक आशाजनक व्यावसायिक अवसर सृजित होने तथा कंपनी के डेयरी उत्पाद पोर्टफोलियो को और सुदृढ़ करने की संभावना है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, रील ने कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित किया तथा प्राप्त किया। इनमें NPCIL,

पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (PESL), NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (NVVN), JAKEDA, PHED, राजस्थान उच्च न्यायालय, IREDA, RCDF, जयपुर डेयरी एवं भीलवाड़ा दुग्ध संघ सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए ग्रिड-कनेक्टेड सोलर PV पावर प्लांट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सौर जल पंपिंग प्रणालियों, रूफटॉप सोलर प्लांट, LED स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाओं तथा गुयाना एनर्जी एजेंसी के निर्यात आदेश का भी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया।

कंपनी ने मॉडल सोलर विलेज योजना के अंतर्गत सोलर विलेज परियोजना परामर्श के क्षेत्र में भी विविधीकरण किया तथा ड्रोन-आधारित GIS एवं सर्वेक्षण परियोजनाएँ शुरू कीं। इससे रील के लिए परामर्श सेवाओं के क्षेत्र में नए व्यावसायिक अवसरों के द्वार खुले हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, रील ने राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभागों के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षा संबंधी कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किए, जिनमें लाखों अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। कंपनी ने सरकारी अस्पतालों में डिजिटल क्यू मैनेजमेंट सिस्टम तथा लेजर प्रिंटर-एज-ए-सर्विस का कार्यान्वयन किया, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के नेटवर्क के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को सहायता प्रदान की तथा अपने डिजिटल गवर्नेंस समाधानों का विस्तार किया। इन सफल कार्यान्वयनों से राजस्थान के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल सार्वजनिक सेवा परियोजनाएँ प्राप्त करने के लिए कंपनी को एक मजबूत आधार प्राप्त हुआ है।

कंपनी ने पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार की ऊँट संरक्षण योजना के अंतर्गत वास्तविक समय में लाभार्थी सत्यापन तथा निर्बाध प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) सुनिश्चित करने के लिए Jan Aadhaar API को IOMMS "Pashu Aushadh" के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया। इस पहल से लाभार्थियों की सटीक पहचान, पारदर्शिता तथा समयबद्ध रूप से लाभों का वितरण सुनिश्चित हुआ। यह सफल कार्यान्वयन भविष्य में इसी प्रकार की डिजिटल गवर्नेंस एवं DBT-आधारित परियोजनाएँ प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन (Remote Pilot Training Organisation - RPTO) के रूप में DGCA प्राधिकरण प्राप्त किया तथा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (Information Security Management System) के लिए ISO/IEC 27001:2022 प्रमाणन भी प्राप्त किया। ये उपलब्धियाँ प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं गुणवत्ता के प्रति कंपनी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

उक्त उपलब्धियाँ रील की प्रौद्योगिकी-आधारित, सतत एवं ग्राहक-केंद्रित समाधान प्रदान करने तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करती हैं। कंपनी ने उत्पादों की QR कोड के माध्यम से ट्रेसिबिलिटी तथा फील्ड स्टाफ के लिए जियो-फेंसिंग जैसे गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने वाले अनेक उपाय भी लागू किए हैं।

फार्म नंबर एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

I.	सी.आई.एन	U51395RJ1981GOI002249
II.	पंजीकरण दिनांक	12 जून, 1981
III.	कंपनी का नाम	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड
IV.	कंपनी की श्रेणी/ उप-श्रेणी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/ शेयरों द्वारा सीमित कंपनी
V.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां / नहीं	नहीं
VI.	रजिस्ट्रार का नाम, पता और संपर्क विवरण और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एन.आई.सी. कोड *	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	डेयरी दूध टेस्टिंग उपकरण	2651 - मापने, टेस्टिंग, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरणों का निर्माण	50.88
2	सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल/ सिस्टम	3510 - विद्युत ऊर्जा, ट्रांसमिशन और वितरण	49.12

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	कंपनी का पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

i) श्रेणी-वार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या (01-04-2024 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31-03-2025 को)				वर्ष के दौरान बदलाव का %
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
अ. प्रमोटर्स									
(1) भारतीय									
अ) व्यक्तिगत/एचयूएफ	लागू नहीं	6247500	6247500	51%	लागू नहीं	6247500	6247500	51%	0.00
ब) केंद्र सरकार	लागू नहीं	6002500	6002500	49%	लागू नहीं	6002500	6002500	49%	0.00
स) राज्य सरकार	लागू नहीं				लागू नहीं				
द) निगम	लागू नहीं				लागू नहीं				
य) बैंक/ वित्तीय संस्थान	लागू नहीं				लागू नहीं				
र) अन्य कोई....	लागू नहीं				लागू नहीं				
उप योग (अ) (1):-	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	0.00
(2) विदेशी									
अ) एनआरई - व्यक्ति	लागू नहीं	0	0	0.00%	लागू नहीं	0	0	0.00%	0.00
ब) अन्य व्यक्ति	लागू नहीं				लागू नहीं				
स) निगम	लागू नहीं				लागू नहीं				
द) बैंक/ वित्तीय संस्थान	लागू नहीं				लागू नहीं				
य) अन्य कोई....	लागू नहीं				लागू नहीं				
उप योग (अ) (2):-	लागू नहीं	0	0	0.00%	लागू नहीं	0	0	0.00%	0.00
प्रमोटर्स की कुल शेयर होल्डिंग (अ)									
= (अ)(1) + (अ)(2)	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	0.00
ब. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
अ) म्यूचुअल फंड्स	लागू नहीं	0	0	0.00%	लागू नहीं	0	0	0.00%	0.00
ब) बैंक/ वित्तीय संस्थान	लागू नहीं				लागू नहीं				
स) केंद्र सरकार	लागू नहीं				लागू नहीं				
द) राज्य सरकार	लागू नहीं				लागू नहीं				
य) वेंचर कैपिटल फंड	लागू नहीं				लागू नहीं				
र) बीमा कंपनियां	लागू नहीं				लागू नहीं				
व) एफआईआई	लागू नहीं				लागू नहीं				
ल) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	लागू नहीं				लागू नहीं				
ह) अन्य (लिखें)	लागू नहीं				लागू नहीं				
उप योग (ब)(1):-	लागू नहीं	0	0	0.00%	लागू नहीं	0	0	0.00%	0.00

2. गैर-संस्थान									
अ) निकाय निगम	लागू नहीं	0	0	0.00%	लागू नहीं	0	0	0.00%	0.00
i) भारतीय									
ii) प्रवासी									
ब) व्यक्तिगत									
i) 1 लाख रुपये तक के नोमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक									
ii) 1 लाख रुपये तक से अधिक के नोमिनल शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक									
स) अन्य									
उप योग (ब)(2):-									
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ब)=(ब)(1)+ (ब)(2)	लागू नहीं	0	0	0.00%	लागू नहीं	0	0	0.00%	0.00
स. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वाराधारित शेयर	लागू नहीं	0	0	0.00%	लागू नहीं	0	0	0.00%	0.00
कुल योग (अ+ब+स)	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	लागू नहीं	12250000	12250000	100%	0.00

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2024 को)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31-03-2025 को)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % बदलाव
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए/ भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए/ भारित शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	6247500	51	-	6247500	51	-	-
2.	रीको	6002500	49	-	6002500	49	-	-
	कुल	12250000	100	-	12250000	100	-	-

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में 31 मार्च, 2026 को परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01-04-2024 को)		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01-04-2024 से 31-03-2025 तक)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
भारत के राष्ट्रपति	6247500	51	31.03.2026	कोई परिवर्तन नहीं		6247500	51
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर	6002500	49	31.03.2026	कोई परिवर्तन नहीं		6002500	49

iv) शीर्ष दस शेयरधारक के शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा)

शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष की शुरुआत में	शून्य			
वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी, आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में दिनांकवार वृद्धि/कमी				
वर्ष के अंत में (या यदि वर्ष के दौरान वियोजित होने पर वियोजित होने की तिथि से)				

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

प्रत्येक निदेशकों के लिए और केएमपी	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य			
वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में दिनांक वार वृद्धि/कमी का कारण निर्दिष्ट करें (जैसे आवंटन/ ट्रांसफर/ बोनस/ उद्यम इक्विटी, आदि)				
वर्ष के अंत में				

V. ऋणग्रस्सता

बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्सता

(राशि लाखों में)

विवरण	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	गैर-प्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्सता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्सता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्सता में बदलाव				
• वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
• कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्सता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

अ. प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक :

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबन्ध निदेशक का नाम	
		श्री राकेश चौपड़ा (31.07.2024 तक)	डॉ. पी.एन शर्मा (01.08.2024 से)
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	41.34 - -	25.73 - -
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें...	-	-
5.	अन्य जैसे पीएफ, पेंशन	1.27	2.23
	कुल (अ)	42.61	27.96

ब. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम
		श्री डी.के शर्मा
1.	स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0.32
	कुल (1)	0.32
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक • बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य
	कुल (2)	शून्य
	कुल (ब)=(1+2)	0.32
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0.32

स. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक, प्रबन्ध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	सीएफओ (श्री सुभाष अग्रवाल)	कंपनी सचिव (अमित के. जैन)	कुल
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	लागू नहीं	40.69	14.57	56.26
2.	स्टॉक विकल्प		-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी		-	-	-
4.	कमीशन		-	-	-
	- लाभ के % के रूप में		-	-	-
	- अन्य, निर्दिष्ट करें...		-	-	-
5.	अन्य जैसे पीएफ, पेंशन		3.52	1.32	4.84
	कुल		44.21	15.89	61.10

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों का कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/दंड/ कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
शून्य					

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में योग्यता पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया नीचे उल्लिखित है:

	लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1.	फेम-II के अंतर्गत ईवी चार्जर्स के संबंध में भारत सरकार द्वारा सब्सिडी रद्द किए जाने की रिपोर्टिंग न करना तथा मैजेंटा द्वारा सब्सिडी रद्द किए जाने एवं माल वापस किए जाने का लेखांकन न करना कंपनी ने वर्ष के दौरान मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लौटाए गए माल का लेखांकन नहीं किया है, साथ ही इसके परिणामस्वरूप सब्सिडी प्राप्य पर पड़ने वाले प्रभाव का भी लेखांकन नहीं किया गया है। विवरण निम्नानुसार है: कंपनी ने मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स मैजेंटा) को MHI की फेम-II योजना के अंतर्गत कंपनी के निर्धारित व्यावसायिक मॉडल के अनुसार 10 वर्षों के लिए O&M भागीदार के रूप में कार्य आवंटित किया था। इस व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत O&M भागीदार द्वारा ईवी चार्जर की लागत का 30% श्रेणी A के अंतर्गत निवेश, प्रस्तावित अग्रिम भुगतान तथा प्रस्तावित राजस्व साझेदारी शामिल थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त पक्ष को रु. 19.36 करोड़ (GST सहित) मूल्य की सामग्री बेची थी। कंपनी ने इस आपूर्ति के संबंध में रु. 13.32 करोड़ की सरकारी अनुदान राशि को मान्यता देते हुए उसका समायोजन किया था। कंपनी ने समझौते की शर्तों के उल्लंघन के कारण मेसर्स मैजेंटा के साथ MOA समाप्त कर दिया, जिसके पश्चात् मेसर्स मैजेंटा ने विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एस.बी. सिविल मध्यस्था आवेदन संख्या 12/2023, 13/2023 एवं 14/2023 दायर किए। एकमात्र मध्यस्थ ने 12.08.2025 को मध्यस्थता अवार्ड सुनाते हुए रील को मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड को रु. 14.67 करोड़ की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। उक्त मध्यस्थता अवार्ड से असंतुष्ट होकर रील ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत माननीय वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, जयपुर मेट्रो-II के समक्ष आपत्तियां दायर की हैं तथा पंचाट के संचालन एवं प्रभाव को स्थगित करने के अनुरोध के साथ स्थगन आवेदन भी प्रस्तुत किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रु. 8.17 करोड़ (GST को छोड़कर) मूल्य की सामग्री कानकपुरा स्थित कारखाने में वापस प्राप्त हुई, जबकि रु. 4.70 करोड़ (GST को छोड़कर) मूल्य की सामग्री भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, भोपाल के परिसर में तथा रु. 4.70 करोड़ (GST को छोड़कर) मूल्य की सामग्री अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसिज लिमिटेड के परिसर में पड़ी हुई बताई गई है। चूंकि मेसर्स मैजेंटा द्वारा सामग्री वापस कर दी गई है तथा कंपनी ने स्वयं यह बताया है कि मेसर्स मैजेंटा के स्थान पर कार्य करने हेतु नई एजेंसी नियुक्त की जाएगी, अतः कंपनी को पार्टी से माल की वापसी के साथ-साथ इसके परिणामस्वरूप इन्वेंटरी, सब्सिडी तथा व्यय मदों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी लेखांकन करना चाहिए था, किंतु इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई लेखांकन प्रविष्टि पारित नहीं की गई है। परिणामस्वरूप: -वर्तमान दायित्व रु. 6.04 करोड़ से कम दर्शाया गया है (बिक्री वापसी की राशि, सब्सिडी के शुद्ध प्रभाव तथा GST सहित)। -इन्वेंटरी रु. 17.56 करोड़ से कम दर्शाई गई है (मेसर्स मैजेंटा द्वारा वापस की गई सामग्री की लागत के बराबर)। -सरकार से प्राप्य सब्सिडी रु. 12.85 करोड़ से अधिक दर्शाई गई है (लेखों में बकाया राशि के अनुसार) तथा वर्तमान दायित्व रु. 0.47 करोड़ से कम दर्शाया गया है (मैजेंटा के संबंध में मान्यता दी गई सब्सिडी तथा सरकार से प्राप्य सब्सिडी के रूप में पहले से लेखांकित राशि के बीच का अंतर)। -इसके अतिरिक्त, लगभग 4 वर्षों की देरी की अवधि तथा इलेक्ट्रिक चार्जिंग के क्षेत्र में हो रहे तीव्र तकनीकी परिवर्तनों को देखते हुए, मेसर्स मैजेंटा से वापस प्राप्त इन्वेंटरी के मूल्य में हास हुआ हो सकता है। तथापि, कंपनी द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है और हम इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा, इस अवधि	फेम-II योजना के अंतर्गत ईवी चार्जर्स के अनुमोदन/आवंटन को रद्द किए जाने से संबंधित मामले का लेखांकन नहीं किया गया है, क्योंकि भारत सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी को 30.09.2026 से पहले ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई है। मामला न्यायालय में लंबित है, अतः प्रबंधन का मत है कि वर्तमान में लेखा परीक्षकों द्वारा सुझाए गए लेखांकन समायोजनों की आवश्यकता नहीं है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में योग्यता पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया नीचे उल्लिखित है:

	लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
2.	के दौरान वारंटी की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। संदिग्ध और डूबत ऋणों के लिए अपर्याप्त प्रावधान - हमें सूचित किया गया है कि रु.322.65 करोड़ के कुल देनदारों में से रु. 88.20 करोड़ की राशि 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, जो कुल देनदारों का 27.34% है। हमने पाया है कि इनमें से कई खातों में राशि परिसमाप्त हजाने (LD) अथवा संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन न किए जाने के कारण रोककर रखी गई है। इसके अलावा, कंपनी ने बताया है कि वसूली के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, किंतु इसके बावजूद वसूली नहीं हो सकी है तथा विभिन्न कारणों से कंपनी पर LD लगाया जाना देय नहीं है। कंपनी ने इन खातों में वसूली न होने के विशिष्ट कारणों, जिनमें देनदारों द्वारा लगाई गई LD भी शामिल हैं, से संबंधित समेकित विवरण का रख-रखाव नहीं किया है। कुछ खातों के मामले में C&AG के निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणियों के पश्चात् कंपनी ने कुछ मामलों में कानूनी नोटिस भी भेजे हैं। 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया रु. 88.20 करोड़ की राशि के विरुद्ध लेखों में रु. 26.46 करोड़ के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान पहले ही किया जा चुका है (कंपनी की नीति के अनुसार)। इसके अतिरिक्त, रु. 41.22 करोड़ के लेनदारों की राशि बैक-टू-बैक आधार पर बकाया बताई गई है। इस प्रकार रु. 20.52 करोड़ की राशि शेष रह जाती है, जिसकी वसूली भी सुनिश्चित नहीं है। इसके अलावा, 31.03.2026 को संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के लिए कुल रु. 32.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है (जिसमें 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया देनदारों के संबंध में रु. 26.46 करोड़ शामिल हैं)। इससे 5 वर्षों से कम अवधि से बकाया शेष देनदारों के संबंध में केवल रु. 5.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से संकेत मिलता है कि संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के लिए किया गया प्रावधान अपर्याप्त है। तथापि, पूर्ण विवरण उपलब्ध न होने तथा देनदारों से बकाया राशि की वसूली की संभाव्यता का युक्तिसंगत आकलन न हो पाने के कारण हम इसकी राशि निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, पूर्ण जानकारी के अभाव में तथा विभिन्न देनदारों द्वारा लगाए गए परिसमाप्त हजाने (LD) का आकलन न किए जाने के कारण, हम कंपनी के लाभ एवं हानि खाते/आरक्षित निधियों पर इसके प्रभाव की राशि निर्धारित करने में असमर्थ हैं।	कंपनी ने वर्ष-दर-वर्ष सुसंगत लेखांकन नीति के अनुसार संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के लिए प्रावधान किया है। प्रबंधन की राय में, संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, क्योंकि रु. 32.29 करोड़ के कुल प्रावधान के अतिरिक्त, अधिकांश पुराने बकाया शेष ग्राहकों से प्राप्य राशि तथा विक्रेताओं/उप-ठेकेदारों को देय राशि द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर विधिवत समायोजित है। इस संबंध में, वर्ष 2025-26 के तुलन पत्र के नोट संख्या 32.3(C) का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:- ‘व्यापार देय में 31 मार्च, 2026 को 15427.72 लाख रुपये (31 मार्च, 2025 तक 10661.54 लाख रुपये) शामिल हैं, जो ठेकेदार को केवल तभी देय होता है, जब ग्राहक से भुगतान प्राप्त हो जाता है।’
3.	ईईएसएल-निम्बोनी एडिशनल साइट कंपनी ने वर्ष 2019-20 में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को निम्बोनी एडिशनल साइट (महाराष्ट्र) पर 4.03 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) मूल्य का एसपीवी पावर प्लांट की आपूर्ति किया था। तत्पश्चात्, इस बिक्री में से बिक्री वापसी के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.14 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) का क्रेडिट नोट जारी किया गया था। ईईएसएल को बेची गई सामग्री मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस स्थान पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। रील को वापिस प्राप्त सामग्री (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) को छोड़कर, शेष सामग्री मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस ले ली गई है। इस संबंध में, लेखा पुस्तकों में कोई लेखांकन प्रविष्टि नहीं की गई है, सिवाय रु. 1.14 करोड़ (GST सहित) मूल्य के एसपीवी पावर प्लांट की वापसी के संबंध में की गई प्रविष्टि के। इस परियोजना के संबंध में EESL से रु. 2.89 करोड़ की राशि बकाया प्राप्य है, जो वास्तव में प्राप्य नहीं है। अतः देनदारों की राशि रु. 2.89 करोड़ से अधिक दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त, मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के लेनदार खाते में रु. 2.20 करोड़ की राशि अधिक दर्शाई गई है, जो साइट पर जलकर नष्ट हुई तथा मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस ले ली गई सामग्री के संबंध में है।	मामला मेसर्स EESL तथा मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ बातचीत के स्तर पर है। मेसर्स EESL ने निम्बोनी एडिशनल साइट से संबंधित चालानों के विरुद्ध डेबिट नोट जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। चूंकि अनुबंध का कार्य बैक-टू-बैक भुगतान की शर्त के आधार पर निष्पादन हेतु प्रदान किया गया था, अतः सभी लंबित मामलों के निपटारे के पश्चात् लेखांकन समायोजन किए जाएंगे।

कम्पनी सेक्रेटरी

Sursh Tibrewal
Practicing Company Secretaries
10/619 Kaveri path Mansarovar Jaipur
Ph.: 9414371779 9352957210
E-mail : Suresh.tibrewal@rediffmail.com

प्ररूप MR-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम,
2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण,

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड

2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302012, राजस्थान, भारत

हमने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (जिसे आगे “कंपनी” कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा सुशासन संबंधी प्रथाओं के पालन के संबंध में सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई जिससे कंपनी के कार्य-संचालन एवं वैधानिक अनुपालनों के मूल्यांकन तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए हमें उचित आधार प्राप्त हो सके।

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल किए गए प्रपत्रों एवं रिटर्न तथा कंपनी द्वारा संधारित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष को सम्मिलित करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुपालन तंत्र विद्यमान हैं, जिस सीमा तक, जिस प्रकार तथा निम्नलिखित रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड द्वारा संधारित पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दाखिल किए गए प्रपत्रों एवं रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों का निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (“SCRA”) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम एवं उप-विधियां — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम, जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Overseas Direct Investment) तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowings) का संबंध है — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू एवं अनुपालन किया गया।
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (“SEBI Act”) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं

दिशानिर्देश:

- (a) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं अधिग्रहण प्रस्ताव) विनियम, 2011 — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (b) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 (15 मई, 2015 से निरस्त) — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (c) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (d) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (e) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2008 — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (f) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम से संबंधित तथा ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (g) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009 — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (h) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।
- (j) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 — लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।

(vi) कंपनी पर लागू अन्य विशिष्ट कानून निम्नलिखित हैं:

- (a) कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
- (b) कारखाना अधिनियम, 1948 तथा अन्य श्रम कानून (जहां तक लागू हों)।
- (c) विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956।
- (d) उपदान भुगतान अधिनियम।
- (e) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।
- (f) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।
- (g) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013।
- (h) बैटरियां (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2001।
- (i) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923; तथा

(j) खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989।

हमने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन का भी परीक्षण किया है:

- (a) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) द्वारा जारी अनिवार्य सचिवीय मानक;
- (b) कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर ई-फॉर्म दाखिल किए गए हैं; तथा
- (c) भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देश।

हमने लागू वित्तीय कानूनों, जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों का परीक्षण नहीं किया है, क्योंकि इनका परीक्षण वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षा तथा अन्य नामित पेशेवरों द्वारा किया गया है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, DPE के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अंतर्गत अपेक्षित बोर्ड की कुल संख्या के आधे से कम थी।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि REIL एक सरकारी कंपनी होने के कारण स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और इस प्रकार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ निरंतर पत्राचार किया है, ताकि DPE के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों की सूचना पर्याप्त रूप से दी गई तथा बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व भेजी गई। एजेंडा मदों के संबंध में बैठक से पूर्व अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठकों में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

सभी निर्णय बैठकों में बहुमत के माध्यम से लिए गए तथा कार्यवृत्त में किसी असहमति के मत का उल्लेख नहीं पाया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उसके आकार एवं संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं विद्यमान हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।

यह रिपोर्ट हमारी समान दिनांक की संलग्न “अनुलग्नक ‘A’” वाली पत्र के साथ पढ़ी जानी है, जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

Suresh Tibrewal की ओर से प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज

Suresh
Tibrewal

Digitally signed
by Suresh
Tibrewal
Date: 2026.08.31
08:06:21 +05'30'

Suresh Tibrewal

ACS No. 7303

M. No. 12159

UDIN : A012159H001304604

10/619 Kaveri path Mansarovar Jaipur

Ph.: 9414371779 9352957210

E-mail : Suresh.tibrewal@rediffmail.com

स्थान : जयपुर

दिनांक : 31 अगस्त, 2026

सेवा में,

सदस्यगण

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

हमारी समान दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों की लेखापरीक्षा के आधार पर उनके संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों के प्रतिबिंबित होने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन नमूना आधार पर किया गया। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं पद्धतियां हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है। हमने संबंधित वित्तीय वर्ष की लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों एवं वित्तीय विवरणों के रख-रखाव से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन के संबंध में वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जो कंपनी के मामलों की स्थिति का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करती है। दोहराव से बचने के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई योग्यताओं/टिप्पणियों को हमने पुनः प्रस्तुत नहीं किया है।
4. हमने आयकर अधिनियम, 1961 एवं वित्त अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित राजकोषीय कानूनों के अनुपालन के संबंध में वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है।
5. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
6. कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच नमूना आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता अथवा प्रभावशीलता के संबंध में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

स्थान : जयपुर

दिनांक : 31 अगस्त, 2026

Suresh Tibrewal की ओर से प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज

Suresh Tibrewal

Suresh

Tibrewal

Digitally signed by
Suresh Tibrewal
Date: 2026.08.31
08:06:38 +05'30'

ACS No. 7303

M. No. 12159

UDIN : A012159H001304604

10/619 Kaveri path Mansarovar Jaipur

Ph.: 9414371779 9352957210

E-mail : Suresh.tibrewal@rediffmail.com

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष
के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां**

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। यह उनके द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2026 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से तथा उनके लिए

हस्ताक्षरित
(आशुतोष जोशी)
महानिदेशक (विद्युत)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.08.2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड के सदस्य
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, **योग्य राय के आधार वाले पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर**, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित "इंड एसएस"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित ("इंड एसएस") तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की 31 मार्च 2026 की वित्तीय स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ एवं हानि विवरण (PAT), जिसमें अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह शामिल हैं, का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का आगे वर्णन हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां" खंड में किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त

आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त हैं।

पर्याप्त एवं उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गलत प्रस्तुतीकरण, चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं, किंतु व्यापक प्रकृति के नहीं हैं।

हम आपका ध्यान नीचे उल्लिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं, जिनके आधार पर हम वित्तीय विवरणों पर योग्य राय व्यक्त कर रहे हैं:

अ. FAME-II के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जर्स से संबंधित भारत सरकार द्वारा सब्सिडी रद्द किए जाने की रिपोर्टिंग न करना तथा मैजेंटा द्वारा सब्सिडी रद्द किए जाने एवं माल की वापसी का लेखांकन न करना।

कंपनी ने वर्ष के दौरान मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए माल की वापसी तथा उसके परिणामस्वरूप सब्सिडी प्राप्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का लेखांकन नहीं किया है। विवरण निम्नानुसार है:

कंपनी ने MHI की FAME-II योजना के अंतर्गत अपने निर्धारित व्यवसाय मॉडल के अनुसार मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स मैजेंटा) को 10 वर्षों के लिए O&M भागीदार के रूप में कार्य आवंटित किया था। उक्त व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत O&M भागीदार द्वारा श्रेणी A के अंतर्गत EV चार्जर की लागत का 30% निवेश, प्रस्तावित अग्रिम भुगतान तथा प्रस्तावित राजस्व साझाकरण शामिल था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त पक्ष को 19.36 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) की सामग्री बेची थी। कंपनी ने उक्त आपूर्ति के संबंध में 13.32 करोड़ रुपये की सरकारी अनुदान राशि को मान्यता प्रदान करते हुए उसका समायोजन किया था।

कंपनी ने समझौते की शर्तों के उल्लंघन के कारण मेसर्स मैजेंटा के साथ MOA को समाप्त कर दिया। इसके पश्चात, मेसर्स मैजेंटा ने विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एस.बी. सिविल मध्यस्थता आवेदन संख्या 12/2023, 13/2023 एवं 14/2023 दायर किए। एकमात्र मध्यस्थ ने 12.08.2025 को मध्यस्थता निर्णय पारित किया, जिसके द्वारा, रील को मेसर्स मैजेंटा पावर प्राइवेट लिमिटेड को 14.67 करोड़ की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। 06.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने पक्षों के बीच विवादों के निपटारे के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। उक्त मध्यस्थता निर्णय से व्यथित होकर, रील ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की

धारा 34 के अंतर्गत माननीय वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, जयपुर मेट्रो-II के समक्ष आपत्तियां दायर की हैं। साथ ही, मध्यस्थता निर्णय के संचालन एवं प्रभाव पर रोक लगाने हेतु स्थगन आवेदन भी प्रस्तुत किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, **8.17 करोड़ रुपये (GST को छोड़कर)** मूल्य की सामग्री कनकपुरा स्थित फ़ैक्टरी में वापस प्राप्त हुई, जबकि **4.70 करोड़ रुपये (GST को छोड़कर)** मूल्य की सामग्री भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, भोपाल के परिसर में तथा **4.70 करोड़ रुपये (GST को छोड़कर)** मूल्य की सामग्री अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के परिसर में पड़ी हुई बताई गई है।

चूंकि मेसर्स मैजेंटा द्वारा सामग्री वापस कर दी गई है तथा कंपनी ने स्वयं यह बताया है कि मेसर्स मैजेंटा के स्थान पर कार्य करने के लिए नई एजेंसी नियुक्त की जाएगी, अतः कंपनी को संबंधित पक्ष से सामग्री की वापसी तथा इसके परिणामस्वरूप इन्वेंट्री, सब्सिडी एवं व्यय मदों पर पड़ने वाले प्रभाव का लेखांकन करना चाहिए था। तथापि, कंपनी ने इस संबंध में कोई लेखांकन प्रविष्टि पारित नहीं की है। इसके परिणामस्वरूप:

- चालू दायित्व **6.04 करोड़ रुपये** से कम दर्शाई गई है (जिमें सब्सिडी घटाने के पश्चात तथा GST सहित बिक्री वापसी की राशि शामिल है)।
- इन्वेंट्री **17.56 करोड़ रुपये** से कम दर्शाई गई है (मेसर्स मैजेंटा द्वारा वापस की गई सामग्री की लागत के बराबर)।
- सरकार से प्राप्य सब्सिडी **12.85 करोड़ रुपये** से अधिक दर्शाई गई है (जो पुस्तकों में बकाया राशि है) तथा चालू दायित्व 0.47 करोड़ रुपये से कम दर्शाई गई है (मेसर्स मैजेंटा से संबंधित मान्यता प्राप्त सब्सिडी और सरकार से प्राप्य सब्सिडी के रूप में पहले से लेखांकित राशि के बीच का अंतर)।

इसके अलावा, लगभग **4 वर्षों** की देरी की अवधि तथा इलेक्ट्रिक चार्जिंग के क्षेत्र में हो रहे तीव्र तकनीकी परिवर्तनों को देखते हुए, मेसर्स मैजेंटा से वापस प्राप्त इन्वेंट्री के मूल्य में हास हुआ हो सकता है। तथापि, कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है और हम इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान वारंटी की अवधि भी समाप्त हो चुकी है।

ब. संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए अपर्याप्त प्रावधान

हमें सूचित किया गया है कि **322.65 करोड़ रुपये** के कुल देनदारों में से **88.20 करोड़ रुपये** की राशि 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, जो कुल देनदारों का **27.34%** है। हमने देखा है कि इनमें से कई खातों में राशि परिसमाप्त हजनि (LD) अथवा संविदात्मक दायित्वों के निष्पादन न किए जाने के कारण रोक दी गई बताई गई है। इसके अलावा, कंपनी ने बताया है कि वसूली के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई

की जा रही है, किंतु अब तक इसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी ने यह भी बताया है कि विभिन्न कारणों से कंपनी पर परिसमाप्त हजना लगाया जाना देय नहीं है। कंपनी ने इन खातों में वसूली न होने के विशिष्ट कारणों, जिसमें देनदारों द्वारा लगाए गए परिसमाप्त हजनि भी शामिल हैं, का समेकित विवरण संधारित नहीं किया है। कुछ खातों के मामलों में C&AG निरीक्षण द्वारा की गई आपत्ति के पश्चात कंपनी ने कुछ मामलों में कानूनी नोटिस भी जारी किए हैं।

88.20 करोड़ रुपये की 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि के विरुद्ध, कंपनी की नीति के अनुसार, खातों की पुस्तकों में **26.46 करोड़ रुपये** का संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा, **41.22 करोड़** की राशि के लेनदारों के संबंध में कहा गया है कि वे बैंक-टू-बैंक आधार पर बकाया हैं। इस प्रकार **20.52 करोड़ रुपये** की शेष राशि रह जाती है, जिसकी वसूली भी सुनिश्चित/निर्धारित नहीं है।

इसके अतिरिक्त, **31.03.2026** को अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए कुल प्रावधान **32.29 करोड़ रुपये** है, जिसमें 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया देनदारों के संबंध में **26.46 करोड़ रुपये** का प्रावधान शामिल है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 5 वर्षों से कम अवधि से बकाया शेष देनदारों के संबंध में केवल **5.83 करोड़ रुपये** का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से संकेत मिलता है कि संदिग्ध ऋणों के लिए किया गया प्रावधान अपर्याप्त है। तथापि, पूर्ण विवरण उपलब्ध न होने तथा देनदारों से बकाया राशि की वसूली-योग्यता का युक्तिसंगत रूप से निर्धारण न किए जाने के कारण, हम इसकी राशि का परिमाण निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, पूर्ण जानकारी के अभाव तथा विभिन्न देनदारों द्वारा लगाए गए परिसमाप्त हजनि के मूल्यांकन के अभाव में, हम कंपनी के लाभ एवं हानि तथा रिज़र्व पर इसके प्रभाव की राशि का परिमाण निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

स. ईईएसएल-निंबोनी एडिशनल साइट

कंपनी ने वर्ष 2019-20 में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को निंबोनी एडिशनल साइट (महाराष्ट्र) में **4.03 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित)** मूल्य का एसपीवी पावर प्लांट आपूर्ति किया था। तत्पश्चात, इस बिक्री के विरुद्ध बिक्री वापसी के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 में **1.14 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित)** का क्रेडिट नोट जारी किया गया। ईईएसएल को बेची गई सामग्री मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस स्थान पर कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। रील को वापिस सामग्री के अलावा (जैसा कि ऊपर बताया गया है), शेष सामग्री मेसर्स पॉवरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस ले ली गई है।

इस संबंध में, **1.14 करोड़ रुपये (GST सहित)** मूल्य के एसपीवी पावर प्लांट की वापसी के अतिरिक्त, जो लेखांकन पुस्तकों में दर्ज की गई है, कोई अन्य लेखांकन प्रविष्टि पारित नहीं की गई है। इस परियोजना के संबंध में ईईएसएल से प्राप्त की जाने वाली बकाया राशि **2.89 करोड़ रुपये** है, जो वास्त में प्राप्य नहीं है और इसलिए देनदार को राशि **2.89 करोड़ रुपये** से अधिक दर्शाई गई है।

इसके अलावा, मेसर्स पावरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के लेनदार खाते में **2.20 करोड़ रुपये** की अधिकता दर्शाई गई है, यह राशि साइट पर जल गई सामग्री तथा मेसर्स पावरवन माइक्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वापस ले ली गई सामग्री के संबंध में है।

हालांकि बिन्दु संख्या (ब) के संबंध में योग्यताओं के प्रभाव का परिमाणीकरण नहीं किया जा सका है, लेकिन बिन्दु संख्या (अ) और (स) में उल्लिखित अनुसार, वर्तमान परिसंपत्तियां **1.82 करोड़ रुपये** से कम तथा वर्तमान दायित्व **4.31 करोड़ रुपये** से कम दर्शाई गई हैं।

महत्वपूर्ण विषय पर बल

इस संबंध में अपनी राय को योग्य बनाए बिना, हम आपका ध्यान नीचे उल्लिखित उन विषयों की ओर आकर्षित करते हैं, जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे वित्तीय विवरणों की उपयोगकर्ताओं द्वारा समझ के लिए मूलभूत हैं।

(अ) नोट नं. 7.1 और 19बी के संदर्भ में, क्रमशः व्यापार प्राप्तियां और व्यापार देय के शेष राशियों की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी शेष राशियों की पुष्टि/मिलान/समायोजन के परिणामस्वरूप होने वाला प्रभाव, यदि कोई हो, तो निर्धारित नहीं किया जा सका है (प्रबंधन के अनुसार, ऐसा प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा)।

(ब) नोट नं. 8.1 के संदर्भ में, **19.99 करोड़ रुपये** के आस्थगित कर परिसंपत्तियां खातों की पुस्तकों में दर्ज हैं, जिनका लेखांकन उक्त नोट में उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसकी वसूली/प्राप्ति प्रबंधन द्वारा प्रत्याशित/अनुमानित भविष्य में पर्याप्त लाभ अर्जित होने पर निर्भर करेगी।

(स) नोट नं. 32.3(सी) के संदर्भ में, व्यापार देय में **154.28 करोड़ रुपये** की राशि ठेकेदारों को देय है, जिसका भुगतान ग्राहकों से राशि प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाना है।

(द) नोट नं. 20.1.2 के संदर्भ में, एक एमएसएमई बैंडर (मेसर्स गनसन ग्लोबल सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा **14.75 लाख रुपये** की राशि पर राशि पर ब्याज की मांग के संबंध में आकस्मिक देयता का खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि ब्याज की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका है, उक्त

बैंडर द्वारा माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अमरावती के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया गया है। दिनांक 26.12.2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता को मध्यसता अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत जयपुर स्थित मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष अपील/आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वर्तमान में उक्त मामला वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर के समक्ष लंबित है। प्रबंधन के अनुसार, ब्याज संबंधित दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है; इसलिए, इसे आकस्मिक दायित्व के तौर पर खुलासा नहीं किया गया है।

(य) दिनांक 31/07/2023 को पत्र के माध्यम से सरकार फेम-II योजना के अंतर्गत EVCS के संबंध में स्वीकृति/आवंटन को चार्जों को चालू न किए जाने के कारण रद्द कर दिया तथा कंपनी को रु. 8,15,08,000/- की सब्सिडी राशि, उस पर देय ब्याज सहित, वापस करने का निर्देश दिया। यद्यपि, कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न अभ्यावेदनों के पश्चात, सरकार ने दिनांक 31/03/2026 को एक पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार रील को 30/09/2026 तक 222 EVCS की स्थापना/कार्यान्वयन पूर्ण करने की अनुमति दी गई है तथा शेष सब्सिडी का निर्गमन फेम-II योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

उपरोक्त विषयों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा विषय वह विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र रूप से हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया है तथा उन पर अपनी राय बनाते समय हमने इन विषयों पर अलग से कोई राय व्यक्त नहीं की है। हमने किसी भी विषय को ऐसी प्रकृति का निर्धारित नहीं किया है जिसे हमारी रिपोर्ट में मुख्य लेखापरीक्षा विषय के रूप में संप्रेषित किया जाना आवश्यक हो।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी अन्य जानकारी तैयार करने की है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि उपर्युक्त पहचानी गई अन्य जानकारी जब हमें उपलब्ध हो, तब हम उसे पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण प्रतीत होता है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ेंगे और इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख को इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों के संबंध में है, जिसमें इन वित्तीय विवरणों की तैयारी भी शामिल है, जो इंड एस, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठित, निर्धारित किए गए हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन, जिसमें अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह शामिल हैं, का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रख-रखाव करना, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं उनका पता लगाया जा सके; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय एवं अनुमान करना, जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण करना भी शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत हों और यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करें तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की गोडंग कंसर्स के आधार पर कार्य करते रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, गोडंग कंसर्स से संबंधित विषयों का खुलासा करने तथा लेखांकन के लिए गोडंग कंसर्स के आधार को अपनाने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन का कंपनी को परिसमापन करने अथवा उसके परिचालन को

बंद करने का इरादा न हो या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण से मुक्त हैं तथा एक ऐसी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण का हमेशा पता लगा लेगी। गलत प्रस्तुतीकरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, यह उचित रूप से अपेक्षित हो कि वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

SAs के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयशीलता बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- i) धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करना, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन एवं निष्पादन करना तथा ऐसा पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले किसी महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलत प्रस्तुतीकरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रणों को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।
- ii) लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तथा ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं।

- iii) निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- iv) निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन के लिए गोडंग कंसन के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जो कंपनी की गोडंग कंसन के रूप में कार्य करते रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां कंपनी को गोडंग कंसन के आधार पर कार्य करते रहने में असमर्थ बना सकती हैं।
- v) वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय-वस्तु, जिसमें किए गए खुलासे भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करना तथा यह निर्धारित करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित हो।

महत्वपूर्णता (Materiality) से आशय वित्तीय विवरणों में गलत प्रस्तुतीकरण की उस मात्रा से है, जो व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण हो कि यह उचित रूप से वित्तीय विवरणों की जानकारी रखने वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना उत्पन्न करे। हम मात्रात्मक महत्वपूर्णता (Quantitative Materiality) तथा गुणात्मक कारकों को (1) अपनी लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने तथा अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (2) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए गलत प्रस्तुतीकरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में ध्यान में रखते हैं।

हम शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ, अन्य विषयों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय-निर्धारण तथा लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पहचाने गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसमें आंतरिक नियंत्रणों की कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, के संबंध में संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह वक्तव्य भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का

अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य विषयों के बारे में संवाद करते हैं, जिनके बारे में युक्तिसंगत रूप से यह माना जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और, जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी संवाद करते हैं।

शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित विषयों में से, हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं, जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए, वे मुख्य लेखापरीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं, जब तक कि किसी विधि या विनियम द्वारा उस विषय के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण निषिद्ध न हो अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करें कि किसी विषय को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों के बारे में युक्तिसंगत रूप से यह अपेक्षित हो सकता है कि वे ऐसे संप्रेषण से प्राप्त होने वाले लोकहित के लाभों से अधिक होंगे।

आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य और लेखापरीक्षक के विशेषज्ञ का उपयोग (SA 610 एवं SA 620):

हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान अन्य लेखापरीक्षकों एवं विशेषज्ञों द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों पर निर्भरता की है:

अ. आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य का उपयोग (SA 610 - संशोधित):

हमने SA 610 (संशोधित) के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षकों मेसर्स आर.के. मालपानी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भरता की है:

- अ) दिनांक 14 मार्च 2026 की रिपोर्ट, जो 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 की अवधि से संबंधित है; तथा
- ब) दिनांक 13 जून 2026 की रिपोर्ट, जो 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि से संबंधित है।

उनके कार्य को मुख्यतः आंतरिक नियंत्रणों तथा अनुपालन तंत्रों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए विचार में लिया गया।

ब. कर्मचारी लाभों के मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षक के विशेषज्ञ के कार्य का उपयोग (SA 620):

हमने कर्मचारी लाभों के मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षक के विशेषज्ञ, मेसर्स के.ए. पंडित की दिनांक 16 जून, 2026 की रिपोर्ट पर निर्भरता की है। उन पर निर्भरता करने से पूर्व, SA 620 के अनुसार उनकी दक्षता, क्षमताओं एवं वस्तुनिष्ठता का मूल्यांकन किया गया था।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "अनुलग्नक 1" में आदेश के पैरा 3 एवं 4 में निर्दिष्ट विषयों पर, जहां तक लागू हो, एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।
2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट "अनुलग्नक 2" में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में, कंपनी की पुस्तकों एवं अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जिन्हें हमने आवश्यक समझा, तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (अ) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, अपनी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं।
 - (ब) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा-पुस्तकें रखी गई हैं, जहाँ तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है।
 - (स) तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण (जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल है), नकदी प्रवाह विवरण, ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा अन्य ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण, जिन पर यह रिपोर्ट संबंधित है, लेखा-पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 - (द) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (IND AS), जिसे कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पढ़ा जाए, के अनुरूप हैं।
 - (य) अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान, जो निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित हैं, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या G.S.R. 463(E), दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी है।
 - (र) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में "अनुलग्नक 3" में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।
4. अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार, यथासंशोधित, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने

वाले अन्य विषयों के संबंध में:

- अधिनियम की धारा 197 को अनुसूची V के साथ पढ़े जाने पर, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या G.S.R. 463(E), दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी है।
5. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर:
 - i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरण के नोट नं. 20.1 (बी), (सी), (डी) तथा नोट 35 (जी) का संदर्भ लें।
 - ii. कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों, जिसमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल हैं, पर लागू विधि या लेखांकन मानकों के अनुसार, यदि कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमेय हानि हो, तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान किया है।
 - iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जाने वाली कोई भी राशि नहीं थी।
 - iv. (अ) निदेशक मंडल ने यह अभ्यावेदन किया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखों के नोट्स में किए गए खुलासे के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं ("मध्यस्थ"), को या उसमें कोई निधि अग्रिम, ऋण या निवेश के रूप में प्रदान नहीं की गई है, चाहे वह उधार ली गई निधियों, शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत अथवा किसी भी प्रकार की निधियों से हो, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में अभिलिखित हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगा या उनमें निवेश करेगा अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था प्रदान करेगा।
 - (ब) निदेशक मंडल ने यह अभ्यावेदन किया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखों के नोट्स में किए गए खुलासे के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं ("निधि प्रदाता"), से कोई निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं की गई है, चाहे वह

लिखित रूप में अभिलिखित हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम लाभार्थियों द्वारा या उनकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी; तथा

(स) परिस्थितियों के अनुसार हमारे द्वारा युक्तिसंगत एवं उचित समझी गई ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (अ) और (ब) के अंतर्गत किए गए अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुति है;

- v. कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही उसका भुगतान किया है।
- vi. चूंकि कंपनी पर कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, अतः इसके अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- vii. हमारी जांच, जिसमें परीक्षण के आधार पर की गई जांच भी शामिल है, के आधार पर यह पाया गया है कि कंपनी ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा-पुस्तकें बनाए रखने हेतु स्वयं द्वारा विकसित विंडोज़-आधारित लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। प्रबंधन के अनुसार, उपयोग में

लाया जा रहा लेखांकन सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा रखता है, सिवाय इन्वेंटरी एवं मानव संसाधन (HR) अभिलेखों के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले पृथक सॉफ्टवेयर के संबंध में। जैसा कि हमें समझाया गया है, ऑडिट ट्रेल की सुविधा मुख्य लेखांकन सॉफ्टवेयर में 31 मार्च 2024 से प्रभावी रूप से सक्षम की गई थी (जबकि इन्वेंटरी एवं मानव संसाधन (HR) सॉफ्टवेयर में इसे लागू नहीं किया गया है)। हालांकि, उक्त सॉफ्टवेयर एकल-उपयोगकर्ता आधारित है, जो उचित आंतरिक नियंत्रण को प्रतिबिंबित नहीं करता है। अतः ऑडिट ट्रेल में प्रविष्टि करने वाले उपयोगकर्ता का पूर्ण विवरण तथा उसके पश्चात किए गए परिवर्तनों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं होता है। कंपनी के प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑडिट ट्रेल की सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। हालांकि, ऐसी सुविधा विकसित करने वाले किसी तृतीय-पक्ष विक्रेता से औपचारिक प्रमाण-पत्र के अभाव में, हम इस संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि प्रविष्टियों को निष्क्रिय किया जा सकता है अथवा उनमें छेड़छाड़ की जा सकती है या नहीं। आगे, हमें यह भी बताया गया है कि कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को अभिलेखों के संरक्षण से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित रखा गया है।

दिनांक : 14.07.2026

स्थान : जयपुर

कृते जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

(फर्म रजि.नं. 005842C)

हस्ताक्षरित

(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 079348

यूडीआईएन : 26079348XGLEQU6662

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि तक रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए,

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में

(हमारी ऑडिट रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” अनुभाग के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

(अ) उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में, मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित, सभी आवश्यक विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख सामान्यतः बनाए रखे हैं।

(ब) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में सभी आवश्यक विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख सामान्यतः बनाए रखे हैं।

(ब) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है तथा ऐसे भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई।

(स) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा स्वामित्व विलेखों की प्रतियों की हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई अचल संपत्तियां कंपनी के नाम पर धारित हैं। यद्यपि, कहा गया है कि मूल स्वामित्व विलेख कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के एवज में बैंक के पास रखे हुए हैं।

(द) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(य) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराए गए कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, 31 मार्च 2026 को कंपनी के विरुद्ध बेनामी संपत्ति रखने के संबंध में बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988, यथासंशोधित, तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

(ii) अपनी इन्वेंट्री के संबंध में:

अ) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। इन्वेंट्री की प्रत्येक श्रेणी के कुल योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं पाई गई।

(ब) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान बैंक (PNB) से रु. 60 करोड़ की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है, जो चालू परिसंपत्तियों की प्राथमिक प्रतिभूति के आधार पर है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उक्त बैंक के समक्ष आवश्यक त्रैमासिक रिटर्न अथवा विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

(iii) ऋणों के संबंध में:

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्य पक्षकारों में कोई निवेश नहीं किया है और न ही ऋण की प्रकृति के अग्रिम प्रदान किए हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों अथवा सीमित दायित्व भागीदारी संस्थाओं तथा अन्य पक्षकारों को कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है और न ही ऋण प्रदान किए हैं अथवा ऋण की प्रकृति के अग्रिम दिए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(अ) (अ) हमारे द्वारा की गई ऑडिट प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों को कोई ऋण या ऋण की प्रकृति के अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं तथा न ही कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है।

(ब) हमारे द्वारा की गई ऑडिट प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी अन्य पक्षकार अथवा कर्मचारियों को ऋण की प्रकृति के कोई अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्य पक्षकारों को कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

(ब) कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, न ही कोई अग्रिम या ऋण प्रदान किया है तथा न ही उसके संबंध में कोई गारंटी दी है। अतः आदेश के खंड (iii) (बी), (सी), (डी), (ई) (एफ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण, निवेश, गारंटी एवं प्रतिभूतियों के संबंध, में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में अनुपालन किया गया है।

(v) प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ग्राहकों से र. 13,80,06,015/- की अग्रिम राशि प्राप्त की है, जो 365 दिनों से अधिक अवधि से बकाया है। ऐसी अग्रिम राशियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(c) के प्रावधानों के अनुसार जमा माना जाता है।

इसके अलावा, जैसा कि हमारे द्वारा अवलोकन किया गया है तथा हमें समझाया गया है, कंपनी न तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है और न ही उसने किसी भी प्रकार की धनराशि को जमा के रूप में स्वीकार किया है। उपर्युक्त के मद्देनजर, हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि NBFCs के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) लागत रिकॉर्ड के संबंध में:

हमें सूचित किया गया है कि कंपनी द्वारा रखी गई लेखा-पुस्तकें, विद्युत वस्तुओं एवं विद्युत मशीनरी के निर्माण से संबंधित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रख-रखाव हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं तथा हमारे मत में, प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत अभिलेखों का उचित रूप से रख-रखाव किया गया है। हालाँकि, हमने इन अभिलेखों की विस्तृत जाँच इस उद्देश्य से नहीं की है कि यह निर्धारित किया जा सके कि वे सही एवं पूर्ण हैं अथवा नहीं। हम यह रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा पूर्व वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षक द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं।

(vii) वैधानिक देयताओं के संबंध में:

अ. कंपनी, अपने ऊपर लागू होने वाली निर्विवाद वैधानिक देयताओं, जिनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर तथा अन्य कोई भी महत्वपूर्ण

वैधानिक देयताएं शामिल हैं, को लेखा-पुस्तकों में दर्ज विवरण के अनुसार सामान्यतः नियमित रूप से जमा करती रही है। इसके अलावा, वर्ष के अंत में ऐसी कोई भी निर्विवाद देय राशि बकाया नहीं थी, जो उसके देय होने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि से भुगतान हेतु लंबित हो।

ब. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 31.03.2026 को आयकर तथा वस्तु एवं सेवा कर सहित अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देयताओं की ऐसी कोई राशि बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो, सिवाय निम्नलिखित के:

अधिनियम का नाम	देयता की प्रकृति	विवादित राशि (लाख रु. में)	वह अवधि जिससे संबंधित राशि है	न्यायिक प्राधिकरण जहां विवाद लंबित है
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	सेवा कर	3.82	वित्तीय वर्ष 2009-10 (दिनांक 24.07.12 के आदेश के अनुसार)	राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित है।
सीजीएसटी अधिनियम	जीएसटी	238.46	वित्तीय वर्ष 2019-20	GST अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील लंबित है।
सीजीएसटी अधिनियम	जीएसटी	2.32	वित्तीय वर्ष 2018-19	GST अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील लंबित है।
सीजीएसटी अधिनियम	जीएसटी	302.32	वित्तीय वर्ष 2020-21	GST आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील लंबित है।

(viii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण के दौरान, लेखा-पुस्तकों में पूर्व में आय के रूप में दर्ज न किए गए किसी भी लेन-देन को चालू वर्ष के दौरान आय के रूप में न तो समर्पित किया है और न ही घोषित किया है।

(ix) देयताओं के पुनर्भुगतान के संबंध में:

(अ) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को देय राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं

की है।

- (ब) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (स) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया है। अतः खंड (ix)(स) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (द) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग कंपनी के दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- (य) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों की देयताओं को पूरा करने या उनकी ओर से दायित्वों का निर्वहन करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है।
- (ह) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।
- (ख) (अ) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव, जिसमें ऋण लिखत भी शामिल हैं, या सावधि ऋण के माध्यम से कोई धनराशि जुटाई नहीं है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3(x)(a) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
(ब) वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3(x)(b) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xi) (अ) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के ऐसे किसी मामले का,

जिसे हमने देखा या जिसकी सूचना हमें दी गई हो, हमें पता नहीं चला है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है।

(ब) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट हमारे द्वारा केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में दाखिल नहीं की गई है।

(स) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी की विसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कंपनी को कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

(xii) निधि कंपनी के संबंध में:

कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) संबंधित पक्षकारों के संबंध में:

जहां लागू हो, संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 एवं 177 के प्रावधानों के अनुरूप हैं तथा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यकतानुसार इसका विवरण वित्तीय विवरणों आदि में खुलासा किया गया है।

(xiv) (अ) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली विद्यमान है, किंतु यह कंपनी के आकार एवं उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त नहीं है तथा इसे और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(ब) हमें कंपनी की वर्ष 2025-26 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें उपलब्ध कराई गई हैं और हमने उन पर विचार किया है।

(xv) निदेशकों के साथ गैर-नकद लेन-देन के संबंध में:

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है और अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (अ) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता

नहीं है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xvi)(a), (b), (c) एवं (d) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है, जबकि पिछले वर्ष में र. 1,029.44 लाख की नकद हानि (आस्थगित कर से पूर्व) हुई थी।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। अतः आदेश का खंड 3(xviii) कंपनी पर लागू नहीं होता है। हालांकि, पूर्व लेखा परीक्षकों ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में अपने पद से कार्यमुक्त हो गए थे। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

(xix) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु-वर्गीकरण एवं उनके वसूली की अपेक्षित तिथियों तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ

संलग्न अन्य जानकारी, निदेशक मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं के संबंध में हमारे ज्ञान तथा प्रासंगिक साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को विद्यमान अपनी देयताओं का, उनके देय होने पर, तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर भुगतान करने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इसे कंपनी की भविष्य में निरंतर व्यवहार्यता संबंध में कोई आश्वासन नहीं माना जाना चाहिए। हम आगे यह स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है तथा हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही यह आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताओं का कंपनी द्वारा उनके देय होने पर भुगतान कर दिया जाएगा।

(xx) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के संबंध में कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती है। अतः खंड (xx)(a) एवं (b) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

दिनांक : 14.07.2026

स्थान : जयपुर

कृते जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

(फर्म रजि.नं. 005842C)

हस्ताक्षरित

(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 079348

यूडीआईएन : 26079348XGLEQU6662

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक-2

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश, जिनमें 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांचे जाने वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है:

क्र.सं.	निर्देश	कार्रवाई की गई
1.	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, चाहे वे सूचीबद्ध हों अथवा गैर-सूचीबद्ध, के उचित मूल्यांकन का आकलन करें। इसमें मूल्यांकन की कार्यप्रणालियों का सत्यापन करना, इंड एस के अनुरूपता सुनिश्चित करना तथा सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन के दृष्टिकोण, उसकी युक्तिसंगतता तथा लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन अथवा गलत विवरण के संबंध में रिपोर्ट करेंगे।	कंपनी ने अर्जित अवकाश के नकदीकरण संबंधी देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के पास फंड रखा है तथा रील ग्रेच्युटी ट्रस्ट ने ग्रेच्युटी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के पास फंड रखा है। संबंधित देयताओं का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया गया है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा घोषित फंड पर अर्जित ब्याज का लेखांकन पुस्तकों में किया गया है। कंपनी द्वारा अपनाया गया मूल्यांकन दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणालियां युक्तिसंगत हैं तथा इंड एस के अनुरूप एवं सुसंगत हैं (लेखों की नोट संख्या 31)। यह मूल्यांकन बीमांकक की रिपोर्टों एवं LIC के फंड विवरणों द्वारा समर्थित है तथा लागू विनियमों के अनुरूप है। कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं पाया गया है।
2.	क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेन-देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हां, तो क्या इस प्रणाली तथा कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों और साइबर सुरक्षा की समीक्षा, Cert-In द्वारा सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षण संगठनों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार की गई है तथा पाई गई महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हों, की उचित रूप से रिपोर्टिंग की गई है? आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन को संसाधित किए जाने के कारण लेखों की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उसके वित्तीय प्रभावों की भी रिपोर्ट की जा सकती है।	कंपनी में सभी लेखांकन लेन-देन को आईटी आधारित प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था उपलब्ध है। यह प्रणाली वित्त प्रभाग में स्थापित एक पृथक एवं स्टैंडअलोन मशीन पर संचालित होती है, जो इंटरनेट अथवा किसी स्थानीय नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं है। इससे लेखांकन संबंधी डेटा एवं वाउचर का सुरक्षित रूप से प्रसंस्करण सुनिश्चित होता है। यह प्रणाली कई वर्षों से निरंतर संचालित है तथा इसकी सटीकता, विश्वसनीयता एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा एवं निगरानी की जाती है। चूंकि यह प्रणाली स्टैंडअलोन है और किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए बाहरी साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम स्वाभाविक रूप से न्यूनतम है। प्रणालीगत नियंत्रणों अथवा साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई विसंगति न तो पाई गई है और न ही रिपोर्ट की गई है। आईटी प्रणाली के बाहर कोई भी लेखांकन लेन-देन संसाधित नहीं किया जाता है। तथापि, लेखांकन एवं इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर एक-दूसरे से एकीकृत नहीं हैं; इसका लेखों की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारे मत में, कंपनी में Cert-In द्वारा सूचीबद्ध संगठनों से वर्ष में कम से कम एक बार सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षण कराया जाना वांछनीय नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य फंड (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखांकन लागू लेखांकन मानकों अथवा मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया है तथा क्या प्राप्त फंड	केंद्र/राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखांकन लागू लेखांकन मानकों/मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया है तथा प्राप्त निधियों का उपयोग अनुदान के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया

क्र.सं.	निर्देश	कार्रवाई की गई
	का उपयोग उनके नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान की शर्तों एवं नियमों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	गया है। प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन भी अनुदान के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। कोई महत्वपूर्ण विचलन अथवा गलत विवरण नहीं पाया गया है।
4(अ).	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हां, तो (अ) क्या जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करते समय वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखा गया है?	कंपनी ने अपने प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की है तथा जोखिम प्रबंधन को अपनी परिचालन व्यवस्था में सुव्यवस्थित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संरचना के माध्यम से समाहित किया गया है। इसमें जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा तथा जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग हेतु एक सुदृढ़ व्यवस्था शामिल है। प्रमुख जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियों में जोखिम की पहचान एवं आकलन, जोखिम का मूल्यांकन, जोखिम की रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण, जोखिम का न्यूनीकरण एवं निगरानी तथा रणनीति एवं व्यवसाय योजना के साथ जोखिम प्रबंधन का एकीकरण शामिल है। जोखिमों का प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक तथा संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा किया जाता है।
4(ब).	क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है तथा क्या उनका उचित रूप से मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने ग्राहक/विक्रेता मास्टर डेटा, इंजीनियरिंग डिज़ाइन तथा अन्य इसी प्रकार की सूचनाओं जैसी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की है और परिणामस्वरूप, लेखा पुस्तकों में पहले से मान्यता प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त, ऐसी किसी भी डेटा परिसंपत्ति का कंपनी द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है।
5.	क्या कंपनी, जहां कभी लागू हो, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा, SEBI, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, CERT-IN, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को स्पष्ट रूप से उजागर किया जाए।	चूंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, अतः वर्ष के दौरान एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम, 2015 लागू नहीं होते हैं। कंपनी, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय तथा लोक उद्यम विभाग के विनियमों का अनुपालन कर रही है। कंपनी द्वारा सभी लागू विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है तथा विचलन का कोई मामला नहीं पाया गया है।

दिनांक : 14.07.2026

स्थान : जयपुर

कृते जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

(फर्म रजि.नं. 005842C)

हस्ताक्षरित

(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 079348

यूडीआईएन : 26079348XGLEQU6662

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि तक रिपोर्ट का अनुलग्नक-3 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत (“अधिनियम”)

हमने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड (“कंपनी”) के 31 मार्च 2026 को विद्यमान वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ-साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर (“मार्गदर्शन नोट”) में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है, जो कंपनी के व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत हों। इनमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना भी शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी (“मार्गदर्शन नोट”) तथा लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित माना गया है, जहां तक वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं। उक्त मार्गदर्शन नोट एवं लेखा परीक्षा मानक दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उक्त लेखा परीक्षा मानकों एवं मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना तथा ऑडिट की योजना बनाने एवं उसे इस प्रकार निष्पादित करने की आवश्यकता होती है कि इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित

एवं बनाए रखे गए थे तथा ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनके प्रभावी रूप से कार्य करने के संबंध में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनके प्रभावी रूप से कार्य करने के संबंध में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमियों के विद्यमान होने के जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्पन एवं उनके प्रभावी संचालन की जांच एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में निम्नलिखित नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं:

- 1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत विवरण के साथ कंपनी के लेन-देन एवं परिसंपत्तियों के निपटान को सही एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- 2) युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को सामान्यतः

स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किया जाता है तथा कंपनी की प्राप्ति एवं व्ययों का निष्पादन केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा दिए गए प्राधिकार के अनुसार ही किया जा रहा है; तथा

- 3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करते हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों के अनुचित अतिक्रमण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन को भविष्य की अवधियों तक लागू करने पर यह जोखिम बना रहता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

योग्य राय का आधार

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च 2026 को वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां पहचानी गई हैं:

- (अ) व्यवसाय के आकार, प्रकृति एवं जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समय-समय पर समीक्षा भी की जानी आवश्यक है।

- (ब) कंपनी में माल की आवाजाही के संबंध में उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जिससे सामग्री के निर्गमन एवं प्राप्ति पर आंतरिक नियंत्रण की कमी तथा व्यापारिक प्राप्य एवं व्यापारिक देय से समय-समय पर बाहरी पुष्टि प्राप्त करने की व्यवस्था में कमी का संकेत मिलता है। वर्ष के दौरान कंपनी ने व्यापारिक प्राप्य एवं व्यापारिक देय के खाते का विवरण जारी किए था, तथापि संबंधित पक्षों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई। अतः हम इस प्रणाली की परिचालन प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

‘महत्वपूर्ण कमियां’ से आशय वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में किसी कमी अथवा कमियों के संयोजन से है, जिसके कारण यह युक्तिसंगत संभावना रहती है कि कंपनी के वार्षिक अथवा अंतरिम वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण को समय पर रोका या पहचाना नहीं जा सकेगा।

योग्य राय

हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2026 को, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखे हैं। तथापि, ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, जो नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रभावित कर सकते हैं, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2026 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने 31 मार्च 2026 को कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू की गई ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय एवं सीमा निर्धारित करते समय ऊपर पहचानी एवं रिपोर्ट की गई महत्वपूर्ण कमियों को ध्यान में रखा है तथा इन महत्वपूर्ण कमियों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

दिनांक : 14.07.2026

स्थान : जयपुर

कृते जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

(फर्म रजि.नं. 005842C)

हस्ताक्षरित

(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 079348

यूडीआईएन : 26079348XGLEQU6662

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लेखों का ऑडिट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार किया है तथा हम प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का हमने पूर्णतः अनुपालन किया है।

दिनांक : 14.07.2026

स्थान : जयपुर

कृते जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

(फर्म रजि.नं. 005842C)

हस्ताक्षरित

(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)

साझेदार

सदस्यता संख्या: 079348

यूडीआईएन : 26079348XGLEQU6662



31 मार्च, 2026 को तुलन पत्र

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	नोट्स	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
संपत्ति			
I. गैर-वर्तमान संपत्ति			
(अ) परिसंपत्ति, प्लांट तथा उपकरण	4	2,343.46	2,516.73
(ब) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	-	-
(स) निवेश परिसंपत्ति		-	-
(ड) साख		-	-
(य) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-
(i) तकनीकी जानकारी	5	-	-
(र) अमूर्त परिसंपत्तियों विकास के तहत		-	-
(ह) अन्य जैविक परिसंपत्तियां वाहक प्लांट के अलावा		-	-
(ल) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश		-	-
(ii) व्यापार प्राप्त्य	6	265.10	116.17
(iii) ऋण		-	-
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9ए	117.43	56.53
(v) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	8	1,999.15	2,441.37
(vii) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		-	-
कुल गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		4,725.14	5,130.80
II. वर्तमान परिसंपत्तियां			
(अ) इन्वेन्ट्री	10	1,583.06	1,701.76
(ब) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश		-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियां	7	29,036.13	17,048.04
(iii) नकद और नकदी के समतुल्य	11	454.99	4,846.89
(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बैंक शेष	11ए	229.62	195.61
(v) ऋण		-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9बी	114.63	182.33
(स) चालू कर परिसंपत्तियां	13	313.65	279.93
(द) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	831.21	490.57
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		32,563.29	24,745.13
कुल परिसंपत्तियां (I + II)		37,288.43	29,875.93
इन्विंटेड तथा देनदारियां			
I. इन्विंटेड			
(अ) इन्विंटेड शेयर पूंजी	14	1,225.00	1,225.00
(ब) अन्य इन्विंटेड	15	4,067.74	4,431.85
कुल इन्विंटेड		5,292.74	5,656.85
II. गैर वर्तमान देनदारियां			
(अ) वित्तीय देनदारियां			
(i) ऋण		-	-
(ii) लोन देयताएं		-	-
(iii) व्यापार देय		-	-
(अ) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	19ए	-	-
(ब) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	19ए	14.46	16.60
(ब) प्रावधान		-	-
(स) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	17ए	286.97	306.90
(द) अन्य गैर वर्तमान देनदारियां		-	-
कुल गैर वर्तमान देनदारियां	18ए	458.07	164.46
III. वर्तमान देनदारियां		759.50	487.96
(अ) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार		-	-
(ii) लोन देयताएं		-	-
(iii) व्यापार देय		-	-
(अ) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	19बी	2,713.88	2,193.76
(ब) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	19बी	24,508.77	16,354.99
(iv) अन्य वित्त देनदारियां	16	344.25	453.63
(ब) अन्य वर्तमान देनदारियां	18बी	2,427.47	3,668.02
(स) प्रावधान	17बी	1,241.82	1,060.72
कुल वर्तमान देनदारियां		31,236.19	23,731.12
IV. कुल देनदारियां (II + III)		31,995.69	24,219.08
कुल इन्विंटेड और देनदारियां (I + IV)		37,288.43	29,875.93

वित्तीय विवरणों के साथ दिए गए नोट्स (1-36) देखें। हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार कृते जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स

सेनदी लेखाकार
FRN 005842C

हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)

साक्षीदार

सदस्यता संख्या 079348

स्थान : जयपुर

दिनांक : 14.07.2026

यूडीआईएन: 26079348XGLEQU6662

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(निधि मेहता)

निदेशक
डीआईएन: 11398351

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(वृजेश दीक्षित)

प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन: 11086971

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि का विवरण

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	नोट्स	"31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए"	"31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए"
I संचालन से राजस्व	21	27815.44	15,748.78
II अन्य आय	22	475.73	211.22
III कुल आय (I+II)		28291.17	15,960.00
IV व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	23	7331.26	9,053.74
व्यापार के लिए स्टॉक की खरीद		-	-
तैयार माल की इन्वेंट्री में बदलाव	24	(81.86)	(187.69)
कर्मचारी लाभ से जुड़े व्यय	25	3275.91	3,284.13
वित्तीय लागत	26	73.32	30.35
मूल्यहास, क्षति और परिशोधन व्यय	27	192.24	194.55
अन्य व्यय	28	17437.66	4,808.91
कुल व्यय		28228.53	17,183.99
V असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि) और कर (III-IV)		62.64	(1,223.99)
VI जोड़े: असाधारण मदें		-	-
VII असाधारण मदों से पहले लाभ/(हानि) और कर		62.64	(1,223.99)
VIII घटायें: कर व्यय	29		
1. वर्तमान कर		-	-
2. प्रावधान रिवर्सल		-	-
3. आस्थगित कर		437.72	(328.56)
कुल कर व्यय		437.72	(328.56)
IX निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ / (हानि) (VII-VIII)		(375.08)	(895.43)
X बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XI बंद किए गए परिचालनों का कर व्यय		-	-
XII बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
XIII अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX + XII)		(375.08)	(895.43)
XIV अन्य व्यापक आय		-	-
अ (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
(अ) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		15.47	(12.36)
"ब (i) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा"		(4.50)	3.60
कुल अन्य व्यापक आय (XIV=अ (i)+ब(i))		10.97	(8.76)
XV वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV)		(364.11)	(904.19)
XVI प्रति इक्विटी शेयर अर्जन	30		
(1) मूल (रुपये में)		(3.06)	(7.31)
(2) डाइल्यूटेड (रुपये में)		(3.06)	(7.31)

वित्तीय विवरणों के साथ दिए गए नोट्स (1-36) देखें। हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार कृते जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स

सेनदी लेखाकार
FRN 005842C

हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार

सदस्यता संख्या 079348

स्थान : जयपुर
दिनांक : 14.07.2026

यूडीआईएन: 26079348XGLEQU6662

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(निधि मेहता)
निदेशक

डीआईएन: 11398351

हस्ताक्षरित
(अमित कुमार जैन)
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
(वृजेश दीक्षित)
प्रबन्ध निदेशक

डीआईएन: 11086971

हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी



31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	"31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए"	"31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए"
अ. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(375.08)	(895.43)
समायोजन हेतु:		
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	437.72	(328.56)
बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियां	379.96	319.63
परिसंपत्तियां हटाई गई	0.12	0.31
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त वित्तीय लागत	73.32	30.35
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त ब्याज आय	(131.97)	(92.27)
मूल्यहास और परिशोधन	192.24	194.55
अशोध्य ऋण/सब्सिडी प्राप्य बट्टे खाते में डालने योग्य	-	0.72
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व परिचालन से उत्पन्न नकदी	576.31	(770.70)
कार्यशील पूंजी में उतार-चढ़ाव:		
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि) / कमी	(12,516.98)	(2,201.48)
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(367.85)	298.94
इन्वेन्ट्री में (वृद्धि) / कमी	118.70	211.29
व्यापार देय राशि में वृद्धि / (कमी)	8671.76	4,140.94
प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	176.64	133.37
अन्य देय राशि में वृद्धि / (कमी)	(1,056.32)	1,700.83
परिचालन से उत्पन्न नकदी	(4,974.05)	4,283.89
आयकर (भुगतान/प्राप्त रिफंड)	(4,397.74)	3,513.19
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी	(4,431.46)	3,672.54
ब. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान	(19.12)	(7.44)
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से प्राप्त आय	0.03	1.85
ब्याज आय	131.97	92.27
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न/प्रयुक्त शुद्ध नकदी	112.88	86.68
स. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
भुगतान की गई वित्तीय लागत	(73.32)	(30.35)
शुद्ध (प्रयोग में ली) / वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न	(73.32)	(30.35)
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(4391.90)	3,728.87
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य*	4846.89	1,118.02
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य*	454.99	4,846.89

नकदी और नकद समतुल्यों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकद और नकद समतुल्य	4846.89	1,118.02
अंतर	-	-
तुलन पत्र के अनुसार नकदी और नकद समतुल्य (नीचे दी गई तालिका देखें)	454.99	4,846.89

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
बैंकों में शेष (अ+ब+स)	454.99	4,844.99
पीएनबी बचत खाता (अ)	0.14	0.14
अन्य बैंक शेष (ब)	454.60	946.47
बैंक में जमा (स)	-	3,898.38
रोकड़ हाथ में	0.25	1.90
उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट	-	-
नकदी और नकद समतुल्य	454.99	4,846.89

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण को "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तैयार किया गया है, जैसा ईड एस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में निर्धारित है। 2. प्रस्तुति में एकरूपता के लिए, जहां जरूरी था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहिकृत किया गया है। 3. कोष्ठक नकदी बहिर्वाह को दर्शाते हैं। 4. नकद और नकद समतुल्य में 0.14 लाख रुपये शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल सामान्य व्यापार परिचालन में नहीं किया जा सकता।

वित्तीय विवरणों के साथ दिए गए नोट्स (1-36) देखें। हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स

सेनदी लेखाकार

FRN 005842C

हस्ताक्षरित

(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)

साझेदार

सदस्यता संख्या 079348

स्थान : जयपुर

दिनांक : 14.07.2026

यूडीआईएन: 26079348XGLEQU6662

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित

(निधि मेहता)

निदेशक

डीआईएन: 11398351

हस्ताक्षरित

(अमित कुमार जैन)

कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित

(वृजेश दीक्षित)

प्रबन्ध निदेशक

डीआईएन: 11086971

हस्ताक्षरित

(सुभाष अग्रवाल)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

1. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः घोषित शेष	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
1,225.00	-	-	-	1,225.00

2. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः घोषित शेष	पिछले वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
1,225.00	-	-	-	1,225.00

वित्तीय विवरणों के साथ दिए गए नोट्स (1-36) देखें। हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार कृते जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
 सनदी लेखाकार
 FRN 005842C
 हस्ताक्षरित
 (जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
 साझेदार
 सदस्यता संख्या 079348
 स्थान : जयपुर
 दिनांक : 14.07.2026
 यूडीआईएन: 26079348XGLEQU6662

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
 (निधि मेहता)
 निदेशक
 डीआईएन: 11398351
 हस्ताक्षरित
 (अमित कुमार जैन)
 कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
 (वृजेश दीक्षित)
 प्रबन्ध निदेशक
 डीआईएन: 11086971
 हस्ताक्षरित
 (सुभाष अग्रवाल)
 मुख्य वित्तीय अधिकारी



ब. अन्य इक्विटी

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

1. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	चक्रवृद्धि वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	संचय और अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से देनदार साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	केराफलो हेजेज का प्रभावी हिस्सा	पुनर्गठन अधिशेष	विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स	वॉरंट के विरुद्ध प्राप्त धन का हिस्सा	कुल
			पूँजी संचय	प्रतिभूति प्रीमियम	"अन्य संचय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)"	प्रतिधारित आय								
					सामान्य संचय							(शुद्ध परिभाषित लाभ योजना की पुनर्गणना)		
(अ) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	-	-	-	-	4,373.45	323.24	-	-	-	-	-	(264.84)	-	4,431.85
(ब) लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(स) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(द) चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.97	-	10.97
(य) लाभोपभोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(र) सामान्य संचय से स्थानांतरण	-	-	-	-	(350.00)	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(ह) कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-	-	-	-	(375.08)	-	-	-	-	-	-	-	(375.08)
(ल) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4,023.45	298.16	-	-	-	-	-	(253.87)	-	4,067.74

वित्तीय विवरणों के साथ दिए गए नोट्स (1-36) देखें। हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार

2. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	चक्रवृद्धि वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	संचय और अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से देनदार साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	केराफलो हेजेज का प्रभावी हिस्सा	पुनर्गठन अधिशेष	विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स	वॉरंट के विरुद्ध प्राप्त धन का हिस्सा	कुल
			पूँजी संचय	प्रतिभूति प्रीमियम	"अन्य संचय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)"	प्रतिधारित आय								
					सामान्य संचय							(शुद्ध परिभाषित लाभ योजना की पुनर्गणना)		
(अ) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	-	-	-	-	5,273.45	318.67	-	-	-	-	-	(256.08)	-	5336.04
(ब) लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(स) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(द) चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.76)	-	(8.76)
(य) लाभोपभोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(र) सामान्य संचय से स्थानांतरण	-	-	-	-	(900.00)	900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(ह) कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-	-	-	-	(895.43)	-	-	-	-	-	-	-	(895.43)
(ल) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					4,373.45	323.24	-	-	-	-	-	(264.84)	-	4,431.85

वित्तीय विवरणों के साथ दिए गए नोट्स (1-36) देखें। हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN 005842C
हस्ताक्षरित
(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)
साझेदार
सदस्यता संख्या 079348
स्थान : जयपुर
दिनांक : 14.07.2026
यूडीआईएन: 26079348XGLEQU6662

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
हस्ताक्षरित
(निधि मेहता)
निदेशक
डीआईएन: 11398351
हस्ताक्षरित
(सुभाष अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
हस्ताक्षरित
(बृजेश दीक्षित)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन: 11086971

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सामान्य जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. सामान्य जानकारी

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड, जयपुर (रील) भारत में निगमित और अधिवासित कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, सिरसी रोड़, जयपुर में स्थित है। कंपनी भारत सरकार (51% शेयरधारिता) तथा राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर (रीको) के माध्यम से (49% शेयरधारिता) के बीच एक संयुक्त उपक्रम है।

कंपनी का गठन 12 जून 1981 को हुआ था और यह भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है तथा यह एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रील इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनेलाइजर और सौर ऊर्जा उपकरणों के व्यवसाय में है, तथा पवन ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के क्षेत्रों में सीमित रूप से कार्यरत है।

2. हालिया लेखा घोषणाएं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। इस प्रकार अधिसूचित संशोधन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और तदनुसार, वित्तीय विवरणों में आंकड़े (राशि) रुपये लाख में लिए गए हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

मुख्य लेखांकन नीतियां निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:

3.1 अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एस") के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है तथा जिनमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

3.2 तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण का आधार

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ("इंड एस") के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित नियम भी शामिल हैं, जिनमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं,

सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और दायित्वों के, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और दायित्व,
- परिभाषित लाभ योजनाएं - योजना परिसंपत्तियां

वित्तीय विवरण प्रोद्घवन आधार एवं गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर एकसमान रूप से लागू की गई हैं।

वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण: कंपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और दायित्वों को चालू/ गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को वर्तमान माना जाता है, जब वह -

सामान्य परिचालन चक्र में वसूल किए जाने, बेचे जाने या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हो;

मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित हो;

रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूल किए जाने की अपेक्षा हो; अथवा

नकद या नकद समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों की अवधि के लिए किसी दायित्व के निपटान हेतु उसके विनिमय या उपयोग पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी दायित्व को वर्तमान माना जाता है, जब:

सामान्य परिचालन चक्र में इसके निपटाने की अपेक्षा हो;

यह मुख्य रूप से व्यापार के धारित हो;

रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर इसका निपटान किया जाना हो; अथवा

रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों की अवधि के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार न हो।

कंपनी अन्य सभी दायित्वों को गैर-वर्तमान दायित्वों के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को गैर-चालू परिसंपत्तियों और दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.3 अनुमानों का उपयोग

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय एवं धारणाएं करने की आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय एवं धारणाएं लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक परिसंपत्तियों और दायित्वों के खुलासे तथा अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करती हैं। इन वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त प्रमुख लेखांकन अनुमानों का वर्णन संबंधित आय/व्यय और/या परिसंपत्ति/दायित्व मद के अंतर्गत किया गया है। प्रबंधन का मानना है कि इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

कंपनी द्वारा अर्जित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को अधिग्रहण लागत पर दर्शाया जाता है, जिसमें संचित मूल्यहास तथा हानि, यदि कोई हो, को घटाया गया है।

अधिग्रहण लागत में खरीद मूल्य (वापसी योग्य करों को छोड़कर) तथा डिलीवरी और हैंडलिंग लागत, स्थापना, कानूनी सेवाएं और परामर्श सेवाएं जैसे व्यय शामिल होते हैं, जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए साइट तक पहुंचाने और कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं।

बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या, जैसा उचित हो, अलग परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है, जब यह संभावित हो कि उस मद से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और उस मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो। अन्य सभी मरम्मत एवं रखरखाव व्ययों को उस अवधि के दौरान लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।

फ्रीहोल्ड भूमि पर मूल्यहास नहीं लगाया जाता है। लीजहोल्ड भूमि को लीज की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन अवधि के दौरान, सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यहास को मान्यता दी जाती है, ताकि परिसंपत्तियों की लागत में से उनके अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर शेष राशि को बट्टे खाते में डाला जा सके। अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्यों और मूल्यहास पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा अनुमानों में किए गए किसी भी परिवर्तन के प्रभाव का लेखांकन भावी आधार पर किया जाता है। ₹ 5,000 या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों पर खरीद के वर्ष

में ही पूर्ण मूल्यहास लगाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद को उसके निपटान के समय अथवा जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होने की अपेक्षा नहीं होती है, तब मान्यता से हटा दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद के निपटान या सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री से प्राप्त आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है तथा इसे लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, जो तुलन पत्र की तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें “पूँजीगत कार्य-प्रगति” के रूप में दर्शाया जाता है।

3.5 अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को अधिग्रहण लागत पर दर्शाया जाता है, जिसमें वसूलनीय करों, व्यापार छूट एवं रिबेट को घटाने के पश्चात, संचित परिशोधन/क्षय तथा हानि, यदि कोई हो, को घटाया जाता है। इस लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत तथा परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कोई भी लागत शामिल होती है।

बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या, जैसा उचित हो, अलग परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है, जब यह संभावित हो कि उस मद से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्राप्त होंगे और लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन उनकी अपेक्षित उपयोगी जीवन अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है।

किसी पहचान योग्य अमूर्त परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि अनेक कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिनमें अप्रचलन के प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) और परिसंपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल हैं।

सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन की अवधि और परिशोधन पद्धति की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है तथा, यदि उचित हो, तो उसमें भावी आधार पर समायोजन किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त किए जाने से उत्पन्न लाभ या हानि का मापन परिसंपत्ति के निपटान से प्राप्त शुद्ध आय और उसकी वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है तथा परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त किए जाने के समय इसे लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनुसंधान लागतों को व्यय किए जाने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास लागतों को व्यय किए जाने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि परियोजना की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदर्शित न हो जाए, भविष्य में आर्थिक लाभ प्राप्त होना संभावित न हो, कंपनी के पास सॉफ्टवेयर को पूरा करने तथा उसका उपयोग करने या उसे बेचने का इरादा और क्षमता न हो और लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो। पूंजीकृत की जाने वाली लागतों में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत तथा ऐसी ओवरहेड लागतें शामिल होती हैं, जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं।

3.6 साख के अलावा मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह, जिन्हें नकदी सृजन इकाई (CGU) कहा जाता है, की वहन राशि की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इन परिसंपत्तियों में किसी प्रकार की हानि होने का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद हो, तो CGU की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है, ताकि हानि की राशि, यदि कोई हो, निर्धारित की जा सके। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी उस CGU की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है, जिससे वह परिसंपत्ति संबंधित है।

हानि को लाभ-हानि विवरण में उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिस सीमा तक परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति के निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य और उपयोगिता मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोगिता मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जिसे ऐसे कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके वर्तमान मूल्य में छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य तथा परिसंपत्तियों से संबंधित विशिष्ट जोखिम के संबंध में वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों तथा ऐसी अमूर्त परिसंपत्तियों, जो अभी उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं, की हानि के लिए प्रत्येक वर्ष परीक्षण किया जाता है अथवा जब भी ऐसा कोई संकेत मिलता है कि परिसंपत्ति में हानि हो सकती है।

पूर्व में मान्यता दी गई हानि को तभी वापस लिया जाता है, जब पिछली हानि की मान्यता के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो। हानि की वापसी इस सीमा तक की जाती है कि परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो तथा न ही उस वहन राशि से अधिक हो, जो पूर्ववर्ती वर्षों में परिसंपत्ति के संबंध में कोई हानि मान्यता प्राप्त न होने की स्थिति में मूल्यहास घटाने के बाद निर्धारित की गई होती।

ऐसी वापसी को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं दर्शाया गया हो; ऐसी स्थिति में, वापसी को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

3.7 इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। हालांकि, इन्वेंट्री के उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई सामग्री और अन्य मदों को लागत से कम पर बट्टे खाते में नहीं लिखा जाता है, यदि यह अपेक्षित है कि जिन तैयार उत्पादों में इन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें लागत या उससे अधिक पर बेचा जाएगा। लागत का निर्धारण FIFO पद्धति के आधार पर किया जाता है। तैयार माल एवं कार्य-प्रगति की लागत में खरीद की सभी लागतें, रूपांतरण लागतें तथा इन्वेंट्री को उसकी वर्तमान स्थिति और स्थान तक लाने में हुई अन्य लागत शामिल होती हैं।

इन्वेंटरी की लागत में सभी रूपांतरण की लागतें तथा इन्वेंटरी को उसकी वर्तमान स्थिति और स्थान तक लाने में हुई अन्य लागत शामिल होती हैं और इसका मूल्यांकन FIFO पद्धति के आधार पर किया जाता है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान अनुमानित बिक्री मूल्य होता है, जिसमें से पूर्णता की अनुमानित लागत तथा बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाया जाता है।

वह इन्वेंटरी, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान खरीद/बिक्री/उपभोग से संबंधित कोई लेन-देन नहीं हुआ है, उसे नॉन-मूविंग इन्वेंटरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि वह इन्वेंटरी, जिसमें 20% से कम लेन-देन हुए हैं, उसे स्लो-मूविंग इन्वेंटरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन इन्वेंटरी की पहचान वर्ष के अंत में की जाती है और तदनुसार इन्हें इनके मूल्य के 20% तक घटाकर दर्ज किया जाता है। हालांकि, यदि शुद्ध वसूली योग्य मूल्य वास्तविक लागत से अधिक है, तो कोई प्रभाव नहीं लिया जाता है।

3.8 राजस्व की मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को इंड एस-115 में

निर्धारित पाँच-चरणीय मानदंड के आधार पर मान्यता देती है:-

- (i) ग्राहक के साथ अनुबंधों की पहचान: अनुबंध को दो या दो से अधिक पक्षों के बीच ऐसे समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्रवर्तनीय अधिकारों और दायित्वों का सृजन करता है तथा प्रत्येक अनुबंध के लिए आवश्यक मानदंड निर्धारित करता है, जिन्हें पूरा किया जाना अनिवार्य है।
 - (ii) अनुबंध में कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान: कार्य-निष्पादन दायित्व, ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध में ग्राहक को कोई वस्तु या सेवा हस्तांतरित करने का वचन होता है।
 - (iii) लेन-देन मूल्य का निर्धारण: लेन-देन मूल्य वह प्रतिफल की राशि है, जिसे कंपनी वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को ग्राहक को हस्तांतरित करने के बदले प्राप्त करने की अपेक्षा करती है, जिसमें तृतीय पक्षों की ओर से एकत्र की गई राशियां शामिल नहीं होती हैं।
 - (iv) अनुबंध में कार्य-निष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य का आवंटन: ऐसे अनुबंध, जिसमें एक से अधिक कार्य-निष्पादन दायित्व होते हैं, के लिए कंपनी लेन-देन मूल्य को प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए ऐसी राशि में आवंटित करती है, जो प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा करने के बदले कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित प्रतिफल की राशि को दर्शाती है।
 - (v) राजस्व की मान्यता, जब या जैसे ही कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा करती है।
- इंड एस 115 के अनुसार, जो यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है कि राजस्व को कब, कितनी राशि में और किस प्रकार मान्यता दी जानी है।
 - कंपनी ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों से राजस्व को तब मान्यता देती है, जब वह ग्राहक को वचनबद्ध वस्तु या सेवा हस्तांतरित करके कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। राजस्व की मान्यता उस राशि तक की जाती है, जो पूर्ण किए गए कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित लेन-देन मूल्य के बराबर हो। जब ग्राहक को (वस्तु या सेवा) पर नियंत्रण का हस्तांतरण समय के साथ होता है, तब कार्य-निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरा माना जाता है, अन्य सभी मामलों में, कार्य-निष्पादन दायित्व एक निश्चित समय-बिंदु पर पूरा माना जाता है। समय के साथ पूर्ण किए जाने वाले कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए, राजस्व की मान्यता कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति के मापन के आधार पर की जाती है।

- राजस्व का मापन लेन-देन मूल्य के आधार पर किया जाता है, जो ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध में निर्दिष्ट मात्रा-आधारित छूट, सेवा-स्तर क्रेडिट, प्रदर्शन बोनस, मूल्य रियायतों तथा अन्य प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, के समायोजन के पश्चात निर्धारित प्रतिफल होता है। राजस्व में ग्राहकों से वसूल किए गए करों की राशियां शामिल नहीं होती हैं।
- लेन-देन मूल्य वह प्रतिफल की राशि है, जिसे कंपनी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं का हस्तांतरण करने के बदले प्राप्त करने की अपेक्षा करती है, जिसमें तृतीय पक्ष की ओर से वसूल की गई राशियां शामिल नहीं होती हैं। परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान, परिस्थितियों के अनुसार, अपेक्षित मूल्य विधि अथवा सर्वाधिक संभावित राशि विधि का उपयोग करके लगाया जाता है। ग्राहक के साथ सहमत भुगतान की शर्तें सामान्य व्यावसायिक प्रथाओं के अनुरूप होती हैं तथा यदि वित्तपोषण घटक महत्वपूर्ण हो, तो उसे लेन-देन मूल्य से पृथक् किया जाता है और पृथक् रूप से ब्याज आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता तब की जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार वस्तुओं के स्वामित्व से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ क्रेता को हस्तांतरित हो जाते हैं, वस्तुओं के संबंध में कंपनी का कोई निरंतर प्रबंधकीय नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं रहता है तथा राजस्व की राशि का विश्वसनीय रूप से निर्धारण किया जा सकता है। कंपनी हस्तांतरित वस्तुओं पर सामान्यतः स्वामित्व से जुड़े प्रभावी नियंत्रण को बनाए नहीं रखती है तथा वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाले प्रतिफल की राशि के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं होती है। राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है, जिसमें से व्यापारिक छूट, मात्रा-आधारित छूट तथा सरकार की ओर से वसूल किए गए बिक्री पर अधिरोपित किसी भी कर या शुल्क जैसे वस्तु एवं सेवा कर आदि को घटाया जाता है।
- सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व की मान्यता ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के आधार पर समय के साथ की जाती है, इसके लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कार्य-निष्पादन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में हुई प्रगति का मापन किया जाता है, बशर्ते कि राजस्व की राशि का विश्वसनीय रूप से निर्धारण किया जा सके।

राजस्व की मान्यताओं में महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रयोग

- कंपनी द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों में ग्राहक को एक

से अधिक उत्पादों एवं सेवाओं के हस्तांतरण के वचन शामिल हो सकते हैं। कंपनी अनुबंध में वचनबद्ध उत्पादों/सेवाओं का आकलन करती है तथा अनुबंध में निहित पृथक कार्य-निष्पादन दायित्वों की पहचान करती है। पृथक कार्य-निष्पादन दायित्वों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसमें वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की सुपुर्दगी तथा ग्राहक द्वारा ऐसी वस्तुओं या सेवाओं से स्वतंत्र रूप से लाभ प्राप्त करने की क्षमता का निर्धारण किया जाता है।

- कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए उपयुक्त पृथक विक्रय मूल्य निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय का प्रयोग करती है। कंपनी अनुबंध में वचनबद्ध प्रत्येक पृथक उत्पाद या सेवा के सापेक्ष पृथक विक्रय मूल्य के आधार पर लेन-देन मूल्य को प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित करती है। जहाँ पृथक विक्रय मूल्य प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहाँ कंपनी प्रत्येक पृथक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य के आवंटन हेतु अनुमानित लागत में उचित लाभांश जोड़ने की विधि का उपयोग करती है।
- कंपनी यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय का प्रयोग करती है कि कार्य-निष्पादन दायित्व किसी निश्चित समय-बिंदु पर पूरा होता है अथवा समय के साथ पूरा होता है। कंपनी यह निर्धारित करते समय विभिन्न संकेतकों का मूल्यांकन करती है कि कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ति समय के साथ होती है या किसी निश्चित समय-बिंदु पर। इन संकेतकों में सेवाएँ प्रदान किए जाने के दौरान ग्राहक द्वारा उनसे प्राप्त लाभों का उपभोग, निर्माणाधीन परिसंपत्ति पर ग्राहक का नियंत्रण, रिपोर्टिंग तिथि तक किए गए कार्य के लिए भुगतान प्राप्त करने का प्रवर्तनीय अधिकार, उत्पाद या सेवा के वैकल्पिक उपयोग की संभावना, ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिमों एवं लाभों का हस्तांतरण तथा ग्राहक द्वारा सुपुर्दगी की स्वीकृति आदि शामिल हैं।

ब्याज आय

वित्तीय परिसंपत्तियों से उत्पन्न ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि के आधार पर संबंधित अवधि में मान्यता दी जाती है।

3.9 कर्मचारी लाभ

• सेवानिवृत्ति लाभ लागत एवं सेवा-समापन लाभ

परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में किए गए अंशदान को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब कर्मचारी संबंधित अंशदान के हकदार होने हेतु आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं।

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, इसके लिए प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ एवं हानियाँ, परिसंपत्ति सीमा में हुए परिवर्तनों का प्रभाव (यदि लागू हो) तथा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज को छोड़कर) शामिल हैं, को संबंधित अवधि में तत्काल तुलन पत्र में प्रतिबिंबित किया जाता है तथा जिस अवधि में ये उत्पन्न होते हैं, उसी अवधि में इन्हें अन्य व्यापक आय में चार्ज या क्रेडिट के रूप में मान्यता दी जाती है। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन राशि को तत्काल प्रतिधारित आय में समायोजित किया जाता है तथा इसे बाद की अवधि में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

पूर्व सेवा लागत को योजना में संशोधन किए जाने की अवधि में लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। शुद्ध ब्याज की गणना अवधि के प्रारंभ में लागू छूट दर को शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व या परिसंपत्ति पर लागू करके की जाती है।

परिभाषित लाभ से संबंधित लागतों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- सेवा लागत (इसमें वर्तमान सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, तथा योजना में कटौती से उत्पन्न लाभ या हानियाँ शामिल हैं;
- शुद्ध ब्याज व्यय या आय; तथा
- पुनर्मापन

कंपनी परिभाषित लाभ से संबंधित लागतों के प्रथम दो घटकों को लाभ या हानि में 'कर्मचारी लाभ व्यय' मद के अंतर्गत प्रस्तुत करती है। योजना में कटौती से उत्पन्न लाभ या हानियों का लेखांकन पूर्व सेवा लागत के रूप में किया जाता है।

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक कमी अथवा अधिशेष को दर्शाता है। इस गणना से उत्पन्न किसी भी अधिशेष को उस आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित रखा जाता है, जो योजना से रिफंड के रूप में अथवा भविष्य में योजना में किए जाने वाले अंशदान में कमी के रूप में कंपनी के लिए उपलब्ध हो। सेवा-समापन लाभ से संबंधित देयता को उस तारीख को मान्यता दी जाती है, जो निम्नलिखित में से पहले हो—जब कंपनी सेवा-समापन लाभ के प्रस्ताव को वापस लेने में सक्षम नहीं रहती है, अथवा जब कंपनी संबंधित पुनर्गठन लागत को मान्यता देती है।

- अल्पकालिक एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले देय अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अपेक्षित अविच्छेदित राशि को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त दायित्वों का मापन रिपोर्टिंग तिथि तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले अनुमानित नकद भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

3.10 वित्तीय साधन

वित्तीय परिसंपत्तियां:

वित्तीय परिसंपत्तियों को उस समय मान्यता दी जाती है जब कंपनी संबंधित वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों की पक्षकार बन जाती है।

प्रारंभिक मान्यता के समय वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, उचित मूल्य के माध्यम से लाभ या हानि (FVTPL) में मापी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, संबंधित लेन-देन लागत को तत्काल लाभ या हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। अन्य मामलों में, संबंधित लेन-देन लागत को वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य में समायोजित किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर मापा जाता है:

- परिशोधित लागत
- उचित मूल्य के माध्यम से लाभ और हानि (FVTPL)
- उचित मूल्य के माध्यम से अन्य व्यापक आय (FVOCI)

वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक मान्यता के पश्चात सामान्यतः उनका पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के, जब कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपनाए गए अपने व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करती है, और जिस अवधि में ऐसा परिवर्तन किया जाता है।

व्यापार प्राप्य और ऋण:

व्यापार प्राप्य और ऋण को प्रारंभिक मान्यता के समय उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। इसके पश्चात, इन परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिसमें अपेक्षित ऋण हानियों का समायोजन किया जाता है। EIR वह दर है, जो वित्तीय साधन की अपेक्षित अवधि के दौरान अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाहों को उसके वर्तमान मूल्य पर

छूट देती है।

संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 3 वर्ष से अधिक एवं 4 वर्ष तक की अवधि से बकाया प्राप्यों पर 10%, 4 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक की अवधि से बकाया प्राप्यों पर 20% तथा 5 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया प्राप्यों पर 30% की दर से किया गया है।

ऋण साधन:

ऋण लिखतों को प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, अपमान्यता तक, निम्नलिखित श्रेणियों में मापा जाता है: परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (FVOCI), अथवा लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL), जो संबंधित लागू वर्गीकरण मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

- (i) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी का व्यवसाय मॉडल; तथा
- (ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदागत नकदी प्रवाह विशेषताएं

(अ) परिशोधित लागत पर गणना:

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां, जिन्हें ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाहों को प्राप्त करना है और जिनके संविदात्मक नकद प्रवाह केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, को तत्पश्चात EIR विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर गणना की जाती है, जिसमें, यदि कोई हो, तो हानि के लिए प्रावधान का समायोजन किया जाता है।

EIR के परिशोधन से उत्पन्न आय अथवा व्यय तथा हानि के कारण उत्पन्न हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ब) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर गणना:

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां, जिन्हें ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री तथा संविदात्मक नकद प्रवाहों की वसूली, दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और जिनके संविदात्मक नकद प्रवाह केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, को तत्पश्चात अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (FVOCI) पर मापा जाता है। उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती है। EIR पद्धति के आधार पर गणना की गई ब्याज आय तथा हानि के कारण उत्पन्न हानियों (यदि कोई हों) को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अपमान्यता के समय, OCI में पूर्व में मान्यता प्राप्त संचित लाभ या हानि को इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत कर लाभ-हानि विवरण में

‘अन्य आय’ के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।

EIR पद्धति का उपयोग करके गणना की गई ब्याज आय और क्षति हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। मान्यता समाप्त होने पर, OCI में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को लाभ-हानि विवरण में इक्विटी से ‘अन्य आय’ में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

(स) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर गणना:

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिन्हें परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (FVOCI) की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL) की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना उचित मूल्य पर की जाती है, उचित मूल्य में होने वाले सभी परिवर्तनों, जिसमें ब्याज आय एवं लाभांश आय, यदि कोई हो, शामिल हैं, को लाभ-हानि विवरण में ‘अन्य आय’ के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्ति की अपमान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अपमान्य करती है, जब उस वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाले नकद प्रवाहों के संबंध में संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाले नकद प्रवाहों को प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को हस्तांतरित कर देती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

- अपेक्षित ऋण हानियों को प्रारंभिक मान्यता के पश्चात सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- व्यापार प्राप्यों के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, इंड एस 109 के अनुसार, कंपनी सभी उत्पन्न अथवा अधिग्रहित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए 12 माह की अपेक्षित ऋण हानि को मान्यता देती है, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के ऋण जोखिम में उसकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।
- यदि वित्तीय परिसंपत्ति के ऋण जोखिम में उसकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, तो अपेक्षित ऋण हानि की गणना वित्तीय परिसंपत्ति की पूरी अवधि के लिए अपेक्षित ऋण हानि के आधार पर किया जाता है।
- व्यापार प्राप्यों के संबंध में, कंपनी ‘सरलीकृत दृष्टिकोण’ को लागू

करती है (बिंदु संख्या 3.10 “व्यापार प्राप्य एवं ऋण” देखें), जिसके अंतर्गत व्यापार प्राप्यों की प्रारंभिक मान्यता से ही उनकी पूरी अवधि के लिए अपेक्षित ऋण हानियों को मान्यता दी जाती है। कंपनी व्यापार प्राप्यों के पोर्टफोलियो पर हानि के प्रावधान का निर्धारण करने के लिए ऐतिहासिक चूक दरों का उपयोग करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन ऐतिहासिक चूक दरों की समीक्षा की जाती है तथा भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है।

- हानि के कारण होने वाली हानियों तथा उनके प्रत्यावर्तन को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय दायित्व:

प्रारंभिक पहचान एवं गणना

वित्तीय देयताओं को उस समय मान्यता दी जाती है, जब कंपनी संबंधित वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधानों की पक्षकार बन जाती है। वित्तीय दायित्व को प्रारंभिक मान्यता के समय परिशोधित लागत पर गणना की जाती है, सिवाय उन वित्तीय देयताओं के, जिन्हें प्रारंभिक मान्यता के समय लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL) की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। व्यापार दायित्व को प्रारंभिक मान्यता के समय उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। तत्पश्चात, इन दायित्व को EIR विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर गणना की जाती है।

बाद की गणना

वित्तीय देयताओं को तत्पश्चात EIR विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर गणना की जाती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL) पर गणना की जाने वाले वित्तीय दायित्व की गणना उचित मूल्य पर किया जाता है तथा उचित मूल्य में होने वाले सभी परिवर्तनों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय दायित्व की अपमान्यता

किसी वित्तीय दायित्व को उस समय अपमान्य किया जाता है, जब संविदा में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन हो जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है अथवा वह समाप्त हो जाता है।

3.11 उचित मूल्य की गणना

उचित मूल्य वह मूल्य है जो गणना तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच होने वाले सुव्यवस्थित लेन-देन में किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त किया जाएगा अथवा किसी दायित्व को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य की गणना इस धारणा पर आधारित होती है कि परिसंपत्ति को बेचने अथवा दायित्व को

हस्तांतरित करने का लेन-देन निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति में होता है:

- परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, या
- प्रमुख बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सर्वाधिक लाभप्रद बाजार में

किसी परिसंपत्ति या दायित्व के उचित मूल्य की गणना उन धारणाओं के आधार पर की जाती है, जिनका उपयोग बाजार सहभागी उस परिसंपत्ति या दायित्व का मूल्य निर्धारण करते समय करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार सहभागी अपने आर्थिक हित में कार्य करते हैं।

गैर-वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य के मापन में बाजार सहभागी की उस क्षमता को ध्यान में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत वह परिसंपत्ति के सर्वोत्तम एवं उच्चतम उपयोग के माध्यम से आर्थिक लाभ उत्पन्न कर सकता है अथवा उसे ऐसे अन्य बाजार सहभागी को बेच सकता है, जो परिसंपत्ति का सर्वोत्तम एवं उच्चतम उपयोग करेगा।

कंपनी उचित मूल्य की गणना के लिए ऐसे उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जो संबंधित परिस्थितियों के अनुरूप हों तथा जिनके लिए उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हों, प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम तथा गैर-अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को न्यूनतम किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में जिन सभी परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की उचित मूल्य गणना या खुलासा किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत समग्र रूप से उचित मूल्य की गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

- लेवल 1 - सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या दायित्वों के लिए उद्भूत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- लेवल 2 - ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनमें उचित मूल्य की गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय होता है।
- लेवल 3 - ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनमें उचित मूल्य की गणना के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर का इनपुट गैर-अवलोकनीय होता है।

वित्तीय विवरणों में नियमित आधार पर मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करती है तथा यह निर्धारित करती है कि उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के बीच कोई अंतरण हुआ है या नहीं। यह वर्गीकरण समग्र रूप से उचित मूल्य के मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर किया जाता है।

उचित मूल्य संबंधी प्रकटीकरण के प्रयोजन से, कंपनी ने परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की श्रेणियां संबंधित परिसंपत्ति या दायित्व की प्रकृति, विशेषताओं एवं जोखिमों तथा उपर्युक्त वर्णित उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर निर्धारित की हैं।

3.12 प्रावधान एवं आकस्मिक दायित्व

प्रावधानों को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) विद्यमान हो, उस दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को समाहित करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो तथा दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान होती है, जिसमें उस दायित्व से संबंधित जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है।

जब कंपनी को किसी प्रावधान की राशि का पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति प्राप्त होने की अपेक्षा होती है, उदाहरणार्थ, किसी बीमा अनुबंध के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, किंतु केवल तभी जब प्रतिपूर्ति की प्राप्ति लगभग निश्चित हो। प्रावधान से संबंधित व्यय को किसी भी प्रतिपूर्ति की राशि को घटाने के पश्चात, लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय-मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो प्रावधान की राशि को वर्तमान कर-पूर्व दर से डिस्काउंट कर वर्तमान मूल्य पर गणना की जाती है, जहां उपयुक्त हो, संबंधित दायित्व से विशिष्ट रूप से जुड़े जोखिम। जब प्रावधानों की गणना में डिस्काउंटिंग का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान की राशि में होने वाली वृद्धि को वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक दायित्वों का खुलासा तब किया जाता है, जब किसी पूर्व घटना से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व विद्यमान हो, जिसका अस्तित्व कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में न होने वाली एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने अथवा न होने से ही सुनिश्चित होगा। आकस्मिक दायित्वों में ऐसे वर्तमान दायित्व भी शामिल हैं, जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न हुए हों, किंतु जिनके निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना न हो अथवा दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो।

3.13 उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित उधार लेने की लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में शामिल किया जाता है, जिन्हें उनके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए

तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लगता है। ऐसी पूंजीकरण प्रक्रिया तब तक जारी रहती है, जब तक परिसंपत्तियां उनके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती हैं।

योग्य परिसंपत्तियों पर व्यय किए जाने तक विशिष्ट उधारों से प्राप्त राशि के अस्थायी निवेश से अर्जित निवेश आय को पूंजीकरण हेतु पात्र उधार लेने की लागत में से घटाया जाता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

3.14 आयकर

वर्ष के लिए आयकर व्यय में वर्तमान कर तथा आस्थगित कर शामिल होते हैं। आयकर व्यय को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक, जहां यह ऐसे मद से संबंधित हो जिसे प्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है।

वर्तमान कर, वर्ष की कर योग्य आय अथवा हानि पर तुलन पत्र की तिथि को लागू कर दरों के आधार पर देय अथवा प्राप्य अपेक्षित कर की राशि तथा पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कर में किए गए किसी भी समायोजन को दर्शाता है। आयकर से संबंधित ब्याज आय/व्यय तथा दंड, यदि कोई हो, को वर्तमान कर व्यय में शामिल किया जाता है।

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन से परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की वहन राशि तथा कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त उनकी संबंधित कर आधार के बीच उत्पन्न अस्थायी अंतरों के संबंध में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर दायित्व को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावित हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतरों तथा अप्रयुक्त कर हानियों के आगे ले जाए गए शेष का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उन्हें उस सीमा तक कम किया जाता है, जहां संबंधित कर लाभ के प्राप्त होने की संभावना अब नहीं रह जाती है।

आस्थगित कर दायित्वों एवं आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना उन कर दरों पर किया जाता है, जिनके उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा है, जिसमें संबंधित दायित्व का निपटान अथवा परिसंपत्ति का वसूलीकरण किया जाएगा, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित अथवा सारतः अधिनियमित कर दरों (तथा कर कानूनों) के आधार पर।

चालू कर परिसंपत्तियों एवं चालू कर दायित्वों को तभी समायोजित

किया जाता है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार विद्यमान हो तथा परिसंपत्ति एवं दायित्व का निपटान शुद्ध आधार पर करने का इरादा हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर दायित्वों को तभी समायोजित किया जाता है, जब चालू कर परिसंपत्तियों को चालू कर दायित्वों के विरुद्ध समायोजित करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार विद्यमान हो तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं आस्थगित कर दायित्व एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों।

आस्थगित कर दायित्वों एवं आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना उन कर प्रभावों को प्रतिबिंबित करती है, जो उस तरीके से उत्पन्न होंगे जिसके द्वारा कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की वहन राशि की वसूली अथवा निपटान करने की अपेक्षा करती है।

3.15 विदेशी मुद्रा में लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में किए गए लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा की समापन विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान अथवा उनके पुनःअनुवाद से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। तथापि, ऐसे विनिमय अंतर, जिन्हें विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों की ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है और जो योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, उन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में पूंजीकृत किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर की गई गणना गैर-मौद्रिक मदों को उस तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है, जिस तिथि को उचित मूल्य की गणना की गई थी। उचित मूल्य पर की गई गणना गैर-मौद्रिक मदों के पुनःअनुवाद से उत्पन्न लाभ या हानि का लेखांकन, संबंधित मद के उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ या हानि की मान्यता के अनुरूप किया जाता है (अर्थात्, जिन मदों के उचित मूल्य में होने वाले लाभ या हानि को OCI में मान्यता दी जाती है, उनसे संबंधित विनिमय अंतर को भी OCI में मान्यता दी जाती है; इसी प्रकार, जिन मदों के उचित मूल्य में होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, उनसे संबंधित विनिमय अंतर को भी लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है)।

3.16 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों का लेखांकन इंड एस 20 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। कंपनी अनुदान से प्राप्त लाभ जिन लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान किया गया है, उन लागतों की पहचान करते समय उन शर्तों एवं दायित्वों को ध्यान में रखती है, जिन्हें पूरा किया जा चुका है अथवा जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है।

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है, जब तक यह युक्तिसंगत आश्वासन न हो कि कंपनी अनुदान से संबंधित शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान प्राप्त हो जाएगा। सरकारी अनुदानों को उन अवधियों के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिन अवधियों में कंपनी संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है, जिनकी प्रतिपूर्ति के लिए उक्त अनुदान प्रदान किए गए हैं। विशेष रूप से, ऐसे सरकारी अनुदान, जिनकी प्रमुख शर्त यह है कि कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का क्रय, निर्माण अथवा अन्य माध्यम से अधिग्रहण करे, उन्हें तुलन पत्र में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के दौरान व्यवस्थित एवं तर्कसंगत आधार पर लाभ-हानि विवरण में हस्तांतरित किया जाता है।

3.17 पट्टा

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि कोई अनुबंध पट्टा है अथवा उसमें पट्टे का प्रावधान शामिल है। कोई अनुबंध तभी पट्टा माना जाता है अथवा उसमें पट्टा शामिल माना जाता है, जब वह प्रतिफल के बदले किसी निश्चित परिसंपत्ति के उपयोग को एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

महत्वपूर्ण पट्टा घटकों से संबंधित अनुबंध या व्यवस्था के प्रारंभ में अधिकार-उपयोग परिसंपत्तियों (ROU) को पट्टा प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर मान्यता दी जाती है। ROU परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा दायित्व की राशि, किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष व्यय तथा पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को या उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतानों को शामिल किया जाता है। पट्टा अवधि का निर्धारण उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है, जो पट्टा अवधि बढ़ाने के विकल्प का प्रयोग करने अथवा पट्टा समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग न करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन उत्पन्न करते हैं। पट्टा भुगतानों को अल्पकालिक पट्टों तथा कम-मूल्य वाले पट्टों से संबंधित होने पर, संबंधित पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति से लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

कंपनी पट्टा दायित्व को पट्टे की मान्यता की तिथि पर किए जाने वाले पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता देती है। ऐसे पट्टा दायित्व में वे परिवर्ती पट्टा भुगतान शामिल नहीं होते हैं, जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, जिन्हें उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे व्यय किए जाते हैं। पट्टा दायित्व पर ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए मान्यता दी जाती है। पट्टा दायित्व में बाद में ब्याज के संचयन को दर्शाने के लिए वृद्धि की जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतानों की राशि से उन्हें कम किया जाता है। पट्टा व्यवस्था में संशोधन होने पर अथवा पट्टा अवधि के आकलन में परिवर्तन होने पर, पट्टा दायित्व की वहन राशि का भी पुनर्मापन किया जाता है। ऐसे पुनर्मापन के प्रभाव को ROU संपत्तियों के मूल्य में समायोजित किया जाता है।

3.18 आय प्रति शेयर

मूल आय प्रति शेयर की गणना, अवधि के दौरान कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर-पश्चात शुद्ध लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए भारित औसत संख्या को बोनस शेयरों जैसे उन घटनाओं के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है, जो संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण के अतिरिक्त, संसाधनों में कोई तदनुरूप परिवर्तन किए बिना बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या में परिवर्तन करती हैं।

डाइलुटेड प्रति शेयर लाभ की गणना के उद्देश्य से, अवधि के दौरान इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध शुद्ध लाभ तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.19 बिक्री हेतु धारित गैर-वर्तमान संपत्तियां

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब उनका वहन मूल्य निरंतर उपयोग के बजाय मुख्यतः बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल किया जाना अपेक्षित हो। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है, जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और उसकी बिक्री केवल ऐसी शर्तों के अधीन हो, जो ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सामान्य एवं प्रचलित हों, तथा उसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो। प्रबंधन का परिसंपत्ति की बिक्री के प्रति प्रतिबद्ध होना आवश्यक है तथा वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री के पूर्ण होने की अपेक्षा होनी चाहिए, ताकि वह पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता प्राप्त करने के मानदंडों को पूरा कर सके।

बिक्री हेतु धारित गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों पर न तो मूल्यहास किया

जाता है और न ही परिशोधन।

बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों की गणना उनके वहन मूल्य तथा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है और उन्हें तुलन पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

3.20 लाभांश

भुगतान किए गए लाभांश (उस पर देय आयकर सहित) को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है अथवा अंतिम लाभांश के मामले में, जब उसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

3.21 नकद एवं बैंक शेष

तुलन पत्र में नकद एवं नकद समकक्ष में बैंक में जमा नकद एवं रोक़ हाथ में तथा तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशियां शामिल होती हैं, जिनमें मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

नकद एवं बैंक शेष में सावधि जमा राशियां, मार्जिन मनी जमा राशियां, बैंकों में निर्धारित प्रयोजन हेतु रखी गई शेष राशियां तथा अन्य बैंक शेष भी शामिल होते हैं, जिनकी प्रत्यावर्तन पर प्रतिबंध होता है। अल्पकालिक एवं तरल निवेश, जिनमें मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य से अधिक होता है, को नकद एवं नकद समकक्ष के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाता है।

3.22 परिचालन खंड

परिचालन खंडों की रिपोर्टिंग उस आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था के अनुरूप की जाती है, जो मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (CODM) को प्रदान की जाती है। संसाधनों के आवंटन तथा परिचालन खंडों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए CODM के रूप में कॉर्पोरेट प्रबंधन समिति की पहचान की गई है।

खंडों को ऐसे व्यवसायों के आधार पर संगठित किया जाता है, जिनमें समान आर्थिक विशेषताएं होती हैं तथा जो प्रदान किए जाने वाले उत्पादों एवं सेवाओं की प्रकृति, उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति, ग्राहकों के प्रकार एवं वर्ग तथा वितरण विधियों में समानताएँ प्रदर्शित करते हैं।

तीसरे पक्ष के ग्राहकों से प्राप्त खंड राजस्व को उसी आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, जिस आधार पर वित्तीय विवरणों में राजस्व की रिपोर्टिंग की जाती है। अंतर-खंड राजस्व को मुख्यतः बाजार-आधारित लेनदेन के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

खंड परिणाम वित्तीय प्रभावों, अनावंटित कॉर्पोरेट व्ययों तथा करों से पूर्व

के लाभ को दर्शाते हैं।

“अनावंटित कॉर्पोरेट व्ययों” में ऐसे राजस्व एवं व्यय शामिल होते हैं, जो संपूर्ण उद्यम से संबंधित पहलों/लागतों से संबद्ध होते हैं।

3.23 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके प्रस्तुत किया जाता है, जिसके तहत कर-पूर्व लाभ को गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों, पूर्व या भविष्य की परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों से संबंधित स्थगन अथवा उपार्जनों तथा निवेश या वित्तपोषण संबंधी नकदी प्रवाह से जुड़े आय या व्यय मदों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.24 पूर्व अवधि की त्रुटियां

पूर्व अवधि की त्रुटियों में ऐसी चूक और गलत विवरण शामिल होते हैं, जो उस समय उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी का उपयोग न करने अथवा ऐसी विश्वसनीय जानकारी का उपयोग न करने के कारण उत्पन्न होती हैं, जिसे उन अवधियों के वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किए जाने के समय प्राप्त किया जा सकता था।

अंतिम तुलनात्मक अवधि से संबंधित महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की त्रुटियों को, जहां आवश्यक हो, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि विवरण में तुलनात्मक आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करके दर्शाया जाता है। अतः इसे तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में इस प्रकार खुलासा किया जाएगा, मानो ऐसी त्रुटि कभी हुई ही न हो।

3.25 रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

‘रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं’ को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- समायोजनकारी घटनाएं: समायोजनकारी घटनाएं वे घटनाएं होती हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान परिस्थितियों के प्रमाण प्रदान करती हैं; तथा
- गैर-समायोजनकारी घटनाएं: गैर-समायोजनकारी घटनाएं वे घटनाएं होती हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों का संकेत देती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात होने वाली समायोजनकारी घटनाओं को दर्शाने के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात होने वाली गैर-समायोजनकारी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसी घटनाओं का उनकी प्रकृति तथा उनके वित्तीय प्रभाव के अनुमान सहित वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है।



31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

नोट 4 : मूर्त संपत्ति

चालू वर्ष

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति					आगे ले जाने वाली राशि		
	1 अप्रैल, 2025 तक	वृद्धि	समायोजन	निपटान	31 मार्च, 2026 तक	1 अप्रैल, 2025 तक	समायोजन	मूल्यह्रास खर्च	क्षति	निपटान	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
परिसंपत्ति, प्लांट तथा उपकरण													
वाहन	25.95	-	-	-	25.95	24.64	-	-	-	-	24.64	1.31	1.31
सड़क, नावियां एवं जलापूर्ति	26.34	-	-	-	26.34	25.02	-	-	-	-	25.02	1.32	1.32
भवन	1,838.43	-	-	-	1,838.43	319.04	-	31.44	-	-	350.48	1,487.95	1,519.39
फर्नीचर और फिक्चर्स	395.58	-	-	-	395.58	225.29	-	29.89	-	-	255.18	140.40	170.29
कार्यालय उपकरण	135.70	-	-	-	135.70	83.78	-	8.96	-	-	92.74	42.96	51.92
पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट	580.00	-	-	-	580.00	551.00	-	-	-	-	551.00	29.00	29.00
अन्याई निर्माण	26.13	-	-	-	26.13	26.13	-	-	-	-	26.13	-	-
संचय एवं मशीन - आयातित	1,519.14	-	-	-	1,519.14	1,067.52	-	89.87	-	-	1,157.39	361.75	451.62
संचय एवं मशीन - स्वदेशी	493.77	1.81	-	-	495.58	342.46	-	18.85	-	-	361.31	134.27	151.31
कम्प्यूटर एवं प्रिंटर	232.99	17.31	2.58	0.20	247.52	197.46	2.46	11.94	-	0.17	206.77	40.75	35.53
बीजहोल्ट परिसर													
भूमि	127.28	-	-	-	127.28	22.24	-	1.29	-	-	23.53	103.75	105.04
उपयोग	5,401.31	19.12	2.58	0.20	5,417.65	2,884.58	2.46	192.24	-	0.17	3,074.19	2,343.46	2,516.73
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	5,401.31	19.12	2.58	0.20	5,417.65	2,884.58	2.46	192.24	-	0.17	3,074.19	2,343.46	2,516.73

4.1 कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से फंड/गैर-फंड आधारित लिमिट ले रही है, जो कच्चे माल, प्रक्रियाधीन स्टॉक और बंधक द्वारा सुरक्षित के माध्यम से सुरक्षित है और साथ ही कंपनी की अचल और चल पूँजीगत परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार के जरिए अतिरिक्त रूप से सुरक्षित है।

4.2 पट्टे पर भूमि में कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, सिरसी रोड, जयपुर में स्थित 40000 वर्ग मीटर और मानसरोवर, जयपुर में 2500 वर्ग मीटर का क्षेत्र शामिल है।

पिछला वर्ष

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति					आगे ले जाने वाली राशि		
	1 अप्रैल, 2024 तक	वृद्धि	समायोजन	निपटान	31 मार्च, 2025 तक	1 अप्रैल, 2024 तक	समायोजन	मूल्यह्रास खर्च	क्षति	निपटान	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
परिसंपत्ति, प्लांट तथा उपकरण													
वाहन	25.95	-	-	-	25.95	23.34	-	1.30	-	-	24.64	1.31	2.61
सड़क, नावियां एवं जलापूर्ति	26.34	-	-	-	26.34	25.02	-	-	-	-	25.02	1.32	1.32
भवन	1,838.43	-	-	-	1,838.43	287.60	-	31.44	-	-	319.04	1,519.39	1,550.83
फर्नीचर और फिक्चर्स	398.50	-	-	2.92	395.58	196.19	-	30.27	-	1.17	225.29	170.29	202.31
कार्यालय उपकरण	135.70	-	-	-	135.70	74.58	-	9.20	-	-	83.78	51.92	61.12
पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट	580.00	-	-	-	580.00	551.00	-	-	-	-	551.00	29.00	29.00
अन्याई निर्माण	26.13	-	-	-	26.13	26.13	-	-	-	-	26.13	-	-
संचय एवं मशीन - आयातित	1,519.14	-	-	-	1,519.14	977.65	-	89.87	-	-	1,067.52	451.62	541.49
संचय एवं मशीन - स्वदेशी	495.50	0.27	-	2.00	493.77	321.82	-	20.64	-	-	342.46	151.31	173.68
कम्प्यूटर एवं प्रिंटर	232.11	7.17	6.29	-	232.99	194.80	5.98	10.54	-	1.90	197.46	35.53	37.31
बीजहोल्ट परिसर													
भूमि	127.28	-	-	-	127.28	20.95	-	1.29	-	-	22.24	105.04	106.33
उपयोग	5,405.08	7.44	6.29	4.92	5,401.31	2,699.08	5.98	194.55	-	3.07	2,884.58	2,516.73	2,706.00
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	5,405.08	7.44	6.29	4.92	5,401.31	2,699.08	5.98	194.55	-	3.07	2,884.58	2,516.73	2,706.00

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

नोट 5 : अमूर्त परिसंपत्तियां चालू वर्ष

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति				क्षय से जाने वाली राशि	
	1 अप्रैल, 2025 तक	बसंत अधिवृष्टि से वृद्धि	अंतरिक विकास से वृद्धि	बिक्री के लिए रखे गए निपटान या वर्गीकृत	31 मार्च, 2026 तक	1 अप्रैल, 2025 तक	परिशीलन क्षय	समावोजन	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
तकनीकी जानकारी	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-	-
उप योग (अ)	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-	-

पिछला वर्ष

विवरण	लागत तथा मानित लागत					संचित मूल्यह्रास और क्षति				क्षय से जाने वाली राशि	
	1 अप्रैल, 2024 तक	बसंत अधिवृष्टि से वृद्धि	अंतरिक विकास से वृद्धि	बिक्री के लिए रखे गए निपटान या वर्गीकृत	31 मार्च, 2025 तक	1 अप्रैल, 2024 तक	परिशीलन क्षय	समावोजन	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
तकनीकी जानकारी	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-	-
उप योग (अ)	72.70	-	-	-	72.70	72.70	-	-	72.70	-	-

6. व्यापार प्राप्य - गैर वर्तमान

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
विना विवाद वाली व्यापारिक प्राप्ति		
(i) असुरक्षित, अच्छी मानी जाने वाली	265.10	116.17
कुल	265.10	116.17

7. व्यापार प्राप्य - वर्तमान

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
I विवादित व्यापारिक प्राप्ति		
i) संदिग्ध	2,841.29	2,770.12
II विना विवाद वाली व्यापारिक प्राप्ति		
i) सुरक्षित, अच्छी मानी जाने वाली	-	-
ii) असुरक्षित, अच्छी मानी जाने वाली (संबंधित पार्टी)	1,816.23	2,291.85
iii) असुरक्षित, अच्छी मानी जाने वाली	19,409.51	7,493.08
iv) संदिग्ध	8,198.43	7,342.36
v) संदिग्ध (संबंधित पार्टी)	1,284.85	1,284.85
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	3,229.33	2,849.37
कुल	29,036.13	17,048.04

7.1 कंपनी ने 31 मार्च 2026 तक बकाया राशि की पुष्टि के लिए पाठियों की पत्र भेजे थे, लेकिन कंपनी को इन पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला है।

7.2 मेसर्स मैजेटा पावर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स टेक्सी कार्जोनेन प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए मेमोरैंडा ऑफ अंशधारिता (MoAs) को एक बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारी, घानी ज़रूरी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) जमा करने में नाकाम रहने की वजह से खारज कर दिया गया। मेसर्स मैजेटा पावर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, कंपनी ने आर्बिट्रेशन और सुलह एक्ट, 1996 के सेक्शन 11(6) के तहत माननीय राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर बेंच में S.B. सिविल आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन नंबर 12/2023, 13/2023 और 14/2023 फाइल किया, जिसमें ट्राइब्यूनल के फैसले के लिए एक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग की गई थी। 06.10.2023 के आदेश के तहत, माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय जस्टिस सर्वेना को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। इसके बाद, एकमात्र मध्यस्थ ने 12.08.2025 को एक मध्यस्थता निर्णय सुनाया, जिसमें रील को मेसर्स मैजेटा पावर प्राइवेट लिमिटेड को 14.67 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। अर्बाई से व्यथित होकर, रील ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत माननीय फाणिजिक न्यायालय संख्या 1, जयपुर मेट्रो- II के समक्ष आपत्तियां दर्ज की हैं, साथ ही अर्बाई के संचालन और प्रभाव को निरस्त करने की मांग करते हुए एक स्थगन आवेदन भी दिया है। मामला वर्तमान में न्यायालय के समक्ष विचारार्थ है और निर्णय संदिग्ध है। टेक्सी कार्जोनेन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा न करने की वजह से MoA खारज कर दिया गया था। आर्बिट्रेशन और सुलह एक्ट, 1996 के सेक्शन 9 के तहत एक आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन नंबर 286/2024-25 माननीय कमर्शियल कोर्ट, जयपुर में फाइल किया गया था। इसके बाद, S.B. सिविल आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन नंबर 94/2025 और 95/2025 में 18.09.2025 को पास किए गए ऑर्डर के जरिए, माननीय हाई कोर्ट ने माननीय जस्टिस पंकज भट्टारी (रिटायर्ड) को सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाया। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही अभी पेंडिंग है। इसलिए, यह देखते हुए कि दोनों मामलों में विवाद या तो संक्षम कोर्ट में विचारार्थ है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने फैसला पेंडिंग है, लेखा पुस्तकों में कोई भी लेखा समावोजन संबंधित कार्यवाही के आखिरी नतीजे के अनुसार किया जाएगा।

8. आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)

तुलन पत्र में प्रस्तुत आस्थगित कर संपत्तियों/(दायित्वों) का विश्लेषण निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
आस्थगित कर दायित्व	(549.57)	(368.60)
आस्थगित कर संपत्ति	2,548.72	2,809.97
शुद्ध	1,999.15	2,441.37

8.1 आस्थगित आयकर संपत्तियों की विश्वसनीयता का आकलन करते समय, प्रबंधन यह देखता है कि क्या आस्थगित आयकर संपत्तियों का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा वसूल नहीं हो पाएगा। आगत आयकर संपत्तियों का असल फायदा उन अवधियों में भविष्य की कर-योग्य आय पैदा होने पर निर्भर करता है, जिनमें अस्थायी अंतर कटौती-योग्य हो जाते हैं। प्रबंधन इस आकलन को करते समय आस्थगित आयकर दायित्व के तय समय पर विश्वसल, भविष्य की अनुमानित कर आय और कर पतानों की रणनीतियों पर विचार करता है। पिछली कर आय और भविष्य की कर आय के अनुमानों के आधार पर जिन अवधियों में आस्थगित कर आय संपत्तियों को घटाया जा सकता है, प्रबंधन का मानना है कि कंपनी को उन डिडबिटिंग अंतरों का फायदा मिलेगा। आस्थगित आयकर संपत्तियों की राशि जो वसूली योग्य मानी गई है, हालांकि, अगर केटी-फोरवर्ड अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के अनुमान कम हो सकते हैं, तो निकट भविष्य में यह रकम कम हो सकती है। प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, इस बात की संभावना है कि कंपनी को आने वाली उन वर्षों में कर योग्य लाभ होने, जिनमें इन परिसंपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। कंपनी की आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की क्षमता का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है, जिसमें भविष्य के कर योग्य परिणामों के पूर्वानुमान को ध्यान में रखा जाता है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

वर्तमान व्यापार प्राप्तियां एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2026 को

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
I विवादित व्यापारिक प्राप्तियां						
i) संदिग्ध	-	-	-	-	2,839.53	2,839.53
II निर्विवाद व्यापारिक प्राप्तियां						
(i) सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(ii) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है (संबंधित पार्टी)	31.00	70.48	277.40	152.50	-	531.38
(iii) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	15,061.57	1,672.64	2,235.05	442.01	-	19,411.27
(iv) संदिग्ध	-	-	-	-	8,198.43	8,198.43
(v) संदिग्ध (संबंधित पार्टी)	-	-	-	-	1,284.85	1,284.85
कुल	15,092.57	1,743.12	2,512.45	594.51	12,322.81	32,265.46
घटाएं: संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	3,229.33	3,229.33
कुल व्यापार प्राप्तियां	15,092.57	1,743.12	2,512.45	594.51	9,093.48	29,036.13

गैर वर्तमान व्यापार प्राप्तियां एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2026 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
I विवादित व्यापारिक प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-
i) संदिग्ध	-	-	-	-	-	-
II निर्विवाद व्यापारिक प्राप्तियां	-	-	-	-	-	-
(i) सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(ii) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है (संबंधित पार्टी)	-	-	-	-	-	-
(iii) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	265.10	-	-	-	-	265.10
(iv) संदिग्ध	-	-	-	-	-	-
कुल	265.10	-	-	-	-	265.10
घटाएं: संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापार प्राप्तियां	265.10	-	-	-	-	265.10

वर्तमान व्यापार प्राप्तियां एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2025 तक

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
I विवादित व्यापारिक प्राप्तियां						
i) संदिग्ध	-	-	-	-	2,770.12	2,770.12
II निर्विवाद व्यापारिक प्राप्तियां						
(i) सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(ii) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है (संबंधित पार्टी)	303.54	309.31	354.76	16.69	-	984.30
(iii) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	4,813.87	473.66	888.54	1,339.70	-	7,515.77
(iv) संदिग्ध	-	-	-	-	7,342.37	7,342.37
(v) संदिग्ध (संबंधित पार्टी)	-	-	-	-	1,284.85	1,284.85
कुल	5,117.41	782.97	1,243.30	1,356.39	11,397.34	19,897.41
घटाएं: संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	2,849.37	2,849.37
कुल व्यापार प्राप्तियां	5,117.41	782.97	1,243.30	1,356.39	8,547.97	17,048.04

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

गैर वर्तमान व्यापार प्राप्तियां एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2025 तक

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
I विवादित व्यापारिक प्राप्तियां						
i) संदिग्ध		-				-
II निर्विवाद व्यापारिक प्राप्तियां	-					
(i) सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(ii) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है (संबंधित पार्टी)	-	-	-	-	-	-
(iii) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	116.17	-	-	-	-	116.17
(iv) संदिग्ध	-	-	-	-	-	-
कुल	116.17	-	-	-	-	116.17
कुल व्यापार प्राप्तियां	116.17	-	-	-	-	116.17

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष

विवरण	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(दायित्व) के संबंध में:				
संपत्ति, प्लॉट तथा उपकरण	(287.89)	(30.93)	-	(318.82)
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9.40	9.98	-	19.38
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	829.74	110.64	-	940.38
आस्थगित राजस्व	(80.71)	(150.04)	-	(230.75)
आस्थगित व्यय	40.06	38.46	-	78.52
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	541.02	1.50	(4.50)	538.02
एमएसएमई ब्याज के प्रावधान	1.14	(0.29)		0.85
हानियों पर कर (आगे ले जाई गई हानि)	1,388.61	(417.04)	-	971.57
कुल	2,441.37	(437.72)	(4.50)	1,999.15

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष

विवरण	प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(दायित्व) के संबंध में:				
संपत्ति, प्लॉट तथा उपकरण	(297.11)	9.22	-	(287.89)
वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7.94	1.46	-	9.40
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	736.27	93.47	-	829.74
आस्थगित राजस्व	(71.31)	(9.40)	-	(80.71)
आस्थगित व्यय	43.12	(3.06)	-	40.06
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	516.89	20.53	3.60	541.02
एमएसएमई ब्याज के प्रावधान	-	1.14	-	1.14
हानियों पर कर (आगे ले जाई गई हानि)	1,173.41	215.20	-	1,388.61
कुल	2,109.21	328.56	3.60	2,441.37

9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

9अ. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - गैर वर्तमान

विवरण (संबंधित पार्टियों से)	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
- प्रतिभूति जमा	0.40	0.40
अन्य -		
- प्रतिभूति जमा	114.27	53.37
- कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	2.76	2.76
- ईएमडी के रूप में जारी एफडीआर	-	-
- नकद एवं बैंक शेष, तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है (नीचे टिप्पणी देखें)	-	-
कुल	117.43	56.53

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

टिप्पणी: नकद और बैंक शेष का विवरण, तत्काल उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। (सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
बैंक शेष (जिसमें उस पर अर्जित व्याज भी शामिल है) जिनका तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे मार्जिन मनी के तौर पर बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं।	-	-
घटाये: अन्य बैंक शेष के तहत दिखाई गई राशि [नोट 11ए]	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत दिखाई गई राशि- गैर-वर्तमान [नोट 9ए]	-	-

9ब. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
- प्रतिभूति जमा	7.33	7.33
- बयाना राशि	107.30	175.00
कुल	114.63	182.33

10. इन्वेंट्री

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
इन्वेंट्री		
कच्चा माल	768.19	813.81
उत्पादन विभाग में कच्चा माल	352.52	506.17
तैयार माल	451.72	369.86
पैकिंग सामग्री	10.63	11.92
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	-	-
लूज टूल्स	-	-
परिवहन में माल	-	-
व्यापार में स्टॉक	-	-
अन्य	-	-
कुल	1,583.06	1,701.76

10.1 इन्वेंट्री में नॉन मूविंग और स्लो मूविंग वाला स्टॉक भी शामिल है, जिसमें कच्चा माल की कीमत रु. 51.33 लाख और तैयार माल की कीमत रु. 99.64 लाख है।

10.2 अकाउंटिंग पॉलिसी नंबर 3.7-इन्वेंटरी के अनुसार, वर्ष के दौरान रु. 95.12 लाख की इन्वेंटरी को 'स्लो मूविंग' के तौर पर पहचाना गया है। हालांकि, इनकी वैल्यू कम नहीं की गई है क्योंकि इनकी वसूली योग्य कीमत असल लागत से ज्यादा है।

11. नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह के विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समतुल्यों में शेष नकद और बैंकों में बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध शामिल है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष, जैसा कि नकदी प्रवाह विवरण में दिखाया गया है, को तुलन पत्र में संबंधित मदों के साथ निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है:

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
बैंकों में शेष (अ+ब+स)	454.74	4,844.99
पीएनबी बचत खाता (अ)	0.14	0.14
अन्य बैंक शेष (ब)	454.60	946.47
बैंक में जमा (स)	-	3,898.38
रोकड़ हाथ में	0.25	1.90
चेक, ड्राफ्ट हाथ में	-	-
नकद और नकद समतुल्य	454.99	4,846.89

FAME II योजना के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) से प्राप्त सब्सिडी को बचत बैंक खाते में रखा जाता है और यह धनराशि सामान्य व्यवसाय संचालन के लिए उपलब्ध नहीं होती है।

11ए. अन्य बैंक शेष

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
बैंक के पास मार्जिन मनी के रूप में गिरवी रखी गई बैंक जमा (परिपक्वता अवधि 3 महीने से ज्यादा लेकिन 12 महीने से कम)	118.81	116.29
ईएमडी के तौर पर जारी एफडीआर	84.07	79.32
एसडी के तौर पर जारी एफडीआर	26.74	-
कुल	229.62	195.61

टिप्पणी: कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से फंड/गेर-फंड आधारित लिमिट ले रही है, जो कच्चे माल, प्रक्रिया में स्टॉक, तैयार माल और बुक डेट के हाइपोथिकेशन (गिरवी रखने) से सुरक्षित है और कंपनी की अचल और चल पूंजीगत परिसंपत्तियों पर प्रथम चार्ज के ज़रिए अतिरिक्त रूप से सुरक्षित है।

12. अन्य परिसंपत्तियां - गैर वर्तमान

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
कर्मचारियों को खर्चों के लिए अग्रिम	9.80	11.11
जीएसटी अपील के लिए जमा राशि	75.58	47.92
पूर्व-भुगतान व्यय	32.11	13.08
अन्य अग्रिम	17.71	10.47
वेंडर को अग्रिम	16.79	15.95
जीएसटी समायोज्य	631.22	-
प्राप्त अग्रिम राशियों पर जमा किया गया जीएसटी	22.43	306.46
राजस्व प्राधिकरण (जीएसटी) के पास बकाया राशि	25.57	85.58
कुल	831.21	490.57

13. वर्तमान कर परिसंपत्तियां और दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
पूर्व अवधि में भुगतान किए गए करों की वसूली के लिए कर हानि का लाभ वापस लिया जाएगा	-	-
करों का अग्रिम भुगतान	313.65	298.34
	313.65	298.34
वर्तमान कर दायित्व		
देय आयकर	-	18.41
	-	18.41
वर्तमान कर परिसंपत्तियां/ (दायित्व)	313.65	279.93

14. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
इक्विटी शेयर पूंजी	1,225.00	1,225.00
कुल	1,225.00	1,225.00

अधिकृत शेयर पूंजी:	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
15,000,000 इक्विटी शेयर्स, प्रत्येक 10/- रु. के (31 मार्च, 2026 को: 15,000,000)	1,500.00	1,500.00
निर्गमित और अभिदत्त पूंजी में शामिल हैं:		
1,22,50,000 इक्विटी शेयर्स पूर्ण प्रदत्त, प्रत्येक 10/- रु. के (31 मार्च, 2026 को: 1,22,50,000)	1,225.00	1,225.00
	1,225.00	1,225.00



31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

14.1 अवधि के दौरान बदलाव

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	
	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी (राशि)	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी (राशि)
अवधि के आरंभ में शेष	1,22,50,000	12,25,00,000	1,22,50,000	12,25,00,000
बदलाव	-	-	-	-
अवधि के अंत में शेष	1,22,50,000	12,25,00,000	1,22,50,000	12,25,00,000

पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर, जिनका 10 रुपये के बराबर मूल्य है, प्रति शेयर एक वोट रखते हैं और लाभांश का अधिकार रखते हैं।

14.2 प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए 5% से अधिक शेयर का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2026 को		31 मार्च, 2025 को	
	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी में % होल्डिंग	धारित शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी में % होल्डिंग
इक्विटी शेयर्स:				
भारत सरकार	62,47,500	51%	62,47,500	51%
रीको, जयपुर	60,02,500	49%	60,02,500	49%
कुल	1,22,50,000	100%	1,22,50,000	100%

14.3 प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

प्रमोटर का नाम	वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा रखे गए शेयर		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का%	
भारत सरकार	62,47,500	51%	-
मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर	60,02,500	49%	-

14.4 पिछले पांच वर्षों के शेयरों का विवरण

विवरण	31/03/2025	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021
बिना नकद भुगतान वाले अनुबंधों के लिए आवंटित किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के तौर पर जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-	-	-	-
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की संख्या	-	-	-	-	-

15. अन्य इक्विटी

इक्विटी शेष में विस्तृत बदलाव के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण देखें।

विवरण	सामान्य संचय	प्रतिधारित आय	कुल
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	4,373.45	58.40	4,431.85
जोड़ें: वर्ष का लाभ/(हानि)	-	(375.08)	(375.08)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	-	10.97	10.97
घटाये: प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	(350.00)	-	(350.00)
जोड़ें: सामान्य संचय से स्थानांतरण	-	350.00	350.00
31 मार्च, 2026 को शेष राशि	4,023.45	44.29	4,067.74

पिछला वर्ष

विवरण	सामान्य संचय	प्रतिधारित आय	कुल
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	5,273.45	62.59	5,336.04
जोड़ें: वर्ष का लाभ/(हानि)	-	(895.43)	(895.43)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	-	(8.76)	(8.76)
घटाये: प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	(900.00)	-	(900.00)
जोड़ें: सामान्य संचय से स्थानांतरण	-	900.00	900.00
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	4,373.45	58.40	4,431.85

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

16. अन्य वित्तीय देनदारियां - वर्तमान

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
(अ) बयाना राशि	142.14	88.07
(ब) रिटेंशन राशि	20.96	20.96
(स) प्रतिभूति जमा	116.43	142.89
(द) कर्मचारी लाभ देय	51.04	79.98
(य) अन्य	2.67	108.80
(ल) कर्मचारियों को खर्चों के बदले प्रतिपूर्ति	11.01	12.93
कुल	344.25	453.63

17. प्रावधान

17 ए. प्रावधान - गैर वर्तमान

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
कर्मचारी लाभ	286.97	306.90
कुल	286.97	306.90

17 बी. प्रावधान - वर्तमान

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
कर्मचारी लाभ	1,191.82	1,010.72
वारंटों के लिए प्रावधान	50.00	50.00
कुल	1,241.82	1,060.72

17.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान में ग्रेजुटी, अवकाश नकदीकरण, आधा वेतन अवकाश और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना की देनदारी शामिल है। इनका हिसाब एक्जुअरी (बीमा-गणक) की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।

17.2 ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है; इसलिए, एक्जुअरियल वेल्यूएशन के अनुसार पिछली सेवा की लागत के तौर पर प्रावधान में 1.58 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

17.3 ग्राहकों को सामान और सेवाओं, दोनों के लिए वारंट दी जाती है। कंपनी इंड एस 37 के अनुसार वारंटों व्यय का प्रावधान करती है।

18. अन्य दायित्व

18 ए. अन्य गैर-वर्तमान दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
- आय से संबंधित आस्थगित अनुदान	14.95	16.02
- आस्थगित राजस्व	443.12	148.44
कुल	458.07	164.46

18 बी. अन्य वर्तमान दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
- ग्राहकों से अग्रिम राशि		
संबंधित पार्टियों से	-	-
अन्य से	1,802.53	3,207.87
- आय से संबंधित आस्थगित अनुदान	12.87	12.87
- परिसंपत्ति से संबंधित आस्थगित अनुदान	1.07	1.07
- भारत की संचित निधि के तहत देय व्याज	0.14	0.13
- आस्थगित राजस्व	367.14	163.73
- वैधानिक बकाया	243.72	282.35
कुल	2,427.47	3,668.02

18.1 आय से संबंधित आस्थगित अनुदान को लाभ या हानि में एक व्यवस्थित तरीके से उन अवधियों में मान्यता दी जाएगी, जिनमें संस्था उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है जिनकी भरपाई के लिए ये अनुदान दिए गए हैं।

18.2 परिसंपत्तियों से संबंधित आस्थगित अनुदान को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

19 ए. व्यापार देय - गैर वर्तमान

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
संबंधित पार्टियों से		
अन्य से		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	-
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	14.46	16.60
कुल	14.46	16.60

19 बी. व्यापार देय - वर्तमान

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
संबंधित पार्टियों से		
अन्य से		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लेनदारों की कुल बकाया राशि	2,713.88	2,193.76
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	24,508.77	16,354.99
कुल	27,222.65	18,548.75

19.1 उपरोक्त बकाया राशि में मेसर्स सनटेक इंडस्ट्रीज से बसूल की जाने वाली 3,229.89 लाख रुपये की राशि शामिल है, जो संबंधित अनुबंध के तहत अनुबंध की शर्तों को पूरा न करने के कारण बनती है। कंपनी के ग्राहकों मेसर्स प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन (PCDF) उत्तर प्रदेश और मेसर्स यूपीनेडा के संबंध में पार्टी निचली अदालत के स्तर पर पहले ही दो केस हार चुकी है। PCDF से जुड़े मामले में, 29.09.2023 के आदेश के ज़रिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बेंच) ने पार्टियों के बीच पैदा हुए सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया। इसके बाद, 27.05.2025 के आदेश के ज़रिए, दोनों पार्टियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने लिखित तर्क, मुद्दों और दावों के आधार पर पेश करें। इसके अलावा, 17.03.2026 के आदेश के ज़रिए, एकमात्र मध्यस्थ ने निर्देश दिया कि विवादों के पूर्ण, प्रभावी और बाध्यकारी निपटारे के लिए, 'प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन' को उसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में शामिल किया जाए। UPNEDA से जुड़े मामले में, मेसर्स सनटेक इंडस्ट्रीज ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष S.B. सिविल आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन नंबर 133/2021 दायर की। 17.11.2023 के आदेश के ज़रिए, माननीय न्यायालय ने विवादों का निपटारा करने के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ ने 19.04.2026 के आदेश के ज़रिए कंपनी के पक्ष में निर्णय सुनाया।

वर्तमान व्यापार देय एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2026 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	1,069.28	384.11	465.88	385.26	409.35	2,713.88
(ii) अन्य	12,517.88	542.44	1,365.52	205.31	6,533.68	21,164.83
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	15.85	3,328.09	3,343.94
कुल	13,587.16	926.55	1,831.40	606.42	10,271.12	27,222.65

गैर वर्तमान व्यापार देय एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2026 को

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	14.46	-	-	-	-	14.46
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	14.46	-	-	-	-	14.46

वर्तमान व्यापार देय एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2025 तक

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	858.55	122.47	233.44	88.60	890.70	2,193.76
(ii) अन्य	5,846.50	495.68	655.24	304.55	5,706.41	13,008.38
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	16.19	0.11	3,330.31	3,346.61
कुल	6,705.05	618.15	904.87	393.26	9,927.42	18,548.75

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

गैर वर्तमान व्यापार देय एजिंग निर्धारण 31 मार्च, 2025 तक

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	16.60	-	-	-	-	16.60
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	16.60	-	-	-	-	16.60

20. आकस्मिक दायित्व, आकस्मिक परिसंपत्ति और प्रतिबद्धता

20.1 आकस्मिक दायित्व

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
(अ) कंपनी की ओर से बैंकों द्वारा दी गई गारंटी	1825.83	1,214.20
(ब) कंपनी के खिलाफ ऐसे दावों जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	5534.95	7,445.07
(स) GST कारण बताओ नोटिस - GST अपीलिय ट्रिब्यूनल के पास लंबित	240.78	238.46
(द) GST से संबंधित कारण बताओ नोटिस - कमिश्नर (अपील) के पास लंबित	302.32	304.45
(य) सर्विस टैक्स कारण बताओ नोटिस/डिमांड - एक्साइज और सर्विस टैक्स विभाग द्वारा जारी (2009-10)	3.82	3.82

20.1.1 कंपनी के खिलाफ ऐसे दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है, उनमें मैसर्स सनटेक इंटरस्ट्रीज, मैसर्स उत्तम प्रकाश, मैसर्स मैजेटा पावर प्राइवेट लिमिटेड के दावे और कंपनी के संबंधित कर्मचारियों व पूर्व कर्मचारियों के पेंशनी से जुड़े मामले शामिल हैं, जिनके लिए अदालत में कानूनी कार्यवाही चल रही है।

20.1.2 आकस्मिक दायित्व को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं से कोई संभावित दायित्व उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं के होने या न होने से ही तय होगा, ऐसी घटनाएं जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। एमएसएमई वेडर्स में से एक, मैसर्स मनसम ग्लोबल सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी बकाया राशि 14.75 लाख रुपये है, ने MSMED अधिनियम, 2006 के अनुसार ब्याज का दावा किया है और अमरावती में आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है। 26.12.2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34 के तहत जयपुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट में अपील दायर करे। अभी यह मामला जयपुर की कमर्शियल कोर्ट में लंबित है। प्रबंधन के अनुसार, ब्याज की देनदारी का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इसे 'संभावित देनदारी' के तौर पर नहीं दिखाया गया है।

20.1.3 मैसर्स मैजेटा पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बेंच) में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 11(6) के तहत S.B. सिविल आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन नंबर 12/2023, 13/2023 और 14/2023 दायर की, जिसमें धिक्कारी के निपटारे के लिए एक आर्बिट्रर की नियुक्ति की मांग की गई थी। 06.10.2023 के आदेश के जरिए, उच्च न्यायालय ने जस्टिस सचैना को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। इसके बाद, एकमात्र मध्यस्थ ने 12.08.2025 को एक मध्यस्थता निर्णय सुनाया, जिसमें रील को मैसर्स मैजेटा पावर प्राइवेट लिमिटेड को 14.67 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस आर्बाई (फैसले) से असंतुष्ट होकर, JRN ने जयपुर मेट्रो-II की माननीय कमर्शियल कोर्ट नंबर 1 के समक्ष आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 34 के तहत आपत्तियां दर्ज कराई हैं। साथ ही, आर्बाई के अमल और असर पर रोक लगाने के लिए एक स्टेट एप्लीकेशन (स्थगन आवेदन) भी दायर की है। यह मामला अभी कोर्ट में विचारार्थ है और इस पर फैसला होना बाकी है।

20.2 आकस्मिक परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
बीमा दावे दर्ज किए गए लेकिन स्वीकृत/निपटारे नहीं किये गए	2.04	-
कुल	2.04	-

20.3 प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
प्रतिबद्धताएं		
सेवा और रखरखाव अनुबंधों सहित निष्पादित किए जाने वाले और प्रदान नहीं किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि	9,592.00	25,562.83
कुल	9,592.00	25,562.83

21. संचालन से राजस्व

कंपनी के निरंतर परिचालन से अवधि के लिए प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नलिखित है।

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
(अ) बिक्री		
निर्यात	123.02	1,637.58
घरेलू	15,275.89	11,601.89
(ब) सेवाओं की बिक्री		
सेवा रखरखाव और स्थापना शुल्क	12,416.53	2,509.31
(स) अन्य संचालन राजस्व	-	-
सेवा रखरखाव और स्थापना शुल्क	-	-
(द) उत्पाद शुल्क	-	-
कुल	27,815.44	15,748.78

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

- 21.1 सहायता अनुदान में पिछले वर्ष में 12.87 लाख रुपये की आय से संबंधित अनुदान शामिल है, इसे लाभ या हानि खाते में एक व्यवस्थित तरीके से उन अवधियों में मान्यता दी जाती है, जिनमें संस्था उन संबंधित लागतों को खर्च के रूप में दर्ज करती है जिनकी भरपाई के लिए यह अनुदान दिया गया है।
- 21.2 राजस्व वियोजन, जैसा कि खंड की जानकारी में शामिल किया गया है (नोट 34 देखें)।
- 21.3 असंतुष्ट (या आंशिक रूप से संतुष्ट) निष्पादन दायित्वों के लिए तय की गई लेनदेन कीमत की कुल राशि 810.26 लाख रुपये है, जिसमें से 45.31% के अगले वर्ष मान्यता किए जाने की उम्मीद है। ऊपर बताई गई राशि में ग्राहकों के साथ हुए अनुबंध से मिलने वाले किसी भी भुगतान को शामिल नहीं किया गया है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित राजस्व में बदलाव निम्नानुसार हैं: (सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	312.17	296.11
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	(434.98)	(166.98)
वर्ष के दौरान वृद्धि	933.07	183.04
वर्ष के अंत में शेष राशि	810.26	312.17

22. अन्य आय

अ) व्याज आय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
बैंक जमा	88.25	49.93
अन्य	43.72	42.34
कुल (अ)	131.97	92.27

ब) अन्य गैर-संचालन आय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
बीमा रसीद	3.38	3.71
वाहन रसीद	3.38	2.89
सरकारी अनुदान का परिशोधन*	1.07	1.07
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	1.11	30.67
निर्यात पर ड्यूटी ड्राबैक	2.00	26.70
किराया रसीद	77.33	52.16
स्क्रैप की बिक्री	27.65	-
अन्य (गैर-भौतिक मदों का कुल योग)	1.29	1.75
प्रावधान वापस लिए गए # (क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है)	226.55	-
कुल (ब)	343.76	118.95
कुल (अ+ब)	475.73	211.22

* 1.07 लाख रुपये के अनुदान का परिशोधन (पिछले वर्ष 1.07 लाख रुपये) परिसंपत्ति से संबंधित अनुदान का परिशोधन है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी अवधि के दौरान व्यवस्थित तरीके से लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

परिवहन विभाग के अवेयरनेस प्रोग्राम (PUC प्रोजेक्ट के तहत) के लिए खाद्यों में दर्ज 1.02 करोड़ रुपये का प्रावधान वापस ले लिया गया है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान इस मद में कोई खर्च नहीं हुआ है।

वर्ष 2016-17 में EPCG लाइसेंस के तहत स्ट्रिंगर मशीन के आयात पर बचाई गई ड्यूटी के लिए 20.48 लाख रुपये की कस्टम्स ड्यूटी और 33.18 लाख रुपये के व्याज (कुल मिलाकर 53.66 लाख रुपये) का प्रावधान वापस ले लिया गया है, क्योंकि कस्टम्स विभाग द्वारा कोई भी डिमांड करने की कानूनी समय-सीमा खत्म हो चुकी है।

निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, पहले वितरित की गई PRP की बसूली के लिए 2018-19 में बनाए गए 50 लाख रुपये के PRP प्रावधान को वापस ले लिया गया है। पिछले वर्षों के 20.86 लाख रुपये के बचे हुए अतिरिक्त प्रावधान को भी वापस ले लिया गया है, क्योंकि अब यह देनदारी बकाया नहीं है।

23. उपभोग की गई सामग्री की लागत

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
उपभोग की गई सामग्री की लागत		
प्रारंभिक स्टॉक	1,331.90	1,730.88
जोड़ें: कच्चे माल की खरीद	7,130.70	8,654.76
	8,462.60	10,385.64
घटाएं: अंतिम स्टॉक	1,131.34	1,331.90
कुल	7,331.26	9,053.74

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

23 ए. उपभोग की गई सामग्री का विवरण

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
(अ) खपत किए गए कच्चे माल का विवरण		
सौर ऊर्जा उपकरण		
- सोलर सेल्स	85.89	121.16
- अन्य	4,675.21	5,645.63
इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनेलाइजर	2,553.34	3,254.50
उपभोज्य और पैकिंग सामग्री	16.82	32.45
कुल	7,331.26	9,053.74
(ब) आयातित और स्वदेशी सामग्री की खपत का मूल्य		
आयातित	500.01	352.69
स्वदेशी	6,831.25	8,701.05
कुल	7,331.26	9,053.74

24. तैयार माल की इन्वेंट्री में बदलाव

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
स्टॉक में वृद्धि(-) / कमी(+)		
प्रारंभिक स्टॉक		
तैयार माल	369.86	182.17
	369.86	182.17
घटाएं: अंतिम स्टॉक		
तैयार माल	451.72	369.86
	451.72	369.86
तैयार माल की इन्वेंट्री में बदलाव	(81.86)	(187.69)
कुल	(81.86)	(187.69)

25. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरी	2,771.11	2,874.61
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	451.32	322.42
कर्मचारी कल्याण व्यय	41.90	39.87
चिकित्सा व्यय	11.58	47.23
कुल	3,275.91	3,284.13

26. वित्तीय लागत

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
ब्याज लागत*	33.33	3.93
बैंक शुल्क	11.41	11.51
बैंक गारंटी कमीशन	28.58	14.91
कुल	73.32	30.35

* इसमें एमएसएमई बकाया पर ब्याज के लिए प्रदान किए गए 3.92 लाख रुपये शामिल हैं।

27. मूल्यहास, क्षति और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
निरंतर संचालन से संबंधित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का मूल्यहास	192.24	194.55
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की क्षति	-	-
घटाएं: पिछले वर्ष का राइट-ऑफ किया गया मूल्यहास		
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	-	-
निरंतर संचालन से संबंधित कुल मूल्यहास, क्षति और परिशोधन	192.24	194.55

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

28. अन्य व्यय

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
प्रत्यक्ष व्यय	16,411.33	3,626.57
विद्युत एवं ईंधन	41.48	43.09
मरम्मत एवं रखरखाव - प्लांट एवं मशीनरी	12.26	11.29
टेस्टिंग और अन्य खर्च	1.72	2.13
अनुसंधान एवं विकास के लिए कंपोनेंट और प्रोटोटाइप	3.98	3.20
वारंटी दायित्व	30.49	80.72
सेवा और रखरखाव शुल्क	9,130.31	1,698.49
स्थापना शुल्क	7,191.09	1,787.65
प्रशासनिक खर्च	384.02	393.88
मरम्मत और रखरखाव - भवन	1.43	26.12
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	4.27	3.12
किराया	17.31	15.22
दर और कर	31.38	20.86
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	11.32	13.27
यात्रा एवं परिवहन	67.33	76.36
डाक एवं संचार व्यय	13.96	13.98
कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	62.75	54.96
सुरक्षा, सफाई एवं अन्य व्यय	124.86	123.07
लेखा परीक्षकों को भुगतान	2.95	2.98
बीमा शुल्क	9.75	8.84
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	7.78	-
संपत्तियों को बट्टे खाते में डालने पर होने वाली हानि	0.12	0.31
विविध व्यय	28.81	34.79
बिक्री और वितरण संबंधी खर्च	642.31	788.46
संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	379.96	319.63
रॉयल्टी, छूट और कमीशन	109.72	237.07
विज्ञापन एवं व्यावसायिक प्रचार	21.39	37.23
अग्रेषण व्यय	131.24	193.81
डूबत खाते	-	0.72
कुल	17,437.66	4,808.91

28.1 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक का विवरण

लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
(अ) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	1.25	1.25
(ब) कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.70	0.70
(स) प्रमाणन कार्य	0.75	0.78
(द) जेब खर्च से बाहर	0.25	0.25
कुल	2.95	2.98

28.2 विविध खर्चों में निदेशकों की सितिंग फीस शून्य (पिछले वर्ष 0.32 लाख रुपये) और बोर्ड मीटिंग के खर्च 0.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 0.07 लाख रुपये) शामिल हैं।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

29. निरंतर संचालन से संबंधित आयकर

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

29.1 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त आयकर

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
वर्तमान कर	-	-
वर्तमान अवधि के संबंध में	-	-
पिछले वर्षों से संबंधित कर का समायोजन	-	-
प्रावधान रिवर्सल		
पिछली अवधि के संबंध में	-	-
आस्थगित कर		
वर्तमान अवधि के संबंध में	(437.72)	328.56
पिछले वर्ष से संबंधित कर का समायोजन		
	(437.72)	328.56
वर्तमान अवधि में जारी चालू संचालन से संबंधित मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय	(437.72)	328.56

29.2 अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर		
परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	(4.50)	3.60
कुल	(4.50)	3.60
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर का विभाजन:- ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(4.50)	3.60

30. प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
निरंतर संचालन से	रु. प्रति शेयर	रु. प्रति शेयर
कर पश्चात लाभ/(हानि)	(375.08)	(895.43)
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	122.50	122.50
प्रति शेयर मूल आय (प्रत्येक 10/- रुपये का एक इक्विटी शेयर)	(3.06)	(7.31)
डाइल्यूटेड ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	122.50	122.50
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (प्रत्येक 10/- रुपये का एक इक्विटी शेयर)	(3.06)	(7.31)
निरंतर संचालन से	रु. प्रति शेयर	रु. प्रति शेयर
प्रति शेयर मूल आय	(3.06)	(7.31)
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय	(3.06)	(7.31)

30.1 प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या इस प्रकार है।

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को देय अवधि के लिए लाभ / (हानि) (अ)	(375.08)	(895.43)
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (ब)	122.50	122.50
प्रति शेयर मूल आय (अ/ब)	(3.06)	(7.31)

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

30.2 प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

डाइल्यूटेड आय पर प्रति शेयर की गणना में इस्तेमाल की गई आय इस प्रकार है।

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए गए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ मेल खाती है:

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय	(375.08)	(895.43)
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना में प्रयुक्त आय (अ)	(375.08)	(895.43)
प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	122.50	122.50
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (ब)	122.50	122.50
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (अ/ब)	(3.06)	(7.31)

31. कर्मचारी लाभ योजनाएं

31.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी अपने सभी योग्य कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में योगदान देती है, जो कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, भारत सरकार में बनाए गए हैं। लाभ-हानि खाते में कुल व्यय 216.05 लाख रुपये (पिछले वर्ष 218.63 लाख रुपये) दर्ज किया गया।

31.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड योजना का प्रबंधन एक पॉलिसी द्वारा किया जाता है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम एक अनुमोदित ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड के जरिए चलाता है। इस योजना की देनदारियों (जैसे सेवानिवृत्ति, इस्तीफा और सेवा-काल में मृत्यु से संबंधित लाभ) का आकलन करने के लिए, 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति' का उपयोग करके 'एक्चुरियल वैल्यूएशन' के आधार पर देनदारी की मौजूदा राशि तय की जाती है।

निवेश जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देनदारी का वर्तमान मूल्य (भारतीय रुपये में) छूट दर का उपयोग करके गणना की जाती है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बॉन्ड पर बाजार प्रतिफल के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। चूंकि निवेश बीमा कंपनी (एलआईसी) के पास है, इसलिए परिसंपत्तियों को सुरक्षित माना जाता है।
व्याज जोखिम	बॉन्ड की व्याज दर में कमी से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी; हालांकि, योजना के ऋण निवेश पर मिलने वाले रिटर्न में बढ़ोतरी से इसकी भरपाई आंशिक रूप से हो जाएगी।
दीर्घावधि जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देनदारी का वर्तमान मूल्य का हिसाब, योजना में शामिल लोगों की सेवा के दौरान और उसके बाद उनकी मृत्यु दर के सबसे सटीक अनुमान के आधार पर लगाया जाता है।
वेतन जोखिम	परिभाषित लाभ योजना की देनदारी का वर्तमान मूल्य योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में गणना किया जाता है। इस प्रकार, योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देनदारी में वृद्धि होगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं।

विवरण	इस तारीख को मूल्यांकन	
	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
डिस्काउंट की दर	7.06%	6.72%
वेतन में बढ़ोतरी की दर	6.00%	6.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	3.00%	3.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	7.06%	6.72%
मृत्यु दर (रोजगार के दौरान)	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) (शहरी)	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) (शहरी)

तुलन पत्र में शामिल वह राशि, जो कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं से जुड़ी देनदारी के कारण है, इस प्रकार है।

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
वित्त पोषित परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(1,449.25)	(1,480.64)
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	895.28	958.73
वित्त पोषित स्थिति	(553.97)	(521.91)
मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति पर प्रतिबंध		
परिभाषित लाभ दायित्व से उत्पन्न शुद्ध दायित्व	(553.97)	(521.91)

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत निम्नानुसार हैं:

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,480.64	1,486.46
अवधि के प्रारंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	(958.73)	(655.62)
प्रारंभ में शुद्ध दायित्व / (परिसंपत्ति)	521.91	830.84
ब्याज लागत	99.50	107.03
(ब्याज से आय)	(64.43)	(47.21)
वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	35.07	59.82

वर्तमान अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
वर्तमान सेवा लागत	29.95	31.37
शुद्ध ब्याज लागत	35.07	59.82
पिछली सेवा लागत	158.13	-
मान्यता प्राप्त व्यय	223.15	91.19

वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(10.35)	38.05
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज आय को छोड़कर	(5.12)	(25.69)
परिसंपत्तियों की सीमा में परिवर्तन		
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	(15.47)	12.36

प्रतिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में बदलाव निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
प्रारंभिक प्रतिभाषित लाभ दायित्व	1,480.64	1,486.46
ब्याज लागत	99.50	107.03
वर्तमान सेवा लागत	29.95	31.37
पिछली सेवा लागत	158.13	-
पुनर्मूल्यांकन (लाभ) / हानि:	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि	-	-
वित्तीय मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि	(25.36)	32.76
अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि	15.02	5.29
फंड से भुगतान किए गए लाभ	(308.62)	(182.27)
अंतिम प्रतिभाषित लाभ दायित्व	1,449.26	1,480.64

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों में बदलाव निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य	958.72	655.62
ब्याज से आय	64.43	47.21
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	5.12	25.69
नियोक्ता का अंशदान	175.61	412.47
फंड से भुगतान किए गए लाभ	(308.62)	(182.27)
योजना परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	895.26	958.72



31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

तुलन पत्र मिलान

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
प्रारंभिक शुद्ध दायित्व	521.92	830.84
लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	223.15	91.19
ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय	(15.47)	12.36
अंतरण में शुद्ध दायित्व/ (परिसंपत्ति)	-	-
शुद्ध दायित्व/ (परिसंपत्ति) अंतरण के बाहर	-	-
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ)	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(175.61)	(412.47)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व/ (परिसंपत्ति)	553.99	521.92

परिसंपत्तियों की श्रेणी

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
बीमा फंड	895.26	958.72
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व/ (परिसंपत्ति)	895.26	958.72

अन्य जानकारीयां

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
सक्रिय सदस्यों की संख्या	172	186
सक्रिय सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	145.89	151.98
अनुमानित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	6.00	-
औसत अपेक्षित भावी सेवा	9.00	-
अनुमानित लाभ दायित्व (पीबीओ) निर्धारित	1,449.25	1,480.64
अगले वर्ष (12 महीने) के लिए योगदान	145.89	151.98

अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,449.25	1,480.64
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(895.28)	(958.73)
अवधि के अंत में शुद्ध दायित्व/ (परिसंपत्ति)	553.97	521.91
ब्याज लागत	102.32	99.50
(ब्याज से आय)	(63.21)	(64.43)
अगली अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	39.11	35.07

अगले अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय निम्नानुसार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
वर्तमान सेवा लागत	44.15	29.95
शुद्ध ब्याज लागत	39.11	35.07
मान्यता प्राप्त व्यय	83.26	65.02

प्रक्षेपित लाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषण: फंड से

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
रिपोर्टिंग की तारीख से भविष्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ		
पहला आगामी वर्ष	239.76	335.34
दूसरा आगामी वर्ष	169.66	114.80
तीसरा आगामी वर्ष	177.38	230.19
चौथा आगामी वर्ष	154.22	147.01
पांचवां आगामी वर्ष	202.79	127.46
6 से 10 वर्ष का योग	571.43	565.77
11 वर्ष और उससे अधिक का योग	775.51	711.06

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

संवेदनशीलता विश्लेषण

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 तक
वर्तमान अनुमानों के आधार पर अनुमानित लाभ दायित्व	1,479.36	1,480.64
डिस्काउंटिंग दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(62.28)	(66.30)
डिस्काउंटिंग दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	75.05	74.39
वेतन वृद्धि की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	39.31	38.67
वेतन वृद्धि की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(39.59)	(38.82)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	14.66	12.67
कर्मचारी टर्नओवर की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(16.12)	(14.05)

32. वित्तीय साधन

32.1 पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के लिए इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी को ध्यान में रखा जाता है।

कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह करती है कि वह एक चालू व्यवसाय के तौर पर बनी रहे और शेयरधारकों को बेहतर रिटर्न दे सके। कंपनी की पूंजी संरचना प्रबंधन की रणनीतिक और दैनिक आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित है, इसमें निवेशकों, लेनदारों और बाजार का भरोसा बनाए रखने के लिए, कुल इक्विटी पर ध्यान दिया जाता है।

प्रबंधन और निदेशक मंडल पूंजी पर रिटर्न के साथ-साथ शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश के स्तर की मीगरानी करते हैं। कंपनी अपनी पूंजी संरचना को बनाए रखने या ज़रूरत पड़ने पर उसमें समायोजन करने के लिए उचित कदम उठा सकती है।

32.2 वित्तीय साधनों की श्रेणियां और उचित मूल्य

अ) वित्तीय साधनों की श्रेणियों के अनुसार वहन राशि और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:

विवरण	31 मार्च, 2026 को		31 मार्च, 2025 तक	
	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	वहन मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां:	29,988.28	29,988.28	22,249.96	22,249.96
गैर वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां	265.10	265.10	116.17	116.17
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	117.43	117.43	56.53	56.53
वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां	29,036.13	29,036.13	17,048.04	17,048.04
नकद और नकद समतुल्य	454.99	454.99	4,846.89	4,846.89
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	114.63	114.63	182.32	182.32
वित्तीय दायित्व				
परिशोधन लागत पर धारित वित्तीय दायित्व:	27,581.36	27,581.36	19,018.98	19,018.98
गैर वर्तमान				
व्यापार देय	14.46	14.46	16.60	16.60
उधार				
वर्तमान				
व्यापार देय	27,222.65	27,222.65	18,548.75	18,548.75
अन्य वित्तीय दायित्व	344.25	344.25	453.63	453.63

कंपनी ने नकद और नकद समतुल्य, वर्तमान व्यापार प्राप्तियां, वर्तमान व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों / दायित्वों जैसे वित्तीय साधनों का खुलासा वहन मूल्य पर किया है, क्योंकि कम समय की अवधि के कारण उनकी आगे ले जाने वाली, उनकी उचित मूल्य का उचित अनुमान है।

ब) उचित मूल्य अनुक्रम

नकद और नकद समतुल्य, वर्तमान व्यापार प्राप्ति, वर्तमान व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां/दायित्व को छोड़कर, जिनका वहन मूल्य पर खुलासा किया गया है, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों/दायित्वों का उचित मूल्यांकन 3 स्तर का उपयोग करके किया जाता है।

उपरोक्त बताई गई स्तर 3 श्रेणियों में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्यों का निर्धारण रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण के आधार पर आम तौर पर स्वीकृत मूल्य निर्धारण मॉडल के अनुसार किया गया है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

32.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य

कंपनी के व्यापार से जुड़े कामों में कई तरीके के वित्तीय जोखिम होते हैं, जैसे तरलता जोखिम, बाज़ार जोखिम और ऋण जोखिम। कंपनी के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को बनाने और उसे चलाने की पूरी ज़िम्मेदारी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन की है। व्यापार के विस्तार और हितों से जुड़े नए और उभरते जोखिमों के लिए जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को लगातार अद्यतन किया जाता है। कंपनी का जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क, मुख्य व्यावसायिक लक्ष्यों से जुड़े विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी और उन्हें कम करने से जुड़ी प्रक्रियाओं को शामिल करता है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं, कंपनी की लंबे समय तक बनी रहने वाली प्रतिस्पर्धी बढ़त को बनाए रखने और उसे बढ़ाने का काम करती हैं। कंपनी के मुख्य मूल्य और नैतिकता उसके जोखिम प्रबंधन तरीकों के लिए आधार प्रदान करते हैं। यह प्रणाली व्यवसाय का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें जोखिमों की पहचान व्यवस्थित तरीके से की जाती है।

जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य समय पर और विवेकपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करना है ताकि :

- अवसरों के सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम किया जा सके
- जोखिमों के नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके
- जोखिमों को अवसरों में परिवर्तित किया जा सके

अ) बाजार जोखिम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियों के कारण उसे मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों (नीचे नोट अ(i) देखें) और व्याज दरों (नीचे नोट अ(ii) देखें) में बदलाव से जुड़े वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

कंपनी के बाज़ार जोखिमों या इन जोखिमों का प्रबंधन और गणना के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अ)(i) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी को इस जोखिम का सामना करना पड़ सकता है कि विदेशी मुद्रा की कीमतों में बदलाव से कंपनी के निर्यात से होने वाली आय और कच्चे माल व संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आयात पर असर पड़ सकता है।

कंपनी को अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी विभिन्न मुद्रा से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है।

31 मार्च, 2026 को, कंपनी के वित्तीय दायित्वों (व्यापार देय) से जुड़ी विदेशी मुद्रा जोखिम की राशि 21 लाख रुपये (31 मार्च, 2025: 18 लाख रुपये) थी और वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार प्राप्य) की राशि शून्य (31 मार्च, 2025: 258 लाख रुपये) थी।

अ)(i)(अ) विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी जिन मुख्य मुद्राओं के संपर्क में है, उनके मुकाबले भारतीय रुपये में 5% की मजबूती से लाभ-हानि विवरण में लगभग 11.56 लाख रुपये का अतिरिक्त फायदा होता (2024-25: 16.35 लाख रुपये का लाभ)। इन मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये में 5% की कमजोरी से ठीक इसके उलट असर होता।

अ)(ii) व्याज दर जोखिम प्रबंधन

कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट का कोई बकाया क्रेडिट शेष नहीं है। इसलिए, कंपनी पर व्याज दरों में बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा।

ब) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसके तहत कोई दूसरी पार्टी अपने अनुबंध के तहत तय दायित्वों को पूरा करने में चूक कर सकती है, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हो सकता है। कंपनी ने सिर्फ क्रेडिट योग्य पार्टियों के साथ ही लेन-देन करने की नीति अपनाई है। कंपनी ज्यादातर सरकारी संस्थाओं के साथ लेन-देन करती है, जिससे अनुबंध के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा न कर पाने का जोखिम कम हो जाता है। कंपनी के जोखिम पर लगातार नज़र रखी जाती है।

अलग-अलग ग्राहकों के लिए क्रेडिट लिमिट तय की जाती है, जिन्हें विपणन विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ग्राहकों से ऑर्डर लेने से पहले इन लिमिट की जांच की जाती है। साथ ही, क्रेडिट लिमिट की समय-समय पर समीक्षा करने की व्यवस्था भी है।

31 मार्च, 2026 और 31 मार्च, 2025 को क्रेडिट जोखिम के प्रति कंपनी का अधिकतम जोखिम, वित्तीय परिसंपत्तियों की हर श्रेणी की आगे ले जाने वाली राशि है।

कंपनी अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल के सरल तरीके के आधार पर व्यापार प्राप्तियों पर प्रावधान बना रही है। कंपनी ने संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान बनाने की प्रक्रिया का पालन किया है, 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक के बकाया के लिए @10%, 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक के बकाया के लिए @20% और 5 वर्षों से अधिक के बकाया के लिए @30%, इस तरह कुल राशि 379.96 लाख बनी। उपरोक्त सिद्धांत सावधानी की मान्यताओं पर आधारित है; इसमें देनदारों से वसूली में निरंतरता को पिछले रुझानों के आधार पर देखा जाता है, जहां वसूली में देरी तो हुई है, लेकिन कर्ज हमेशा सुरक्षित रहा है।

विवरण	2025-26	2024-25
प्रारंभिक शेष	2,849.37	2,529.74
हानि स्वीकार्यता में परिवर्तन:	-	-
अतिरिक्त प्रावधान	379.96	319.63
अंतिम शेष	3,229.33	2,849.37

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

स) तरलता जोखिम प्रबंधन

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसका सामना कंपनी को अपनी वित्तीय दायित्वों से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने में करना पड़ सकता है। कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपनी दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त फंड हों और ऐसा करते समय उसे कोई ऐसा नुकसान न हो जिसे स्वीकार न किया जा सके। ऐसा करते समय, प्रबंधन सामान्य और मुश्किल दोनों तरह की स्थितियों पर विचार करता है। प्रबंधन नियमित रूप से अनुमानों की तुलना में नकद और नकद समतुल्यों की स्थिति और अनुमानों की निगरानी करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय, वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय दायित्वों (जिनमें देनदारों के लिए वित्त प्लान भी शामिल हैं) की परिपक्वता प्रोफाइल और तुलन पत्र तरलता अनुपात पर विचार किया जाता है।

परिचालन गतिविधियों से होने वाला नकदी प्रवाह रोज़मर्रा के वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए फंड उपलब्ध कराता है।

कंपनी पर्याप्त नकदी बनाए रखकर और बैंक खातों में फंड आधारित लिमिट के ज़रिए फंडिंग की सुविधा का इस्तेमाल करके तरलता जोखिम को प्रबंध करती है।

नीचे दी गई तालिका कंपनी की वित्तीय देनदारियों के अनुमानित प्रवाह और तुलन पत्र की तारीख पर उनकी आगे ले जानी वाली राशि के आधार पर उनकी परिपक्वता का विश्लेषण दिखाती है।

विवरण	वहन राशि	1 वर्ष के अंदर देय	1-2 वर्ष	2 वर्ष से ज्यादा	कुल
31 मार्च 2026 को					
व्यापार देय*	27,237.11	14,513.71	1,845.86	10,877.54	27,237.11
अन्य वित्तीय दायित्व	344.25	344.25	-	-	344.25
कुल	27,581.36	14,857.96	1,845.86	10,877.54	27,581.36
31 मार्च 2025 को					
व्यापार देय*	18,565.35	7,323.20	921.47	10,320.68	18,565.35
अन्य वित्तीय दायित्व	453.63	453.63	-	-	453.63
कुल	19,018.98	7,776.83	921.47	10,320.68	19,018.98

* व्यापार देय में 31 मार्च, 2026 को 15427.72 लाख रुपये (31 मार्च 2025 तक 10661.54 लाख रुपये) शामिल हैं, जिनका कौन्ट्रैक्टर को भुगतान तभी किया जाता है जब ग्राहक से भुगतान मिल जाता है।

33. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

(अ) संबंधित पक्षों के नाम और उनके संबंध का विवरण:

31 मार्च, 2026 को

संबंध की प्रकृति	इकाई का नाम	इस्तेमाल किया संक्षिप्त नाम
नियंत्रण	भारत सरकार	GOI
महत्वपूर्ण प्रभाव	रीको	RIICO
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री ब्रिजेश दीक्षित, 30.04.2025 से	MD
	श्री संजय बंगा, 28.04.2025 से 29.04.2025 तक	MD
	श्री सुभाष अग्रवाल	CFO
	श्री अमित कुमार जैन	CS

31 मार्च, 2025 तक

संबंध की प्रकृति	इकाई का नाम	इस्तेमाल किया संक्षिप्त नाम
नियंत्रण	भारत सरकार	GOI
महत्वपूर्ण प्रभाव	रीको	RIICO
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री पी.एन. शर्मा	MD
	श्री सुभाष अग्रवाल	CFO
	श्री अमित कुमार जैन	CS

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण (क्रमशः)

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

33(बी) उपरोक्त संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन/ शेष राशि (नोट 33(ए) में ऊपर उल्लेखित)

31 मार्च, 2026 को

विवरण	भारत सरकार	रीको	एमडी	सीएफओ	सीएस	कुल
शेष						
व्यापार प्राप्तियां	1,284.85	531.38	-	-	-	1,816.23
प्रतिभूति जमा	-	0.40	-	-	-	0.40
व्यपार देय	-	-	-	-	-	-
प्राप्त अग्रिम	-	-	-	-	-	-
लेनदेन						
ड्रोन परियोजना के तहत सेवाओं की बिक्री	-	202.36	-	-	-	202.36
ऋण की किश्त का भुगतान	-	-	-	-	-	-
अर्जित और देय ब्याज	-	-	-	-	-	-
पारिश्रमिक	-	-	64.03	55.35	18.59	137.97
अ) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	-	-	59.00	46.76	17.54	123.30
ब) नौकरी के बाद के लाभ	-	-	-	-	-	-
स) अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-	5.03	8.59	1.05	14.67
द) सेवा समाप्ति पर मिलने वाले लाभ	-	-	-	-	-	-
य) शेयर आधारित भुगतान	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2025 तक

विवरण	भारत सरकार	रीको	एमडी	सीएफओ	सीएस	कुल
शेष						
व्यापार प्राप्तियां	1,284.85	984.30	-	-	-	2,269.15
प्रतिभूति जमा	-	0.40	-	-	-	0.40
व्यपार देय	-	-	-	-	-	-
प्राप्त अग्रिम	-	-	-	-	-	-
लेनदेन						
ड्रोन परियोजना के तहत सेवाओं की बिक्री	-	576.85	-	-	-	576.85
पारिश्रमिक	-	-	74.43	47.58	18.28	140.29
अ) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	-	-	70.58	44.21	15.90	130.69
ब) नौकरी के बाद के लाभ	-	-	-	-	-	-
स) अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-	3.85	3.37	2.38	9.60
द) सेवा समाप्ति पर मिलने वाले लाभ	-	-	-	-	-	-
य) शेयर आधारित भुगतान	-	-	-	-	-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-	1.85	-	-	1.85

34. खंड प्रतिवेदन

इंड एस 108 के "खंड प्रतिवेदन" संबंधी अनुपालन में, आवश्यक जानकारी निम्न है:

व्यवसायिक खंड: कंपनी ने निम्नलिखित व्यवसाय खंडों को अपने रिपोर्टिंग योग्य खंड के रूप में अपनाया है।

1. अक्षय ऊर्जा
2. इलेक्ट्रॉनिक्स
3. नई परियोजनाएं
4. सूचना प्रौद्योगिकी

सहायक खंड रिपोर्टिंग के लिए भौगोलिक खंड को ध्यान में रखा गया है, जिसमें भारत और विदेशों से होने वाली बिक्री से प्राप्त आय को अलग-अलग भौगोलिक सेगमेंट माना गया है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

(I) प्राथमिक - व्यवसाय खंड: *

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष

विवरण	अक्षय ऊर्जा	इलेक्ट्रॉनिक्स	नई परियोजनाएं	सूचना प्रौद्योगिकी	कुल
राजस्व					
बाहरी	8,909.58	4,436.15	4,752.54	9,717.17	27,815.44
अंतर-खंड					
खंड राजस्व	8,909.58	4,436.15	4,752.54	9,717.17	27,815.44
कुल राजस्व					
खंड परिणाम	462.36	(511.65)	(244.03)	263.98	(29.34)
ब्याज से आय (+)					131.97
ब्याज पर व्यय (-)					39.99
कर व्यय (-)					(437.72)
शुद्ध लाभ/ (हानि)					(375.08)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष

विवरण	अक्षय ऊर्जा	इलेक्ट्रॉनिक्स	नई परियोजनाएं	सूचना प्रौद्योगिकी	कुल
राजस्व					
बाहरी	8,895.29	5,322.98	308.95	1,221.56	15,748.78
अंतर-खंड					
खंड राजस्व	8,895.29	5,322.98	308.95	1,221.56	15,748.78
कुल राजस्व					
खंड परिणाम	190.08	(894.50)	(525.74)	(55.75)	(1,285.91)
ब्याज से आय (+)					92.27
ब्याज पर व्यय (-)					30.35
कर व्यय (-)					328.56
शुद्ध लाभ/ (हानि)					(895.43)

* चालू वर्ष के बिक्री पैटर्न के अनुसार खंड का पुन:वर्गीकरण किया गया है।

वेतन समेत प्रत्यक्ष खर्चों को चार्ज किया गया है और प्रत्यक्ष ओवरहेड्स को संबंधित कंड के आनुपातिक टर्नओवर के आधार पर बांटा गया है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष

विवरण	अक्षय ऊर्जा	इलेक्ट्रॉनिक्स	नई परियोजनाएं	सूचना प्रौद्योगिकी	कुल
खंड संपत्तियां	14,516.04	4,073.41	9,008.77	5,483.48	33,081.70
आवंटित नहीं की गई संपत्तियां					4,206.73
कुल संपत्तियां					37,288.43
खंड दायित्व	13,693.75	3,083.44	6,949.85	5,360.69	29,087.73
आवंटित नहीं की गई दायित्व					8,200.70
कुल दायित्व					37,288.43

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष

विवरण	अक्षय ऊर्जा	इलेक्ट्रॉनिक्स	नई परियोजनाएं	सूचना प्रौद्योगिकी	कुल
खंड संपत्तियां	11,987.77	5,004.96	3,034.35	1,266.40	21,293.48
आवंटित नहीं की गई संपत्तियां					8,582.45
कुल संपत्तियां					29,875.93
खंड दायित्व	11,653.60	9,060.17	1,416.12	557.57	22,687.46
आवंटित नहीं की गई दायित्व					7,188.47
कुल दायित्व					29,875.93



31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

विवरण	अक्षय ऊर्जा	इलेक्ट्रॉनिक्स	नई परियोजनाएं	सूचना प्रौद्योगिकी	कुल
वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय	-	19.12	-	-	19.12
वर्ष के दौरान मूल्यहास	139.74	52.50			192.24
वर्ष के दौरान मूल्यहास के अतिरिक्त गैर-नकदी व्यय			-	-	

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	अक्षय ऊर्जा	इलेक्ट्रॉनिक्स	नई परियोजनाएं	सूचना प्रौद्योगिकी	कुल
वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय	-	7.43	-	-	7.43
वर्ष के दौरान मूल्यहास	140.59	53.96	-	-	194.55
वर्ष के दौरान मूल्यहास के अतिरिक्त गैर-नकदी व्यय					

(II) सहायक - भौगोलिक खंड:

विवरण	भारत		भारत के बाहर	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
राजस्व	27,692.42	14,111.20	123.02	1,637.58
खंड परिसंपत्तियों की वहन राशि	33,081.70	21,293.48	-	-
पूंजीगत व्यय / अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	19.12	7.43	-	-

35. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए खातों से जुड़ी और उनका हिस्सा बनने वाली अन्य टिप्पणियां

अ. आयात का सीआईएफ मूल्य

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 तक समाप्त वर्ष
कच्चा माल और कंपोनेन्ट्स	482.22	332.27
कुल	482.22	332.27

ब. विदेशी मुद्रा में व्यय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 तक समाप्त वर्ष
रॉयल्टी	401.20	112.18
यात्रा व्यय	-	-
कुल	401.20	112.18

स. एफओबी मूल्य पर विदेशी मुद्रा में आय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 तक समाप्त वर्ष
निर्यात बिक्री	123.02	1,637.58
कुल	123.02	1,637.58

द. (i) निगमित सामाजिक दायित्व (2025-26)

- वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि - शून्य रुपये
- वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि;

कार्य की प्रकृति	नकद में	अभी नकद भुगतान किया जाना बाकी है	कुल
किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य पर	-	-	-

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

द. (ii) निगमित सामाजिक दायित्व (2024-25)

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

- वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि - शून्य रुपये
- वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:

कार्य की प्रकृति	नकद में	अभी नकद भुगतान किया जाना बाकी है	कुल
किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य पर	-	-	-

य. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 तक समाप्त वर्ष
राजस्व	240.97	228.46
पूजीगत	7.57	-
कुल	248.54	228.46

ह. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 तक समाप्त वर्ष
i) लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि *	2,713.88	2,193.76
ii) लेखा वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को देय ब्याज का भुगतान न किया गया हो	2.92	3.92
iii) धारा 16 के तहत भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किया गया भुगतान।	-	-
iv) भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जो भुगतान निर्धारित तिथि के बाद किया गया हो) लेकिन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना।	-	-
v) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि और लेखा वर्ष के अंत में अदा नहीं की गई	-	-
vi) अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य खर्च के तौर पर अस्वीकार किए जाने के उद्देश्य से, छोटे उद्यमों को ऊपर बताए गए बकाया ब्याज का असल में भुगतान होने की तारीख तक, आने वाले सालों में भी बकाया और देय अतिरिक्त ब्याज की रकम।	-	-
कुल	2,716.80	2,197.68

* इसमें मुख्य रूप से ऐसी बकाया राशि शामिल है जिसका भुगतान अनुबंध की शर्तों और नियमों के कारण नहीं किया जाना है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों का बकाया उस हद तक तय किया गया है, जिस हद तक 'आपूर्तिकर्ता' से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उनकी स्थिति के बारे में मिली जानकारी के आधार पर उनकी पहचान की गई है।

ल. खातों में निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान/समायोजन नहीं किया गया है:

(अ) लंबित अप्रत्यक्ष करों और आयकर निर्धारण के संबंध में, यदि कोई अतिरिक्त दायित्व हो, जो अनिश्चित हो, और दायित्व जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेमेल होने के कारण भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं।

(ब) न्यायालय में निपटारे के लिए लंबित दावे, अनिश्चित हैं।

र. तकनीकी साहित्य, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टोर, रखरखाव, प्रिंटिंग और स्टेशनरी तथा उपभोग्य सामग्रियों पर होने वाला व्यय को उसी वर्ष लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है, जिस वर्ष उन्हें खरीदा जाता है; यानी यह माना जाता है कि वे उसी वर्ष इस्तेमाल हो गए।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

- व. बिक्री में उन स्पेयर्स की बिक्री शामिल नहीं है, जिनके लिए फ्रील्ड से सर्विस जॉब रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के बंद होने के बाद प्राप्त हुई है।
- श. पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनःवर्गीकृत किया गया है।
- 36. MCA की दिनांक 24/03/2021 की अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त विनियामक जानकारी:**
- 36.1 कंपनी के नाम पर धारित नहीं की गई अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख – संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कंपनी के नाम पर अचल संपत्ति धारित न हो। अतः इस संबंध में किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।
- 36.2 निवेश संपत्ति के उचित मूल्य से संबंधित खुलासा कंपनी की लेखा पुस्तकों में कोई निवेश संपत्ति धारित नहीं है। अतः इस संबंध में किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।
- 36.3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के पुनर्मूल्यांकन के मामले में खुलासा वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। अतः इस संबंध में किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।
- 36.4 अमूर्त परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में खुलासा वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। अतः इस संबंध में किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है।
- 36.5 प्रमोटर्स, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों (KMP) एवं संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के संबंध में खुलासा "कंपनी ने प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों (KMPs) तथा संबंधित पक्षों को कोई ऐसा ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं किया है, जो मांग पर चुकाने योग्य हो अथवा जिसके पुनर्भुगतान के लिए कोई शर्त अथवा अवधि निर्धारित न की गई हो।"
- 36.6 पूंजीगत कार्य प्रगति पर के संबंध में खुलासा तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार कोई भी पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।
- 36.7 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में खुलासा कंपनी के पास कोई भी विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है।
- 36.8 बेनामी संपत्ति धारित किए जाने के संबंध में खुलासा "बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को धारित करने के संबंध में कंपनी के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही शुरू की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।"
- 36.9 चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से लिए गए ऋण के संबंध में खुलासा: "कंपनी पंजाब नेशनल बैंक से फंड आधारित/गैर फंड आधारित ऋण सीमाओं का लाभ उठा रही है, जो कच्चे माल, प्रक्रियाधीन स्टॉक, तैयार माल तथा बही-ऋणों के हाइपोथिकेशन द्वारा सुरक्षित हैं।"

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

तिमाही	प्रदान की गई प्रतिभूतियां	लेखा पुस्तकों के अनुसार राशि	तिमाही विवरण में रिपोर्ट की गई राशि	अंतर की राशि (तिमाही विवरण में अधिक दर्शाई गई राशि)	अंतर के कारण
I	इन्वेंटरी एवं बही-ऋण				नगण्य अंतर होने के कारण कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
(30 जून)	- इन्वेंटरी	1902.86	1903.00	-0.14	
	- बही-ऋण (प्राप्य राशि)	16274.21	16274.00	0.21	
II	इन्वेंटरी एवं बही-ऋण				
(30 सितंबर)	- इन्वेंटरी	1371.00	1371.00	0.00	वर्षांत लेखों के अंतिम रूप से निर्धारण एवं लेखा परीक्षा के कारण किए गए समायोजन
	- बही-ऋण (प्राप्य राशि)	17769.00	17768.90	0.10	
III	इन्वेंटरी एवं बही-ऋण				
(31 दिसंबर)	- इन्वेंटरी	1279.77	1279.77	0.00	
	- बही-ऋण (प्राप्य राशि)	24962.91	24962.91	0.00	
IV	इन्वेंटरी एवं बही-ऋण				
(31 मार्च)	- इन्वेंटरी	1583.06	1215.87	367.19	
	- बही-ऋण (प्राप्य राशि)	29036.13	26971.97	2064.16	

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स (क्रमशः)

36.10 इरादतन डिफॉल्टर के संबंध में खुलासा

वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान ने कंपनी को इरादतन डिफॉल्टर के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है।

36.11 हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध-सामान्य खुलासा

कंपनी का उन कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है जिन्हें अधिनियम की धारा 248 या धारा 560 के तहत हटा दिया गया है।

36.12 आर.ओ.सी. के साथ शुल्क पंजीकरण या संतुष्टि में देरी के बारे में खुलासा

कानूनी समय-सीमा के बाद ROC के पास पंजीकृत कराने के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

36.13 कंपनियों की लेयर्स की संख्या के अनुपालन के संबंध में खुलासा

यह धारा कंपनी पर लागू नहीं होता है।

36.14 अनुपात का खुलासा :-

(सभी राशि लाख ₹ में, जब तक अन्यथा न कहा जाये)

क्र. सं.	विवरण	अंश-गणक	विभाजक	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	भिन्नता	भिन्नता के कारण
(अ)	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान दायित्व	1.04	1.12	0.00%	लागू नहीं
(ब)	देनदार-इक्विटी अनुपात	दीर्घकालिक देनदार	शेयरधारक का फंड + दीर्घकालिक देनदार	-	-	-	लागू नहीं
(स)	देनदार सेवा कवरेज अनुपात	ईबीडीआईटीए	ब्याज+मूलधान ब्याज का अर्थ केवल सावधि ऋण ब्याज है न कि डब्ल्यूसी ब्याज	-	-	-	लागू नहीं
(द)	इक्विटी पर रिटर्न अनुपात	कर पश्चात शुद्ध आय	शेयरधारकों की इक्विटी	-7.09%	-15.82%	55.18%	वर्ष के दौरान कर पश्चात हुई हानि
(य)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बिक्री की लागत	औसत स्टॉक	4.41	4.90	-10.00%	लागू नहीं
(ह)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	उधार बिक्री	प्राप्य खाते	0.95	0.92	3.26%	लागू नहीं
(र)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	क्रेडिट खरीद	देय खाते	0.26	0.47	-44.68%	अनुबंध की शर्तों के अनुसार देय
(ल)	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	परिचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	20.96	15.53	34.96%	टर्नओवर में बढ़ोतरी
(श)	शुद्ध लाभ अनुपात	कर पश्चात शुद्ध लाभ	परिचालन से राजस्व	-1.35%	-5.69%	76.27%	वर्ष के दौरान कर पश्चात हुई हानि
(ष)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज, कर और पूर्व अवधि मद से पहले की आय	नियोजित पूंजी	2.57%	-21.10%	112.18%	कर पूर्व कमाया गया लाभ
(क्ष)	निवेश पर प्रतिफल	ब्याज के बाद शुद्ध लाभ, कर और प्राथमिकता लाभांश	इक्विटी शेयर पंजी प्लस संचय	-7.09%	-15.83%	55.21%	वर्ष के दौरान कर पश्चात हुई हानि

36.15 अनुमोदित की गई व्यवस्था की योजना के अनुपालन के संबंध में खुलासा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के तहत व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई है।

36.16 उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम के उपयोग के संबंध में खुलासा

कंपनी ने न तो मध्यस्थों को कोई फंड अग्रिम दिया है और न ही इस समझ के साथ कोई फंड प्राप्त किया है कि मध्यस्थ या कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी/वित्त पोषण एजेंसी द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या उनकी कोई गारंटी देगी।

वित्तीय विवरणों के साथ दिए गए नोट्स (1-36) देखें। हमारी समसंख्यक तारीख की अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते जी.के. मित्तल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

FRN 005842C

हस्ताक्षरित

(जोगेन्द्र सिंह शेखावत)

साझेदार

सदस्यता संख्या 079348

स्थान : जयपुर

दिनांक : 14.07.2026

यूडीआईएन: 26079348XGLEQU6662

हस्ताक्षरित

(निधि मेहता)

निदेशक

डीआईएन: 11398351

हस्ताक्षरित

(अमित कुमार जैन)

कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित

(बृजेश दीक्षित)

प्रबन्ध निदेशक

डीआईएन: 11086971

हस्ताक्षरित

(सुभाष अग्रवाल)

मुख्य वित्तीय अधिकारी





NET PROFIT / (LOSS)

(Rs. in Lakhs)



NET WORTH

(Rs. in Lakhs)



TURNOVER

(Rs. in Lakhs)





From R to L: Shri K.K. Gupta, SR. DGM (Fin.), RIICO, Smt. Nidhi Mehta, FA, RIICO, Shri Suresh Kumar Ola, Chairman, REIL, Shri Brijesh Dixit, MD, REIL, Shri Subhash Agrawal, CFO, REIL, Shri Amit K. Jain, Company Secretary, REIL.

REIL 44th Annual General Meeting for the financial year 2025-26

The 44th Annual General Meeting of the 'Mini Ratna' Company Rajasthan Electronics and Instruments Limited, a Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Heavy Industries, Government of India, was held on 08.09.2026.

Registered Office & Works

Rajasthan Electronics and Instruments Ltd.

2, Kanakpura Industrial Area, Sirsi Road,

Jaipur-302034 (Rajasthan) India

Tel : 91-141-2470363, 2470062

E-Mail : reiljp@reiljp.com

CIN U51395RJ1981GOI002249

Other Offices

REIL House, Shipra Path, Mansarovar,

Jaipur-302020 (Rajasthan) India

Anand | Bhopal | Chandigarh | Patna | Lucknow | Bangalore